चतुर्थ माला, खंड 47, अंक 21 बुधवार, 9 दिसम्बर, 1970/18 अग्रहायण, 1892 (शक)
Fourth Series, Vol. XLVII, No. 21 Wednesday, December 9, 1970/Agrahayana 18, 1892 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]

[खंड 47 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 28]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1970/27 अग्रहायण, 1892 (शक)

No. 28, Friday December, 18, 1970/Agrahayana, 27, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
811	पूर्व जर्मनी की शिक्षा-पद्धति परआधारित शिक्षा-प्रणाली	System of Education on the Pattern of Education in East Germany	1—7
812	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में मजूरी में पुनरीक्षण	Wage revision in the Hindustan Shipyard Limited	7—9
814	नेहरू विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में प्रतिनिधित्व	Representation on various bodies of Nehru University	9—15
815	स्टेट बैंक आफ इंडिया में अलवार के व्यापारियों द्वारा जमा किये गये धन का गबन	Embezlement of Money deposited by Merchants of Alwar in the State Bank of India	15—16
816	उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के वेतन मानों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid to better the Pay Scales of Teachers in U. P.	16—19
817	रोज़गार प्रधान शिक्षा	Job-oriented Education	19—21

प्रश्नों के लिखित उत्तर — Written answers to questions

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
813	दिल्ली में स्विस निर्मित घड़ियाँ बेचने वाले गिरोह का पकड़ा जाना	Apprehension of a Gang selling Swiss-made Watches in Delhi	21
818	भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर विश्व बैंक की रिपोर्ट	World Banks report on Indian Economy	22

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
819 कलकत्ता में बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा इमारतों का बेचा जाना	Sale of Buildings in Calcutta by Big Industrial Houses	22—23
820 काले धन का पता लगाने हेतु अहमदाबाद में छापे मारना	Raids in Ahmedabad to unearth Black Money	23
821 विदेशी सहायता पर निर्भर अनुसंधान संस्थान	Research Institutions dependent on Foreign Aid	23—24
822 सुरम्य तथा ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Picturesque and Historical Places for development as Tourist Centres	24
823 रामपुर के नवाब के ज वहरात	Jewellery belonging to the Nawab of Rampur	25
824 श्री आर० के० नैयर के मकान पर छापा	Raid on the House of Shri R. K. Nayyar	25—26
825 एकाधिकार अधिनियम के बारे में टाटा कैमिकल्स लिमिटेड के चेयरमेन द्वारा व्यक्त किये गये विचार	Views expressed by Chairman Tata Chemicals Ltd. on Monoplies Act	26
826 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जीवनी	Biography of Netaji Subhash Chandra Bose	26—27
827 स्टैन्डर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा आय पर लगे करों का अपवंचन	Evasion of Payment of Taxes on Income by Standard Drum and Barrel Manufacturing Company	27
828 पर्यटकों के लिए सुविधाएँ	Facilities for Tourists	27—28
829 चोरी छिपे लाई गई लोंग का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Gloves	28
830 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन	Reconstitution of University Grants Commission	28—29
831 काले धन का पता लगाना	Unearthing of Black Money	29
832 वृहद् बम्बई की जल तथा मल व्यवस्था परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता	World Bank Aid for Water and Sewerage Projects of Greater Bombay	29
833 चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनपर्यटन के विकास की योजना	Plan to Promote wild Life Tourism during Fourth Plan	30
834 विमानों के अपहरण का भारत के दौरे पर आने वाले अनेकों पर्यटकों पर प्रभाव	Effect of Hijacking of Planes on Number of Tourists visiting India	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
835 सफदर जंग हवाई अड्डे के निकट ऊपरि पुल का निर्माण कार्य पूरा होना	Completion of over-head bridge near safdarjang Airport	30—31
836 लन्दन के लिए भारतीय पत्तनों पर लदे माल पर 25 प्रतिशत भाड़ा अधिभार लगाने का प्रस्ताव	Proposal to impose a 25 percent freight surcharge on Cargo loaded at Indian Ports to London	31—32
837 सरकारी उपक्रमों द्वारा जीवन बीमा निगम के प्रीमियम का भुगतान	Payment of LIC premium by public Undertaking	32—33
838 स्टेट बैंक आफ इंडिया का अभियाचना धन बाजार (काल मनी मार्केट) में प्रवेश	Entering of S. B. I. into the Call Money Market	33
839 पर्यटकों संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक तरीका	Evolving Scientific Method of Collection of Tourist Information	33—35
840 एकाधिकार अधिनियम के अधीन प्रभुत्वप्राप्त उपक्रमों का विस्तार	Expansion of Dominant Undertakings under Monopolies Act	35—36
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
5167 राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल पर बिक्री कर में कटौती का सुझाव	Suggestion to reduce Sales Tax on Raw materials Supplied by the State Trading Corporation and Minerals and metals Trading Corporation	36
5168 राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan	36—37
5169 अहमदाबाद में चाँदी विक्रेता फर्मों पर छापा	Raid on Firms in Ahmedabad Dealing in Sivler	37—38
5170 गुजरात में एक तस्कर व्यापारी का आलिशान बंगला	Owning of a Palatial Bungalow by a Smuggler in Gujarat	39
5171 दस रुपये के जाली करैन्सी नोटों का पाया जाना	Alleged Possession of Ten-Rupee Counterfeit Currency Notes	39—40
5172 बंगलौर-मैसूर रोड पर एक कार से सोने के बिस्कुटों का पकड़ा जाना	Seizure of Gold Biscuits from a Car on th: Bangalore-Mysore Road	40

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
5173 नेशनल रेयन कार्पोरेशन का उत्पादन	Production of the National Rayon Corporation	40—41
5174 अन्तरिम सहायता से लाभान्वित होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees benefitted by Grant of Interim Relief	41
5175 जिला उदयपुर में तम्बाकू के स्टाक का जब्त किया जाना	Seizure of Tobacco Stock in Udaipur District	41
5176 टिकरी क्लान सीमा तथा रामकृष्ण पुरम के बीच दिल्ली परिवहन की सीधी बस सेवा	Direct D. T. U. Bus Service between Tikri Klan border and Ramakrishna Puram	41—42
5177 बहादुरगढ़ तथा केन्द्रीय सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन की बसों में मासिक पास	Monthly Passes in DTU buses between Bahadurgarh and Central Secretariat	42
5178 एकाधिकार आयोग द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति	Clearance of Industrial Licences by Monopolies Commission	42—43
5179 मेसर्स किर्लोसकर की ओर से औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र	Application for Industrial Licence from M/s Kirloskars	43
5180 दिल्ली विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठने के लिए पंजीकरण	Registration to appear as private candidate in M. A. Examination of Delhi University	44
5181 सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट डकोटा विमान की दुर्घटना	Dakota Air Crash Near Safdarjang Aerodrom	44—45
5182 जीवन बीमा निगम के शताब्दी समारोह पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Centenary Celebrations of LIC	45—46
5183 दिल्ली की मेदगंज स्थित मेसर्स भुज्जनमल कुन्दनलाल फर्म द्वारा आय कर का अपवंचन	Evasion of income tax by M/s Bujjanmal Kundan Lal, Medganj, Delhi	46
5184 गोल्डन तम्बाकू कम्पनी द्वारा सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास की स्थापना	Formation of Public Charitable Trust by Golden Tobacco Company	47
5185 मैसूर राज्य में कोलार स्थित स्कूल आफ माइन्स के प्रिंसिपल की नियुक्ति	Appointment of Principal, School of Mines, Kolar, Mysore State	47

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5186	"भारतीय संस्कृति और साहित्य" नामक पुस्तक में हरिजनों के विरुद्ध घृणास्पद टिप्पणियाँ	Reported Contemptuous remarks against Harijans in the book entitled "Bhartiya Sanskriti Aur Sahitya"	48
5187	मेसर्स पोद्दार इन्टरनेशनल ट्रांसपोर्ट ओनर्स द्वारा आयकर के भुगतान में की गई अनियमिततायें	Irregularities committed by M/s Poddar International Transport owners in Payment of income tax	48—49
5188	प्रतिरक्षा सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना	Completion of Defence Roads	49
5189	भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र-प्रसाद की स्मृति में स्मारक बनाना	Memorial in Memory of First President of India Dr. Rajendra Prasad	49—50
5190	अंग्रेजी एसिस्टेंटों की तुलना में हिन्दी एसिस्टेंटों के वेतनमान	Scales of Hindi Assistants vis-a-vis English Assistants	50
5191	पश्चिम बंगाल में वार्षिक परीक्षाओं के लिए पुलिस का संरक्षण	Police Protection for holding Annual Examination in West Bengal	50
5192	प्रायवेट शिक्षा संस्थानों में परित्राणों के लिए व्यवस्था करने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए केरल विधान सभा द्वारा पारित संकल्प	Resolution passed by Kerala Legislative Assembly for amending Constitution to provide for safeguards in private educational institutions	51
5193	विदेशों में कार्य कर रही भारतीय बैंकों की शाखायें	Branches of Indian Banks operating abroad	51—54
5194	धार्मिक स्थानों की यात्रा पर जाने के इच्छुक मुसलमानोंको विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign exchange to Muslims desirous of going to religious places	54
5195	निर्यात-आयात बैंक के विस्तार के बारे में अमरीकी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक के निदेशक का वक्तव्य	Statement made by Director of US Export-Import Bank regarding expansion of Export-Import Bank	54—55
5196	मेसर्स परमानेन्ट मैगनेट लिमिटेड, बम्बई के अधिकारियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income tax by the officers of M/s Permanent Magnet Limited, Bombay	55
5197	चौधरी खलीकुजमन द्वारा अपनी पुस्तक "पाथवेज टु पाकिस्तान" में की गई टिप्पणियाँ	Observations made by Ch. Khaliq-uz zaman in his book "Pathways to Pakistan	55—56

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5198	वित्तीय कंपनी द्वारा धोखा धड़ी की कार्यवाहियाँ	Fraudulent practicers by Financial Companies	56
5199	विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग	Misuse of Foreign Aid	56—57
5200	आयात के अधिक बीजक तथा कम बीजक बनाने, आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने के बारे में समिति	Committee on over invoicing under-invoicing of Imports and Misutilisation of Import Licences	57
5201	बादशाह खां को भेंट की गई थैली	Purse Presented to Badshah Khan	57—58
5202	उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि	Rise in prices of Consumer goods	58—59
5203	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दरें	Pension rates to Central Government Employees	59—60
5204	पाकिस्तान द्वारा बकाया धनराशि का अदा न किया जाना	Non-payment of Outstanding Amount by Pakistan	60
5205	भारत में सोने तथा अन्य वस्तुओं का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Gold and other Articles in India	60—61
5206	एक्स्पो-70 को देखने के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange for Visiting Expo 70	61—62
5207	दिल्ली में रेशमी कपड़े पर बिक्री कर लगाना	Imposition of Sales Tax on Silk Cloth in Delhi	62
5208	सरकारी उपक्रमों द्वारा क्षमताओं का उपयोग न करना	Non-utilisation of Capacities by Public Undertakings	62—66
5209	हुगली नदी पुल का डिझाइन	Designs of Hooghly River Bridge	66
5210	हुगली नदी पुल के लिए स्थापित की गई तकनीकी समिति के सदस्यों का ब्यौरा	Particulars of Members of the Technical Committee set up for Hooghly River Bridge	66—67
5211	मंत्रियों के विदेशी दौरों पर व्यय	Expenditure on Foreign of Ministers	67
5212	एकाधिकार अधिनियम के अधीन औद्योगिक गृहों के विरुद्ध कार्रवाई	Action against Industrial Houses under Monopolies Act	67
5213	राजस्थान में सीमा सड़कों के निर्माण में घोटाला	Bungling in Construction of Border Roads in Rajasthan	67—68
5214	केरल में मत्स्य पकड़ने की नावों का तस्करी के लिए उपयोग	Use of Boats of Fisheries Department for Smuggling in Kerala	68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
5215 केरल के तटीय क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियाँ	Smuggling Activities along the Coast Line of Kerala	68
5216 दिल्ली के पोलिटेक्नीकों के कार्य की जाँच	Enquiry into working of Polytechnics in Delhi	68—69
5217 दिल्ली पोलिटेक्नीकों में कार्य कर रहे राजपत्रित अधिकारी	Gazetted Officers serving in Delhi Polytechnics	69
5218 दिल्ली तथा कलकत्ता में परिवहन व्यवस्था के विकास के लिये सहायता	Grants for development of Transport in Delhi and Calcutta	70
5219 मनीपुर में गैर-मैट्रिक अध्यापकों को उच्च वेतन मान देना	Payment of Higher Pay Scales to Nonmatriculate Teachers in Manipur	70
5220 पटौदी के मौजाबाद गाँव में पाये गये मुगलकालीन सिक्के	Coins belonging to Mughal period found in Mauzabad village of Pataudi	70—71
5221 विद्युत चालित करघों से बने उत्पादों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Powerloom Products	71
5222 इंडियन इन्वेस्टमेन्ट सेन्टर	Indian Investment Centre	71—73
5223 दिल्ली शासन के शिक्षा विभाग में उप-प्रधानाचार्यों के पद	Posts of Vice-principals in Education Department of Delhi Administration	73
5224 विभिन्न विभागों के खर्चों में मितव्ययिता	Economy in expenditure of the various Departments	73—74
5225 हिमालय प्रदेश में हवाई अड्डे	Aerodromes in Himalayon Region	74
5226 भारत में पोत निर्माण क्षमता	Ship building capacity in India	74—75
5227 पेंशन तथा भविष्य निधि लाभ के मामलों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच विषमता	Disparities between Central Government Emplyees and Employees of Public Undertakings in the matter of Pension and Provident Fund Benefits	75
5228 दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में पदोन्नति	Promotion in Education Department of Delhi Administration	76
5229 भारत में तस्कर व्यापार	Smuggling in India	76
5230 श्री आर० के० नय्यर द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत किया जाना	Filing of Income Tax Returns by ShriR. K. Nayyar	76—77

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5231	फिल्म निर्माताश्री आर० के० नय्यर तथा उनकी पत्नी द्वारा आयकर तथा धन कर की अदायगी	Payment of Income Tax and Wealth Tax by Film Producer Shri R. K. Nayyar and his Wife	77—78
5232	श्री आर० के० नय्यर द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत किया जाना	Filing of Income Tax Returns by Shri R. K. Nayyar	79
5233	फिल्म निर्माता श्री आर० के० नैयर द्वारा जनता के साथ कथित धोखाधड़ी	Alleged fraud on Public by Film Producer, R. K. Nayyar	79
5234	श्री आर० के० नय्यर द्वारा कर अपवंचन	Tax evansion by Shri R. K. Nayyar	79
5235	कम अथवा अधिक राशि के बीजक बनाना	Cases of Over-Invoicing and under-Invoicing	80
5236	मूल्यों में स्थिरता लाने के बारे में चार सूत्रीय कार्यक्रम	Four Point Programme re. Price Stabilisation	80—81
5237	स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में परिचय पुस्तक	"Who's Who" of Freedom Fighters	81
5238	सागर विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता	Financail Assistance of Sagar University	81
5239	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया दिल्ली के अन्तर्गत चलने वाले स्कूल	Schools Running under Aligarh Muslim University and Jamia Milia	82
5240	हाकी एवं अन्य खेलों की बाहर भेजी गई टीमों का चुनाव तथा खेलकूद को प्रोत्साहन	Selections of Players for Hockey and other Teams sent abroad and Encouragement to Sports	82—83
5241	दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के विरुद्ध भेदभाव के आरोप	Charges of Discrimination against Urdu Department of Delhi University	83—84
5242	के० एस० संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा का पुनर्गठन	Reorganisation of K. S. Sanskrit University, Darbhanga	84
5243	जर्मन गणतन्त्रात्मक संघ से सहायता के लिए करार	Agreement for Aid from Fedral Republic of Germany	84—85
5244	भारतीय मालवाहक जहाज "महाजग-मित्र" को बंगाल की खाड़ी में खोजने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to Trace missing Indian Cargoe Vessel "Mahajagmitra" in Bay of Bengal	85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos		
5245 नेशनल फिट्नस कोर के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जाँच	Investigatigation into various Allegations againsts National Fitness Corps	85—86
5246 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों को ऋण देना	Advancing of Loans to Small Traders by Nationalised Banks	86
5247 रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा राज्यों के आयव्ययकों का तुलनात्मक अध्ययन	Comparative Study of States Budget by Reserve Bank of India	86—87
5248 1971-72 की वार्षिक योजना के लिये साधनों का जुटाया जाना	Tapping Sources for 1971-72 Plan	87
5249 उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले मध्य प्रदेश के छात्र	Students from Madhya Pradesh Foreign Countries for Higher Education	87—88
5250 इन्दौर हवाई-अड्डे का विकास	Development of Indore Aerodrome	88
5251 श्री आर० के० नायर के पास 'यह जिन्दगी कितनी हसीन है' में उपयोग किये गये काला धन का पकड़ा जाना	Unearthing of Black Money Used by Shri R. K. Nayyar in his Film "Yai Zindgi Kitni Hasein Hai"	88
5252 उत्तरप्रदेश बाँदा जिला में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा	Branches of Nationalized Banks in District Banda U. P.	89
5253 ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों का खोला जाना	Opening of Libraries in Rural Areas	89
5254 चित्रकूट का विकास	Development of Chitrakut	89—90
5255 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Nationalised Bank	90
5256 राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटल स्थापित करने की योजना	Scheme for Setting up of Motels along the National Highways in Punjab	90—91
5257 राष्ट्रीयकृत बैंकों में डिपाजिट	Deposits in the Nationalised Banks	91—92
5258 भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई अनुमति	Permission Sought by Foreign Companies in India from R. B. I.	92—93
5259 लेखा परीक्षा कार्य का लन्दन स्थित लेखा परीक्षा कार्यालय को हस्तांतरण	Transfer of some Audit work to Audit Office in London	93

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
5260	बिहार में निकासी गृहों का बन्द करना Closure of Clearing Houses in Bihar	93—94
5261	विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान Pay Scales of Employees in Different Banks	94
5262	बिहार विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की हड़ताल Strikes by Teaching and non-teaching staff of Universities in Bihar	95
5263	विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियों की बैठक के लिये नियम Rules for holding meetings of Consultative Committees of various Ministries	96
5264	शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना Central Universities as Catalyst for Educational Developments	96
5265	चक्रवात-तूफान का पारादीप पत्तन पर प्रभाव Paradeep Port affected by cyclonic storm	97
5266	केरल के तवन्नूर रूरल इंस्टीट्यूट में वेतनमान Pay-scale of Tavanur Rural Institute in Kerala	97
5267	बंगलौर में सोना पकड़ा जाना Seizure of Gold in Bangalore	97—98
5268	शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का मुद्रण Printing of Report of Education Commission	98—99
5269	कलकत्ता राज्य परिवहन की बसें Calcutta State Transport Buses	99
5270	श्री आर० पी० गोयंका, मेसर्स बालेयर लोरी, मेसर्स दुंकन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के नियन्त्रण आधीन कम्पनियों द्वारा अन्तर्निगम निवेश Inter Corporate Investments by Companies under the Control of Shri R. P. Goenka, M/s Balmer Lawrie and M/s Duncan Brothers & Co. Ltd.	99
5271	चार्टर्ड एकाउटेंटों द्वारा लागत लेखा परीक्षा Cost Audit by Chartered Accountants	100
5272	उत्तर प्रदेश में पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं का विकास Development of Tourism Projects in U. P.	100
5273	उत्तर प्रदेश में पर्यटक के स्थलों के विकास हेतु योजनायें Schemes for Development of Tourist spots in U. P.	101
5274	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में भारतीय इक्विटी शेयर होल्डर Indian Equity holders in Hindustan Lever Ltd.	101—02
5275	गुलमर्ग (काश्मीर) में शरद कालीन विभिन्न खेलों के आयोजन पर व्यय Expenditure on organising various winter sports in Gulmarg (Kashmir)	102

अता० प्र० सं० U.S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5276	अशोका होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लिया गया सेवा शुल्क	Service charges collected by Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	102—03
5277	सोने तथा चाँदी का आयात	Import of gold and silver	103
5278	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे तथा बड़े उद्योगों को दिया गया अग्रिम धन	Advance made by Nationalised Banks to Large and Small Scale Industries	104—05
5279	आपात जौखिम (कारखाना) बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वसूल की गई राशि	Amount collected under the Emergency Risks (Factories) Insurance Act	105
5280	निषिद्ध सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband Gold	105—06
5281	रूस और अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के दौरे पर गये व्यक्ति	Visit of persons to U. S. S. R. and other East European Countries	106
5282	मंत्रियों की संपत्ति	Financial Assets of Ministers	106—07
5283	"यह जिन्दगी कितनी हसीन है" फिल्म को विदेशों में बनाने के लिए प्राप्त किये गये 'पी' फार्म का दुरुपयोग	Misuse of 'P' Form obtained for shooting abroad the Film "Yai Zindgi Kitni Hassien Hai"	107
5284	सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल	Observance of token strike by Government employees	108
5285	दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Teachers of Delhi Primary Schools	108
5286	राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु एक समिति की स्थापना	Setting-up of a committee regarding improvements in the working of Nationalised Banks	108
5287	संबलपुर में जीरा नदी पर सड़क पुल	Road Bridge over river Jira in Sambalpur	109
5288	श्री आर० एन० गोयनका के पुत्र द्वारा तिरुपति न्यास से लिये गये ऋण का कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Loan taken by the son of R. N. Goenka from Tirupati Trust	109
5289	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को ऋण	Advancing of Loans to Students by Nationalised Banks	109—11
5290	एक अपंजीकृत कम्पनी द्वारा चीन के हमले के विरुद्ध प्रचार कार्य के लिए धन की वसूली	Collection of Money by an Unregistered concern for Propaganda against Chinese Aggression	111

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos		

5291	मोटर वाहन यातायात के लिए राष्ट्रीय राजपथों का रखरखाव	Maintenance of National Highways for Vehicular Traffic	112
5292	दिल्ली में टैक्सी और स्कूटर के चालकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Taxi and Scooter drivers in Delhi	112
5293	चन्डीगढ़ के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता	Interim Relief to Chandigarh Employees	112—13
5294	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चंडीगढ़ प्रतिकर भत्ता	Chandigarh Compensatory Allowance to Central Government Employees	113
5295	झालावाड़ में अफीम शोधक कारखाने की स्थापना	Setting-up of Opium Refinery at Jhalawar •	113—14
5296	वृहत् कलकत्ता में परिवहन की समस्या	Transport Problem in Greater Calcutta	114—15
5297	कम्पनियों में आर्थिक संकेन्द्रण को कम करना	Reduction of Economic Concentrations in Companies	115
5298	गोवा में नाविकों की स्वास्थ्य परीक्षा	Medical Examination of Seamen in Goa	115—16
5299	बम्बई पत्तन पर 1966-67 के बाद जहाजों पर माल लादने और उनसे उतारने के कार्य में कमी	Decline in Traffic handled by Bombay Port since 1966-67	116—17
5300	औद्योगिक विकास बैंक द्वारा छोटे स्तर के उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन	Special Incentive to Small Entrapreneurs by Industrial Development Bank	117—18
5301	कूचविहार (पश्चिम बंगाल) के स्कूल के अध्यापकों के वेतन का पुनर्निर्धारण	Refixation of Pay of School Teachers of Cooch Behar (West Bengal)	118
5302	इंडियन एयरलाइंस में जूनियर ट्रैफिक असिस्टेंटों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती	Recruitment of candidates belonging to scheduled Casts and Scheduled Tribes for the Posts of Junior Traffic Assistants in Indian Airlines	118—19
5303	पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया में भर्ती के लिये आयु सम्बंधी छूट	Age relaxation for Displaced persons from East Pakistan for recruitment in Indian Airlines and Air India	119
5304	कूचविहार में मंशाह नदी पर पुल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल को ऋण	Loanto West Bengal for Construction of bridge over the River Manshai in Cooch-Behar	119—20

प्रता० प्र० सं० U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5305	प्राइमरी से पूर्व तथा प्राइमरी शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय की सेवाओं का उपयोग	Utilization of services of University in Fostering pre-primary and Primary Education	120
5306	हवाई जहाजों के अपहरण की घटनाओं के परिणाम स्वरूप अरव देशों के साथ हवाई संबंध का विच्छेद किया जाना	Cutting of Air Links with Arab Countries following incidents of Hijacking of Planes	120
5307	पश्चिमी बंगाल हिन्दी शिक्षक संस्था की माँगें	Demands by 'Pashchim Bengal Hindi Sikshak Sanstha'	121
5308	दिल्ली परिवहन की बेकार पड़ी बसें	D. T. U. Buses Lying Idle	121—22
5309	दिल्ली परिवहन की बसों की जीर्ण-शीर्ण दशा	Dilapidated Condition of D. T. U.	122
5310	पश्चिमी बंगाल में परीक्षा केन्द्रों पर नक्सलवादियों द्वारा हमले की धमकी	Threats by Naxalites to attack Examination Centres in West Bengal	122—23
5311	राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल	Stikes in the nationalised Banks	123
5312	भारत के भू-भौतिकीय तथा भौगोलिक आधारों को दिखाने वाला मानचित्र	Map depicting Geological and Geographical Features of India	123—24
5313	मैसूर को विश्व बैंक का ऋण	World Banks Loan to Mysore	124
5314	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Banks Aid for Public Sector Projects	124—25
5315	आयकर वसूली के बकाया मामले	Pending Cases for Recovery of Income Tax	125
5316	आँतरिक लेखा परीक्षा को सुचारु करने के लिए प्रक्रिया	Procedure for Streamlinging of Internal Audit	125—26
5317	दिघा के आसपास समुद्र तट और किनारों के कटाव को रोकने के लिये उपाय	Measures to prevent Erosion of Beach and Bank around Digha	126
5318	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 41 के निर्माण कार्य का पूरा होना	Completion of Work on National Highway No. 41	126—27
5319	जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के कंटाई सब डिविजन के एगरा राम नगर रोड का सुधार	Improvement of Egra-Ramnagar Road in the Contai Sub-division of District Midnapur (West Bengal)	127
5320	इम्पैक्ट पब्लिकेशन (प्रा०) लिमिटेड का दिवाला निकलना	Liquidation of Impact Publications (Private Ltd.)	128

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5321	नई दिल्ली नगर पालिका के नर्सरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Nursersy School Teachers of N.D.M.C.	128
5322	1969-70 में दिल्ली परिवहन के लाभ-हानि का ब्यौरा	Details of Profit and Loss of D.T.U. during 1969-70	128—29
5323	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में छोटे जहाजों के निर्माण के लिए योजना	Scheme for manufacturing Small Ships in Hindustan Shipyard Ltd.	129
5324	पालीटेकनिकों और दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Staff Quarters for Polytechnics and ITI Delhi	129—30
5325	दिल्ली की महिला पालीटेकनिकों में अंशकालिक शिक्षक	Part-time Teachers of Womens Polytechnic, Delhi	130
5326	पारादीप पत्तन पर तलकर्षण	Dredging of Paradeed Port	130—31
5327	पाराद्वीप पत्तन पर अयस्कों के लादने उतारने के संयंत्र की क्षमता बढ़ाने की योजना	Scheme to increase the Capacity of ore Handing Plant at Pradeep Port	131
5328	कम्पनी के डायरेक्टरों की उपलब्धियाँ	Emoluments drawn by Directors of Companies	131—132
5329	बी० ई० एस० टी० बम्बई, द्वारा लीलैंड बसों की खरीद के लिए सरकार से स्वीकृति	Clearance from Government for the Purchase of Leyland Buses by B.E.S.T. Bombay	132
5330	एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का पंजीकरण	Registration of Hindustan Lever Ltd. under Monopolies Act	132
5331	गेर बैंक तथा कम बैंक क्षेत्रों में राष्ट्रीय बैंकों की शाखायें	Barnches of Nationalised Banks in Un. Bank and Under Bank Areas	132—33
5332	भारत में कर-अपवंचन और कर-परिहार के कारण हानि	Loss due to Tax Evasion and Tax Avoidance in India	133
5333	कालिजों में यौन शिक्षा	Sex Education in College	133—34
5334	विभिन्न मंत्रालय में सम्बद्ध अनौपचारिक सलाहकार समितियों का दर्जा बढ़ाया जाना	Status of Informal Consultative Committee attached to various Ministries	134—36

अता० प्र० सं० U. S.Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
5335	दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के कृत्यों का पुन: निर्धारण / Redefining scope of functions of Vice-Chancellor of Delhi University	136
5336	नई दिल्ली में तम्बुओं में चल रहे स्कूल / Tented Schools in New Delhi	136
5337	नई दिल्ली नगरपालिका के प्राइमरी अध्यापकों की शिकायतें / Grievances of Primary School Teachers of N.D.M.C.	136—37
5338	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दक्षिण में दूसरी शाखा / Second Branch of Archaeological Survey of India in South	137
5339	लोहे की चादरों के आयात के लिए तमिलनाडु द्वारा विदेशी मुद्रा की माँग / Demand of Foreign Exchange for Import of Iron Sheets by Tamil Nadu	138
5340	बड़े एकाधिकार गृहों द्वारा लेखा परीक्षण कार्यों पर प्रभुत्व / Domination of Auditing Business by Big Monopoly Houses	138
5341	राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता / Financial Assistance to State Electricity Boards	138—39
5342	मदुरे में 'सो-ए-लूमियेर' की व्यवस्था का प्रस्ताव / Proposal to have Son-Et-Lumeire at Madurai	139
5343	तमिलनाडु के सलेम जिले में कोल्ली तथा इरकाडु पहाड़ियों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव / Proposal to Develop Kolli Hills and Erkadu in Salem District of Tamil Nadu as Tourist Centers	139
5344	चम्पारन जिले में डुमारिया घाट पर नारायणी नदी पर पुल का निर्माण कार्य / Construction Work of Bridge over Narani River at Dumaria Ghat in Champaran District	139—40
5345	मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री / Material Used in the Construction of National Highway between Muzaffarpur and Motihari	140
5346	चालू वर्ष में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक / Foreign Tourists Visiting India in the Current Year	140—42
5347	मैसूर में हुम्पी के निकट खण्डहरों को खोदा जाना / Excavation of Ruins near Humpi in Mysore	142
5348	सिंधी भाषा की लिपि / Script of Sindhi Language	142—43
5349	नोटों के मूल्य को सिंधी भाषा में मुद्रित करना / Printing of denominations on currency notes in Sindhi language	143—44

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5350	पाकिस्तान में संचित भविष्य निधि की बकाया राशि	Accumulated Provident Fund dues in Pakistan	144
5351	बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाना	Replacement of Sales tax by excise duty	144—45
5352	विदेशी बैंकों के 'पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट'	Participation certificates of foreign banks	145—46
5353	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के एक कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary action taken against an employee of Indian Airlines	146—47
5354	इंडियन एयरलाइंस के परिवहन भंडार से बियरिंग तथा इन्जेक्टर गायब हो जाना	Bearings and injectors missing from Transport Stores of Indian Airlines	147
5355	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा वेल्डिंग मशीन का आयात	Welding machine imported by IAC	147—48
5356	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना	Overtime Allowance to Central Government Employees	148
5357	वेतन आयोग के क्षेत्राधिकार में लाये गये स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के विभाग	Departments in the Army, Navy and Air Force under sphere of the Pay Commission	148—49
5358	बिहार, आसाम तथा जम्मू और काश्मीर के उपेक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Credit advanced by Nationalised Banks to neglected areas of Bihar, Assam and J & K	149
5359	शैक्षणिक सेवा	Educational Service	150
5360	मुंघेर के समीप गंगा पर एक पुल का निर्माण	Construction of a Bridge across river Ganga near Monghyr	150
5361	सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Wage increase for Government Staff	150—51
5362	वास्तुविज्ञों तथा इन्जीनियरों द्वारा कदाचार	Malpractices by Architects and Engineers	151—52
5363	बैंक बोर्ड की योजना	Bank Boards Scheme	152—54
5364	दिल्ली प्रशासन द्वारा गैर सरकारी परिवहन कम्पनियों को नगरीय बस मार्गों का आवंटन	Allotment of some of the city bus routes to private operators by Delhi Administration	154

प्रता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
5365	राष्ट्रीय रेमन निगम द्वारा उत्पादित कोयला राख	Coal ash produced by National Rayon Corporation	154—55
5366	हशीस की खेती पर प्रतिबंध	Ban on Planting and Cultivation of Hashish	155
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Query)	155—56
	बाहरी व्यक्तियों पर लगाये गये आरोपों की जाँच करने की प्रक्रिया के बारे में	Re. Procedure for dealing with Allegations against outsiders	156—60
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	161—167
	महाराष्ट्र-मैसूर-केरल सीमा विवाद संबंधी आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	Re. Report of the Commission on Maharashtra-Mysore-Kerala boundry disputes	168—74
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	174
	कार्यवाही साराँश	Minutes	174
	सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from the Sitting of the House	174
	कार्यवाही सारांश	Minutes	174
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	175
	कार्यवाही सारांश	Minutes	175
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Snbha	175
	विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	176
	सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	176
	लोक लेखा समिति-124वाँ तथा 125वाँ प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Hundred and twenty-fourth and Hundred and twenty-fifth Reports	176
	दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में याचिका	Petition re Pay Scales of Teachers of Delhi.	177
	अप्रैल, 1970 के आन्दोलन में भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य	Statement re. Delhi Police Personnel who participated in April, 1970 agitation	177

श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	177
एम० वी० 'महाजगमित्र' के बारे में वक्तव्य	Statement re. M. V. Mahajagmitra	177
श्री रघु रामैया	Shri Raghu Ramaiah	
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) विधेयक पुरःस्थापित किया गया	Central Board of Direct Taxes (Validation of Proceedings) Bill Introduced	178—79
दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक	Code of Criminal Procedure Bill	179—80
सहमति के लिए प्रस्ताव	Motion for concurrence	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 70वाँ प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions Seventieth Report	180—81
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों सम्बन्धी संकल्प	Resolution re. prices of Essential Articles	181—88
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	
श्री रघुवीरसिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	
श्री गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
रोजगार आयोग के बारे में वक्तव्य	Statement re. Employment Commission	188—90
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhawat Jha Azad	
रेल गाड़ियों के देर से चलने के संबंध में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion re. Late Running of Trains	190—92
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	
श्री मुहम्मद युनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु संबंधी जाँच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा	Discussion on Report of Commission of Inquiry re. Death of Shri Deen Dayal Upadhyaya	192—200
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
चीनी की स्थिति और गन्ने के मूल्य के बारे में चर्चा	Discussion re. Sugar Position and Cane Price	200—211
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	
श्री सामिनाथन	Shri Saminathan	
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	
श्री सरजू पाँडे	Shri Sarjoo Pandey	
श्री एम. नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1970/27 अग्रहायण, 1892 (शक)
Friday, December 18, 1970/Agrahayana 27, 1892 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *In The Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आज प्रातः एक मोटर साईकल से टक्कर से श्री महाराज सिंह भारती को चोट लग गई है। परन्तु इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है. . .

डा० राम सुभग सिंह : हम सबको उसका खेद है ।

श्री हेम बरूआ : टक्कर कैसे हुई ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सम्बन्ध में केवल पाँच मिनट पहले समाचार मिला है कि उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। मुझे खेद है कि उनका नाम प्रश्न सूची में प्रथम है परन्तु वह आज उपस्थित नहीं हैं ।

System of Education on The Pattern of Education in East Germany

+

*811. **Shri Sradhakar Supakar :** **Shri P. C. Adichan :**
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Education and Youth** Services be pleased to state:

(a) whether a study is being made with a view to making improvement in the system of education in India on the pattern of Education system prevalent in East Germany; and

(b) if so, the progress made so far and the details of the future programme in this regard ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पिछले वर्ष जर्मन लोक तंत्रीय गणराज्य की शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से, पोलिटेक्निक शिक्षा अथवा कार्य-अनुभव से सम्बन्धित एक अध्ययन किया गया था, और जर्मन लोक तंत्रीय गणराज्य के स्कूलोंमें पोलिटेकनिक शिक्षा अथवा कार्य-अनुभव पर एक रिपोर्ट शिक्षा तथा युवकसेवा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

2. स्कूल स्तर पर शिक्षा के व्यावसायिकीकरण के क्षेत्र में मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिये अध्ययन मंडल द्वारा जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1970 में प्रस्तुत कर दी थी। उक्त रिपोर्ट पर विचार किया गया था । अध्ययन मंडल ने, अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की थी कि मार्गदर्शी परियोजनाओं पर विचार करते समय, कार्य-अनुभव के क्षेत्र में जर्मन लोक तंत्रीय गणराज्य और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखा जाय ।

3. कार्य-अनुभव की योजना को गहन शैक्षिक जिला-विकास परियोजना में जो 4 जिलों में अर्थात्—दरभंगा (बिहार), जलगाँव (महाराष्ट्र), बेलारी (मैसूर) और संगरूर (पंजाब) में प्रारंभ हो चुकी है, तथा जिस पर प्राथमिक कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है—केएक कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित कर दिया गया है । अन्य राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि स्कूल स्तर पर शिक्षा के व्यावसायिकीकरण तथा कार्य-अनुभव के कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख जिले को चुन लिया जाए । गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य सरकारों ने, जिन्होंने अब तक उत्तर दिया है, क्रमशः बड़ौदा, करनाल, सीहोर तथा जयपुर जिलों को चुन लिया है । राज्य सरकारों के परामर्श से कार्य-अनुभव के कार्यक्रम के विवरण तैयार किए जायेंगे ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार: कोठारी आयोग ने भी शिक्षा में कार्य-अनुभव पर बड़ा बल दिया है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जर्मन लोकतंत्र गणराज्य की शिक्षा प्रणाली के अपनाए जाने से पूर्व इस मामले का कोई विस्तृत अध्ययन किया गया था ।

डा० वी० के० आर० वी० राव: मैं समझता हूँ कि इस बारे में सम्भवता कोई भ्रम है । वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया है कि जर्मनी की उक्त शिक्षा प्रणाली उन कई प्रणालियों में से एक है जिन पर विचार किया गया है । वास्तव में हम उस समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं जिसकी नियुक्ति कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलोर के उप-कुलपति की अध्यक्षता में की गई थी । इस समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें की हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार: हमारे पास उक्त जर्मन प्रणाली का ब्यौरा नहीं है । अतएव मैं जानना चाहता हूँ कि उक्त प्रणाली का आर्थिक पहलू क्या है और क्या दरभंगा, जलगाँव, बल्लेरी और संगरूर आदि विभिन्न ज़िलों में उसके संचालन में होने वाले व्यय का अनुमान लगाया गया है ?

श्री वी० के० आर० वी० राव: जी हाँ, केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना अवधि में उन चार जिलों में प्रत्येक पर 40 लाख रुपये व्यय करने का निश्चय किया है । यह केवल कार्य अनुभव के

लिये नहीं है अपितु उन जिलों में व्यापक रूप से शिक्षाप्रसार करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन पर 50 प्रतिशत व्यय स्थानीय सरकारें करेंगी। यह लगभग 20 लाख रुपये होंगे और इसके अलावा उतना ही धन स्थानीय लोगोंसे चन्दे के रूप में मिल जायेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल: आँकड़ों से पता चलता है कि शिक्षतों की अपेक्षा अशिक्षतों में बेरोजगारी अधिक है। क्या स्कूल स्तर पर रोजगार प्रधान शिक्षा योजना चलाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि इस पर विचार कर रही है तो सारा राष्ट्र उसके लिये तैयार हो जायेगा और लोगों के चरित्र निर्माण हो सकेगा। जो केवल उचित शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। इस समय हमारे पास जिस प्रकार के व्यक्ति हैं उन्हें तथा नक्सलवादी गतिविधियों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे युवकों के चरित्र विकास एवं उनमें देश भक्ति की भावनाएँ भरने के लिये क्या कोई योजना विचाराधीन है?

डा० वी० के० आर० वी० राव: पहले प्रश्न का सम्बन्ध शिक्षा को रोजगार प्रधान बनाने के सम्बन्ध में है तथा दूसरा राष्ट्रीय एकता अथवा देशभक्ति की विचारधारा फैलाने के सम्बन्ध में है।

जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है ये सभी योजनाएँ जिनकी यहाँ चर्चा की गई है इसी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के सम्बन्धमें है। हम स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को कम साहित्यिक तथा अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक बनाने का यत्न कर रहे हैं। इस उद्देश्य से कार्य अनुभव की दिशा में हम देश के प्रत्येक जिले में प्रयोग के तौर पर योजनाएँ चालू कर रहे हैं।

दूसरे मामले में हम कई उपाय कर रहे हैं। हम स्कूल तथा कालेज के छात्रों के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर लगा रहे हैं। हमने स्कूली छात्रों के लिये लगभग 30-32 शिविर लगाए थे, जिनकी व्यवस्था एन०सी०ई०आर०टी० ने की थी। हम एक सेंट्रल स्कूल के देश के दूसरे भाग में स्थित अन्य स्कूलों के छात्रों का आदान-प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम छात्रों में एक राष्ट्र की भावनाओं का प्रसार कर रहे हैं जिससे उनके मन में भारत राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा पैदा हो और उन्हें पता चले कि भारत एक है।

श्री रा० बरूआ: जहाँ तक मुझे ज्ञात है कोठारी आयोग ने तकनीकी शिक्षा के बारे में कुछ ज़ोरदार सिफारिशें की हैं। क्या जर्मन लोकतंत्रीय गणतंत्र प्रणाली कोठारी आयोग की सिफारिशों से भिन्न है अथवा इसका उनके साथ कुछ सम्बन्ध है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि धनाभाव के कारण विभिन्न राज्यों में उन सिफारिशों की कार्यान्विति ठीक प्रकार से नहीं हो रही है।

डा० वी० के० आर० वी० राव: हमारी कठिनाई यह है कि कोठारी आयोग ने कोई ब्यौरेवार ठोस तथा व्यवहारिक योजना प्रस्तुत नहीं की है जिसके अनुसार स्कूलों में कार्य-अनुभव लागू किया जा सके। उन्होंने ठीक ही सिफारिश की है कि माध्यमिक स्कूल में क्या कार्य-अनुभव सम्बन्धी योजना चालू की जाये। कई अन्य राज्य भी कार्य-अनुभव की योजनाएँ चालू कर रहे हैं। जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य प्रणाली तो इसलिये बीच में आ गई क्योंकि मैंने सुना था कि उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक बना लिया है। इसलिये एक अधिकारी को वहाँ भेजा गया और उसकी रिपोर्ट अब उपलब्ध है। परन्तु यह विचाराधीन दस्तावेजों में से एक है। हमने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री नायक की अध्यक्षता में गत वर्ष मई में एक समिति नियुक्त की थी जिसमें अनेक भारतीय विशेषज्ञ हैं। उक्त समिति ने बहुत विस्तृत रिपोर्ट दी है जिस पर चार पाँच मास पूर्व शिक्षा सचिवों द्वारा विचार किया गया था। कुछ जिलों का चयन किया गया है और हमने एक कार्यक्रम

तैयार किया है। अगली बैठक इस वर्ष दिसम्बर में हो रही है। पहले हम राज्यों को जिलों के सर्वेक्षण के लिये धन दे रहे हैं क्योंकि हम कार्य-अनुभव पहले लाना चाहते हैं। जिस ढंग का कार्य अनुभव हम स्कूल की पद्धति में लाना चाहते हैं उसे संबद्ध जिले की आर्थिक क्षमता एवं आर्थिक कार्यविधियों के अनुरूप होना चाहिए, जो न केवल इस समय है बल्कि भविष्य में हो सकती है। इस उद्देश्य से सर्वेक्षण के लिये हमने धन मंजूर किया है और परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति के लिये भी कुछ धन दिया है और मुझे आशा है कि कार्य अनुभव प्राप्त करने में कुछ प्रगति हुई है तथा इस दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है।

श्री लोबो प्रभु: हमें दूसरे देशों से उधार लेने की आदत है न केवल धन की अपितु शिक्षा प्रणालियों को भी हम उधार ले रहे हैं। अब समय है कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी प्रणाली सोचें। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय बताएं कि हमें रोजगार प्रधान शिक्षा प्रणाली को क्यों अपनाना चाहिए। रोजगार तो सीमित हैं परन्तु स्व नियुक्ति के असीम अवसर हैं—और शिक्षा को आरम्भ से ही कृषि को अध्ययन का विषय बनाकर ऐसा रूप नहीं दिया जाता जिससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। हम रोजगार प्रधान शिक्षा नहीं चाहते अपितु स्व-नियुक्ति के अवसरों की अधिकता चाहते हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव: यहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व जर्मनी के प्रयोग उन योजनाओं में से एक हैं जिन पर कार्य-अनुभव की अपनी पद्धतियों के साथ हम विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य कभी नहीं चाहेंगे कि हम दूसरे देशों के अनुभवों से लाभ न उठायें।

रोज़गार प्रधान शिक्षा के बारे में शायद कुछ गलत धारणा थी। इसका तात्पर्य तनख्वाह वाली नौकरियों से नहीं। मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा प्रणाली के अधीन युवकों को काम का वह अनुभव प्रदान किया जावे जो कृषि के संबंधित हो क्योंकि यह उस कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे हमारे लोग गाँव में करते हैं और इससे कृषि के प्रति आकर्षण पैदा होना स्वाभाविक ही है लेकिन इसे पाठ्य-क्रम में शामिल करके हम उन्हें यह अनुभव प्रदान नहीं कर सकते।

श्री हेम बरुआ: शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने सम्बन्धी बात—जिसका जिक्र अभी मंत्री महोदय ने किया—को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या उन्होंने आवश्यक बजट बनाया है और क्या वह शिक्षा का उपयोग बेरोजगारी दूर करने के लिये करने का विचार रखते हैं और माध्यमिक स्तर के बाद पूर्वी जर्मनी तथा रूस की तरह शिक्षा में विविधता लाने का उनका विचार है?

डा० वी० के० आर० वी० राव: जब मैं क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करता हूँ तो मेरा मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन से ही होता है लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पास यह परिवर्तन लाने की शक्ति है।

एक माननीय सदस्य: आपके पास है।

डा० वी० के० आर० वी० राव: मुझे माननीय सदस्य की यह बात सुनकर खुशी हुई है कि यह शक्ति मेरे पास है लेकिन इस मंत्रालय में 1½ साल काम करने के बाद मैंने यह जाना है कि मेरी शक्तियाँ सीमित हैं। मैं केवल विचार कर सकता हूँ, मार्गदर्शी योजनायें बना सकता हूँ, सर्वेक्षण

कर सकता हूँ तथा सूचना का आदान-प्रदान कर सकता हूँ। हम इस बात के बहुत उत्सुक हैं कि साहित्य पर आधारित शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को विज्ञान, तकनीक तथा कार्य पर आधारित प्रणाली बनाया जावे। इसी तथ्य को पूरा करने के लिये हम शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं।

स्कूल स्तर से आगे वाली जनशक्ति सम्बन्धी बात का जहाँ तक प्रश्न है, उसके बारे में हमारे मंत्रालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वास्तव में यह विषय गृहकार्य मंत्रालय के अधीन आता है जिनका कार्य अधिकाँश गाँव के कृषि श्रमिकों तथा तरखानों के स्थान पर उच्च स्तर की जनशक्ति के सम्बन्धित होता है। माननीय सदस्य का आखिरी प्रश्न यह था कि क्या हम माध्यमिक स्तर के बाद विविधता ला रहे हैं। हम माध्यमिक स्तर के बाद और विश्वविद्यालय स्तर पर भी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम में विषय रखने के लिये उत्सुक हैं ताकि वर्तमान शिक्षा के स्थान पर हम रोजगार के अवसर बढ़ा सकें।

श्री एल० एम० कृष्ण : क्या मंत्री महोदय ने इस बात को अनुभव किया है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा हमारी शिक्षा प्रणाली के ढांचे में किये गये अनेक प्रयोगों को रोकने में असमर्थ रही है? उदाहरण के लिये मैसूर राज्य में स्नातकीकरण से पहले दो वर्षीय इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। गत दो वर्षों तक एक वर्ष का प्री-युनिवर्सिटी प्राठ्यक्रम था। राज्य सरकारों द्वारा किये गये ऐसे निरंतर प्रयोगों से उस क्रांति लाने में बाधायें पैदा हो रही हैं, जिसका जिक्र मंत्री महोदय कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रयोगों को रोकने जा रही है।

डा० वी० के०आर०वी० राव : मैसूर सरकार ने जो प्रयोग तथा परिवर्तन किये हैं वे विश्व-विद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों, जिनका समर्थन वाईस-चाँसलर्स क्रांफ्रेंस ने भी किया है, के अनुसार ही है। उन्हें तीन विकल्प दिये गये हैं। तीनवर्षीय डिग्री कोर्स से पहले या तो दस जमा एक या दस जमा दो या ग्यारह जमा एक और इसके बाद त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम। दस जमा दो में से दस स्कूल में तथा दो कालिज में शामिल हैं अथवा दो स्कूल में ही जोड़े जायें और स्कूल 12 वर्षीय स्कूल होगा। स्थानीय स्थिति, अनुभव साधनों आदि का ध्यान रखते हुए इन विकल्पों का चुनना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों ने ऐसा किया है और मेरे विचार में केरल तथा मैसूर ने भी ऐसा किया है और शायद आँध्र प्रदेश ने भी ऐसा किया है। कालिज में दाखिल से पहिले उन्होंने दो वर्षीय पाठ्यक्रम रखा है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Today the educated unemployment is increasing in the country and it has been proved that this unemployment is increasing due to present system of education. Is the Government seriously thinking to provide vocational education at the primary stage so that the boys could learn some job? Besides this, there is no compulsory primary education in all the States. Is the Government considering to introduce compulsory education in such states ? Will the Government consider to provide free education upto 8th standard throughout the country because the people can not bear the expenses ?

श्री वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं जिनमें से कुछ उस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं जिन पर हम विचार कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारी सम्बन्धी पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि साहित्यिक आधार वाली हमारी शिक्षा प्रणाली इसके

लिये कुछ हद तक जिम्मेदार है। लेकिन केन्द्र शिक्षा प्रणाली ही शिक्षित युवकों की बेरोजगारी के लिये जिम्मेदार नहीं। इसका कारण आर्थिक विकास की धीमी गति है और जब तक आर्थिक विकास की गति को तेज न किया जावे उस समय तक हम शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकते। मैं भी प्राथमिक स्तर से वोकेशनल शिक्षा लागू करने के पक्ष में हूँ। शिक्षा प्रणाली में हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राथमिक स्तर से किस प्रकार कार्य-अनुभव लागू कर सकते हैं।

कुछ राज्यों में प्राथमिक स्तर तक निशुल्क शिक्षा न होने के बारे में मैं यही कहूँगा कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अधीन केन्द्रीय सरकार शिक्षा के लिये संवैधानिक उत्तरदायित्व न होते हुए भी राज्यों को कुछ सहायता प्रदान करती थी लेकिन चौथी योजना के बाद से राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा मुख्य मंत्री सम्मेलन के निर्णय के फलस्वरूप अब हम कोई भी सहायता प्रदान नहीं कर सकते।

श्री जे० एच० पटेल: यह प्रश्न शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित है। क्या भारत सरकार द्वारा पूर्वी जर्मनी की प्रणाली को अपनाये जाने की कोई संभावना है? क्या भारत सरकार ने शिक्षा के माध्यम के बारे में कोई विशेष निर्णय लिया है? अपने अनेक वक्तव्यों में इनका कहना है कि वे प्रदेशीय तथा मातृभाषा को विशेष महत्व देते हैं लेकिन फिर भी इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। अगर यह समस्या हल नहीं की जाती तो शिक्षा प्रणाली के बारे में ये सब बातें बेकार हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पढ़ें: "पूर्वी जर्मनी की प्रणाली के अनुसार सुधार करने सम्बन्धी अध्ययन किया जा रहा है।"

श्री जे० एच० पटेल: मेरा प्रश्न यह है कि पूर्वी जर्मनी में शिक्षा का माध्यम क्या है। जर्मन है या अंग्रेजी?

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार आप दुनिया की हर चीज को प्रसांगिक बना सकते हैं। प्रणाली का तात्पर्य उससे नहीं। मैं आशा रखता हूँ कि आप विषय के अन्दर ही रहेंगे।

श्री जे० एच० पटेल: मेरा प्रश्न सम्बद्ध है। अगर पूर्वी जर्मनी में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है तो क्या उन्होंने यह सीखा है कि इस देश में अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाना शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के विरुद्ध है?

डा० वी० के० आर० वी० राव: मेरे विचार में माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि एक शिक्षा शास्त्री तथा शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं हमेशा यह कहता आया हूँ कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। इस बारे में मैं समय समय पर वक्तव्य देता रहा हूँ। भाषायी अल्पमत वाले क्षेत्रों को छोड़कर हर स्थान पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषायें हैं। स्कूल स्तर तक मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का उन्हें संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, प्रादेशिक भाषा हो अथवा मातृभाषा इस बारे में मेरे और माननीय सदस्य के बीच कोई भी मतभेद नहीं।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न। श्री तेन्नेटी विश्वनाथम।

श्री मनुभाई पटेल: शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने क्या किया है. . .

अध्यक्ष महोदय: आपके दल के श्री सूपकार ने प्रश्न पहले ही पूछ लिया है। हमने इस प्रश्न पर 25 मिनट लिये हैं। अब मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूँ। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में मजूरी में पुनरीक्षण

*812. **श्री तेन्नेटी विश्वनाथम:** क्या **पौत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान उनके मंत्रालय द्वारा 30 अक्टूबर, 1970 को जारी किये गये उस प्रेस नोट की ओर दिलाया गया है। जिसमें यह उल्लेख है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में मजूरी पुनरीक्षण के मामले पर विचार करने के लिये नियुक्त की जाने वाली समिति की सिफारिश को 1 जुलाई, 1967 से क्रियान्वित किया जायेगा;

(ख) क्या सरकार ने अब उक्त सिफारिश की क्रियान्वित की तिथि 1 जुलाई, 1967 से बदल कर 17 सितम्बर, 1969 करने का निश्चय कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

पौत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित उप समिति नियुक्त नहीं की गई। बाद में एक व्यक्ति समिति को कर्मचारी संघ और शिपयार्ड के श्रमिक संघ के समझौते से हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नियुक्त की गई। पारस्परिक समझौते से माने गए एक व्यक्ति समिति के लिये विचारणीय विषय में व्यवस्था थी कि समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा माने जाने पर दो पक्षों पर उनके अनुपालन के तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिये दोनों पक्षों को पालन करना होगा।

एक व्यक्ति समिति ने अगस्त 1969 के जीवन निर्वाह सूचकाँक के आधार पर अपनी सिफारिशें की। समिति की सिफारिशों को इसकी नियुक्ति की तारीख अर्थात् 17 सितम्बर 1969 से सरकार की स्वीकृति से लागू की गई।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम: जब शिपयार्ड के कर्मचारी 50 दिन से अधिक की हड़ताल पर गये तो हड़ताल समाप्त करने के लिये तथा शिपयार्ड का उत्पादन बढ़ाने के लिये मंत्री महोदय ने 30 अक्टूबर, 1967 को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें यह निश्चित रूप से कहा गया था कि एक सदस्यीय समिति अथवा उप-समिति की सिफारिशें कुछ भी हो, उन्हें 1 जुलाई, 1967 से लागू किया जायेगा। अब पता चला है कि यह तिथि 1 जुलाई, 1967 से बदलकर 17 सितम्बर, 1969 कर दी गई है। किन कारणों से सरकार ने तिथि में परिवर्तन किया गया है जबकि मंत्री महोदय ने स्वयं राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि उन्हें 1 जुलाई, 1967 से लागू किया जावेगा? मंत्री महोदय ने राज्य सभा में कहा था:

> 'निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिये जाने के बाद ही हड़ताल समाप्त की गयी।"

और एक शर्त यह थी:--

"शिपयार्ड के प्रबंधकों से उपसमिति की सिफारिशों को 1-7-67 से लागू करने का निवेदन किया जायेगा।"

जैसे कि उत्तर से प्रतीत होता है कि केवल मात्र यही परिवर्तन आया है कि उपसमिति नहीं बल्कि एक व्यक्ति आयोग था। लेकिन मंत्री महोदय ने प्रेस नोट तथा राज्य सभा में एक अनुपूरक प्रश्न के बारे में यह स्पष्ट किया था कि आश्वासन दिये जाने के बाद ही हड़ताल समाप्त की गयी। जबहड़ताल समाप्त हो गई हैऔर जब सामान्य कार्य चल रहा हैऔर जब उत्पादन में भी सुधार हो रहा है और जब सरकार तथा कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध पैदा हो गये हैंतो अब सरकार अपने आश्वासन से पीछे क्यों हटती है और उनको 1-7-67से लाभ पहुँचाने के लिये क्यों इनकार करतीहै ?

संसद्कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहनमंत्री (श्री रघु रामैया): जिस प्रेस नोट का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं उसमें यह कहा गयाथा कि श्रम तथा रोजगार मंत्रालय से मजूरी बोर्ड की एक उपसमिति स्थापित करने के लिये निवेदन किया जायेगा जो देश की जहाज निर्माण उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने के बाद छः महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदनदे। इसमें यह भी कहा गया था कि शिपयार्ड के प्रबंधकों से निवेदन किया जायेगा कि निर्णय को 1-7-67से लागू किया जाये। तात्पर्य यह था कि परिवहन तथा पोतपरिवहन मंत्रालय श्रम मंत्रालय को मजूरी बोर्ड की एक उपसमिति स्थापित करने के लिये कहेगा जो अपनी रिपोर्ट छः महीने के अंदर देगी और सिफारिशों को 1-7-67से लागू किया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोई उपसमिति नियुक्त नहीं की गयी थी। किन्हीं कारणों से श्रम मंत्रालय मजूरी बोर्ड को उपसमिति नियुक्त करने के लिये राजी नहीं कर सका। मजूरी बोर्ड ने इंजीनियरिंग पहलू पर ही सामान्य सिफारिश की। ऐसा नहीं कि उसके बाद सब कार्य सुचारू ढंग से चला। सन् 1969 में फिर हड़ताल हुई। उस समय माननीय सदस्य तथा श्री राममूर्ति मुझे मिले और फिर हम इस बात के लिये राजी हुए कि हम एक सदस्यीय समिति नियुक्त करेंगे। उपसमिति का कोई प्रश्न नहीं रहा। उस समय भी, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि इसे 1-7-67से लागू किया जाये। मैंने कहा था कि मैं इस बात का वचन नहीं दे सकता लेकिन मैं एक सदस्यीय समिति नियुक्त करने के लिये तैयार हूँ। आप मुझे अभी 1-7-67से लागू करने के लिये बाध्य नहीं कर रहे, हम इस पर फिर विचार करेंगे। इसके बाद हमारे बीच यह समझौता हुआ कि "कार्यान्वयन के बाद यह पाँच वर्ष तक लागू रहेगा।' इस बात का पता मुझे लगाना था कि क्या सम्भव है ? मैंने सारे मामले पर विचार किया है। मैं समझता हूँ कि ये दो मामले अलग अलग हैं।उपसमिति की स्थापना बिल्कुल नहीं की गयी, किसी और स्थिति में इसका आश्वासन दिया गया था। उसके बाद दो वर्ष की लम्बी अवधि गुजर गई हैऔर श्रमिकों नेफिर से हड़ताल की जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं। यह स्थिति है।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम: इस सदन में किया गया यह एक बहुत बड़ा टालमटोल है। प्रश्न यह है कि झगड़े को किस प्रकार निपटाया जाये। उस पर यह आश्वासन दिया गया था कि एक समिति नियुक्त की जायेगी। वह उपसमिति बन न सकी और बाद में एक एक सदस्यीय आयोग ने कुछ सिफारिशें कीं। इस एक सदस्यीय आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप श्रमिकों को $39\frac{1}{2}$ लाख रुपये का भुगतान किया गया। यदि मूल आश्वासन का पालन किया जाये तो सरकार तथा बोर्ड को केवल लगभग $2\frac{1}{2}$ लाख रुपये अधिक देना पड़ेगा। जारी बोर्ड स्वयं अपने साधनोंसे इस राशि की व्यवस्था

करने को तत्पर है। क्या प्रबन्ध निदेशक ने 1 जुलाई 1967 से व्याप्ति सहित यह मंजूरी नहीं भेजी है कि इस राशि का प्रबन्ध वे बोर्ड के साधनों से करेंगे? क्या इन तथ्यों के प्रकाश में सरकार इस विषय पर फिर से विचार करेगी ?

श्री रघु रामैया: प्रबन्ध निदेशक ने क्या कहा, वित्त मंत्री को मैंने क्या कहा या वित्त मंत्री ने मुझे क्या कहा यह सब आन्तरिक मामले हैं। मैंने तो सरकार का सामान्य निर्णय बताया था।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम: क्या वह इस पर फिर से विचार करेंगे? केवल 2½ लाख रुपये की वचनबद्धता की बात है। वहाँ पर जो सद्भावना बनी है वह उसे क्यों खराब करते हैं ?

श्री रघु रामैया: माननीय सदस्य बार बार इस मामले को उठाकर सद्भावना को नष्ट कर रहे हैं। वे सब ठीक हालत में हैं। कार्य चल रहा है। आप इसे यहीं समाप्त क्यों नहीं करते ?

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम: ऐसा न कहें। प्रथम श्रेणी के प्रबन्ध निदेशक को नियुक्त करके अच्छा कार्य किया उनके साथ श्रमिक सन्तुष्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि वह वहाँ पर रहें और स्थिति को बिगाड़ा न जाये। मैं फिर यह पूछता हूं कि क्या वह इस पर फिर से विचार करेंगे। कृपया इस पर फिर से विचार करें।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी: यह बहुत उपयुक्त सुझाव है।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम: यह एकमात्र जहाज बनाने का कारखाना है।

श्री रघु रामैया: इस पर हम फिर से विचार करेंगे।

नेहरू विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में प्रतिनिधित्व

*814. **श्री बलराज मधोक**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का कोई संसद सदस्य नेहरू विश्वविद्यालय के किसी भी निकाय में नहीं रखा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन तथा महानगर परिषद् को भी विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस विश्वविद्यालय का प्रशासन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ भूतपूर्व तथा वर्तमान कर्मचारियों के हाथों में हैं; और

(घ) नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम तथा योग्यतायें क्या हैं और वे पहले कहाँ-कहाँ काम करते थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) जी नहीं।

(घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कार्यकारी परिषद के सदस्यों के नाम:

(1) श्री जी० पार्थ सारथी, कुलपति, बी० ए० (आनर्स) (आक्सफोर्ड), बार० एट-ला, संयुक्त राष्ट्र में भारत के भूतपूर्व स्थायी प्रतिनिधि ।

(2) डा० बी० डी० नाग-चौधरी, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (योजना आयोग के भतपूर्व सदस्य) नई दिल्ली ।

(3) प्रो० एस० नुरुल हसन, संसद सदस्य, इतिहास के प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।

(4) डा० आर० रमन्ना, निदेशक, भौतिकी वर्ग, मोडुलार प्रयोगशाला, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई ।

(5) प्रो० एस० एम० कत्रे, निदेशक, दक्कन कालेज स्नातकोत्तर तथा अनुसन्धान संस्थान, पूना ।

(6) प्रो० पी० एन० धर, प्रधान मंत्री के सलाहकार, (भूतपूर्व निदेशक, आर्थिक वृद्धि संस्थान, नई दिल्ली) ।

(7) प्रो० एम० वी० माथुर, निदेशक, शैक्षणिक आयोजना तथा प्रशासन का एशियाई संस्थान, नई दिल्ली (भूतपूर्व कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय) ।

(8) श्री एम० चलपथि राव, एम० ए०, सम्पादक, नेशनल हेरल्ड, नई दिल्ली ।

(9) डा० एम० एस० स्वामीनाथन, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।

विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी

(1) निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल	प्रो० एम० एस० राजन, एम० ए० डी० लिट् (वे अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल में पिछले 5½ वर्षों से सेवा कर रहे हैं) ।
(2) वित्त अधिकारी	श्री एम० एल० सोबती, आई० ए० तथा ए० एस० (वे भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक कार्यालय में उप-निदेशक थे और विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुए हैं) ।
(3) पुस्तकाध्यक्ष (अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल का पुस्तकालय)	श्री गिरजा कुमार, एम० ए० (वे अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल के पुस्तकालय में पिछले 14 वर्षों से पुस्तकाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं) ।
(4) विशेष कार्य अधिकारी (पुस्तकालय)	श्री धनपत राय, बी० ए० (वह, वैज्ञानिक सूचना ब्यूरो तथा प्रलेखन केन्द्र के चीन-सेल में 7 वर्ष तक कार्यभारी थे और विश्वविद्यालय के मुख्य पुस्तकालय के संगठन और निर्माण के लिये प्रतिनियुक्ति पर उनकी नियुक्ति हुई है ।

(5) मुख्य परियोजना इंजीनियर	श्री एस० जी० पुथली, बी० ई० (सिविल) (वह, सी० पी० डब्ल्यू० डी० में 9 वर्ष तक अधीक्षक इंजीनियर थे और उनकी नियुक्ति मुख्य परियोजना इंजीनियर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हुई है) ।
(6) भूगोल के प्रोफेसर और विशेषाधिकारी (आयोजना)	प्रोफेसर मूनीस रजा, एम० ए० विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के अपने कर्त्तव्य के साथ साथ प्रोफेसर मूनीस रज़ा, विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की आयोजना में भी सहायता कर रहे हैं । विश्वविद्यालय की अपनी नियुक्ति से पहले, वह क्षेत्रीय इंजीनियर कालेज, श्रीनगर में प्रोफेसर और प्रिंसिपल थे ।

Shri Bal Raj Madhok : Sir, this University has been set up with Public Funds and not with Nehru Memorial Funds. Therefore, when this University is being financed from public funds, then what is the reason for absence of any representative of the parliament or from Delhi, where this University is situated, being there on its executive body or amongst higher officers ? Is it not due to the fact the Government want to make it a den of nepotism and provide jobs to few persons from Aligarh? If it is not so then why there is nobody to represent Delhi or the Parliament?

डा० वी० के० आर० वी० राव : कुन्बा परस्ती, अलीगढ़ आदि से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है यह मुझे समझ में नहीं आया । अधिनियम में कुछ संक्रामी उपबन्ध हैं और उन संक्रामी उपबन्धों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय विजिटर को प्रथम उपकुलपति, प्रथम न्यायाधिकरण, प्रथम कार्यकारी परिषद्, प्रथम विश्वविद्यालय परिषद् आदि को नामित करने का अधिकार है। उपकुलपति का कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि का है और अन्य निकायों का कार्यकाल तीन वर्षों की अवधि का है । ज्योंही तीन वर्ष की अवधि समाप्त होगी त्योंही नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका आदि को प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी अधिनियम के सभी उपबन्ध लागू हो जायेंगे । दूसरे यह बात ठीक नहीं कि न्यायाधिकरण में कोई संसद् सदस्य नहीं । न्यायाधिकरण में कुछ संसद् सदस्य हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त: दिल्ली से ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : अब जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कहा गया है कि दिल्ली के संसद सदस्य होने चाहियें । परन्तु अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं जिसके अनुसार दिल्ली के संसद सदस्यों को उसमें लिया जाये । मैं आदरपूर्वक तथा बिना किसी विद्वेष के यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय पर भी केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का स्वामित्व नहीं है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय केवल दिल्ली के लोगों के नहीं हैं। इन विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में प्रशासित किया जाता है । चुनाव में कोई ऐसी रोक नहीं कि दिल्ली के संसद सदस्य के चुने जाने पर रुकावट हो। परन्तु जब इस सदन द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था तो ऐसा कोई उपबन्ध नहीं रखा गया था कि दिल्ली का संसद सदस्य इस विशेष निकाय पर होना चाहिये । इसमें केवल यह व्यवस्था थी कि इस निकाय में संसद् सदस्य होने चाहियें । जब यह अधिनियम पूरी तरह लागू किया जायेगा तो उस निकाय में उनको

लिया जायेगा । प्रारंभिक नाम-निर्देशन के समय भी हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि विश्वविद्यालय न्यायाधिकरण में पाँच संसद सदस्य हों ।

श्री बलराज मधोक : यह तो औचित्य का प्रश्न है। हम केवल दिल्ली के संबंध में ही यह नहीं चाहते । परन्तु क्या दिल्ली में कोई शिक्षा पद्धति नहीं है ? उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया है। वह एक विशेष ढंग से सोचते हैं और केवल वही उचित ढंग है केवल इसी आधार पर हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते ।

There is a name of Shri Nurul Hasan of Aligarh University in the list. If he has been included in capacity of Parliament Member, it is not fair because he is a nominated member and not an elected member. It is, therefore, not fair to treat him representative of Parliament. Two or three people are on deputation and hence they have no significance. Shri Moonis Raza was previously in Aligarh University and thereafter he was appointed as principal of Engineering College in Kashmir. He was ousted from there because he engaged himself in communal activities, instigated roits. There is a report from the Kashmir Government.....

श्री स० मो० बनर्जी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . .

श्री बलराज मधोक : मैंने लोगों की पृष्ठभूमि के संबंध में पूछा था और उनके द्वारा यह पृष्ठभूमि दी गई है। कृपया विवरण को पढ़ें ।

श्री स० मो० बनर्जी: इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए । कार्यवाही वृतान्त में यह नहीं जाना चाहिये ।

श्री बलराज मधोक : यह विवरण है जो कार्यवाही वृतान्त में है। क्या यह सच नहीं है कि इस सज्जन को उनकी साम्प्रदायिक कार्रवाईयों के कारण से श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल के पद से पदच्युत किया गया था ।

श्री वासुदेवन नायर: किसने ऐसा कहा है ?

श्री बलराज मधोक : इस उद्देश्य से एक समिति गठित की गई थी और उसने ऐसा कहा ।

श्री वासुदेवन नायर: कौन सी समिति ।

श्री बलराज मधोक : वह मंत्री नहीं है । मंत्री महोदय इससे इन्कार करें । जब कालेज में हड़ताल हुई और लगभग एक वर्ष के लिये इसे बंद किया गया था तो उन दंगों के पीछे इस व्यक्ति का हाथ कहा गया था। उस व्यक्ति को अब कार्यकारी परिषद् में स्थान दिया गया है और विश्वविद्यालय में उन्हें सब प्रकार के अधिकार दिये जा रहेहैं। उन्हें वहाँ नियुक्त किये जाने की क्या औचित्य है ? एक ओर तो आप साम्प्रदायिकता के विरुद्ध बातें करते हैं और दूसरी ओर आप उस विश्वविद्यालय में जो कि अभी नया बन रहा है ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर रहे हैं।

Shri S. M. Banerjee : Shri Madhok should tell us why he was ousted from the College?

श्री बलराज मधोक: * *

मेरा विचार है कि अध्यक्ष महोदय उनके सम्मोहन में हैं। कृपया उन्हें बातचीत जारी रखने दें। मैं नहीं चाहता कि. . .(**अन्तबाधा**)

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

*Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं ?

श्री बलराज मधोक: यदि वह इसी प्रकार अन्तर्बाधा उपस्थित करते हैं. . . (**अन्तर्बाधा**) यह पहली बार नहीं है।* *इसके लिये उन्हें दंड दिया जाय (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी: * *

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें ।

श्री स० मो० बनर्जी: * *

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न कीजिए ।

डा० वी० के० आर० वी० राव: महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार है :

> "(ग) क्या यह भी सच है कि इस विश्वविद्यालय का प्रशासन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ भूतपूर्व तथा वर्तमान कर्मचारियों के हाथों में है ।"

इसके उत्तर में हमने बताया है कि कार्यकारी परिषद् के 9 सदस्यों में से एक सदस्य प्रख्यात इतिहासज्ञ है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर है। 9 सदस्यों की कार्यकारी परिषद् में एक प्रख्यात बुद्धिजीवी तथा इतिहासज्ञ को सदस्य के रूप में सम्मिलित करने मात्र से ही विश्वविद्यालय का प्रशासन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अथवा वर्तमान कर्मचारियों के हाथों में नहीं चला गया ।

प्रोफेसर मूनीस रज़ा, जिन्हें विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है, की ओर भी माननीय सदस्य ने निर्देश किया है। वह रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर में सन् 1964 से स्थायी वरिष्ठ प्रोफेसर थे । विश्वविद्यालय में आने से पूर्व वह 1966 से प्रिंसिपल के पद का कार्यभार भी संभाले थे। उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है ।

वर्ष 1964 में रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर, में आने से पूर्व वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में रीडर के पद पर थे। विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन में वह उपकुलपति की सहायता कर रहे हैं। वह वरिष्ठ प्रोफेसरों में से एक हैं। मेरे विचार से यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नेहरू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि एक दिन विश्वव्यापी मान्यता तथा ज्ञानार्जन का एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनेगा, केवल इसी आधार पर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक रीडर कार्यकारी परिषद् का सदस्य है, माननीय सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन को इस विश्वविद्यालय के भूतपूर्व तथा वर्तमान कर्मचारियों के हाथ में होने का आरोप लगाते हैं। ऐसे सुझाव पर मुझे बड़ा खेद है ।

---

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री बलराज मधोक : मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या यह सही नहीं है कि यह व्यक्ति श्रीनगर के इंजीनियरिंग कॉलेज से साम्प्रदायिक गतिविधियों तथा उपद्रवकारी कार्यों में भाग लेने के कारण प्रिंसिपल के पद से बर्खास्त कर दिया गया था ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस विशिष्ट प्रश्न विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परन्तु अपनी अधिकतम जानकारी के आधार पर मैं कहूँगा कि यह बात सही नहीं होगी; अन्यथा मेरे विचार से किसी शैक्षिक पद से बर्खास्त किये गए व्यक्ति को एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता।

श्री बलराज मधोक : क्या वह इस बारे में जाँच करेंगे ? यदि उनकी बात गलत सिद्ध हुई तो क्या वह उसे वहाँ से बर्खास्त करदें गे? मैं इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहता हूं। यदि मेरी बात सही हो तो. . .

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे काल्पनिक प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री बलराज मधोक : मैं अपने तथ्यों के बारे में विश्वस्त हूँ। संभव है वह अपने तथ्यों के बारे में विश्वस्त न हों। यदि वह गलती पर हों तो क्या वह अपने निर्णय में परिवर्तन करेंगे ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या वह उस विश्वविद्यालय के बोर्ड के लिये व्यक्तियों को नियुक्त करते समय यह भी ध्यान रखेंगे कि जो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की गुट-निर्पेक्षता तथा कार्य निर्पेक्षता में विश्वास नहीं रखते उन्हें इस मंडल में नियुक्त नहीं किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया न बताइये, केवल अपना प्रश्न पूछिए।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा यह प्रश्न है कि वह यह आश्वासन दें कि जो लोग नेहरू की नीतियों में विश्वास नहीं रखते उन्हें नियुक्त नहीं किया जायेगा।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को निश्चय ही उपकुलपति तक पहुँचा दिया जायेगा।

डा० सुशीला नैयर : मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या यह विश्वविद्यालय एक ऐसा नियमित शैक्षिक संस्थान है जो कि एक विश्वविद्यालय की सामान्य शैक्षिक गतिविधियाँ चलायेगा या कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य श्री नेहरू के विचारों तथा मान्यताओं का अध्ययन कार्य करेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि नेहरू विश्वविद्यालय केवल श्री नेहरू के विचारों और विचारधाराओं का प्रतिपादन करने हेतु ही स्थापित नहीं किया गया है। इस संसद ने ही नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया है और उसे पारित करते समय यह भी व्यवस्था की गई थी कि नेहरू के उद्देश्यों जैसे राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता आदि पर भी कुछ ध्यान दिया जाये।

इस विश्वविद्यालय का नियमित विश्वविद्यालय के रूप में विकास हो रहा है तथा यह किसी से संबद्ध संस्थान नहीं है बल्कि शिक्षा के विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पोस्ट-डॉक्टरेट अनुसंधान का उच्च स्तरीय संस्थान है; और माननीया सदस्या इस विश्वविद्यालय की प्रगति देखकर बहुत खुश होंगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह विचार करते हुए कि श्री नेहरू वाक् तथा विचार स्वातंत्र्य में विश्वास रखते थे । क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि जो सदस्य इस विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में नियुक्त किये जायेंगे उन्हें वाक् तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी जायेगी? वे श्री नेहरू के विचारों से सहमत हैं अथवा नहीं––इस आधार परनहीं बल्कि उनकी निजी उच्च योग्यता के आधार पर ही उन्हें नियुक्त किया जायेगा ताकि इस विश्वविद्यालय का स्तर तथा इसकी मर्यादा बहुत ऊँची रहे ।

डा० वी० के० आर०वी० राव : मैं यह विश्वास रखता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ केवल उच्च शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही की जायेंगी तथा विश्वविद्यालय के सामान्य नियमों के अनुसार उन्हें वाक् स्वातंत्र्य प्राप्त होगा । अतः मैं नहीं जानता कि माननीया सदस्या के प्रश्न के पीछे क्या भावना है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: संभव है कोई व्यक्ति श्री नेहरू के विचारों से सहमत न हो । परन्तु उन्हें श्री नेहरू के विचारों से स्वीकृति प्रकट करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए ।

डा०वी०के० आर०वी० राव : कोई भी व्यक्ति श्री नेहरू के विचारों से मतभेद रख सकता है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया में अलवर के व्यापारियों द्वारा जमा किये गये धन का ग़बन

*815. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलवर मंडी के व्यापरियों ने स्टेट बैंक आफ इंडिया में 21 सितम्बर, 1970 को एक लाख रुपये से अधिक धन जमा कराया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंक ने उन व्यापारियों को समुचित रूप से मुहर लगा कर रसीदें दी थीं और इस धन को बैंक के खातों में कभी भी जमा नहीं किया गया था और बैंक के कर्मचारियों ने उसका ग़बन कर लिया था;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (घ): प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा पता चला है कि अलवर के कुछ व्यापारियों ने, अलवर के एक व्यक्ति को सरकारी खाते में जमा कराने के लिये कुछ रकमें दी थीं । कहा जाता है कि उक्त व्यक्ति ने इन रकमों को सरकारी खातेमें जमा न करवा कर व्यापारियों को जाली नकदी रसीदें जारी करदीं। ये रसीदें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी नहीं की गई थीं। अलवर की पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

Shri Ram Kishan Gupta : How far is it true that those merchants went to the bank to depo it that money and they handed over the money to the said person who was sitting on the cash-counter; but now it is stated that that money was not deposited at all in the bank ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं वे तथ्य पेश कर रहा हूँ जो इस समय मेरे पास हैं। स्टेट बैंक को कोई रुपया अदा नहीं किया गया। स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा कोई रसीद भी नहीं दी गई। जहाँ तक तथ्यों की बात है, स्थिति यही है। हमें पुलिस की जाँच पर निर्भर करनी है। इस समय मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता।

Shri Ram Kishan Gupta : May I know whether the person termed to be suspect has been arrested or not and also whether any action has also been taken against certain bank employee or not ? Since it is a very serious matter, whether the Government is prepared to get this matter inquired into by the C. B. I. But this matter should be hushed up and no effort made to protect the corrupt officers ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह ऐसा मामला नहीं है कि मैं यहाँ बैठे पुलिस को निर्देश दे सकूँ। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के वेतनमानों को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सहायता

*816. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के वेतनमानों को बढ़ाने हेतु कुछ वित्तीय सहायता की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उसे कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में सुधार करने के लिए, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से, हाल ही में, वित्तीय सहायता की कोई औपचारिक माँग प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतन-मानों में सुधार करके, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन-मानों के स्तर तक लाने के लिये, राज्य सरकारों की चौथी आयोजना के दौरान वित्तीय सहायता देने की, भारत सरकार की पहले ही से एक योजना है। इस पिछली योजना से उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही लाभ उठा चुकी है।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के संबंध में, भारत सरकार की राज्य सरकारों को सहायता देने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि स्कूल शिक्षा, एक राज्य विषय है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेज, माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्कूलों के सब अध्यापक अपने वेतन बढ़वाने के लिये भूख हड़ताल, धरना अथवा अन्य प्रकार के आन्दोलनों को आरंभ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उनसे अभी हाल ही में वायदा किया है यदि केन्द्रीय सहायता मिल जाये तो उनके वेतनमानों में वृद्धि की जा सकती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने ऐसी कोई माँग की है और यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा०वी० के० आर० वी० राव : अपने वि वरण में मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से अभी हाल ही में औपचारिक रूप से ऐसी कोई माँग प्राप्त नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाये। केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतन-मानों के संबंध में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये पहले से ही योजना बना रखी है, जहाँ तक माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों का संबंध है उस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सहायता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : जब श्री चागला शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि सभी राज्यों के अध्यापकों के लिये पेन्शन राज-सहायता तथा भविष्य-निधि की तीन तरफा लाभ वाली योजना लागू की जायेगी तथा केन्द्र सरकार उसके लिए 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत—मुझे ठीक से याद नहीं—सहायता देगी। क्या उन्हें मालूम है कि वह तीन तरफा लाभ वाली योजना उत्तर प्रदेश में लागू नहीं की गई है ? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तथा साथ ही इस राज्य के अध्यापकों को सबसे कम वेतन मिलता है।

उत्तर प्रदेश में त्रिविध लाभ योजना लागू कर दी गई है अथवा नहीं, और यदि नहीं, तो क्या इसका कारण राज्य द्वारा अनुभव की जाने वाली आर्थिक कठिनाई है, और यदि आर्थिक कठिनाई हो इसका कारण है, तो केन्द्र द्वारा राज्य को कितनी सहायता दिये जाने की संभावना है ?

डा० वी० के० आर०वी० राव : पता नहीं ये प्रश्न मुझ से क्यों पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न केवल शिक्षा से ही सम्बद्ध नहीं हैं बल्कि वित्त से भी हैं।

जहाँ तक त्रिविध लाभ योजना का प्रश्न है, मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में यह योजना लागू हुई है अथवा नहीं। यदि इसे वहाँ लागू नहीं किया गया है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि देश के दूसरे कुछ राज्यों में है।

जहाँ तक श्री छागला द्वारा दिये गये कथित आश्वासन का सम्बन्ध है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सहायता दी जायगी, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ जैसा कि मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है, कि जब राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा चौथी योजना का प्रारूप तैयार किया गया था और उस पर चर्चा की गई थी तब राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वे राज्यों के मामले में केन्द्र का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र द्वारा बनाई गई तथा सहायता प्रदान की गई योजनाओं की संख्या बहुत कम कर दी गई है। इसके

पीछे यही भावना रही प्रतीत होती है कि चौथी योजना में उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कर दिये जायेंगे और वे उन योजनाओं को प्राथमिकता देंगे जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं। मैं अपने माननीय मित्र को यही सुझाव दे सकता हूँ कि इसका उपाय राज्य की विधान सभा ही निकाल सकती है, क्योंकि योजना को कार्यरूप देने के लिये संसाधन जुटाना राज्य सरकार का कार्य है।

श्री पीलु मोदी : क्या मंत्री महोदय यह सुझाव दे रहे हैं कि वे विधान सभा के सदस्य बन जायं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैंने ऐसा सुझाव नहीं दिया है। उनके साथ से वंचित नहीं होना चाहते।

Shri Janeshwar Mishra : Mr. speaker, Sir, whereas it is a fact that the primary and higher secondary education is a state subject but it is also a fact that the rise in prices is the subject of Centre. In view of this, whether the Ministry of Education would arrange for the breads and butter of the primary and higher secondary school teachers in order to resolve the dearness crises created by the central Government ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इसे किस प्रकार से निश्चित कर सकता हूँ, यह मेरी समझ में नहीं आता। परन्तु मुझे जब कभी भी अवसर प्राप्त होता है कि उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों के साथ अच्छे व्यवहार, और अच्छे वेतनमान तथा अच्छी सेवा शर्तों के विषय में कुछ कह सकता हूँ तब मैं ऐसे अवसर को कभी भी हाथ से नहीं जाने देता हूँ।

Shri Prakashvir Shastri : There should have been no difficulty to the Government of Uttar Pradesh in implementing the pay scales recommended by University Grants Commission regarding the pay scales of university standard teachers keeping in view the cooperation offered by Central Government without incurring any additional expenditure. I had written in this connection to Dr. Rao and had presented memorandum. I would like to know the result of the instructions given to the state regarding implementing the recommendation of University grants Commission in respect of the scales of the teachers of university standard ?

Secondly, Uttar Pradesh is economically backward. In view of this, whether the Central Government would arrange any special assistance to U. P. so that the pay scales of the university standard teachers might be revised ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मेरा विचार यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना को जिसकी हमने उनसे सिफारिश की थी, पहले ही लाभ उठा चुकी है, मुझे ऐसी ही जानकारी मिली है। परन्तु क्या यह सभी कालेजों को दी गई है इस सम्बन्ध में मैं जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, कि क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश को उसके पिछड़े हुए होने के कारण विशेष वित्तीय सहायता देगी वास्तव में मैं इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा में नहीं आता है।

Shri Jharkhande Rai : Has the Education Minister received any information or complaint to the effect that lakhs of rupees on account of pay fallecy of the teachers of primary and junior high school run by Zila Prishads are due because of the bad financial position of

the U. P. Government ? In view of this whether the Central Government propose to extend such minimum assistance as to clear the outstanding dues of the teacher ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उसे वित्त मंत्री के पास भेज दिया जायगा ।

Shri Premchand Verma : The hon. Minister has just now said that this is the concern of the State. But so far as the Education is concerned the centre is largely responsible for that. The teachers are responsible for the character building of the nation as a whole. I would like to know the pay scales of Uttar Pradesh, Punjab, Maharashtra and Rajasthan teachers, and whether it is a fact that pay of a teacher in U. P. is between Rs, 80 and 100?

Secondly, I would like to know, whether the Government propose to formulate a scheme for the country as a whole regarding the pay scales of primary and other teachers so that the minimum and maximum pay scales might be fixed and there be no disparity like 80to 100 in one state and 175 to 200 in other state ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने बहुत से विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । पता नहीं मेरे से वह इन सबके बारे में क्या उत्तर चाहते हैं। यदि वह विभिन्न राज्यों के वेतनमानों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं यह जानकारी उन्हें दिला सकता हूँ । यह तीन पृष्ठ का विवरण है जिसमें लगभग 200 आँकड़े हैं। यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के वेतन संतोषजनक नहीं हैं परन्तु केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर सकती है यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ ।

Shri Premchand Varma : What is the pay of a teacher in Uttar Pradesh? We are entitled to ask about the wages of a teacher there.

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है । इसकी सूचना वह बाद में प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri Premchand Varma : A teacher in U. P. is getting less than a peon.

Job-Oriented Education

*817. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) Whether Government have received the report of the Study Team appointed to go into the question of introducing a series of pilot schemes and making the education job-oriented at school level;

(b) if so, whether any decision has been taken thereon; and

(c) if so, the details thereof ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

स्कूल स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के क्षेत्र में, प्रायोगिक परियोजनाओं के बारे में अध्ययन दल की जो रिपोर्ट, जुलाई, 1970 को मिली थी, उसको 10 और 11 अगस्त को हुए राज्य

शिक्षा सचिवों और जन शिक्षा निदेशकों के सम्मेलनों द्वारा, आमतौर पर अनुमोदित किया गया था। उनकी सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए, राज्य सरकारों से स्कूल स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण और कार्य प्रयोग के कार्यक्रम को लागू करने के लिये, अपने अपने राज्य में एक-एक जिला चुनने का अनुरोध किया गया था।

2—गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और राजस्थान की सरकारों ने, क्रमशः बड़ौदा, करनाल, सिहोर और जयपुर जिले चुने हैं। अन्य राज्यों से उत्तरों की प्रतीक्षा है।

3—अध्ययन दल द्वारा दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम ब्यौरे तैयार किये जायेंगे।

4—दरभंगा (बिहार)—जलगाँव (महाराष्ट्र)—बैसरी (मैसूर) और संगरूर (पंजाब), चार जिलों में, व्यापक शैक्षिक जिला विकास परियोजनाओं के कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम के रूप में शिक्षा के व्यावसायीकरण और कार्य अनुभव की योजना को भी शामिल किया जायगा, जिन पर पहले ही से प्राथमिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

Shri Meetha Lal Meena : The reason of vast unemployment in the country is the existing structure of education. Leaving aside children living in urban areas. The students from the villages find themselves unable to get higher education and at the same time they are unable to absorb themselves in traditional occupations. In view of this, whether the Government propose to formulate any scheme through the state Governments which could be implemented soon in which there may be a provision to impart vocational education so that after completing the education youths might absorb themselves in their trades and the growing unemployment might be checked ? I want to know whether Government have thought over this matter?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे विचार से माननीय सदस्य उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे जब एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि सरकार ने विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है जो स्कूलों में धन्धे सिखाने के बारे में अध्ययन करेगा। व्यवसायीकरण का तात्पर्य केवल रोजगार प्रदान करना ही नहीं है बल्कि रोजगार पाने के इच्छुक लोगों में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध धन्धों को चलाने की इच्छा का विकास करना तथा उनके लिये अपेक्षित क्षमता प्रदान करना भी है।

प्रत्येक राज्य में व्यवसायिक शिक्षा संबंधी अनुभव प्राप्त करने तथा उसका सूत्रपात करने के उद्देश्य से एक जिले का चयन करना है। इसमें समय लगेगा, यह सब इतना शीघ्र नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहते हैं उस सम्बन्ध में हमने सही मार्ग अपनाया है।

Shri Meetha Lal Meena : I would like to know whether Central Government have consulted the state Government regarding as the report they have presented here; if so, what is the reaction of the education of Ministers and vice-chancellors of the state ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस बारे में राज्य सरकारों से सलाह ली गई है। उनके साथ एक सम्मेलन में इस विषय पर बातचीत हुई। विस्तृत रूप से विचार किये जाने के बाद उनकी सिफारिश पर ही प्रत्येक राज्य में एक परीक्षणार्थ परियोजना के बारे में निश्चय किया गया है।

Shri Meetha Lal Meena : May I know whether they will provide financial assistance to them ? The state are demanding financial assistance, and I want to know whether they are prepared for this or the states will bear the expenditure themselves ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : पहले प्राथमिक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिये 40,000 रुपये की अनुदान राशि देने का निश्चय किया गया है । इस सर्वेक्षण द्वारा यह पता लगाया जायगा कि अमुक जिले में विद्यार्थियों के लिये कौन से धन्धे लाभकारी होंगे जिनका व्यवसायीकरण करने के लिए परीक्षण कार्य किया जाय । परियोजना अधिकारी नियुक्त करने के लिये भी धनराशि की व्यवस्था की जा रही है । मेरे विचार से परीक्षण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात्, इस योजना का आर्थिक पहलू एक विशद प्रश्न बन जायगा । उस समय इस योजना के लिये धन की व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा कि उसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कितना कितना हिस्सा होना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में स्विस निर्मित घड़ियाँ बेचने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

*813. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सी-शुल्क की निवारक शाखा के एक विशेष दस्ते ने दावा किया है कि उसने दिल्ली के धोखेबाजों के एक बड़े गिरोह को नष्ट कर दिया है, जिसने घड़ियों की निर्माता-फर्मों का नाम बदल कर सस्ती घड़ियाँ बेचने में विशेषता प्राप्त कर ली थी;

(ख) क्या 20 नवम्बर, 1970 को निवारक शाखा द्वारा राजधानी में कई स्थानों पर छापों के दौरान छपाई की तथा मुहर लगाने की कुछ मशीनें तथा कई दोष सिद्ध करने वाले कागजात भी पकड़े गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय दिल्ली के अधिकारियों ने दिल्ली में काम करने वाले धोखेबाजों के एक गिरोह का पता लगाया है, जो घड़ियों के डायलों से टेडमार्क नामों को मिटाकर और उन डायलों पर कीमती घड़ियों के ट्रेडमार्क नामों को छापकर सस्ती विदेशी घड़ियाँ बाजार में बेचते हैं । लोकप्रिय घड़ियों के ट्रेडमार्क नामों को निश्चित करने के लिये घड़ियों के केश के रिक्त पृष्ठभागों पर भी छापा लगाते हैं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने 20 नवम्बर 1970 को स्कूटरपर जाते हुए एक व्यक्ति को रोका और स्कूटर के उपकरण कक्ष से 55 कलाई-घड़ियाँ बरामद कीं । अनुवर्ती कार्यवाही के फलस्वरूप 20 नवम्बर 1970 और 21 नवम्बर 1970 को तीन अन्य स्थानों की तलाशियाँ ली गयीं, जिनसे 80 और कलाई घड़ियाँ, रसायनों तथा रोशनाई सहित छापे की दो मशीनें, डाइयों सहित ठप्पा लगाने की एक मशीन और अपराध आरेषणी य कुछ दस्तावेज बरामद किये गये । दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया ।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

*818. **श्री देविन्दरसिंह गार्चा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक की उस नवीनतम रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत में आर्थिक विकास की धीमी गति तथा कई अन्य मामलों का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व बैंक के इस मत को भारत को मिल रहे ऋणों अथवा अनुदानों पर किसी प्रकार बुरा असर पड़ा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (घ). भारत की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में विश्व बैंक की सबसे हाल की रिपोर्ट वह है जो अप्रैल, 1970 में विश्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा, भारत सहायता संघ की मई, 1970 में हुई बैठक के लिये पृष्ठभूमि-सामग्री के रूप में तैयार की गई थी। रिपोर्ट में पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय अर्थ-व्यवस्था द्वारा की गई उत्साहजनक प्रगति को नोट किया गया था। भारत सहायता संघ ने तथ्यों पर विचार करके, 1969-70 में भारत की आर्थिक स्थिति में हुए निरन्तर सुधार की, विशेष रूप से कृषि उत्पादन की गति के जारी रहने, औद्योगिक उत्पादन में हुए सुधार और इंजीनियरी वस्तुओं जैसी गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में हुई वृद्धि की सराहना की थी। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि अर्थ-व्यवस्था के विकास को जारी रखने और उसमें तेजी जाने के लिए यह जरूरी है कि भारत को पर्याप्त मात्रा में प्रायोजना-भिन्न सहायता और प्रायोजना-सहायता के लिये नये वचन दिये जायं। आशा है कि 1970-71 के लिए 640 करोड़ रुपये की नयी सहायता के वचन प्राप्त होंगे जबकि पिछले वर्ष अर्थात् 1969-70 के लिए 610 करोड़ रुपये की सहायता के वचन प्राप्त हुए थे।

कलकत्ता में बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा इमारतों का बेचा जाना

*819. **श्री शशि भूषण**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बड़े औद्योगिक गृहों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है जो कलकत्ता में अपनी इमारतें बेच रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम और बैंक उन इमारतों को खरीद रहे हैं और यदि हाँ, तो अलग-अलग उन्होंने कितनी इमारतें कितने कितने मूल्य पर खरीदीं;

(ग) क्या बैंकों तथा जीवन बीमा निगम द्वारा इमारतों की खरीद से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि बाजार भाव से अधिक मूल्य न दिया जाये; और

(घ) यदि किसी मामले में अधिक मूल्य दिया गया है, तो उसके क्या विशेष कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ): जीवन बीमा निगम के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है, और ऐसी कोई खरीद नहीं की गई है एवं इस संबंध में कोई बातचीत भी नहीं चल रही है । जहाँ तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभापटल पर रख दी जायगी ।

काले धन का पता लगाने हेतु अहमदाबाद में छापे मारना

*820. **श्री मुहम्मद शरीफ:** **श्री नारायणन :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में नवम्बर, 1970 में मारे गए छापों के दौरान सीमा-शुल्क तथा आय-कर अधिकारियों ने लगभग 2 करोड़ रुपये के काले धन का पता लगाया था;

(ख) क्या कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में भी इस प्रकार के छापे मारे गये थे;

(ग) यदि हाँ, तो उनके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या इस प्रकार के मासिकावार्षिक छापे मारने के सम्बन्ध में सरकार कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) आय-कर तथा सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा अक्टूबर और नवम्बर 1970 में अहमदाबाद में कुछ स्थानों की तलाशियाँ ली गयी थीं, जिनके कारण 200 किलो ग्राम चाँदी, 3. 40 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और खाता-बहियाँ तथा अन्य कागजात पकड़े गए थे ।

(ख) अहमदाबाद में ली गई तलाशियों के सिलसिले में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में कोई तलाशी नहीं ली गई थी ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) तलाशियाँ कानून के अन्तर्गत ही ली जाती हैं और प्रत्येक मामले में तलाशी लेने से पहले सावधानी से निर्णय तथा यह विवेकपूर्ण विश्वास किया जाता है कि किस स्थान पर कुछ निषिद्ध वस्तुएँ अथवा मुद्रा छिपाई गई है अथवा यह कि कर अपवंचन अथवा अन्य अपराध का सबुत उन स्थानों की तलाशी लेकर ही प्राप्त किया जा सकता है ।इसलिए, स्वाभाविक रूप से ही नियतकालिक तलाशियाँ लेने का नियमित कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता ।

विदेशी सहायता पर निर्भर अनुसंधान संस्थान

*821. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अनुसंधान संस्थानों के नाम क्या हैं जो अपनी गतिविधियों के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर रहते हैं और प्रत्येक संस्थान द्वारा किस प्रकार का अनुसंधान कार्य किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक देश से कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इनमें से कुछ संस्थान अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी द्वारा भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर तोड़फोड़ की कार्यवाहियाँ करने के लिये प्रायोजित किये गये हैं; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत में विदेशी धन के प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाहियाँ की है अथवा कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) चूँकि ऐसी बहुत सी संस्थायें हैं जो औद्योगिक अनुसंधान, बाजार संबंधी अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान और अन्य प्रकार के विशुद्ध और व्यावहारिक अनुसंधान सहित सभी प्रकार का अनुसंधान कार्य कर रही हैं, इसलिए वाँछित प्रकार की सूचना इकट्ठी करना संभव नहीं होगा ।

(ख) विदेशी मुद्रा नियंत्रण सम्बन्धी आँकड़े इस प्रकार नहीं रखे जाते । फिर भी, यदि किसी विशेष संस्था का नाम दिया जाय तो उसके संबंध में उसके द्वारा प्रत्येक अवसर पर 10,000 रुपये और उससे अधिक की प्राप्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायगा ।

(ग) और (घ). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि वर्तमान अनुसंधान संस्थाओंमें से किसी संस्था को विदेशी गुप्तचर्या अभिकरण से कोई अनुदान मिल रहा है । अनुसंधान संस्थाओं की विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से और ऐसी सहायता के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सामाजिक विज्ञान गवेषणा परिषद की स्थापना की गई है । विदेशी संगठनों, अभिकरणों या व्यक्तियोंसे धन की प्राप्ति को नियमित करने के लिए सरकार एक व्यापक कानून बनाने पर विचार कर रही है ।

Picturesque and Historical Places for Development as Tourist Centres

*822. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) Whether Government have asked all the State Governments to furnish a list containing names of picturesque and historical places which may be developed into tourist centres;

(b) if so, the details thereof;

(c) the names of places for which Government have decided to give priority for developing them as tourist centres; and

(d) the criteria adopted by Government therfor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). Tourism schemes are drawn up and implemented by the Central Government not on a Statewise basis but having regard to the actual or potential attraction of a place for tourists, and within the limitations of resources. During the Fourth Plan, places which are being given priority for tourism development are; Gulmarg, Kovalam, Kulu-Manali and Bodhgaya-Rajgir-Nalanda complex. Special attention is also being given to the development of game sanctuaries, setting up of youth hostels and improving facilities in a large number of tourist centres, construction of hotels at Bangalor and other centre 'etc.

रामपुर के नवाब के जवाहरात

*823. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर के स्वर्गीय नवाब के जवहरात जब वे अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाए जा रहे थे, कलकत्ता में पकड़े गए और उनको दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया में जमा कर दिया गया;

(ख) क्या जवाहरात का कुछ भाग वर्तमान नवाब को वापिस दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) रामपुर के स्वर्गीय नवाब के जवाहरात कब्जे में नहीं लिये गये थे। 1954 में कुछ ऐसी रिपोर्टें मिली थीं कि रामपुर नवाब के जवाहरात को स्वर्गीय नवाब की जानकारी के बिना, पाकिस्तान ले जाये जाने की सम्भावना थी। भारत सरकार के सुझाव पर स्वर्गीय नवाब इस बात पर राजी हो गये कि जवाहरात दिल्ली लाकर स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा कर दिये जायें।

(ख) और (ग). वे जवाहरात रामपुर के शासक की निजी संपत्ति थे और स्वर्गीय नवाब की मृत्यु के पश्चात् जवाहरात का बंटवारा उनकी विधवा और उनके उत्तराधिकारी के बीच किया गया था।

श्री आर० के० नैयर के मकान पर छापा

*824. **श्री सुरज भान**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग और विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बम्बई में फिल्म निदेशक श्री आर० के० नैयर और उनकी पत्नी साधना के निवास स्थान पर छापा मारा था;

(ख) क्या उनके निवास स्थान से बरामद हुए दस्तावेजों से उन दोनों द्वारा बड़ी धनराशि के करों के अपवंचन, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन और आयात लाइसेंसों को चोर बाजारी में बेचने का पता लगा है;

(ग) यदि हाँ, तो उन्होंने कितनी धनराशि का कर अपवंचन किया और कितनी अवैध विदेशी मुद्रा प्राप्त की;

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) मामला इस समय जाँच की किस अवस्था में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) विदेशी मुद्रा विनियम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 13 जनवरी, 1969 को तलाशी ली गई थी। तलाशी में आय-कर विभाग का भी सहयोग था।

(ख) कागजातों की छान-बीन की जा रही है और जाँच-पड़ताल चल रही है। वर्तमान स्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि करों का भारी अपवंचन हुआ है अथवा आयात लाइसेंसों को काले बाजार

में बेचा गया है । परन्तु, कागजातों से प्रथम दृष्ट्या, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का मामला प्रकट होता है ।

(ग) से (ङ). जाँच-पड़ताल करनेवाली विभिन्न एजेंसियाँ जाँच पड़ताल कर रही हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। आय-कर अपवंचन और विदेशी मुद्रा के अवैध अर्जन के परिणाम निर्धारित करने का प्रश्न तब ही उठेगा, जब जाँच-पड़ताल पूरी हो जायगी ।

एकाधिकार अधिनियम के बारे में टाटा कैमिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन द्वारा व्यक्त किये गये विचार

*825. **श्री रवि राय** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान टाटा केमिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा बम्बई में 19 नवम्बर 1970 को हुई कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक की अध्यक्षता करते हुए की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो एकाधिकार अधिनियम के बारे में श्री टाटा द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि टाटा बन्धुओं के प्रतिनिधि 22 और 26 अक्टूबर को उनके मंत्रालय के अधिकारियों से मिले थे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) वहाँ प्रगट किये गये अनेक दृष्टिकोणों से सरकार का मतैक्य नहीं है ।

(ग) टाटा बन्धुओं का एक प्रतिनिधि, उनके इस संकथन का स्पष्टीकरण करने के लिए कम्पनी कार्य विभाग के एक अधिकारी से मिला था, कि टाटा कैमीकल्स द्वारा मीठापुर में, प्रस्तावित उर्वरक परियोजना से, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्ध आकर्षित नहीं होते ।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जीवनी

*826. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की पूरी और प्रमाणिक जीवनी अभी लिखी जानी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्य को नेताजी अनुसंधान ब्यूरो और कुछ विख्यात इतिहासकारों के सहयोग से करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हाँ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, हमें, यह सूचित किया है कि "आधुनिक भारत का निर्माता" नामक लेख-माला में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जीवनी प्रकाशित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा आय पर लगे करों का अपवंचन

*827. **श्री जार्ज फरनेंडीज**: क्या **वित्त** मंत्री स्टैन्डर्ड ड्रम तथा बेरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा पर्याप्त मात्रा में आय कर के अपवंचन किये जाने के बारे में 27 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) बम्बई ने स्टैन्डर्ड ड्रम तथा बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी और मैसर्स मगनलाल छगनलाल (प्रा०) लिमिटेड की अनेक अन्य कम्पनियों के मामलों की सम्पूर्ण तथा समन्वित जाँच इस बीच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे जाँच-कार्य पूरा करने में और कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). जाँच पड़ताल चल रही है। यह जाँच कई वर्षों के सम्बन्ध में है और इसमें केवल लेखा-बहियों और दस्तावेजों की ही नहीं बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों तथा बैंकों के रिकार्डों की भी जाँच एवं छानबीन करने की आवश्यकता है। यह बताना कठिन है कि जाँच-पड़ताल कब पूरी होगी। जाँच-पड़ताल शीघ्र पूरी करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

पर्यटकों के लिये सुविधाएँ

*828. **श्री वेणी शंकर शर्मा**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु गहन प्रयत्न करने के उनके आह्वान पर कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों की माँगों को पूरा करने हेतु आवास तथा सड़क और परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पर्यटन विकास सम्बन्धी मुख्य आवश्यकतायें क्या हैं और उन्हें कैसे पूरा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). जी, हाँ। नये होटलों का निर्माण करने तथा महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों एवं आखेट पशुशरण स्थानों पर अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने व नये विहार स्थलों का निर्माण करने के लिये प्रारंभ किये गये कार्यकलापों से एक हल्की-सी सफलता की उपलब्धि हुई है ।

(ग) योजना की अवधि के अन्त तक पर्यटकों की संख्या 400,000 हो जाने के पूर्वानुमान पर आधारित, अतिरिक्त माँगों की पूर्ति करने के लिये 9,500 होटल-कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। होटल आवास के निर्माण/नवीकरण/विस्तार के लिए तथा पर्यटकीय परिवहन गाड़ियों की खरीद के लिए प्राइवेट पार्टियों को आकर्षक शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

चोरी छिपे लाई गई लौंग का पकड़ा जाना

*829. **श्री जी० वाई० कृष्णन्**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1970 से सितम्बर, 1970 तक कितने मूल्य की निषिद्ध लौंग सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम पाकिस्तान तथा लंका से भारत में अवैध रूप से लाई गई लौंग बम्बई और दिल्ली के बाजारों में बेची जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जनवरी 1970 से सितम्बर 1970 तक की अवधि में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 36,628 किलो ग्राम लौंग पकड़ी गई थी।

(ख) लौंग का तस्कर आयात अधिकाँशतः श्री लंका से तमिलनाडु के समुद्रतट पर होता है और पूर्वी अफ्रीका तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आनेवाले यात्रियों द्वारा भी मामूली मात्रा में किया जाता है। चोरी छिपे लाई गई लौंग देश भर में सर्वत्र बेची जाती है।

(ग) विदेशी वस्तुओं का, जिनमें लौंग भी शामिल है भारत में तस्कर आयात रोकने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन नौकाओं अथवा वायु-यानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों को गश्त की व्यवस्था, इन उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन

*830. **श्री सुरेन्द नाथ द्विवेदी**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार विद्यार्थियों और अध्यापकों के संगठनों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास संगठनों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के नामाँकन के बारे में संगठनों के प्रतिनिधित्व के सत्यापन के हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

काले धन का पता लगाना

*831. **श्री स० कुन्दू**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार काले धन का पता लगाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): कर-अपवंचन का मुकाबिला करने के लिए सरकार ने पिछले छः वर्षों में बहुत से प्रशासनिक तथा वैधानिक उपाय किये हैं। कर अपवंचन के सभी पक्षों का अध्ययन करने के लिये हाल ही में प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ही नियुक्ति की गई है। इस बीच आयकर विभाग तलाशियों, सर्वेक्षणों, लेखा पुस्तकों की छानबीन तथा अन्य प्रकार की जाँच पड़ताल द्वारा अप्रकट आय का बराबर पता लगा रहा है।

वृहद् बम्बई की जल तथा मल व्यवस्था परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता

*832. **श्री नाथापाई**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृहद् बम्बई की 146 करोड़ रुपयों की लागत की जल तथा मल व्यवस्था परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से इसके नियतन के बारे में कोई निर्णय किया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विश्व बैंक से मिलने वाली यह वित्तीय सहायता व्यपगत हो गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (घ). वृहत बम्बई जल-पूर्ति और मल निकासी प्रायोजना की सहायता के लिये विश्व बैंक से प्रारंभिक बात-चीत की जा चुकी है। अनुमान है कि इस प्रायोजना पर 71 करोड़ रुपया खर्च होगा। हाल ही में किये जा रहे तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन के पूरा हो जाने पर प्रायोजना को वित्तीय सहायता के लिये विश्व बैंक के सम्मुख पेश किया जायगा। इसलिये, विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के व्यपगत होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ख) और (ग). प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिये साधन जुटाने के प्रश्न पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया गया है और आशा है कि प्रायोजना के वित्त-पोषण के लिए संतोषजनक व्यवस्था की जा सकेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वन-पर्यटन के विकास की योजना

*833. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में वन-पर्यटन को बढ़ाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और उक्त योजना की क्रियान्विती पर कितना धन खर्च होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हाँ ।

(ख) वन्य जीव पर्यटन विकास के लिये पाँच राष्ट्रीय उद्योगों और वन्य जीव शरणस्थानों– अर्थात् कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश), कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश), काज़ीरंगा वन्य जीव शरणस्थान (आसाम), गिर वन्य जीव शरणस्थान (गुजरात) और पेरियार वन्य जीव शरणस्थान (केरल),को चुना गया है। वन्य जीव पर्यटन विकास के लिए प्रथमत: संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से पर्यटक आवास तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने, एवं तत्संबंधी अन्य आधारभूत कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने पर बल दिया जा रहा है। इसप्रयोजनकेलिए 50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

विमानों के अपहरण का भारत के दौरे पर आने वाले अनेकों पर्यटकों पर प्रभाव

*834. **श्री सु० कु० तापड़िया:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई शंका है कि विमानों के अपहरण के भय से भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या घट जायेगी;

(ख) यदिहाँ,तो क्या उन्होंने परिस्थिति का मूल्याँकन किया है और उसके कोई उपचारात्मक उपाय । हल सोचे हैं; और

(ग) क्या कुछ विदेशी यात्रा एजेन्सियों ने भी उनसे यह बात कही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

सफदर जंग हवाई अड्डे के निकट उपरि पुल का निर्माण कार्य पूरा होना

*835. **श्री म० ला० सौन्धी :** क्या **पौतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट उपरि पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) परियोजना की स्वीकृति और उसके निष्पादन के बीच समन्वय के लिये कौन-सा विभाग जिम्मेदार है;

(ग) पौत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय का इस परियोजना में क्या योगदान है;

(घ) विभिन्न विभागों ने इस परियोजना से सम्बद्ध दस्तावेजों को किन तिथियों को तैयार किया था; और

(ङ) सरकार का विचार इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

संसद-कार्यऔर पौतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ङ). स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और शहरी विकास (स्वास्थ्य विभाग) परियोजना के समन्वय और स्वीकृति के लिये उत्तदायी है । परियोजना का निष्पादन नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा किया जाता है । पौतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय का कार्य स्वास्थ्य विभाग और नई दिल्ली नगर पालिका समिति द्वारा अनुरोध किये जाने पर तकनीकी सलाह देना है। 21-10-69 को परियोजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा परिवहन नियोजन और निर्माण, आवास तथा शहरी विकास मंत्रालय को तकनीकी सलाह दी । 4-4-1970 को उस मंत्रालय ने परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी । 1-5-1970 को नई दिल्ली नगर पालिका समिति ने प्राक्कलन को अनुमोदित किया । 28-6-70 को समिति ने निविदाओं को आमंत्रित करने के लिये सूचना जारी की जो 25-9-70 को प्राप्त हुई और 25-9-70 को खोली गई । 20-11-70 को समिति ने निविदाओं को टेन्डर देने वालों के अभिकल्पों की स्वीकार्यता के बारे में तकनीकी, संमीक्षा के लिये पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय को भेजी । विभिन्न टेन्डर देने वालों के अभिकल्पों की तकनीकी पहलुओं पर विचार हो रहा है। चूँकि व्यय स्वीकृति अभी जारी होनी है और विभिन्न विषय वस्तुओं को कई प्राधिकारियों से अभी तय किया जाना है अत: ऊपरगामी पुल के पूरे होंने की प्रत्याशित तारीख को दिखाना असामयिक होगा ।

लन्दन के लिये भारतीय पत्तनों पर लदे माल पर 25 प्रतिशत भाड़ा अधिभार लगाने का प्रस्ताव

*836. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **पौतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन की बन्दरगाहों को जाने वाले जहाजों में भारतीय पत्तनों पर लदे माल पर 25 प्रतिशत भाड़ा अधिभार लगाने का प्रस्ताव लन्दन में हुई भारत पाकिस्तान कानफ्रेंस ने किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित अधिभार लगाने का औचित्य क्या है;

(ग) क्या इससे भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि कानफ्रेंस इस प्रस्तावित अधिभार को वापस ले ले, क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य और पौतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) भारत-पाकिस्तान सम्मेलनने 30-11-1970 से लंदन से तथा लंदन के लिए लादे जाने वाले माल के लिए जहाजों के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत अधिभार लगाया है ।

(ख) सम्मेलन ने जो कारण बताया है वह यह है कि सैल्यिन समिति की सिफारिशों से लंदन में तिलवरी गोदी पर मजदूरों के कुछ संगठनों में लगाए जाने के फलस्वरूप पत्तन मजदूरी की न्यूनता से उनके जहाजों को बहुत विलम्ब का सामना करना पड़ता है ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) पौत वणिकों ने पहले ही इस अधिभार के खिलाफ सम्मेलन को अपना सीधा विरोध प्रकट किया है। उच्चायुक्त को भी लंदन के पत्तन प्राधिकरण पर इस बात के लिए दबाव डालने के लिये कहा गया है कि वह तिलवरी गोदियों में अतिरिक्त मजदूर बल के लिए सम्मेलन का अनुरोध स्वीकार करे या डेलिवन योजना के कार्यान्वित होने तक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन के जहाजों पर तिलवरी तक प्रतिबंध के आदेशों को अस्थायी रूप से रद्द करे और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करे। अधिभार वापिस लिए जाने के लिए सम्मेलन पर प्रभाव डालने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सरकारी उपक्रमों द्वारा जीवन बीमा निगम के प्रीमियम का भुगतान

*837. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, नगर पालिकाओं तथा पंचायत समितियों से वसूल किये जाने वाले प्रीमियम का भुगतान निरन्तर नहीं किया जाता, जैसा कि 20 अक्टूबर, 1970 के "हिन्दू" में समाचार था;

(ख) क्या एक मामले में एक सरकारी उपक्रम ने कर्मचारियों के वेतन में से प्रीमियम की कटौती की थी परन्तु उसे जीवन बीमा निगम को नहीं भेजा था;

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों ने लगभग 4 करोड़ रुपये का भुगतान करना है; और

(घ) यदि हाँ, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). भारत के जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष ने बताया था कि सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों ने उनके द्वारा ली गई सामान्य बीमा पालिसियों के देय बीमा-प्रीमियमों को अदा करने में अनुचित रूप से विलम्ब किया था । उसने एक भिन्न मामले का भी उल्लेख किया था; वह था वेतन बचत योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा ली गई जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में पंचायतों जैसे कुछ लोक निकायों द्वारा कर्मचारियों के वेतन में से काटे गए प्रीमियमों को जीवन बीमा निगम को प्रेषण में विलम्ब ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तरफ सामान्य बीमा प्रीमियमों की बकाया रकम दिनाँक 31-3-70 को लगभग 4 करोड़ रुपये थी ।

(घ) जहाँ तक सरकारीक्षेत्र के उपक्रमों की तरफ सामान्य बीमा प्रीमियमों की बकाया रकमों का सम्बन्ध है, सरकार ने हाल में सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि वे सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी आदेश दें कि बकाया रकमों की शीघ्र ही अदायगी की जाय और भविष्य में भी प्रीमियमों की अदायगी समय पर की जाय। जहाँ तक लोक निकायों द्वारा वसूल किये गये जीवन बीमा प्रीमियमों की रकम का सम्बन्ध है, इस बारे में जीवन बीमा निगम, संबंधित निकायों के साथ सीधे ही लिखा पढ़ी कर रहा है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया का अभियाचना धन बाजार (काल मनी मार्केट) में प्रवेश

*838. **श्री शिवचन्द्र झा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अभियाचना धन बाजार (काल मनी मार्केट) में प्रवेश करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने स्टेट बैंक के इस निर्णय का अनुमोदन कर दिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकारने इस संबंध में दहेजा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग): हाल ही के कुछ वर्षों में, भारतीय स्टेट बैंक से ऋण की माँग उसकी जमा रकमोंमें होने वाली वृद्धि से कहीं अधिक बढ़ती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप उसे अधिक धनराशि के लिये रिजर्व बैंक का सहारा लेना पड़ा है। दूसरी ओर, रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि सहायता के लिए उसे निवेदन करने से पूर्व, उन्हें बैंक-पद्धति में ही उपलब्ध फालतू रकमों का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए। इन परिस्थितियों में, भारतीय स्टेट बैंक ने, उधारदाता और उधारकर्ता दोनों रूपों में, उचित अवसर पर अभियाचना धन बाजार (काल मनी मार्केट) में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। स्टेट बैंक के इस निर्णय को रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

(घ) और (ङ). दहेजा समिति ने अभियाचना धन बाजार के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है।

पर्यटकों संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिये वैज्ञानिक तरीका

*839. **श्री र० बरुआ**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटकों संबंधी नवीनतम जानकारी के एकत्र, संकलन तथा प्रचार हेतु वैज्ञानिक प्रणाली निर्धारित करने के लिये कोई समन्वित कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या समुद्रपारीय आवश्यकतायें पूरी करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जिनका स्वरूप निरन्तर बदलता रहता है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णीसिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) विदेशों में पर्यटन मार्केट की विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिये, भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों के, उनकी संघटना, प्रतिक्रिया एवं व्यय विधि के अध्ययन की दृष्टि से समय समय पर सर्वेक्षण किये जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर, विभाग के प्रचार एवं अभिवृद्धि विषयक अभियानों की भारत आने वाले पर्यटकों के परिवर्तनशील वर्गों की आवश्यकताओं की दृष्टि से समुचित रूप से आयोजना की जाती है।

(ग) भारत के लिये अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले कुछ उपायों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

विदेशी पर्यटकों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:—

1. भारत और विदेशों में उत्कृष्ट पर्यटन साहित्य द्वारा व्यापक प्रचार।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक होटल आवास की व्यवस्था और निजी होटल क्षेत्र को प्रोत्साहन।
3. विदेशों में और प्रोत्साही यूनिटों का खोला जाना और वर्तमान यूनिटों द्वारा प्रचार अभियान को तीव्र किया जाना।
4. चार्टर उड़ानों के परिचालन विषयक नीति का उदारीकरण।
5. कुछ देशों के साथ पारस्परिक आधार पर बीजा-शुल्क की समाप्ति।
6. पश्चिम जर्मनी, युगोस्लाविया और नार्डिक देशों के साथ 90 दिन तक के वास के लिये विजा समाप्ति के संबंध में द्विपक्षीय करार किये गये हैं।
7. अस्थायी लैंडिंग परमिट के आधार पर बिना वीजा के प्रवेश की अवधि 7 दिन से बढ़ा कर 21 दिन करना।
8. विमान क्षेत्रों पर सरलीकरण प्रणाली की सुव्यवस्था।
9. गुलमर्ग, कोवालम और गोवा में इन स्थानों को लक्ष्य बना कर आने वाले यातायात के लिये अवकाशकालीन सैरगाहों का निर्माण।
10. भिखारियों और दलालों जैसे उद्वेगकारी तत्वों के निराकरण के प्रयत्न किये जा रहे हैं।
11. अपने चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों में बहुत सुधार किये जा रहे हैं।
12. देश में सड़क और रेल यातायात के लिये और अधिक उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाओं का प्रबंध।
13. वन्य-जीव पर्यटन का विकास।

14. पर्यटन सुविधाओं के संवर्धन के लिये स्वयं सेवी संगठनों, संस्थानों और निजी क्षेत्र को अनुदान और ऋण देकर सहायता ।

15. जहाँ संभव है वहाँ पर्यटन केन्द्रों पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार ।

16. पुरातात्विक स्मारकों सहित पर्यटन रूचि के स्थलों का और अधिक अनुरक्षण ।

एकाधिकार अधिनियम के अधीन प्रभुत्व प्राप्त उपक्रमों का विस्तार

*840. **श्री हिम्मतसिंह का:** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन एकाधिकार प्राप्त तथा प्रभुत्व पूर्ण समझे जाने वाले अनेक उपक्रमों ने अपने उपक्रमों का विस्तार करने के लिए अनुमति माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो इन फर्मों के क्या नाम है तथा उन्होंने किन किन मदों में विस्तार करने की अनुमति माँगी है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (ग). एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत अत्याधिक विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ, अब तक पन्द्रह प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं । इन प्रार्थना-पत्रों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:--

उपक्रम का नाम	अत्याधिक विस्तार की वस्तु
1–कोमिनू बीनानी जिन्क लि०	कुप्पावन, शुल्वारिक अम्ल, तथा मृज्यातु
2–हिन्दुस्तान मिल्कफूड मैन्यूफैक्चरिंग लि०	हार्लिक्स मैल्टैड मिल्कफूड
3–सेन्ट्रो स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	कागज तथा रासायनिक लुगदी
4–हिन्द कोलाइटनिंग इन्डस्ट्रीज लि०	टैलीविजन रिसीवर्स
5–चौगुले स्टीमशिप लि०	यात्री जहाजों का उपार्जन तथा अधिकाँश कैरियर्स
6–टाटा कैमीकल्स लि०	सोडा एश
7 तथा 8–इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि० (2 प्रार्थना-पत्र)	कटिरिज फ्यूज तथा कैरेमिक फ्यूज बाडोज ।
9–दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरलमिल्स कम्पनी लि०	उरिया
10–फैन्नरकोफिल्ल लि०	औद्योगिक वी-वैल्ट्स तथापंखों के बैल्ट्स
11–बजाज आटो लि०	स्कूटर्स
12–ग्रिन्ड वैल अब्रासिव्स लि०	पेचक चक्र तथा बन्धक ग्रस्त अपघर्षी उत्पादन

उपक्रम का नाम	अत्याधिक विस्तार की वस्तु
13–पोलियोलीफिन्स इन्डस्ट्रीज लि०	एन–ब्यूटैन-1
14-पोलियोली फिन्स इन्डस्ट्रीज लि०	उच्च धनता पोलिओईथोलिन
15-कैमीकल्स एण्ड फिब्रीज आफ इंडिया लि०	पोलिएस्टर स्टेपिल फिब्रो

यह सम्पूर्ण प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल पर बिक्री-कर में कटौती का सुझाव

5167. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल के बिक्री कर में कटौती करने के बारे में राज्य सरकारों को सुझाव दिया है ताकि वे और अधिक सस्ते हो जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान की वित्तीय सहायता

5168. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के तीन जिलों के अकाल पीड़ित लोगों को विशिष्ट ऐच्छिक राहत देने संबंधी योजना का वित्त पोषण करने के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा किये गये वायदे को पूरा न करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार पर राजस्थान सरकार ने आरोप लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो वायदे को पूरा न करने के कारणों सहित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा अब तक अग्रिम रूप से खर्च की गयी कुल राशि कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है कि केन्द्र और राज्य के बीच मतभेद के कारण अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को कष्ट न उठाना पड़े ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ). जैसा कि इस विषय पर 31 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4522 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया था राजस्थान की विशेष मुफ्त राहत योजना पर मई, 1970 तक किये गये व्यय को केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए पहले ही स्वीकार कर लिया गया है । राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में यह अनुरोध किया है कि इस योजना पर जून से सितम्बर, 1970 तक किये गये व्यय को भी राज्य में सूखा संबंधी राहत कार्यों पर किये जाने वाले खर्च के लिए केन्द्रीय सहायता को पात्र मान लिया जाना चाहिए । राज्य सरकार को यह सूचित किया गया है कि एक केन्द्रीय दल वहाँ की स्थिति का तथा चालू वित्तीय

वर्ष में सूखा संबंधी राहत कार्यों को जारी रखने के लिए किये गये खर्च का पुनरीक्षण करेगा जिसमें विशेष मुफ्त राहत योजना पर किये गये खर्चकी रकम भी शामिल है। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में, विशेष मुफ्त राहत योजना पर सितम्बर, 1970तक 9.85 करोड़ रुपया खर्च किया गया था।

अहमदाबाद में चाँदी विक्रेता फर्मों पर छापा

5169. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 24 तथा 25 अक्तूबर 1970 को अहमदाबाद में किन किन चाँदी विक्रेता फर्मों पर छापा मारा गया था;

(ख) क्या ये विक्रेता 500 रुपये प्रति किलोग्राम चाँदी खरीदते हैं और 800 रुपये प्रति किलोग्राम चाँदी बेचते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा 24 तथा 25 अक्तूबर 1970 को अहमदाबाद में कोई छापे नहीं मारे गये थे। परन्तु, 21, 22 तथा 23 अक्तूबर और 7 नवम्बर 1970 को चाँदी का व्यापार करने वाली फर्मों, उनके कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के व्यापार/रिहायशी स्थानों पर छापे मारे गये थे। इन स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

जिन पार्टियों के स्थानों की तलाशी ली गई उनके नाम

क्र. सं.	पार्टी का नाम और पूरा पता	तलाशी लिये गये स्थान	तारीख
1.	श्री अरविन्दभाई छोटा लाल, पारा बाड़ी के खांचा के सामने, दोषीबाड़ा का पोल, अहमदाबाद	रिहायशी स्थान	21-10-70
2.	श्रीचम्पकलाल शाह, दोषी बाड़ा कापोल, तम्बीली का खांचा, कालूपुर, अहमदाबाद	–यथोपरि–	–यथोपरि–
3.	श्री भाईलाल डाह्याभाई, माणेक चौक, अहमदाबाद	व्यापार स्थान	–यथोपरि––
4.	मे० चौकसीभाईलाल डाह्याभाई एण्ड कं०, माणेक चौक, अहमदाबाद।	–यथोपरि–	–यथोपरि–

क्र. सं.	पार्टी का नाम और पूरा पता	तलाशी लिये गये स्थान	तारीख
5.	श्री भाईलाल डाह्याभाई चौकसी, तेमला पोल, धिनका चौकी, अहमदाबाद	रिहायशी स्थान	21-10-70
6.	श्री रामचन्द्र रणछोड़ भाई शाँतीनाथ का पाँडो, घी काँटाँ, अहमदाबाद	—यथोपरि—	—यथोपरि—
7.	श्री सी० पी० कन्सारा, माणेक चौक, अहमदाबाद	व्यापार स्थान	22-10-70
8.	श्री बाबू भाई साँकला चन्द कन्सारा, महाजन बाड़ो, माण्ड्वी पोल, अहमदाबाद	रिहायशी स्थान	22-10-70
9.	श्री बाबूलाल वाम्लीदास ठाकर पनकेदी पोल, नारजुभुण्दर पोल, माणेक चौक, अहमदाबाद	रिहायशी स्थान	23-10-70
10.	श्रीविनोदचन्द्र साराभाई, लुहार पोल, मानेक चौक, अहमदाबाद	—यथोपरि—	—यथोपरि—
11.	श्री रमेशचन्द्र रमणलाल, माणेक चौक, अहमदाबाद	व्यापार स्थान	—यथोपरि—
12.	श्री चम्पकलाल शंकरलाल शाह, दोषी बाड़ापोल, तम्बोली का खांचा, कालूपुर, अहमदाबाद	रिहायशी स्थान	7-11-70
13.	श्री बाबूभाई हरगोविन्द दास पटेल, सारसपुर, नेमनवाड, अहमदाबाद	—यथोपरि—	—यथोपरि—
14.	श्री अरविन्द भाई छोटेलाल शाह, परबडी के सामने, दोषी बाडा का पोल, कालूपुर	—यथोपरि—	—यथोपरि—
15.	श्रीमती बिजलीबाई भोगीलाल, तामला पोल, धिनका चौकी, कालूपुर, अहमदाबाद	—यथोपरि—	—यथोपरि—
16.	श्री जयन्तीलाल बाबलदास शाह, सोनी का पोल, धनसुधार पोल, कालूपुर, अहमदाबाद ।	—यथोपरि—	—यथोपरि—

(ख) ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये व्यापारी 500/— रुपये प्रति किलोग्राम से चाँदी खरीदते हैंऔर उसे 800/— प्रति किलोग्राम से बेचते हैं ।

(ग) छापे केवल तभी मारे जा सकते हैं जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कानून का उल्लंघन हुआ है अथवा उसका प्रयत्न किया गया है ।

गुजरात में एक तस्कर व्यापारी का आलीशान बंगला

5170. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात आदिवासी एंड बैकवार्ड ओफिशियल पेनल के अध्यक्ष ने अपने दक्षिणी गुजरात के तटीय क्षेत्रों केदौरे के दौरान एक कुख्यात तस्कर व्यापारी के शानदार बंगले की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) उक्त अध्यक्ष ने किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दस रुपये के जारी करैन्सीनोटों का पाया जाना

5171. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 6व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको दस रुपये के जारी करैन्सी नोटों को अपने पास रखने तथा उनको वैध नोटों के रूप में प्रयोग करने के सिलसिले में तमिलनाडु में तिरुपुर तथा उदुमलपेट में हाल ही में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तुकुली, कुन्नहुर तथा गोबिचट्टियापालायन में इसी क्रम संख्या के कुछ और जाली नोट पाये गये थे;

(ग) यदि हाँ, तो तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में पुलिस द्वारा बरामद किये गये जाली नोटों का कुल मूल्य कितना है;

(घ) जारी करैन्सी नोट बनाने वाले ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं जिनका गत दो वर्षों के दौरान पता लगाया गया; और

(ङ) जाली करैन्सी समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ङ) जाली करेंसी नोट और बैंक-नोट बनाने के अपराध भारत दंड संहिता के अन्तर्गत आते हैं, जिसमें इनके सम्बन्ध में निवारक दंड दिये जाने की पहले से ही व्यवस्था है । जाली नोट आदि बनाने और जालसाज़ी के अपराधों के बारे में कार्रवाई राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जाती है जो इस संबंध में नजर रखते हैं । जाली नोट आदि बनाने की विभिन्न तकनीकों का रेकार्ड रखकर और जाली भारतीय मुद्रा के बाजार में आने की घटनाओं की समय-समय पर समीक्षा करके, केन्द्रीय जाँच कार्यालय (ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन) जाली भारतीय मुद्रा बनाये जाने की समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है । इस कार्यालय ने, जाली मुद्रा बनाने की गम्भीर अपराधों की जाँच करने और राज्यों

में किये जाने वाले जाँच-कार्य में तालमेल बिठाने के लिये अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा (इकनामिक आफेन्स विंग) में एक 'कक्ष' भी स्थापित किया है ।

बंगलौर-मैसूर रोड पर एक कार से सोने के बिस्कुटों का पकड़ा जाना

5172. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 अक्टूबर 1970 को बंगलौर-मैसूर सड़क पर छठे मील के निकट एक अम्बेसेडर कार से 20 लाख रुपये के मूल्य के सोने के 960 बिस्कुट पकड़े गये थे जिनमें से प्रत्येक बिस्कुट का भार 10 तोला था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सोने की तस्करी करते हुए पकड़े गये व्यक्तियों के नाम तथा उनका व्यवसाय क्या है और उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) बँगलौर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता कार्यालय के अधिकारियों ने बंगलौर-मैसूर रोड के छठे मील पर एक कार को रोका तथा कार की पिछली सीट की दो खोखली जगहों से लगभग 112 किलोग्राम वजन (कुल 9600 तोले) के विदेशी मार्के के सोने के 960 बिस्कुट बरामद किये, जिनका मूल्य भारतीय बाजार दर पर लगभग 20 लाख रुपये तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर लगभग 8.5 लाख रुपये था ।

(ख) श्री कोन्सीकाव फर्नान्डीज जो एक ठेकेदार हैं और जिसकी मद्रास में एक टैक्सी भी चलती है तथा ड्राइवर श्री जी० एम० मुहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें 14 अक्टूबर 1970 को बंगलौर के सिटी मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया । आगे जाँच-पड़ताल होने तक उन्हें मैजिस्ट्रेट ने बाद में जमानत पर रिहा कर दिया ।

नेशनल रेयन कारपोरेशन का उत्पादन

5173. **श्री बसु मतारी**: क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल रेयन कारपोरेशन का 40 से 50 प्रतिशत उत्पादन बाजार भाव से 15 से 20 प्रतिशत कम मूल्यों पर मैसर्स नगीनदास फूलचन्द एण्ड कम्पनी, रमणलाल अमरनाथ एंड कम्पनी और मैसर्स नेशनल आर्ट सिल्क कम्पनी लिमिटेड जिनमें रसिकलाल चिनोए सोध संबधित हैं को बेचा जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख). कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि 1966 के मध्य, कम्पनी द्वारा मै० नेशनल आर्ट सिल्क (प्राइवेट) लिमिटेड को की गई रेयन धागे की बिक्री, कम्पनी द्वारा की गई कुल बिक्री का 1.2 प्रतिशत थी । 1967 से 1969 के मध्य, सभी तीनों पार्टियों को (प्रश्न में निर्देशित) कुल बिक्री 8.3 प्रतिशत से 20.8 प्रतिशत तक थी ।

कम्पनी द्वारा इन फर्मों से प्राप्त की गई दरें, भी वहीं उल्लिखित है, जो अन्य ग्राहकों से वसूल की

गई थी, तथा यह कम्पनी द्वारा एक विशिष्ट बिक्री अवधि के लिए निर्धारित की गई दरों के अनुसार थी। तथापि, निरीक्षण रिपोर्ट में, इन पार्टियों को, अप्रत्यक्ष रूप से दिये गये कुछ मुनाफे निर्दिष्ट किये गये हैं।

निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, कम्पनी ने, इन पार्टियों से समझौता करने से पहले, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 360 के अन्तर्गत एक संकल्प पारित किया था।

Central Government Employees Benefited by Grant of Interim Relie

5174. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total number of Central Government employees benefited by the announcement of the interim relief made by Government?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : The estimated number of Central Government employees in the various pay ranges as on 31st March, 1970 who have benefited by the interim relief is given in Column 2 of Annexure 'D' of Interim Report of the Third Pay Commission, copies of which have already been supplied to the Parliament Library and laid on the Table of both the Houses. Besides, Armed Forces personnel and employees of Union Territories, the total number of civilian employees who have benefited is approximately 26.94 lakhs (as on 31st March 1970).

जिला उदयपुर में तम्बाकू के स्टाक का जब्त किया जाना

5175. **श्री लताफत अली खां :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून 1970 में जिला उदयपुर, तहसील सलुमबर में श्री लालचन्द के पास से लगभग 1900 किलोग्राम तम्बाकू पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ। जिला उदयपुर की सलुमबर तहसील में श्री लालचन्द से 7 जून 1970 को 1857 किलोग्राम तम्बाकू पकड़ा गया था।

(ख) कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अब मामले का न्यायनिर्णय किया जा रहा है।

टिकरी क्लान सीमा तथा रामकृष्ण पुरम के बीच दिल्ली परिवहन की सीधी बस सेवा

5176. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्ण पुरम् नई दिल्ली में कई सरकारी कार्यालय स्थित हैं;

(ख) क्या टिकरी क्लान सीमा और रामकृष्ण पुरम् के बीच दिल्ली परिवहन सीधी बस सेवा चालू करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) दिल्ली परिवहन उपक्रम ने टिकरी सीमान्त से फतेहपुरी तक नियमित सेवाओं की व्यवस्था की हुई है और यात्री उत्तर रेल सामान्य गोदान बस अड्डे, जहाँ से आर० के० पुरम् के लिये नियमित सेवाएं चलती है, पर की बदल-सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं ।

बहादुरगढ़ तथा केन्द्रीय सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन की बसों में मासिक पास

5177. **श्री यमुना प्रसाद मंडल**: क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच चलने वाली दिल्ली परिवहन की बसों में 30 रुपये वाला मासिक पास नहीं चलता है और टिकरी क्लान, ज्यारा, मुन्डका तथा नांगलोई से केन्द्रीय सचिवालय तक का किराया इतना अधिक है कि वह अल्प आय वाले सरकारी कर्मचारियों की पहुँच से बाहर है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में दिल्ली परिवहन प्राधिकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा जारी किये गये सर्व-रास्ता मासिक रियायती टिकट दिल्ली संघशासित क्षेत्र में उपक्रम की सभी सेवाओं के लिए वैध है और वे अन्तर्राज्यीय सेवाओं, जिनमें बहादुरगढ़-केन्द्रीय सचिवालय रास्ता भी शामिल है, के लिये वैध नहीं है ।

टिकरी क्लान, ज्यारा, मुन्डका और नांगलोई से केन्द्रीय सचिवालय का किराया दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली, द्वारा इस बारे में निश्चित अनुसूची के आधार पर लिया जाता है ।

(ख) दिल्ली-परिवहन उपक्रम ने टिकरी सीमान्त से फतेहपुरी तक नियमित सेवाओं की व्यवस्था की हुई है और यात्री उत्तर रेल सामान्य गोदान जंखीरा, और सब्जी मंडी बस अड्डों पर की बदल सुविधाओं, जहाँ से केन्द्रीय सचिवालय पहुँचने के लिये पर्याप्त सेवाएँ हैं, का उपयोग कर सकते हैं ।

एकाधिकार आयोग द्वारा औद्योगिक लायसेंसों की स्वीकृति

5178. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार गृह से प्राप्त औद्योगिक लायसेंसों के लिए समस्त आवेदन-पत्रों पर एकाधिकार आयोग की अनुमति आवश्यक है;

(ख) क्या मेसर्स किर्लोस्कर ने सितम्बर, 1970 के प्रथम सप्ताह में 'मोनोपोलिज एन्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, 1969' के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र दिया था;

(ग) क्या उक्त आवेदन-पत्र को एकाधिकार आयोग के पास भेज दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) से (घ). मे० किर्लोस्कर ट्रेक्टर्स लिमिटेड ने, ट्रैक्टरों के निर्माणार्थ, एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिये, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये, एक प्रार्थना-पत्र दिया। उन उपक्रमों, जिन्होंने एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के 1-6-70 से प्रारंभ होने से पहले, पग उठा लिये थे, के बारे में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के लागूकरण की बाबत कानूनी स्थिति, तथा इस विषय से संबंधित कारकों पर ध्यान देने के पश्चात् विभाग ने इस विशिष्ट मामलों में, यह विचार किया था कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत अनुमोदन आवश्यक नहीं है। तदनुसार कम्पनी को यह सूचना दे दी गई है।

मेसर्स किर्लोस्कर की ओर से औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र

5179. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेसर्स किर्लोस्कर की ओर से ट्रैक्टरों के निर्माण हेतु औद्योगिक लायसेंस के लिये दिये गये आवेदन-पत्र को उसकी प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर एकाधिकार आयोग को भेजना होता है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे समाचारों की जानकारी है कि यदि मेसर्स किर्लोस्कर के आवेदन-पत्र को 90 दिनों के भीतर एकाधिकार आयोग को नहीं भेजा जाता है तो मेसर्स किर्लोस्कर को ट्रैक्टरों के निर्माण हेतु औद्योगिक लायसेंसों के लिये स्वतः ही स्वीकृति मिल जायेगी, और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी). (क) से (ग): मे० किर्लोस्कर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने, ट्रैक्टरों के निर्माणार्थ एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिये, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये, एक प्रार्थना-पत्र दिया। उन उपक्रमों, जिन्होंने एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के 1-6-70 से प्रारंभ होने से पहले, पग उठा लिये थे, के बारे में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के लागूकरण को बाबत कानूनी स्थिति, तथा इस विषय से संबंधित कारकों पर ध्यान देने के पश्चात्, विभाग ने इस विशिष्ट मामले में, यह विचार किया था कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत अनुमोदन आवश्यक नहीं हैं। तदनुसार कम्पनी को यह सूचना दे दी गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठने के लिये पंजीकरण

5180. **श्री हुचेग ौडा:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने एम० ए० परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थ कि रूप में बैठने के लिये पंजीकरण पर कुछ प्रतिबंध लगाये हैं;

(ख) उक्त पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिये बी० ए० परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपेक्षित हैं;

(ग) एम० ए० परीक्षा में बैठने हेतु पंजीकरण के लिये अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता (बी० ए० में प्राप्त किये गये) के सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के क्या कारण हैं जबकि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करने के पश्चात् बी० ए० परीक्षा में बैठने हेतु पंजीकरण करने के सम्बन्ध में ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रतिबंधों को दूर करने का है; यदि हाँ, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा०व ी०के० ग्रार०वी० राव): (क) एम० ए० पाठ्यक्रमों के लिए बाहरी प्रत्याशियों का पंजीकरण केवल उन्हीं प्रत्याशियों के लिये खुला है जिन्होंने दिल्ली विश्व-विद्यालय से कोई डिग्री परीक्षा पास की हो, अथवा कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा आयोजित की गई इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा पास की हो, जो उसी क्षेत्र की सीमाओं में स्थित हो जहाँ तक विश्वविद्यालय की शक्तियों का विस्तार हो सकता है ।

(ख) बाहरी छात्रों के लिए एम० ए० परीक्षा में पंजीकरण हेतु अर्हता प्राप्ति परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों सहित पात्रता की न्यूनतम शर्तें नहीं हैं जो कि कालेजों में दाखिल नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं । ये शर्तें विश्वविद्यालय की सूचना पुस्तिका में दी जाती हैं, जिनकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) विश्वविद्यालय के अनुसार, मास्टर डिग्री का पाठ्यक्रम एक विशिष्ट पाठ्यक्रम है तथा उत्तम शैक्षिक हितों की दृष्टि से तथा स्तर बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि बाहरी प्रत्याशियों के पंजीकरण की पात्रता के लिए न्यूनतम शर्तें वही रहें जो कि नियमित विद्यार्थियों के लिए हैं ।

(घ) और (ङ). विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी निकाय है तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के लिये दाखिले के नियम बनाने में पूर्णतया सक्षम है । अतः, सरकार द्वारा हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता ।

सफदरजंग हवाई ग्रड्डे के निकट डकोटा विमान की दुर्घटना

5181. **श्री क० मि० मधुकर:** क्या **पर्यटन तथा ग्रसैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5दिसम्बर, 1970 को सफदरगंज हवाई अड्डे के निकट डकोटा दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को तथा घायल हुए व्यक्तियों को सरकार ने कितना मुआवजा दिया; और

(ख) क्या यह सच है कि हवाई पटरी की दूरी कम होने के कारण दो इंजनों के पूरी तरह गर्म न हो सकने के कारण दुर्घटना हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) 'इंडियन कैरेज बाइ एयर एक्ट 1934' के ऐसी सेवा पर, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय नहीं है, विमान द्वारा वहन के बारे में लागू होने से संबंधित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1967, दिनाँक 17-12-1963 के अनुसार, बामेयर कम्पनी को, जिसने कि उक्त उड़ान परिचालित की थी, निम्न प्रकार से मुआवजा देना होगा:—

(1) किसी यात्री की मृत्यु होने अथवा उसे कोई शारीरिक आघात अथवा जख्म पहुँचने की अवस्था में, जिसके कि परिणामस्वरूप वह स्थायी तौर पर इस तरह से अंगहीन हो जाता है कि अपना सामान्य धंधा अथवा व्यवसाय चलाने या उसमें व्यापत होने में असमर्थ हो जाता है, और यदि दुर्घटना की तारीख को वह 12 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु का है तो उसे मुआवजे के तौर पर 42,000 रुपये, और यदि इससे कम आयु का है तो उसे 21,000 रुपये, दिये जायेंगे ।

(2) किसी यात्री के जख्मी हो जाने अथवा कोई अन्य शारीरिक चोट पहुँचने की अवस्था में, जिसके कि परिणामस्वरूप वह जख्मी यात्री अस्थायी तौर पर अपना धन्धा अथवा व्यवसाय अथवा कार्य करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे प्रत्येक यात्री के लिये वाहक (कैरियर) की देयता इस प्रकार से सीमित होगी कि वह प्रत्येक यात्री को उसके विकलाँग रहने की अवधि में 40।- रुपये प्रतिदिन की दर से अथवा कुल आठ हज़ार रुपये, जो भी कम हो, देगा ।

(ख) दुर्घटना की जाँच करने के लिये सरकार ने नागर विमानन के सेवा-निवृत महानिदेशक श्री आर० एन० काटजू की अध्यक्षता में एक जाँच-समिति नियुक्त की है । जाँच कार्य अभी हो रहा है ।

जीवन बीमा निगम के शताब्दी समारोह पर किया गया व्यय

5182. **श्री क० मि० मधुकर**:
श्री शशि भूषण:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत में जीवन बीमा व्यवसाय की शताब्दी मनाने के लिए हाल में एक शताब्दी समारोह का आयोजन किया;

(ख) यदि हाँ, तो समारोह पर कितना व्यय किया गया और समारोह में कुल कितने तथा किन किन श्रेणियों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के एजेंटों को उक्त समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था जो कि बीमा उद्योग का मुख्य आधार हैं; और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी भी समारोह में सम्मिलित नहीं हुए थे क्योंकि उनकी कुछ माँगें थीं; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनकी माँगे क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, हाँ ।

(ख) (i) भारत भर में समारोहों पर किये गये व्यय के लगभग 3 लाख रुपये होने की संभावना है, जिनमें संस्मरण-ग्रन्थ तथा स्मारिका के प्रकाशन का व्यय भी शामिल है ।

(ii) समारोहों का आयोजन 47 केन्द्रों में किया गया था और कुल मिलाकर लगभग 3500 निमंत्रण-पत्र जारी किये गये थे । आमंत्रित व्यक्तियों में कर्मचारी, एजेन्ट, संसद सदस्य, गणमान्य व्यक्ति तथा सरकारी अधिकारी शामिल थे ।

(ग) जी, नहीं । एजेंटों को आमंत्रित किया गया था और वास्तव में प्रत्येक केन्द्र में सबसे पुराने एजेंट को विशेष रूप से सम्मानित किया गया था ।

(घ) तथा (ङ). जी, नहीं । जीवन बीमा निगम के कर्मचारी समारोह में अवश्य सम्मिलित हुए थे । उन्होंने शताब्दी-बोनस की माँग की थी, जो उन्हें मंजूर नहीं किया गया ।

दिल्ली की मेदगंज स्थित मेसर्स भुज्जनमल कुन्दनलाल फर्म द्वारा आय-कर का अपवंचन

5183. **श्री शशि भूषण**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1964 में आयकर विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली की मेदगंज स्थित मेसर्स भुज्जनमल कुन्दनलाल नामक फर्म पर छापा मारा था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त छापे के पश्चात् मेसर्स भुज्जनमल कुन्दनलाल को आय-कर के अपवंचन के अपराध में दोषी ठहराया गया था;

(ग) यदि हाँ तो इसमें कितनी राशि सम्मिलित थी और इस फर्म के विरुद्ध मामले को अंतिम रूप कब दिया गया था और आय-कर की कितनी बकाया राशि वसूल की गई थी; और

(घ) क्या उस फर्म पर आय-कर की कोई राशि अब भी बकाया है और यदि हाँ, तो कितनी राशि है और इसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). जी, हाँ ।

(ग) जब पकड़ी गई सामग्री की छानबीन की जा रही थी तथा पूछताछ चल रही थी, तब कर-निर्धारिती फर्म 35,000 रुपये की छिपाई गई आयपर अपना कर-निर्धारण करने के लिये सहमत हो गई। इसके कारण, 17894 रुपये का अतिरिक्त कर वसूल किया गया । सितम्बर 1967 में मामले को अंतिम रूप दिया गया ।

(घ) जी, नहीं ।

गोल्डन तम्बाकू कंपनी द्वारा सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास की स्थापना

5184. **श्री नि० रं० लास्कर:**
श्री जी० वेंकटास्वामी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन तम्बाकू कम्पनी ने अपने लाभों में से एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास स्थापित किया है;

(ख) क्या उक्त न्यास का नियंत्रण वही प्रबंधक करते हैं जो उक्त कम्पनी के भी प्रबंधक हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि किसी भी तरीके से इस न्यास की निधियाँ अनधिकृत रूप से उक्त कंपनी को न जाने पायें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) गोल्डन टोबैको कंपनी के शेयरधारियों ने दान देकर एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास का गठन किया है तथा उपर्युक्त कम्पनी भी समय-समय पर न्यास को दान देती रही है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) आयकर अधिनियम की धारा 13 में आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था है।

मैसूर राज्य में कोलार स्थित स्कूल आफ माइन्स के प्रिंसिपल की नियुक्ति

5185. **श्री जे० एच० पटेल:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निरनुमोदन के बावजूद मैसूर में कोलार क्षेत्र में स्कूल आफ माइन्स में एक अयोग्य व्यक्ति को प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया है; और

(ख) क्या उक्त मामले में केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). राज्य सरकार ने एक भूवैज्ञानी को कोलार माईनिंग स्कूल का प्रिन्सीपल नियुक्त किया था। केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की यह सिफारिश राज्य सरकार को सूचित कर दी थी कि माईनिंग स्कूल के प्रिंसिपल को अर्हताप्राप्त खनन इंजीनियर होना चाहिए।

राज्य सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार मैसूर सरकार शिक्षा विभाग सेवाएँ (तकनीकी शिक्षा) (विशेष भर्ती) नियम, 1967 के अन्तर्गत रिटयाचिका इस व्यक्ति की नियुक्ति के विरुद्ध मैसूर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील सर्वोच्च न्यायालय के पास अनिर्णीत पड़ी है। अतः यह मामला न्यायाधीन है।

"भारतीय संस्कृति और साहित्य" नामक पुस्तक में हरिजनों के विरुद्ध घृणास्पद टिप्पणियाँ

5186. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने श्री मोहनलाल शर्मा को उनकी पुस्तक "भारतीय संस्कृति और साहित्य" (इंडियन कल्चर एण्ड लिटरेचर) के लिए डाक्टरेट की उपाधि प्रदान की है;

(ख) क्या इस पुस्तक में हरिजनों के प्रति कुछ घृणास्पद टिप्पणियाँ की गई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी पुस्तकों का परिचालन समाज तथा देश के हित में समझती है और यदि नहीं, तो इस पुस्तक के लेखक तथा प्रकाशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग का ध्यान कई बार इस ओर दिलाया गया है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार श्री मोहनलाल जगन्नाथ शर्मा को 1958 में विश्वविद्यालय की पी० एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई थी और उनके शेष प्रबन्ध का शीर्षक "माघ-उनका जीवन और कृत्तियाँ" था न कि "भारतीय संस्कृति और साहित्य" ।

(ख) से (घ). "भारतीय संस्कृति और साहित्य" पुस्तक विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय के समाज कल्याण विभाग की नजर में आई है। इसमें शास्त्रों के आधार पर जाति-प्रणाली और अस्पृश्यता के पक्ष में कुछ तर्क वितर्क निहित है । इस प्रश्न पर कि क्या अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को इस प्रकार के तर्क-वितर्क को उसके क्षेत्र में लाने के लिये संशोधित किया जा सकता है, उस विभाग द्वारा जाँच की जा रही है ।

मेसर्स पोद्दार इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ओनर्स द्वारा आय-कर के भुगतान में की गई अनियमितताएं

5187. **श्री क० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स पोद्दार इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ओनर्स भिन्न-भिन्न नामों से अपना यातायात व्यापार कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पोद्दार के स्वामित्व की ऐसी यातायात कंपनियाँ उनकी वित्तीय पूँजी सहित कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस फर्म ने आय-कर न देने के लिये बहुत सी अनियमितताएं की हैं और भिन्न-भिन्न नामों से अपनी कंपनियाँ चला रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस बीच इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). जी, हाँ। पोद्दार समूह निम्नलिखित नामों से संचालित परिवहन कारोबार से संबद्ध है:--

क्र०सं०	कंपनी का नाम	नियोजित पूँजी
1.	मेसर्स तुंगभद्रा एण्टरप्राइजेज़।	1,24,269
2.	मेसर्स मैसूर ट्रांसपोर्ट एंड मशीनरी कम्पनी।	1,77,418
3.	मेसर्स जय भारत एण्टरप्राइजेज़।	3,80,256
4.	मेसर्स पेनिनसुलर सिण्डीकेट।	70,686

प्रत्येक कारोबार में नियोजित पूँजी भी ऊपर बताई गई है।

(ग) तथा (घ). सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उपर्युक्त फर्मों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई है। इसलिए कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिरक्षा सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना

5188. **श्री अब्दुल गनी डार**: क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेफा सीमा सड़क, गोरखपुर-आसाम सड़क, आसाम-पाकिस्तान सड़क, पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमा सड़क, कच्छ क्षेत्र सीमा सड़क, राजस्थान बहावलपुर तथा सिंध सड़क और भारत-नेपाल सीमा सड़क का निर्माण कार्य पूरा करवा लिया है, और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक सड़क की लम्बाई कितनी है ?

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इक्बाल सिंह): (क) और (ख). सिवाय गोरखपुर-आसाम मार्ग जिससे सदस्य संभवतया उत्तर प्रदेश में बरेली से असम में अमीनगाँव पार्श्व सड़क का उल्लेख कर रहे हैं, जिन सड़कों के लिए सूचना माँगी गई है उनको ठीक तौर से पहचानना संभव नहीं है। गोरखपुर से अमीनगाँव तक की सड़क की लम्बाई 748 मील है।

Memorial in Memory of First President of India, Dr. Rajendra Prasad

5189. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) Whether Government propose to raise a memorial in memory of the first President of India, the late Dr. Rajendra Prasad, as has been done in the case of the late President Dr. Zakir Husain;

(b) if so, the nature thereof; and the expenditure Government propose to incur on it; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). No proposal/suggestion for construction of a memorial for late Dr. Rajendra Prasad has been received. Dr. Zakir Husain was the first Indian Head of State to pass away in office and as such on the recommendations of a national committee known as Zakir Husain Memorial Committee, it was decided to construct a suitable memorial on his grave site.

Scale of Hindi Assistants Vis-a-Vis English Assistants

5190. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether he is aware of the recommendation made by the Hindi Adviser to the Government of India to the effect that the pay scales of Hindi Assistants should be higher than that of English Assistants as translation work is more difficult in comparison to the work done by other Assistants of the Secretariat and the qualifications required for the post of Hindi Assistant are also higher than those required for the post of Assistant;

(b) if so, whether it is proposed to raise the pay scale of Hindi Assistants working in various Ministries and Departments of the Government of India from Rs. 210-530 to Rs. 320-530; and

(c) if so, the date from which their scales would be revised and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. No such recommendation appears to have been made by the Hindi Adviser to the Government of India.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में वार्षिक परीक्षाओं के लिए पुलिस का संरक्षण

5191. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:**
श्री सरदार अमजद अली:

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में विद्यमान वातावरण जो कि हिंसा से भरा हुआ है के फलस्वरूप स्कूल प्राधिकारियों ने शंकायें व्यक्त की है कि राज्य में दिसम्बर में होने वाले वार्षिक परीक्षायें खतरे में पड़ सकती हैं;

(ख) क्या सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं को पुलिस संरक्षण तथा सहायता का कोई आश्वासन दिया है ताकि समाजविरोधी तत्वों द्वारा परीक्षाओंमें विघ्न न डाला जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : (क)से (ख). शिक्षा संस्थाओं के प्रति तथाकथित धमकियोंको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारने, राज्य में वार्षिक परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए, आवश्यक कदम उठा लिए हैं।शिक्षा संस्थाओं को पुलिस के संरक्षण की व्यवस्था करने के साथ साथअभिभावकों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को सहायताभी प्राप्त कर ली गई है।

प्राईवेट शिक्षा संस्थाओं में परीक्षणों के लिए व्यवस्था करने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए केरल विधान सभा द्वारा पारित संकल्प

5192. **श्री अ० कु० गोपालन:**
श्री मुहम्मद शरीफ:

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल विधान सभा ने संविधान में संशोधन करने की माँग करते हुए एक संकल्प पारित किया है जिससे कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों के हितों की रक्षा करने में अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों को दूर किया जाये;

(ख) क्या भारत सरकार को उस संकल्प की प्रति प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हाँ तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) मामला विचाराधीन है।

विदेशों में कार्य कर रही भारतीय बैंकों की शाखाएँ

5193. **श्री जी० वाई० कृष्णन्:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में कार्य कर रही राष्ट्रीयकृत तथा प्राईवेट बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है और जिन देशों में यह शाखायें कार्य कर रही हैं उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन बैंकों की वर्ष 1969-70 की आस्तियों तथा दायित्वों का या/ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). दो विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं।

विवरण–I

पाकिस्तान को छोड़कर विदेशों में काम कर रही, भारतीय बैंकों की शाखाओं की संख्या का विवरण:–

बैंक का नाम	देश	शाखाओं की संख्या
1. भारतीय स्टेट बैंक	श्री लंका	1
	ब्रिटेन	1
		2
2. सेण्ट्रल बैंक आफ इन्डिया	ब्रिटेन	1
		1

बैंक का नाम	देश	शाखाओं की संख्या
3. बैंक आफ इण्डिया	जापान	2
	ब्रिटेन	5
	केनिया	3
	यूगांडा	2
	हांगकांग	1
	नाइजीरिया	1
	सिंगापुर	1
		15
4. बैंक आफबड़ौदा	फिजी द्वीप समूह	5
	गियाना	2
	केनिया	7
	मौरिशस	3 एक चलते फिरते कार्यालय
	यूगाँडा	3
	ब्रिटेन	3
		23
6. इण्डियन बैंक	श्री लंका	1
	मलयेशिया	3
	सिंगापुर	1
		5
7. इण्डियन ओवरसीज बैंक	थाइलैंड	1
	श्री लंका	1
	हांगकांग	1
	मलयेशिया	5
	सिंगापुर	1
		9
	जोड़	64

टिप्पणी 1. नाइजीरिया और यूगांडा में बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं को क्रमशः 18 नवम्बर, 1968 और 1 नवम्बर, 1969 से सहायक कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। बैंक आफ बड़ौदा की यूगांडा स्थित शाखाओं को 1 नवम्बर, 1969 से सहायक कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।

2. भारतीय स्टेट बैंक का न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) और फैंकफर्ट (पश्चिम जर्मनी) में से एक प्रतिनिधि कार्यालय है।

3. बैंक आफ बड़ौदा को लबासा (फिजी द्वीप समूह) में एक शाखा खोलने का लाइसेंस दिया जा रहा है।

विवरण–II

दिसम्बर, 1969 और जून, 1970 के अन्त में पाकिस्तान को छोड़ कर विदेशों में स्थित, भारतीय बैंकों की शाखाओं की आस्तियों और दायित्वों का विवरण ।

26 दिसम्बर, 1969 की स्थिति

(लाख रुपयों में)

दायित्व		आस्तियाँ	
माँग जमा	7935.56	रोकड़ बाकी	258.72
सावधि जमा	9311.41	बैंकों के पास शेष	2164. 15
अन्य बैंकों को देय	522.53	माँगने और थोड़े नोटिस	
शाखा समायोजन	1046.75	पर मिलने वाली राशि	2236.92
अन्य दायित्व	4102.40	खरीदी और भुनायी गयी हुण्डियाँ	4108.91
चुकता पूँजी	367.50	निवेश	
प्रारक्षितनिधि	8. 19	विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों	3228.25
		में अन्य निवेश	1148.11
		ऋण-अग्रिम नकद उधार	
		ओवर-ड्राफ्ट	5641. 78
		(बैंकों को छोड़कर)	
		बैंकों से प्राप्य	193.99
		शाखा समायोजन	488.60
		पूँजीकृत व्यय	43.83
		अन्य आस्तियाँ	3781.08
	23294.34		23294.34

26 जून, 1970 की स्थिति

(लाख रुपयों में)

दायित्व		आस्तियाँ	
माँग जमा	8006.06	रोकड़ बाकी	230.58
सावधि जमा	9593.90	बैंकों के पास शेष	2601.26
अन्य बैंकों को देय	361.93	आँगने और थोड़े नोटिस पर मिलने	
शाखा समायोजन	1222.02	वाली राशि	2114.18
चुकता पूँजी	367.50	खरीदी और भुनायी गयी हुंडियाँ	3547.77

दायित्व		आस्तियाँ	
प्रारक्षित निधि	13.46	निवेश:	
अन्य दायित्व	3811.31	विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों में	2893.76
		अन्य निवेश	1203.63
		ऋण-अग्रिम नकद उधार ओवर ड्राफ्ट (बैंकों को छोड़कर)	6391.40
		बैंकों से प्राप्य	266.49
		शाखा समायोजन	374.25
		पंजीकृत व्यय	15.05
		अन्य अस्तियाँ	3737.81
जोड़	23376.18		23376.18

धार्मिक स्थानों की यात्रा पर जाने के इच्छुक मुसलमानों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

5194. **श्री अब्दुल गनी डार:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद के अनेक मुसलमानों ने ईरान, ईराक और साउदी अरब में स्थित धार्मिक स्थानों में ज्यारत के लिये जाने की इच्छा से विदेशी-मुद्रा के आवंटन की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनकी माँग को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रा (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) हज/ज़िआरत के लिये पहले से ही एक कोटा निर्धारित है जिसमें से धन का आवंटन राष्ट्रीय आधार पर किया जाता है; और अतिरिक्त एवं तदर्थ प्रस्तावों को मंजूरी देना आवश्यक नहीं समझा गया ।

निर्यात-आयात बैंक के विस्तार के बारे में अमरीकी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक के निदेशक का वक्तव्य

5195. **श्री देविन्दरसिंह गार्चा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई में 4 नवम्बर, 1970 को इन्डो-अमरीकन चैम्बर आफ कामर्स को संबोधित करते हुए अमरीका निर्यात-आयात बैंक के एक निदेशक श्री जानसी-क्लार्क द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि निर्यात-आयात बैंक आगामी वर्षों में अपने कार्य में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस वक्तव्य के क्या आशय हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने यह सुझाव दिया था कि भारत को निर्यात संवर्द्धन के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए अमरीका आयात-निर्यात बैंक के समान ही एक निर्यात-आयात बैंक स्थापित करना चाहिए; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हाँ ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक के कामकाज का विस्तार हो जाने से, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रायोजनाओं और विभिन्न प्रकार के पूंजीगत माल के आयात के लिये इस संगठन से मिलने वाले ऋणों का अधिक मात्रा में उपयोग कर सकेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Payment of Income Tax by the Officers of M/s Permanent Magnet Limited, Bombay

5196. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) Whether the founder, the Managing Director and other officers of M/s Permanent Magnet Ltd., Bombay have paid any Income-tax during the last three years;

(b) if so, the amount of incom-tax paid by each of them during the last three years year-wise;

(c) whether it is also a fact that some amount of income tax is still outstanding against some of the officers; and

(d) if so, the action taken so far against them?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The requisite information is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

चौधरी खली कुजमन द्वारा अपनी पुस्तक 'पाथवेजटु पाकिस्तान' में की गई टिप्पणियाँ

5197. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के एक वास्तुशिल्पी श्री एच० ख लीकुजमन द्वारा अपनी पुस्तक 'पाथवेज टु पाकिस्तान' में की गई इन टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के निर्माण का श्रेय वास्तव में श्री जिन्नाह को नहीं अपितु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में माननीय सदस्य द्वारा मुझे लिखे गए एक पत्र में चौधरी खलीकुजमन की पुस्तक 'पाथवेज टु पाकिस्तान' का उल्लेख किया गया है, किन्तु पुस्तक का अवलोकन उक्त टिप्पणी की पुष्टि नहीं करता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय कंपनियों द्वारा धोखा धड़ी की कार्यवाहियाँ

5198. **श्री श्रीचन्द गोयल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन सरकारी एजेन्सियों ने उन वित्तीय कम्पनियों पर रोक लगाई है जिन्होंने दिल्ली तथा बम्बई में धोखा-धड़ी की कार्यवाहियाँ की हैं ।

(ख) उक्त एजेन्सियों ने गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों तथा इनके संयोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इन कम्पनियों की धोखा-धड़ी तथा कदाचारों से निबटने के लिये वर्तमान कानन पर्याप्त हैं, और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कानून में संशोधन करने का है; और

(घ) कुछ वर्षों से परिस्थापनाधीन ग्लोब फाइनेन्स तथा निरूला फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में अदायगी सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). रिजर्व बैंक द्वारा कम्पनियों से प्राप्त तुलन-पत्रों और विवरणियों की जाँच-पड़ताल किये जाने के अलावा, कुछ सालों में निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ आवश्यक हो कार्यवाही की गई है जिसमें कम्पनी का समापन कर दिया जाना भी शामिल है ।

(ग) जी नहीं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में बैंकिंग आयोग साथ लिखा-पढ़ी की गई है और आगे की कार्यवही आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की जायगी ।

(घ) जहाँ तक ग्लोब फाइनेन्शियर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिस्थापनाधीन) का सम्बन्ध है, उसके विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में आपराधिक अभ्यर्पण विचाराधीन है । निरुला फाइनेन्शियर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिस्थापनाधीन) के ऋणदाताओं और जमाकर्ताओं से कहा गया है कि वे अपने अपने दावे पेश करें और उन दावों की जाँच-पड़ताल पूर्ण हो जाने पर अधिकृत परिचायक द्वारा उच्च न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायगी ।

विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग

5199. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्टूबर, 1970 के 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' में 'एड फ्लोज इन रोंग चैनल' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री, गोर्डन ग्रीव ने, जिन्हें सहायता कार्यक्रम की जाँच करने के लिये कहा गया था अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भारत को दी गई विदेशी सहायता का 82 प्रतिशत भाग निर्धनों तक नहीं पहुंचा है; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना काल के दौरान भारत द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता के उपयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग). सरकार को, न्यूजीलैंड के भूतपूर्व संसद सदस्य श्री गार्डन ग्रीव द्वारा वहाँ की एक स्थानीय समिति के समक्ष दिये गये वक्तव्य के बारे में छपे समाचार की जानकारी है। पर यह पता चला है कि इन समाचारों के बारे में न्यूजीलैंड की सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उसमें कहा गया है कि न्यूजीलैंड की सरकार से मिलने वाली सहायता का उन उपयोगी प्रायोजनाओं के लिए कारगर ढंग से उपयोग किया गया है जिनसे भारत के आर्थिक और सामजिक विकास में सहायता मिली है ।

तीसरी आयोजना के अन्त तक काम में लाई गई कुल सहायता में से, 12 प्रतिशत परिवहन और संचार के लिए, 7 प्रतिशत बिजली के लिए, 33 प्रतिशत औद्योगिक विकास के लिए, 31 प्रतिशत खाद्य के लिए, 9 प्रतिशत विविध कार्यों में काम आने वाली वस्तुओं के लिए, 3 प्रतिशत कृषि तथा 5 प्रतिशत अन्य प्रयोजनों के लिये दी गई थी । भारत को न्यूजीलैंड से जो सहायता मिलती है वह मुख्यतः डेरी-विकास और विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के खर्च को पूरा करने के लिए होती है ।

आयात के अधिक बीजक तथा कम-बीजक बनाने, आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने के बारे में समिति

5200. **श्री शंकरराव माने**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात संबंधी अधिक-बीजक तथा कम बीजक-बनाने और आयात लायसेंसों का दुरुपयोग करने के बारे में अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रतिवेदन में क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) तथा (ख). अध्ययन दल ने अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है और शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ।

बादशाह खां को भेंट की गई थैली

5201. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बादशाह खां को हाल ही की भारत यात्रा के समय कितना धन दिया गया और कितना धन उन्हें भारत से वापिस जाने के बाद भेजा गया;

(ख) क्या यह सच है कि यह धन विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर) के रूप में भेजा गया;

(ग) साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए या भारतीय लोगों के कल्याण के लिए बादशाह खां ने कितना धन भारत को वापिस भेजा;

(घ) रिजर्व बैंक ने किन विनियमों के अन्तर्गत उन्हें यह धन विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर) में देश से बाहर ले जाने की अनुमति दी थी;

(ङ) उनके बाद जिन व्यक्तियों ने आवेदन पर हस्ताक्षर किये उनके नाम तथा पते क्या हैं; और

(च) क्या यह भी सच है कि बादशाह खां के 30 बक्से भी उनके साथ काबुल भेजे गए थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) बादशाह खां को उनके प्रस्थान के समय लगभग 30 लाख रुपया ले जाने की अनुमति दी गई थी और बाद में लगभग 6 लाख रुपया और भेजे जाने की अनुमति दी गई थी ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) इसमें से किसी रकम के भारत में प्राप्त होने की सूचना नहीं है ।

(घ) यह अनुमति विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की गई थी ।

(ङ) सरहद गाँधी सालगिरह समिति/गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान ने प्रेषण की सुविधाएँ दिये जाने का अनुरोध किया था ।

(च) जी, नहीं ।

उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

5202. **श्री कंवरलाल गुप्त**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यम श्रेणी के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनकी कीमतों में नवम्बर के प्रथम तथा द्वितीय सप्ताह में वृद्धि हुई थी;

(ख) कीमतें पहले क्या थीं और उक्त अवधि में उनमें कितनी वृद्धि हुई;

(ग) सरकार का विचार ऐसी वस्तुओं की कीमतों पर रोक लगाने के बारे में कौन से विशिष्ट उपाय करने का है जिनका उपयोग आम लोगों द्वारा किया जाता है; और

(घ) सरकार का विचार उनके लिए समुचित दरों पर जीवन की आवश्यकतायें सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). उन कई वस्तुओं से सम्बन्धित जानकारी, जिनके बारे में आँकड़े उपलब्ध हैं, संलग्न है ।

(ग) और (घ). अन्न और उपभोग की अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा, सरकार भौतिक उपायों और मुद्रा एवं राजस्व विषयक नीतियों के जरिए मूल्यों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करती है । राशन/उचित मूल्य की दुकानों के जरिए समाज

के कमजोर वर्गों को निर्धारित मूल्यों पर मुख्य अनाजों का संभरण किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मूल्यों और वितरण सम्बन्धी नियंत्रण लागू किये जाते हैं। असैनिक पूर्ति संगठन 20 अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलब्धि पर विशेष रूप से नजर रखता है और उनकी तंगी को दूर करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाता है। वित्तीय सहायता और अन्य प्रकार की सहायता देकर, उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी ऋण-नीति में उपयुक्त परिवर्तन करता है ताकि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को रोका जा सके।

विवरण

चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचक अंक

(आधार 1961-62—100)

वस्तु	निम्नलिखित तारीखों को समाप्त सप्ताहों के सूचक अंक		प्रतिशत वृद्धि
	31-10-70	14-11-70	
गेहूँ	203.8	207.3	1.7
मूंग	212.0	217.1	2.4
मसूर	224.8	227.4	1.2
उड़द	216.6	225.7	4.2
आलू	247.1	250.3	1.3
संतरा	117.4	124.5	6.0
केला	174.0	175.6	0.9
घी (खलिस)	203.8	204.9	0.5
अण्डे	166.3	175.7	5.7
माँस	188.1	190.5	1.3
संसाधित खाद्य पदार्थ	161.4	165.8	2.7
तम्बाकू से बनी चीजें	212.1	218.9	3.2

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दरें

5203. **श्री प० मु० सईद :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री बूटा सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन दर 3/8 से बढ़ाकर उनके वेतन का 3/7 भाग कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब किया गया था; यह निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का अन्तरिम सहायता के मामले की तरह ही पेंशन दरों को भी तत्काल बढ़ाने के संबंध में कोई अन्तरिम आदेश जारी करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । तीसरे वेतन आयोग द्वारा अन्तरिम राहत के संबंध में दी गई रिपोर्ट में पेंशन के मामले में किसी ऐसी राहत की सिफारिश नहीं की गई है ।

Non-Payment of Outstanding Amount by Pakistan

5204. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Pakistan owed Rs 300 crores to India at the time of partition of the country;

(b) whether an agreement was arrived at between India and Pakistan wherein Pakistan had agreed to pay the said amount in instalments;

(c) whether Pakistan has not paid the said amount so far;

(d) if so, whether Government propose to raise this issue in the United Nations Organisation; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Under an agreement reached in December 1947, Pakistan's partition debt to India is repayable in 50 annual equated instalments of principal and interest commencing from 15th August, 1952. The amount due from Pakistan is of the order of Rs. 300 crores but the exact amount has not yet been settled. Pakistan has not paid any amount on this account so far.

(d) and (e). Our endeavour is to arrive at an amicable settlement on a bilateral basis.

भारत में सोने तथा अन्य वस्तुओं का चोरी छिपे लाया जाना

5205. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी विदेशी एजेंन्सियों का पता लगाने के लिए कोई जाँच की है जो भारत में सोना तथा अन्य वस्तुएँ चोरी-छिपे लाती हैं या जो ऐसी गतिविधियों में सहायता करती है;

(ख) क्या सरकार ने अपने गुप्तचर विभाग द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर ली है अथवा करने का विचार है कि दोबाई में ब्रिटिश बीमा कम्पनी द्वारा कितने मूल्य के सोने का बीमा कराया गया था जिसे भारत में चोरी छिपे लाया जाना था तथा बीमे की दरें क्या थीं और वे सोना किन-किन स्थानों को भेजा गया;

(ग) क्या यह सच है कि जो सोना भारत में चोरी छिपे लाया गया है उसमें से 90 प्रतिशत सोने पर इंग्लैंड की मोहर है; और

(घ) क्या भारत सरकार ने इस पर ब्रिटेन की सरकार से विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि उसे इतने बड़े पैमाने पर तस्करी को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए और यदि हाँ, तो उस पर ब्रिटेन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) तथा (ख). गुप्त सूचना विभाग ने, जिसे तस्कर आयात-निर्यात के तौर तरीकों के संबंध में सभी गुप्त सूचना एकत्रित करनी होती है, भारत में चोरी-छिपे लाये जाने वाले सोने अथवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं के बीमे में किसी ब्रिटिश या अन्य बीमा कम्पनी के ग्रस्त होने की रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ग) जी नहीं । सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने पर सामान्यत: ब्रिटिश, स्विस तथा फ्रांस के परिशोधकों की मोहरें होती हैं ।

(घ) ब्रिटिश सरकार के तस्कर आयात-निर्यात में अन्तर्ग्रस्त होने की सूचना सरकार के पास नहीं है और इसलिए उससे विरोध प्रकट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

एक्स्पो-70 को देखने के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन

5206. **श्री वेणी शंकर शर्मा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्स्पो-70 प्रदर्शनी चालू होने के बाद कितने भारतीय नागरिकों ने जापान का दौरा किया है; और

(ख) दर्शकों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई और किस आधार पर ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). व्यापार सम्मेलनों, अध्ययन-यात्राओं आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक प्रकार की यात्रा से सम्बन्धित सुपरिभाषित मान-दण्डों के अनुसार, विदेशी मुद्रा दी जा रही है । रिजर्व बैंक द्वारा इन स्थूल प्रयोजनों के अनुसार आँकड़े रखे जाते हैं, उस देश/देशों के आधार पर नहीं, जहाँ अलग-अलग व्यक्ति गये हों ।

सामान्यत: विदेशी मुद्रा केवल "एक्स्पो-70" देखने जाने के लिए नहीं दी गई । लेकिन रिजर्व बैंक को यह सलाह दी गई थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी मंजूरशुदा प्रयोजन के लिए जापान या उसके किसी पड़ौसी देश जा रहा हो तो, यह तसल्ली कर लेने के बाद कि आवेदनकर्ता को एक्स्पो-70 देखने से पर्याप्त लाभ होगा, उस व्यक्ति को एक्स्पो-70 देखने के लिए थोड़ी-सी विदेशी मुद्रा प्रदान कर दी जाय । इसके अलावा, यह हो सकता है कि विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत विदेश जाने वाले व्यक्ति अन्य देशों के साथ साथ जापान भी गये हों और एयर इंडिया के वायुयानों से अथवा भारतीय जहाजरानी निगम के जहाज़ों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक को 100 डालर की विदेशी मुद्रा लेने का हक प्राप्त हो गया हो ।

ऊपर कही गई बातों को देखते हुए, जापान की यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या और उन्हें दी गई विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में आँकड़े आदि इकट्ठा करने में जितना प्रयत्न करना पड़ेगा, वह उससे निकलने वाले परिणामों की तुलना में कहीं अधिक होगा ।

Imposition of Sales Tax on Silk Cloth in Delhi

5207. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Administration has been protesting against the imposition of Sales Tax on silk cloth in Delhi by the Central Government as a result of which the wholesale as well as the retail dealers of silk cloth are in a fix and they are not charging sales tax from customers;

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard; and

(c) the arguments advanced by the Delhi Administration against the imposition of Sales Tax on silk cloth?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). As from 1st August, 1970 the schedule of goods exempted from local sales tax in Delhi, was amended so as to bring silk fabrics, which had been exempted till then, within the levy. The Delhi Administration simultaneously issued a notification reducing the rate of sales tax on pure silk fabrics from 5% to 3%. However, they have suggested the withdrawal of the tax on the ground that a large number of cloth dealers will have to get themselves registered under the sales tax law and the income from this source would be small. They have also urged that, instead of sales tax, this item should be subjected to additional excise duty. There have also been representations from the dealers. These are being considered.

Non-Utilisation of Capacities by Public Undertakings

5208. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the public sector industries which are not working to their full capacities indicating the extent thereof;

(b) the reasons for not utilising full capacity; and

(c) the action taken by Government to make them work to their full capacity ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A list of Central Government public enterprises which could not operate at full capacity during 1969-70 is attached, indicating the capacity utilisation.

(b) and (c). Operation below full optimum capacity has been due to such factors as shortage of critical raw-materials, components and spares; disturbed labour conditions; lack of adequate market demand; expansion and diversification programmes which initially affect operations; and time taken in the development of production skills and technical support in maintenance, design, tooling, etc., for operating highly sophisticated plants.

Constant watch is kept over the performance of all the public enterprises to identify problems and take remedial measures. Steps taken towards optimum utilisation of installed capacity are adoption of improved production methods, planning and control techniques; diversification of production to improve off-take; marketing measures for promotion of domestic sales and exports, etc. Steps to introduce cost and quality control as well as

proper equipment maintenance to reduce down-time have also been taken. Production incentive schemes and training programmes have been adopted to improve performance.

Statement

Sl. No.	Name of the undertaking		Percentage Utilisation of installed capacity 1969-70
1	2		3
1.	Bharat Earth Movers Ltd.	(a) Rail Coaches	93.4
		(b) Earth Movers Division D—80—8	66.7
		LW—35 Haulpaks	98.4
2.	Bharat Electronics Ltd. Equipment Division		93.0
3.	Bharat Heavy Electricals Ltd.		
	H.E. E. P. Hardwar		79.8
	Switchgear Unit		59.2
	H. P. E. P. Hydrabad		88.0
4.	Fertilizer Corporation of India		
	(a) Gorakhour Division—Urea		90.9
	(b) Namrup Division—Urea		47.5
		Ammonium Sulphate	65.7
	(c) Sindri Division	Ammonium Sulphate	90.9
		Double Salt	59.1
		Urea	78.7
	(d) Trombay Division	Urea	58.4
		Complex Fertilizer	61.5
		Methanol	42.9
5.	Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd.		
		Ammonium Sulphate	56.2
		Super Phosphate	65.5
		Ammonium Phosphate	43.7
		Ammonium Chloride	40.2
6.	Garden Reach Workshops Ltd.	Ship repairs	62.5
		General Engineering	64.5
		Total value of production.	80.6
7.	Goa Shipyard Ltd.		
		Ship repairs (barges)	82.8
		Ship repairs (ships)	78.4
8.	Heavy Electricals (India) Ltd.		
		Switchgears	24.3
		Railway Traction Control gears	48.9
		Relays	49.7
		Power Transformers	36.9
		Traction Motors	64.0

1	2		3
9.	Heavy Engineering Corporation Ltd.		
	H. M. B. P.		23.3
	H. F. P.		61.4
	H. M. T.P.	M/cs	17.8
10.	Hindustan Antibiotics Ltd.		
	Pencillin		72.2
	Streptomycin		99.0
	Vialled Products		98.4
11.	Hindustan Cables Ltd.		
	Dry core cables		66.8
	Coaxial cables		37.8
	Plastic wires & cables		32.6
12.	Hindustan Housing Factory Ltd.		
	Concrete Site Works	Railway Sleepers	88.0
13.	Hindustan Insecticides Ltd.		
	Delhi Unit	D.D. T.	87.3
		50% formulated D. D. T.	95.3
	Alwaye Unit	50% formulated D. D. T.	54.6
14.	Hindustan Machine Tools Ltd.		
	HMT I & II		64.4
	HMT III		47.7
	HMT IV		43.4
	HMT V		13.5
	Watch Factory		91.7
15.	Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd.		
	Cine Film Position		66.4
	Cine Film Sound		10.0@
	Medical X-Ray		35.0
	Photographic paper		9.5
	35 mm negative films		2.0*
	Roll film		0.2*
	@ Production commenced in September, 1969		
	* Production commenced in December 1969.		
16.	Hindustan Steel Ltd.		
	Bhilai Steel plant—Ingots		74.4
	Durgapur Steel Plant—Ingots		59.4
	Rourkela Steel Plant—Ingots		61.1
	Alloy Steel Plant, Durgapur—Ingots		65.0
17.	Hindustan Teleprinters Ltd.		
	Teleprinters & Anc. Equipment		62.5
18.	Hindustan Zinc. Ltd.		
	Zinc ingots		55.1

1	2	3
	Super Phosphates	56.0
	Lead	46.4
	Silver	29.7
	Cadmium	41.0
19.	Instrumentation Ltd.	
	Transmitters	6.3
	Magneto-Electric Instruments	1.6
	Electronic Instruments	5.6
20.	Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	
	Surgical Instruments Plant, Madras	—
	Surgical Instruments and Family Planning Instruments	6.8
	Synthetic Drugs project, Hyderabad—	
	Synthetic Drugs	48.8
	Antibiotics Plant, Rishikesh—Antiboitics	14.0
21.	Indian Oil Corporation Ltd.	
	Barauni Refinery—Crude throughput achieved	69.6
22.	Indian Rare Earths Ltd.	
	(a) Rare Earths Division—Monazite processed	83.1
	Trisodium Phosphate	99.4
	(b) Minerals Division—Rawsand processed	76.6
	Ilmenite	86.6
	Zircon	89.4
	Rutile	73.6
23.	Indian Telephone Industries Ltd.	
	Telephones	88.8
24.	Madras Refineries Ltd.	* Relates to July 1969 to June 1970
	Crude throughput achieved	72.4*
25.	Mazagon Dock Ltd.,—General Engineering	91.1
26.	Mining & Allied Machinery Corporation Ltd.	
	Mining & Allied equipment	17.0
27.	National Coal Development Corporation Ltd.	
	Coal	78.6
28.	National Instruments Ltd.	
	Surveying Instruments	68.7
	Measuring Instruments	51.8
	Meteorological and other thermometers	59.3
	Scales	78.9
	Medical and other Instruments	35.1
	Optical and other Instruments	29.2
	Total value of Porduction	57.8
29.	National Mineral Development Corporation Ltd.	
	Kiriburu—Lump ore	78.6
	Bailadilla—Lump ore	65.5

1.	2	3
30.	National Newsprint and Paper Mills Ltd.	
	Newsprint	87.0
31.	Neyveli Lignite Corporation Ltd.	
	Lignite	85.6
	Power	90.2
	Urea	80.0
	Leco	39.8
32.	Praga Tools Ltd.	
	Machine tools value	60.5
	Machine tools Accs.	37.7
	Forgings	59.6
	Total value	61.0
33.	Lubrizol India Ltd.	
	Chemical Additives	73.0

हुगली नदी पुल का डिज़ाइन

5209. **श्री देवेन सेन:** क्या **पौतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुगली नदी पुल के आयुक्तों ने डिज़ाइन बनाने वालों की अपेक्षा ठेकेदारों को डिज़ाइन देने के लिए कहा है, और

(ख) क्या यह भी सच है कि यह आलोचना भी की गई है कि इतने ऊँचे स्तर का पायदार पुल बनाना एक प्रत्यक्ष जोखिम की बात होगी जिसे कि सेन्ट्रीलिप पुल बनाने से समाप्त किया जा सकता था और कि दो पायों के बीच 1500 फुट का पाट भी काफी नहीं है ?

पौतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार जो इस परियोजना से मुख्यरूप से संबंधित है, से एकत्रित की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

हुगली नदी पुल के लिए स्थापित की गई तकनीकी समिति के सदस्यों का ब्यौरा

5210. **श्री देवेन सेन:** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुगली नदी पुल के लिए स्थापित की गई तकनीकी समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनके नाम, पद तथा तकनीकी योग्यतायें क्या हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार जो मुख्यत: परियोजना से संबंधित है से एकत्रित की जा रही है और यथा-समय उसे सभापटल पर रख दिया जायेगा ।

मंत्रियों के विदेशी दौरे पर व्यय

5211. **श्री भारत सिंह चौहान**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान किन-किन केन्द्रीय मंत्रियों ने विदेशों का दौरा किया है और प्रत्येक मंत्री के दौरे पर हुआ व्यय कितना है और प्रत्येक के लिये कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई; और

(ख) प्रत्येक दौरे का उद्देश्य क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी ।

एकाधिकार अधिनियम के अधीन औद्योगिक गृहों के विरुद्ध कार्रवाई

5212. **श्री शिव चन्द्र झा**: क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन औद्योगिक-गृहों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (ग). जिन उपक्रमों ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण किया है, के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न परीक्षान्तर्गत है ।

Bungling in Construction of Border Roads in Rajasthan

5213. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be Pleased to state:

(a) whether Government have detected a bungling of Rs. 2.5 crores in the construction of border roads in Rajasthan;

(b) whether the target of the length of the roads to be constructed has not been achieved; and

(c) if so, the length of the roads proposed to be constructed as per the original schedule and the locations thereof and the length of the roads actually constructed and the reasons for which the remaining roads could not be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). No bungling of Rs. 2.5 crores has been detected; however, at the request of the Government of Rajasthan, a committee consisting of the Chief Engineer (Roads)

and the Chief Engineer (Mechanical) of this Ministry has been recently appointed to conduct an enquiry. The programme of strategic road works is revised from time to time according to the needs of the Ministry of Defence. Under the revised schedule 1367 miles of roads have to be constructed. Out of these, 1063 miles of roads have already been completed and 304 miles are under advanced stage of construction. It is not in the public interest to disclose the location of these roads. The work of constuction of these roads has progressed according to the availability of funds from year to year.

केरल में मत्स्य पकड़ने की नावों का तस्करी के लिए उपयोग

5214. **श्री राज देव सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार के मत्स्य विभाग की कतिपय यंत्रीकृत नावों का उपयोग तस्करी के लिये किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के मामलों का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) ऐसा कोई मौका नहीं हुआ है जब केरल सरकार की नौकाओं का तस्कर व्यापार के लिए प्रयोग किया गया हो ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केरल के तटीय क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियाँ

5215. **श्री राज देव सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल केतटीय क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जो तस्करी की गतिविधियों के लिए बड़े ही उपयुक्त हैं तथा जहाँ तटीय गश्त के कुशल तथा त्रुटिहीन प्रबंध नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ गत एक वर्ष से तस्करी की घटनाओं, इस सम्बन्ध में पकड़े गए व्यक्तियों तथा उनमें से राजनैतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) केरल के तटवर्ती क्षेत्र में सुगमता से पार किये जा सकने योग्य कुछ ऐसे इलाके हैं जो तस्कर व्यापार के लिए अनुकूल हैं। इन इलाकों में गश्त की कुछ व्यवस्था मौजूद है। इस व्यवस्था का विस्तार करने की कौशिश की जा रही है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली के पोलिटेक्नीकों के कार्य की जाँच

5216. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पोलिटेक्नीकों के कर्मचारी वर्ग ने कार्य की खराब परिस्थितियों तथा प्रधानाचार्यों के दमन के बारे में शिकायतें की हैं;

(ख) क्या उन्होंने दिल्ली पोलीटेक्नीकों की कार्य-प्रणाली की जाँच किये जाने की माँग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस मामले में कब तक जाँच कर लेने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। तकनीकी शिक्षा के राजपत्रित अधिकारियों के संघ ने प्रतिवेदन दिया है कि पोलिटेक्नीकों की कार्यप्रणाली की जाँच की जाय।

(ग) दिल्ली प्रशासन व्यक्तिगत शिकायतों की जाँच करता रहा है और उपयुक्त कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली प्रशासन द्वारा पोलिटेक्नीकों की कार्यप्रणाली की जाँच आवश्यक नहीं समझी गई है।

दिल्ली पोलिटेक्नीकों में कार्य कर रहे राजपत्रित अधिकारी

5217. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी**: क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पोलीटेक्नीकों में कार्य कर रहे स्थायी राजपत्रित अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) पहले स्थायी राजपत्रित अधिकारी की घोषणा कब की गई थी;

(ग) क्या उसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दो बार अयोग्य घोषित किया गया है और जिस पद पर वह कार्य कर रहा है, उसके लिए अनुपयुक्त पाया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसे तदर्थ आधार पर पदोन्नति के पद पर कार्य करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस पद को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) इस समय छः हैं।

(ख) 15 दिसम्बर 1967 को यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के अध्यक्ष के रूप में।

(ग) और (घ). संबंधित अधिकारी यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के स्थायी अध्यक्ष हैं और इस पद के लिये उनका प्रवरण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जून, 1962 में हुआ था। इस समय वह तद अर्थाधार पर स्थानापन्न प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं जब तक कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र उम्मीदवारों में से किसी का नियमित आधार पर प्रवरण नहीं किया जाता। पहले जब यह पद सीधी भर्ती द्वारा भरा गया था तब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनका चयन नहीं हुआ था। वर्तमान पद पदोन्नति कोटा में है।

(ङ) भर्ती नियमों के अनुसार कुछ पद सीधी भर्ती द्वारा तथा बाकी बचे पद पात्र उम्मीदवारों में से पदोन्नति से भरे जाते हैं। चूँकि यह पद पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत आता है इस मामले पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष हैं।

Grants for development of Transport in Delhi and Calcutta

5218. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether a Study Group of the Planning Commission has recommended an additional grant of Rupees one crore for Delhi and Rs. 2.20 crores for Calcutta for the development of transport system, besides the grants given so for during the current financial year; and

(b) if so, the action taken so far and the future plan in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The working Group on Metropolitan Transport Services, appointed by the Planning Commission, has recommended that the provision for the current year for the Delhi Transport Undertaking should be augmented by Rs. 1 crore and that for the Calcutta State Transport Corporation by Rs. 60 lakhs.

(b) So far as the DTU is concerned, a further loan of Rs. 1 crore is being given to the Undertaking immediately which will enable it to purchase 100 additional buses. In regard to the Calcutta State Transport Corporation, its requirements during the current financial year will be met from the loans obtained from the Industrial Development Bank of India, the provision already made for the Corporation in Calcutta Metropolitan District's Annual Plan for 1970-71 and the non-Plan resources of that Authority.

मनीपुर में गैर-मैट्रिक अध्यापकों को उच्च वेतन मान देना

5219. **श्रीएम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के उन गैर-मैट्रिक अध्यापकों को मैट्रिक वेतन-मान देना स्वीकार कर लिया है जिन अध्यापकों का सेवाकाल 1 नवम्बर, 1969 तक 20 वर्ष या इससे अधिक है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मनीपुर सरकार ने वहाँ के प्राथमिक स्कूलों के तथाकथित अध्यापक-वर्ग को प्रशिक्षण से मुक्त करने तथा उन्हें तथाकथित उच्च वेतनमान देने के सम्बन्ध में हाल ही में लिए गए निर्णय को अनुमोदनार्थ सरकार को भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो यह वेतनमान कब से क्रियान्वित किये जायेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

Coins Belonging to Mughal Period Found in Mauzabad Village of Pataudi

5220. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that some coins belonging to the Mughal period were found from a vacant plot during digging near the Mauzabad village of Pataudi;

(b) Whether the persons digging the said plot had run away with these coins, which were of historical and archaeological significance; and

(c) the action taken by Government in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The necessary information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha as early as possible.

Excise Duty on Products of Powerlooms

5221. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) Whether Government have turned down the demand for exempting powerloom products from Excise Duty; and

(b) If so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The requests received from the powerloom sector for complete exemption from excise duty were carefully considered but could not be acceded to. Powerloom units had already been given adequate concession in excise duty compared to the composite mills sector and total exemption from levy of excise duty was not justified.

इन्डियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर

5222. **श्री रामवतार शर्मा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर के कृत्यों का ब्यौरा क्या है और यह कब से कार्य कर रहा है ?

(ख) इस सेन्टर पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किये गये खर्च की राशि क्या है;

(ग) क्या इस सेन्टर के कार्यलय विदेशों में भी हैं और यदि हाँ तो स्थानों और देशों के नाम क्या है जहाँ पर इसके कार्यालय हैं और वे कार्यालय कब से चल रहे हैं;

(घ) उन कार्यालयों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या खर्चा किया गया; और

(ङ) भारत में विदेशी पूँजी को आकर्षित करने में उन कार्यालयों की सफलता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर (भारतीय निवेश केन्द्र) 30 नवम्बर, 1960 से काम कर रहा है और इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:–

(i) पूँजी निर्यात करने वाले देशों में, भारत में निवेश करने से सम्बन्ध कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं तथा शर्तों और देश में दिये जाने वाले निवेश सम्बन्धी अवसरों के बारे में विस्तृत परिचय और जानकारी में वृद्धि करना;

(ii) भारतीय उद्योगकर्ताओं को, जिनमें मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों में लगे उद्यमकर्ता शामिल हैं, उनके द्वारा विदेशी गैर-सरकारी पूँजी और/या उच्च तकनीकी जानकारी आकृष्ट करने के उन प्रयत्नों के सम्बन्ध में परामर्श और सहायता देना ।

(iii) विदेशी व्यापारियों को ऐसे संयुक्त उद्योगों की स्थापना से सम्बद्ध मामलों में परामर्श और सहायता देना जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बुनियादी ढांचे के अनुकूल हों;

(iv) भारत में संभावी निवेशकर्ताओं के लिए निवेश की संभावनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करना;

(v) भारतीय उद्यमकर्ताओं के द्वारा विदेशों में निवेश करने से संबंधित शर्तों; कानूनों, नीतियों और प्रतिक्रियाओं के विस्तृत परिचय और जानकारी को बढ़ावा देना; और

(vi) विदेशों में औद्योगिक या अन्य संयुक्त उद्यमों की स्थापना में भारतीय व्यवसायियों को परामर्श देना और सक्रिय रूप से उनकी सहायता करना ।

(ख) 1967-68 से 1969-70 के वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इस सेन्टर (विदेश स्थित कार्यालयों सहित) पर हुआ खर्च इस प्रकार था:—

1967-68	24.75 लाख रुपये
1968-69	24.41 लाख रुपये
1969-70	30.97 लाख रुपये

(ग) सेण्टर की विदेशों में स्थित शाखाओं के स्थान और उनकी स्थापना की तारीखें इस प्रकार हैं:—

(i) न्यूयार्क	(संयुक्त राज्य अमरीका)	2अक्टूबर, 1961
(ii) डसेलडर्फ	(पश्चिम जर्मनी)	29 अक्टूबर, 1969
(iii) लन्डन	(ब्रिटेन)	*1 अप्रैल, 1969

* पहली अप्रैल, 1969 से पूर्व, लन्डन स्थित भारतीय उच्च आयोग के वाणिज्य विभाग का तकनीकी परामर्शदाता सेण्टर का काम भी देखता था और उसके वेतन तथा आदि भत्ते का खर्च उच्च आयोग द्वारा दिया जाता था ।

(घ) 1967-68 से 1969-70 तक के प्रत्येक वर्ष में, इन विदेशी शाखाओं पर किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:—

1967-68	12.38 लाख रुपये
1968-69	11.59 लाख रुपये
1969-70	14.73 लाख रुपये

(ङ) भारतीय निवेश केन्द्र की उपलब्धियों का मूल्याँकन कार्यालय-वार नहीं बल्कि समग्र रूप से ही किया जा सकता है क्योंकि उसके विदेश स्थित कार्यालय और उसका दिल्ली स्थित मुख्यालय सामूहिक रूप से उन उद्योगों के लिए काम करते हैं जिनके लिए केन्द्र की स्थापना की गई है । गुणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि केन्द्र ने विदेशों में सरकार की आर्थिक नीतियों के

बारे में वेहतर जानकारी देने, विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में सूचना प्रदान करने तथा उनके बारे में उत्पन्न भ्रम दूर करने में सफलता प्राप्त की है । केन्द्र ने, एक नियमित मासिक सूचना पत्र (न्यूज लैटर) के अतिरिक्त 150 से अधिक प्रकाशन भी निकाले हैं। केन्द्र ने कई आर्थिक मिशनों की भी सेवा-व्यवस्था की है जो भारत की यात्रा पर आये थे और कई अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है जिनका विदेशी सहयोग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सम्भावी विदेशी निवेशकों के सम्मुख सरकार को आर्थिक नीति की प्रतिष्ठा प्रतिपादित करने तथा उनमें अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में केन्द्र ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उसका पर्याप्त प्रमाण पश्चिम जर्मनी के ऐब्स मिशन के दौरे के अनुभव से मिलता है जो भारतीय निवेश केन्द्र के निमंत्रण पर हाल ही में भारत आया था ।

मात्रात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो केन्द्र के कार्यालयों ने, भारतीय और विदेशी पार्टियों की ओर से, औद्योगिक लायसेंस और सहयोग सम्बन्धी शर्तों आदि के बारे में आये 8500 से अधिक पूछ-ताछ के मामलों में कार्यवाई की है। केन्द्र की स्थापना से लेकर सितम्बर 1970 तक, केन्द्र द्वारा सक्रिय रूप से सहायता-प्राप्त तथा सरकार द्वारा अनुमोदित संयुक्त उद्योगों की कुल संख्या 209 थी । इनमें कुल 12348.1 लाख रुपये की पूंजी परिव्यय था और 2540.1 लाख रुपये की विदेशी सामान्य शेयर पूंजी लगी हुई थी ।

Posts of Vice-principals in Education Department of Delhi Administration

5223. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are posts of Vice-Principals in the Education Department of the Delhi Administration;

(b) whether it is also a fact that 50 per cent of these posts are required to be filled through the U. P. S. C.

(c) if so, the number of the aforesaid posts filled through the U. P. S. C. during the last three years, year-wise and

(d) if these posts have not been filled through the U. P. S. C., the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, sir.

(b) No, sir.

(c) Does not arise.

(d) Vice-Principals under the Delhi Administration are appointed 100% by promotion

Economy in Expenditure of the Various Departments

5224. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the names of the departments of Government which propose to effect economy in the expenditure to be met from the funds earmarked for them in the current year's budget, without in any way affecting their efficiency, along with the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : Apart from continuing the economy measures taken in previous years, instructions have recently been issued to Departments to take certain special measures for achieving a further

reduction in expenditure during the current year. These measures include a ban on creation of posts on non-Plan side, a reduction in the budget provisions made for contingencies, travelling allowance and entertainment, non-filling of vacant posts, ban on purchase of furniture and decorations and stricter control on deputations abroad. These instructions apply to all Departments.

Aerodromes in Himalayan Region

5225. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the names of places in the Himalayan region where aerodromes have been provided for tourists and others; and

(b) the names of the places where aerodromes or pads for landing helicopters are proposed to be provided?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Aerodromes at Kulu (Bhuntar) and Pantnagar (Phool bagh) have been provided by the Civil Aviation Department mainly for tourists visiting the Kulu valley and Nainital.

(b) There is no such proposal at present.

Ship Building Capacity in India

5226. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the ship building capacity of the country, if so, the details thereof; and

(b) whether there is any proposal to sell ships built in India to foreign countries, if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes, sir. A statement showing the present and proposed capacity for building ocean-going vessels in the country is attached.

(b) The possibilities of building ships for export to neighbouring countries are being explored.

Statement

I. Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam

The Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, is the major Shipyard in the country building ocean-going vessels. The present capacity of 2-3 ships of 12,500 DWT each per year is proposed to be expanded to 4 to 6 ships of 12,500/14,500 DWT each per year after the execution of the Integrated Development programme of the Shipyard sanctioned in October, 1969 at an estimated cost of Rs. 7.66 crores for implementation during the Fourth Plan period.

II. Mazagon Dock Limited, Bombay.

The Mazagon Dock Limited, Bombay, has already completed an expansion scheme involving a capital expenditure of Rs. 8.32 cores and is now equipped to build ships upto 15,000 DWT. The Mazagon Dock Limited is also engaged in building Naval vessels like Frigates, Destroyers etc., small cargo ships, tugs, barges etc.

III. Garden Reach Workshops, Calcutta

The Garden Reach Workshops, Calcutta, are at present engaged in building small port and harbour craft like tugs, barges, dredgers etc. and the present capacity is of the order of 16 to 20 vessels depending upon type and size.

A modernisation and expansion programme of the Garden Reach Workshops at an estimated cost of Rs. 3.00 crores is under consideration of the Government and after the implementation of this programme, the Garden Reach Workshops will be in a position to build from 1973 onwards two ocean-going vessels of 15,000 DWT each per year.

IV. Cochin Shipyard Project, Cochin

The construction of a Shipyard at Cochin at an estimated cost of Rs. 45.42 crores has also been sanctioned and on completion, the Cochin Shipyard will be in a position to build two bulk carriers of 66,000 DWT each per year.

पेंशन तथा भविष्य निधि लाभ के मामलों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच विषमता

5227. **श्री हिम्मतसिंहका:** **श्री अदिचन :**
श्री दे० अमात :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेंशन तथा भविष्य निधि लाभ के मामले में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच विषमता को, दोनों को बराबर करके, दूर करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) सरकारी कर्मचारियों को, सेवा निवृत्ति लाभों के रूप में, पेंशन या सेवा उपदान और मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचरियों को परिवार पेंशन देने की योजना भी विद्यमान है। सामान्यता सरकारी उपक्रमों में अंशदायी भविष्य निधि और उपदान की व्यवस्था है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि तथा उपदान के रूप में उठाया जाने वाला सेवा निवृत्ति लाभ कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के बराबर है या इससे भी अधिक बैठता है। इसके अतिरिक्त, कामगारों के लिये परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना को लागू करने के बारे में एक विधेयक संसद के सम्मुख है जिसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी भी आ जायेंगे।

सरकारी क्षेत्र द्वारा जो सेवा-निवृत्ति लाभ योजना अपनाई गई है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने और उसे सरकारी कार्यालयों में लागू वर्तमान योजना के समान बनाने का कोई विचार नहीं है।

(ख) सरकारी उद्यमों को इस सम्बन्ध में वही नीति अपनानी पड़ेगी, जो समूचे देश के उद्योगों में लागू है, इसलिए सरकारी क्षेत्र में सरकारी प्रणाली लागू करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Promotion in Education Department of Delhi Administration

5228. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2854 on the 14th August, 1970 regarding Promotion in Education Department of Delhi Administration and state:

(a) whether the required information has since been collected by Government; and

(b) if so, the details thereof ?

The Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). The requisite information is still awaited from Delhi Administration.

Smuggling in India

5229. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the article published under the caption 'Bharat Mein Badhta Taskar Vyapar' (smuggling on the increase in India) in the special weekly issue of 'Aj' dated the 22nd November, 1970; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidhya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The problem of smuggling into and out of India has been engaging the attention of the Government. Intensified measures are being taken all over the country for preventing smuggling. Better vigilance is being exercised in coastal areas supported by systematic collection of intelligence, redeployment of staff, appointment of senior officers engaged exclusively in anti-smuggling work etc. The Customs Act has also been amended for facilitating the detection of smuggled articles and for preventing smuggling. A Study Team has also been appointed to enquire into the problem of loss of foreign exchange through trade channels by under-invoicing, over-invoicing, etc., and to suggest measures for preventing such loss. These measures are kept under constant review.

The Article refers to certain detected cases of under-invoicing and unauthorised exports. Necessary action in all such cases is taken in accordance with the provisions of the Customs Act, the Foreign Exchange Regulation Act and other relevant laws.

The Article also refers to certain allegations against Ministers, politicians and officers. These are of vague nature. Whenever any specific allegation comes to the notice of the Government the same is enquired into. The allegation that the Government have deliberately not provided launches and weapons even at place like Bombay is not correct. Government have no information that the Sheikh of Dubai himself directs smuggling operations.

श्री आर० के० नैय्यर द्वारा आय कर विवरण प्रस्तुत किया जाना

5230. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि श्री आर० के० नय्यर को अपनी फिल्म 'इन्तकाम' से लाखों रुपयों का लाभ प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में न तो कोई आयकर विवरण भेजा है और न ही अग्रिम आयकर दिया है;

(ग) क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन में से काटे गए आयकर को जमा कराया है; और

(घ) क्या सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) तथा (ख). 'इन्तकाम' चलचित्र का निर्माण श्री आर० के० नैय्यर के पिता श्री ए० डी० नैय्यर द्वारा मेसर्स शक्तिमान एण्टर-प्राइजिज के नाम से किया गया था। श्री आर० के० नैय्यर उसके निर्देशक थे। ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि चलचित्र ने भारी मुनाफा कमाया है। यह चलचित्र 14 फरवरी 1969 को रिलीज किया गया। कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिये शून्य आय-विवरणी दाखिल की गई। नोटिसें जारी करने के बावजूद बाद के वर्षों की आय-विवरणियाँ अभी तक दाखिल नहीं की गई। अभी तक कोई अग्रिम कर नहीं अदा किया गया। कर-निर्धारण अभी तक अनिर्णीत हैं तथा मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है। जाँच-पड़ताल जारी है।

(ग) तथा (घ). कर्मचारियों के वेतन में से करों की कटौती नहीं करने के कारण श्री आर० के० नैय्यर के विरुद्ध धारा 276(ए) तथा (डी) के अन्तर्गत इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ की गई थी। कर-निर्धारण वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 के सम्बन्ध में उसे 24 जुलाई 1970 को दोषी ठहराया गया। मजिस्ट्रेट ने श्री आर० के० नैय्यर पर कुल 2400 रुपये का जुर्माना लगाया है।

फिल्म निर्माता श्री आर० के० नय्यर तथा उनकी पत्नी द्वारा आयकर तथा धन कर की अदायगी

5231. **श्री चन्द्र शेखर सिंह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में फिल्म निर्माता श्री आर० के० नय्यर, उनकी पत्नी साधना और उनके पिता दीवान ए० डी० नय्यर तथा उनकी फर्म मेसर्स शक्तिमान एन्टर प्राइसिस, बम्बई द्वारा आयकर और धन कर की कितनी राशि घोषित की गई;

(ख) आयकर विभाग द्वारा वास्तव में कितनी राशि निर्धारित की गई और कितनी वसूल की गई; और

(ग) कितनी राशि वसूल की जानी है और उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) तथा (ख). तीन कर-निर्धारण-वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) फिलहाल उनमें से किसी की भी तरफ कर की कोई बकाया नहीं है। किन्तु कुछ कर-निर्धारण अनिर्णीत पड़े हैं।

विवरण

क्र. सं.	नाम	आयकर विवरणी में दिखाई गई आय	निर्धारित आय	आयकर विवरणी में दिखाया गया धन	निर्धारित धन	वसूल किया गया कर
1.	श्रीमती साघना नैयर					
	1968-69	2,47,050/- रुपये	2,44,640/- रुपये	4,03,374/- रुपये	कर निर्धारण किया जाना है ।	कर निर्धारण वर्ष 1967-68 66,028/- रुपये
	1969-70	1,45,330/- रुपये	कर निर्धारण किया जाना है ।	4,85,662/- रुपये	–यथोपरि–	कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 1,12,957/- रुपये
	1970-71	अभी तक कोई आयकर विवरणी दायर नहीं की गई है ।		अभी तक कोई आयकर विवरणी दायर नहीं की गई है ।		कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 1,42,430/- रुपये
2.	श्री आर० के० नैयर					
	1968-69	13,95,000/- रुपये (हानि)	कर-निर्धारण किया जाना है ।	घन कर का निर्धारण नहीं किया गया है ।		कुछ नहीं
	1969-70	अभी तक कोई आयकर विवरणी दायर नहीं की गई है ।		–यथोपरि–		
	1970-71	–यथोपरि–		–यथोपरि–		
3.	श्री ए० डी० नैयर जो मेसर्स शक्तिमान एण्टरप्राइजज के मालिक हैं ।					
	1968-69	कुछ नहीं	कर-निर्धारण किया जाना है ।	घन कर का निर्धारण नहीं किया गया है ।		कुछ नहीं
	1969-70	अभी तक कोई आयकर विवरणी दायर नहीं की गई है ।			–यथोपरि–	
	1970-71	–यथोपरि–			–यथोपरि–	

श्री आर० के० नय्यर द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत किया जाना

5232. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या श्री आर० के० नय्यर ने जो फिल्म निर्माता हैं, फिल्मों का निर्माण आरम्भ करने के पूर्व कई फिल्मों के निर्देशक के रूप में प्राप्त आय का न तो कभी आयकर दिया है और न ही आयकर विवरणीका भेजी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा सम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

फिल्म निर्माता श्री आर० के० नय्यर द्वारा जनता के साथ कथित धोखा धड़ी

5233. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री आर० के० नय्यर ने अपने द्वारा निर्मित एक चलचित्र के टिकट फलक धारियों के मध्य लाटरी द्वारा एक नई एम्बेसेडर कार व अन्य बड़े इनामों के वितरण के लिए (1969 वर्ष के पहले छह महीनों में चलचित्र साप्ताहिक "स्क्रीन" और अन्य चलचित्र पत्रिकाओं में) विज्ञापन दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार की कोई लाटरी नहीं निकाली गई और जनता के साथ धोखाधड़ी की गई; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है ।

श्री आर० के० नय्यर द्वारा कर अपवन्चन

5234. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्री आर० के० नय्यर के घर पर मारे गये छापे में उपलब्ध दस्तावेजों से यह पता चला है कि वित्तीय पोषकों को ब्याज का भुगतान उसे 3 प्रतिशत तक हुआ है जबकि अधिकृत रूप से यह भुगतान 1 प्रतिशत पर किया गया दिखाया गया है ; और

(ख) इस प्रकार किये गये कर अपवंचन की राशि क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) पकड़े गये कागजात की छानबीन की जा रही है । जाँच-पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

(ख) इस स्थिति में अपवंचित कर की रकम बताना संभव नहीं है ।

कम अथवा अधिक राशि के बीजक बनाना

5235. **श्री एम० सुदर्शनम**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कम अथवा अधिक राशि के बीजक बनाने के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(ख) इन कम मूल्य के बीजक और अधिक मूल्य के बीजक के मामलों में कितने रुपये की राशि अन्तर्गस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) सीमा शुल्क अधिकरियों ने वर्ष 1967 से (अक्तूबर) 1970 तक की अवधि में उन 175 मामलों में 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये, जिनमें आयात-निर्यात सम्बन्धी कारोबार में अधि-बीजकाँकन तथा न्यून-बीजकाँकन का सन्देह था।

(ख) इन मामलोंमें घोषित मूल्यों तथा जाँच-पड़ताल करके पता लगाये गये मूल्यों में अन्तर की कुल रकम 30 लाख रुपये आती है।

मूल्यों में स्थिरता लाने के बारे में चार सूत्रीय कार्यक्रम

5236. **श्री हरदयाल देवगुण**:
श्री मुहम्मद शरीफ:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा 20 नवम्बर, 1970 को प्रकाशित की गई 'प्राइसेज एण्ड प्रोग्रेस' नामक पुस्तिका की ओर दिलाया है जिसमें मूल्य स्थायित्व सम्बन्धी चार सूत्री कार्यक्रम दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कार्यक्रम किस प्रकार का है; और

(ग) सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के संघ ने मूल्यों को स्थिर रखने के अपने कार्यक्रम में जो सुझाव दिये हैं, वे इस प्रकार हैं--(i) विदेशों से वस्तुएं मंगाकर तथा देश में उत्पादन बढ़ा कर औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि में वृद्धि करना, (ii) वेतन मजदूरी का सम्बन्ध उत्पादकता के साथ जोड़ना, (iii) बचत-संग्रह के जरिये माल की उपलब्धि के साथ उपभोक्ता की माँग का सन्तुलन करना, और (iv) तेजी से औद्योगिक विस्तार करने के उद्देश्य से प्रशासनिक विलम्ब न होने देना और प्रशासनिक नियन्त्रण हटाना।

(ग) सरकार की नीति यह है कि मूल्यों को बढ़ाने से रोका जाय तथा मूल्य में घट-बढ़ न होने दिया जाय। एक और जहाँ औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चौथी आयोजना में विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है वहाँ दूसरी ओर अत्यावश्यक कच्चे माल और उद्योगों में काम आने वाली अन्य वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आयात नीति बनायी गयी है। सरकार की मुद्रा और राजस्व सम्बन्धी नीतियों के भी ये दो उद्देश्य हैं, अत्याधिक माँग को कम करना

और वचतों की मात्रा में वृद्धि करना। प्रशासनिक नियन्त्रणों का भी उद्देश्य यही है कि देश के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप अधिक उत्पादन करने में सहायता दी जाय। सरकार द्वारा नियुक्त वेतन-बोर्डों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे श्रमिकों के हितों और उद्योगों की वेतन देने की क्षमता को प्रमुख रूप से ध्यान में रखें।

स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में परिचय पुस्तक

5237. **श्री भारत सिंह चौहान:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्बन्ध में एक परिचय पुस्तिका तैयार करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हाँ, स्वतन्त्रता सेनानियों की अखिल भारतीय निदेशिका का संकलन, "भारत के शहीदों का परिचय ग्रंथ' के तीन खण्डों के पूर्ण हो जाने के बाद, जिसकी 1972 के आरम्भ में आशा की जाती है प्रारम्भ किया जायेगा। इसका प्रथम खण्ड प्रकाशित भी हो चुका है।

Financial Assistance to Sagar University

5238. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have laid down any guidelines for the University of Sagar, if not, the reasons therefor;

(b) whether the financial irregularities prevailing in the said University have been removed, if not, the reasons therefor;

(c) whether in view of this, the Government of Madhya Pradesh propose to grant additional financial assistance to the said University; and

(d) the grounds on which Government would provide, assistance to the University ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) (a) According to the Madhya Pradesh Government, no guidelines as such have been laid down for Sagar University, which is an autonomous institution. However, in 1969-70 the State Government laid down certain conditions for release of maintenance and development grants to all universities, including Sagar University.

(b) The audit objections on the accounts of the University are, as usual, being looked into by the State Government.

(c) and (d). The State Government has increased the annual block grant to the University for maintenance from Rs. 10.00 lakhs to Rs. 16.00 lakhs per annum and has also agreed to consider for all its universities further increase at the end of Plan to meet committed expenditure on approved schemes.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया दिल्ली के अन्तर्गत चलने वाले स्कूल

5239. **श्री बलराज मधोक :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया, दिल्ली अपने स्वयं के उच्चतर माध्यमिक स्कूल चला रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन स्कूलों के खर्चे की पूर्ति भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन्हें दी गई अनुदानों से की जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन विश्वविद्यालयों के अधीन संस्थानों में प्रवेश के लिए इन स्कूलों के पास होने वाले विद्यार्थियों को वरीयता दी जाती है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन स्कूलों के स्तर को सुधारने तथा इनमें से साम्प्रदायिक भेदभाव समाप्त करने हेतु इन स्कूलों को उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली हायर सेकण्डरी शिक्षा बोर्डों के नियन्त्रण में लाने की माँग की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस माँग को स्वीकार एवं उसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हाई स्कूलों को चला रहा है और इन पर होने वाला खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अनुदानों से वहन किया जाता है ।

जामिया मिलिया एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल चला रहा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे दिये गये अनुदानों से इस स्कूल के खर्चे की पूर्ति की जाती है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) यद्यपि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित स्कूलों को उत्तर प्रदेश हाई-स्कूल तथा इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के नियंत्रण में स्थानान्तरित करने के विषय में अभिवेदन प्राप्त हुए हैं, किन्तु जामिया मिलिया द्वारा चलाये गये स्कूल को केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के नियंत्रण में स्थानान्तरित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के अनुच्छेद 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत, चलाये जाते हैं । इस संबंध में सरकार द्वारा दखल देने का प्रश्न नहीं उठता।

हाकी एवं अन्य खेलों की बाहर भेजी गई टीमों का चुनाव तथा खेलकूद को प्रोत्साहन

5240. **श्री बलराज मधोक:** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाकी की लोकप्रियता तथा उसका स्तर भारत में निरन्तर गिर रहा है, जब कि भारत इसमें उत्कृष्ट हुआ करता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अंशत: इसका कारण है कि सरकार तथा प्रचार माध्यमों द्वारा इस खेल की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली है कि भारत से बाहर इस देश के लिये खेलने वाली विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों का चुनाव राजनैतिक तथा भाई-भतीजावाद के आधार पर होता है; और

(घ) यदि हाँ, तो खेलकूद को सामान्यतया और हाकी को विशेष रूप से प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) मैक्सिको ओलम्पिक्स में भारतीय हाकी टीम की असफलता के बाद अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद द्वारा स्थापित हाकी समिति ने मामले की विस्तारपूर्वक जाँच की थी। रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) कभी-कभी पक्ष-पात की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(घ) जहाँ तक हाकी का प्रश्न है, हाकी समिति की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय हाकी महासंघ को शीघ्र उचित कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया गया था। सरकार ने अपनी तरफ से राष्ट्रीय खेल-कूद संगठन योजना आरंभ की है जिसमें विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए बढ़ी हुई भौतिक सुविधाओं, अनुशिक्षण शिविरों के संगठन और विश्वविद्यालयों/कालेजों के उत्तम पुरुष महिला खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की व्यवस्था है। इसके अटिरिक्त, शैक्षणिक संस्थाओं में 14 से 18 वर्ष तक की आयु वाले उन किशोरों के लिये जो राज्य पर राष्ट्रीय स्तर की खेल-कूद प्रतियोगिताओं में विशिष्टता प्राप्त करें, सरकार ने छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए एक खेल-कूद प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की है। पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान, को भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। गैर-विद्यार्थी युवकों के लिए देश में आरंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम भी देश के गैर-विद्यार्थी युवकों के लिये खेल-कूदों की सुविधाओं की व्यवस्था करता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के विरुद्ध भेदभाव के आरोप

5241. **श्री बलराज मधोक**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के विरुद्ध भेदभाव तथा पक्षपात के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस भेद भाव के विरुद्ध कानूनी उपाय करने के लिये कुछ छात्र न्यायालय में गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार मामले की जाँच कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार उसके उर्दू विभाग में कोई भेदभाव तथा पक्षपात नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ). अप्रैल, 1970 में हुई एम० ए० (उर्दू) परीक्षा के कुछ उम्मीदवारों ने उपरोक्त परीक्षा के प्रकाशित परिणामों को न्यायालय में चुनौती दी है । मामला न्यायाधीन है ।

के० एस० संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा का पुनर्गठन

5242. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने के० एस० संस्कृत विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दल द्वारा दिये सुझाव के आधार पर एक आधुनिक मिथिला विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठित करने संबंधी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). अप्रैल, 1970 में बिहार सरकार द्वारा गठित "मिथिला विश्वविद्यालय समिति" ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा यह उनके परीक्षणाधीन है। समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार के विचारों की प्रतीक्षा है ।

जर्मन गणतंत्रात्मक संघ से सहायता के लिए करार

5243. **श्री राम किशन गुप्त**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 में 55.33 करोड़ रुपये की सहायता के सम्बन्ध में भारत तथा जर्मन गणतंत्रात्मक संघ के बीच हाल में हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): 55.35 करोड़ रुपये (2700 लाख डयूश मार्क) की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारत सरकार और संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे । उपर्युक्त सहायता का उपयोग इस प्रकार किया जायगा:

(एक): माल और सेवाओं की खरीद के लिए वस्तु सहायता के रूप में 17.73 करोड़ रुपये (865 लाख ड्यूश मार्क)

(दो): परस्पर सहायता प्रायोजनाओं के लिए 12.3 करोड़ रुपये (600 लाख ड्यूश मार्क)

(तीन): भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश प्रदाय और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा छोटे और दरमियाने दर्जे के उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के लिए 3.075 करोड़ रुपये (150 लाख ड्यूश मार्क)

(चार): पूंजीगत माल संबंधी अन्तर मंत्रालयीय समिति द्वारा स्वीकृत संयंत्र और मशीनों के आयात के लिये 3.075 करोड़ रुपये (150 लाख ड्यूश मार्क)

(पाँच): पहली अप्रैल 1970 और 31 मार्च 1971 के बीच की अवधि में देय पहले के जर्मन ऋणों के मूलधन की कुछ किस्तों की अदायगी के अस्थगन के लिए 15.64 करोड़ रुपये (763 लाख ड्यूश मार्क)

(छ): पहली अप्रैल 1970 और 31 मार्च 1971 के बीच की अवधि में अदा की जाने वाली ब्याज की राशि में कटौती के लिये 3.53 करोड़ रुपये (172 लाख ड्यूश मार्क)

2. उपर्युक्त रकमों में से मद (एक) से (चार) तक की 36.18 करोड़ रुपये (1765 लाख ड्यूश मार्क) की कुल रकम ऋणों के रूप में दी जायेगी और यह रकम 30 वर्षों में वापस की जायगी (जिसमें 8 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है) तथा उस पर 2½ प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगेगा।

उपर्युक्त मद (पाँच) में उल्लिखित ऋण शोधन को आस्थागित करने के लिए दिये जाने वाले 15.64 करोड़ रुपये (763 लाख ड्यूश मार्क) का ऋण 10 वर्षों में वापस किया जायगा (जिसमें 3 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है) और उस पर 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगेगा।

उपयुक्त मद (छ) में उल्लिखित 3.53 करोड़ रुपये (172 लाख ड्यूश मार्क) की शेष रकम सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध की जायेगी।

भारतीय मालवाहक जहाज 'महाजगमित्र' को बंगाल की खाड़ी में खोजने के लिए की गई कार्यवाही

5244. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री अदिचन :**
श्री दे० अमात :

क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत नवम्बर में बंगाल की खाड़ी में लापता हुए मालवाहक जहाज 'एस० एस० महा-जगमित्र' को खोजने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). 'जगमित्र' जहाज की खोज करने के लिए पाकिस्तान और बर्मा सरकारों से उनके क्षेत्रों के ऊपर हमारे वायुयानों के उड़ने के लिए राजनयिक अबाधता माँगी गई है। इस बीच वायु सेना को अपनी समुद्री सीमा में तलाश करने के लिए अनुदेश दिये जा रहे हैं।

नेशनल फिटनस कोर के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जाँच

5245. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फिटनस कोर के विरुद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों की जाँच करने के लिए एक सेवानिवृत्त सरकारी उच्च अधिकारी को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस जाँच के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) इस जाँच के दौरान कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी, हाँ।

(ख) दिनाँक 28 अक्टूबर, 1970 के संकल्प की एक प्रति जिसमें विचारणीय विषय अन्तर-निविष्ठ हैं, संलग्न हैं। **(ग्रन्थालय में रखा गया है। देखिए सं० एल० टी० 4639/70)**

(ग) जहाँ तक एक व्यक्ति आयोग के निष्कर्षों पर आधारित कार्रवाई का सम्बन्ध है, वह तब तक स्थगित रखी जायेगी, जब तक कि उन निष्कर्षों पर सरकार के निर्णय की जानकारी न हो। अन्यथा, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय पूर्व निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार कार्य करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों को ऋण देना

5246. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों को ऋण देने के सम्बन्ध में स्पष्ट अनुदेश अभी तक जारी नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि जारी कर दिये गये हैं, तो क्या उन अनुदेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव च०हाण): (क) से (ग). 14 मुख्य वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के अभिरक्षकों को बार-बार इस बात के लिए आग्रह करते रहे हैं कि वे खुदरा व्यापारियों, आत्म-नियोजित व्यक्तियों, कारीगरों, किसानों, सड़क परिवहन चालकों आदि जैसे अब तक उपेक्षित क्षेत्रों के सम्बन्ध में उदार नीति अपनायें। इस मामले पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति की विभिन्न बैठकों में भी विचार किया गया था। मैंने भी अभिरक्षकों के साथ 22 जुलाई, 1970 और 4 नवम्बर, 1970 को हुई बैठकों के दौरान उन क्षेत्रों को उदारतापूर्वक ऋण देने की आवश्यकता पर जोर दिया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उपर्युक्त योजनायें तैयार की हैं और वे इन क्षेत्रों को उदारतापूर्वक ऋण दे रहे हैं। अगस्त, 1970 के अन्त तक, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस श्रेणी (खुदरा व्यापारी और छोटे व्यवसायी) के 94,032 खातेदारों को ऋण दिये हैं और उस तारीख को इन ऋणों की बकाया रकम 45.46 करोड़ रुपये थी।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा राज्यों के आयव्ययकों का तुलनात्मक अध्ययन

5247. **श्री रा० कृ० बिड़ला**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के हाल ही में सभी राज्यों के आयव्ययकों का तुलनात्मक अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). माँगी गई सूचना का आकार बहुत बड़ा है। रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार के अध्ययन प्रतिवर्ष किये जाते हैं और ये अध्ययन बैंक के मासिकबुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अगस्त, 1970 के बुलेटिन में, राज्यों के 1970-71 के बजटों का अध्ययन किया गया है और यह बुलेटिन संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

1971-72 की वार्षिक योजना के लिये साधनों का जुटाया जाना

5248. **श्री रा० कृ० बिड़ला**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय और योजना आयोग दोनों वर्ष 1971-72 की वार्षिक योजना के लिये साधनों को जुटाने में व्यस्त हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य का इशारा वार्षिक आयोजना के लिये साधनों का अनुमान लगाये जाने की ओर है। वार्षिक बजट और वार्षिक आयोजना तैयार करते समय साधारणत: यह अनुमान लगाया ही जाता है।

Students from Madhya Pradesh to Foreign Countries for Higher Education

5249. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the number of students of Madhya Pradesh who have gone abroad for higher studies since the beginning of January, 1970;

(b) the names of the Universities to which they have gone and the subjects which they would study there; and

(c) the amount of foreign exchange given to each of the students who went abroad on their own and also to each of those who were sponsored by Government?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) (a) to (c). A statement is attached.

Statement

(a) According to the latest available information obtained from the Reserve Bank of India, the number of students of Madhya Pradesh, who have gone abroad for higher education during the period 1st January, 1970 to 30th June, 1970 was 8.

(b) The country-wise and subject-wise details of these students are given below:

Name of the country	Number of students studying			
	Engineering	Science	Physical Education	Total
1	2	3	4	5
Australia	1	—	—	1
East Germany	—	—	1	1
Japan	1	—	—	1
U. S. A.	4	1	—	5
Total	6	1	1	8

The University-wise details of these students, who have gone abroad, are not readily available.

(c) According to the Reserve Bank of India Bulletins, the amount of foreign exchange released to students who proceeded abroad from all over the country during this period averaged to Rs. 6,000 per student. The detailed break-up of foreign exchange for each student is not readily available.

Development of Indore Acrodrome

5250. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has formulated a scheme for the development of Indore aerodrome, if so, the details thereof; and

(b) whether any amount has been sanctioned for the scheme, if so, the details thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). F-27 aircraft are already operating services to Indore. It is proposed to improve the passenger lounge at the airport at an estimated cost of Rs. 30,000/-.

श्री आर० के० नायर के पास "यह जिन्दगी कितनी हसीन है" में उपयोग किये गये काले धन का पकड़ा जाना

5251. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० के० नायर के मकान पर छापा मार कर पकड़े गए कागजात से पता चला है कि उनकी फिल्म "यह जिन्दगी कितनी हसीन है" केसभी कलाकारों को काला धन दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ,तो उन कलाकारों के नाम क्या हैंऔर इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जाँच पड़ताल चल रही है। सफल जाँच-पड़ताल के हित में अभी तक की गई जाँच-पड़ताल को प्रकट करना संभव नहीं है।

Branches of Nationalised Banks in District Banda, U. P.

5252 **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of branches of nationalised banks in District Banda, Uttar Pradesh. together with the locations thereof; and

(b) whether some more branches of banks would be set up in Banda during the year 1970-71, and if so, the names of the places where these would be set up?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) (a) As of October, 1970, 11 offices of banks in the public sector were located in District Banda, U. P., as indicated below:

1. State Bank of India:	Atarra, Panda, Karwi.
2. Central Bank of India:	Banda.
3. Punjab National Bank:	Banda.
4. Allahabad Bank:	Banda, Atarra, Manikpur, Rajapur, Baberu, Mau.

(b) The Reserve Bank has issued licences to Allahabad Bank, which is the lead bank for the district, to open three more offices at Khurhand, Mahua and Naraini. Plans for opening more offices are expected to be drawn up after the lead bank survey, for identifying the centres in need of banking facilities, is completed.

Opening of Libraries in Rural Areas

5253. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has formulated any scheme to open libraries in the rural areas;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if no scheme has been formulated, whether Government propose to open libraries in the rural areas and give them adequate help to ensure the development of the rural people?

The Minister of State for Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) . (a) No, sir, as this is a responsibility of the State Governments.

(b) Does not arise.

(c) No, sir. The Government of India has taken up the issue with the State Governments. But they have not been able to undertake any worthwhile programmes in this sector due to paucity of resources so far.

चित्रकूट का विकास

5254. **श्री जगेश्वर यादव**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चित्रकूट एक महत्वपूर्ण दर्शनीयतीर्थयात्रा स्थल है तथा जहाँ लाखों की संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उस स्थान के उचित विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में चित्रकूट के विकास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह): (क) चित्रकूट की काफी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा करते हैं ।

(ख) और (ग). सीमित साधनों के कारण, जिससे प्राथमिकताओं का कठोरतया क्रम-निर्धारण अनिवार्य हो जाता है, केन्द्रीय सरकार इस समय इस स्थान के विकास कार्य को हाथ में लेने की स्थिति मेंनहीं है । तथापि, राज्य सरकार ने चौथी योजना चित्रकूट में एक पर्यटक बंगले का निर्माण करने के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Nationalised Banks

5255. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes working in the nationalised banks is already small and even then persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being recruited in the new branches being opened by these banks;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to make cent per cent recruitment from the Scheduled Castes/Scheduled Tribes for the new branches to be opened by these banks in future; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (d). It is a fact that the number of employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the nationalised banks is small because before nationalisation, the banks did not make any reservation for these classes. However, Government have issued instructions to all nationalised banks on 6-11-1970 to follow the practices obtaining in the Reserve Bank of India and State Bank of India in this connection *viz.* the reservation of $12\frac{1}{2}\%$ for Scheduled Castes in the case of all the vacancies filled by open competition and 16-2/3% where the recruitment was to be made other than by open competition and that in the case of Scheduled Tribes reservation of 5% for vacancies subject to the following stipulations:

(a) The reservations are applicable to direct recruitment only;

(b) the reservations are subject to the availability of suitable candidates and in the case of non-availability of such candidates in any year, the reserved posts shall be carried forward for a period of 2 years whereafter the unfilled posts, if any,shall be filled by other candidates.

As regards the reservation in regard to posts filled by promotion, the matter is still under consideration.

राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर मोटल स्थापित करने की योजना

5256. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने योजना आयोग के समक्ष अपने राज्य में एक वर्ष के भीतर एक करोड़ की लागत राष्ट्रीय राजपथ पर काफी संख्या में मोटल स्थापित करने के सम्बन्ध में एक योजना रखी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने योजना की क्रियान्वित हेतु केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की सहायता माँगी है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें पंजाब सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटलों की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में डिपाजिट

5257. **श्री देविन्दरसिंह गार्चा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में डिपाजिट की राशि में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रयत्नों के इच्छित फल उपलब्ध नहीं हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार यह समझी है कि नई शाखाओं पर बढ़ते हुए व्यय तथा डिपाजिट की राशि में वृद्धि न होने की वर्तमान प्रवृत्ति से बैंकों के लाभ घट जायेंगे;

(ग) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में नई शाखायें खोलने पर व्यय स्थायी रूप से बढ़ा है और राष्ट्रीयकरण के समय से लगभग 1900 शाखायें खोली गई हैं जिनमें से 65 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इतनी अधिक शाखायें खोलने पर भी डिपाजिट की राशि में वृद्धि नहीं हुई है परन्तु इससे नये ऋणों की माँग कोऔर भी बल मिला है, और जब कि अधिक ऋणों से बैंकों के लाभ भी अधिक होते हैं डिपाजिट की राशि न बढ़ने में अधिक ऋण देने में बाधा पड़ती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जमा की रकमें जुटाए जाने की स्थिति असन्तोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में, लोक-सभा के 11 दिसम्बर, 1970 के प्रश्न संख्या 4240 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) जी नहीं, किन्तु अपेक्षाकृत पिछड़े हुए क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का तेजी से विस्तार किए जाने के क्रम को और लाखों छोटे उद्यमकर्ताओं को दी जाने वाली ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों की लाभप्रदता के बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगाना समय-पूर्व होगा ।

(ग) 19 जुलाई 1969 और सितम्बर, 1970 के अन्त के बीच की अवधि में, 14 राष्ट्रीय-कृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों द्वारा 1965 नए कार्यालय खोले गए जिनमें से लगभग 65 प्रतिशत कार्यालय देहाती इलाकों अर्थात् उन स्थानों पर खोले गए हैं जिनकी जन संख्या 10,000 से कम है अतः इस वर्ष शाखाओं के विस्तार पर किया जाने वाला खर्च, स्वाभाविक रूप से उस खर्च की अपेक्षा अधिक है जो गत वर्षों में किया जाता रहा है।

(घ) और (ङ). जी नहीं; किन्तु यह एक सर्वविदित सत्य है कि उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए ऋण की माँग में वृद्धि होगी और इसलिए जमा के लिए पर्याप्त मात्रा में रकमें जुटाने के लिए अवश्य ही प्रयत्न करने होंगे।

भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई अनुमति

5258. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी और किन-किन विदेशी फर्मों ने अपने सभी शेयर भारत की फर्मों को बेचने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति माँगी है;

(ख) इन शेयरों को खरीदने वाली भारतीय फर्में कौन-कौनसी हैं और उनकी संख्या क्या है ?

(ग) क्या ऐसी अनुमति देने से पूर्व सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन शेयरों का सौदा उन शेयरों के बाजार- भाव पर ही हो और भारतीय फर्म विदेशी फर्मों को उनका मूल्य अधिक न दें;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और एकाधिकार प्रवृत्ति न पनपने देने की सरकारी नीति के अनुरूप क्या यह भी सुनिश्चित कर लिया जाता है कि इन शेयरों को खरीदने वाली भारतीय फर्मों का इस क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित न हो; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य के ध्यान में भारत में निगमित उन कम्पनियों के मामले हैं जिनके अधिकाँश शेयर किसी विदेशी कम्पनी अथवा फर्म अथवा कुछ व्यक्तियों के संघ के पास हों और वे सभी शेयर भारत में किसी पार्टी के पास एक ही सौदे में बेचने का प्रस्ताव हो। रिजर्व बैंक आमतौर पर ऐसे सभी आवेदन-पत्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेज देता है। हाल ही में रिजर्व बैंक से, इस प्रकार का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जब कभी इस प्रकार का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होता है, तो सरकार इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करती है कि शेयर के मूल्य का न केवल तत्कालीन बाज़ार मूल्य (यदि शेयर सुचीबद्ध (कोडिट) हों) के अनुसार तय किया जाय बल्कि वह शेयर के वास्तविक मूल्य और लगाई गई पूँजी की लाभ कमाने की क्षमता के भी अनुरूप हो।

(घ) यदि प्रस्ताव एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात मक व्यापार प्रणाली अधिनियम की धारा 23 के खण्ड (4) के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है तो उसे अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटाया जाता है।

(ङ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

लेखा परीक्षा कार्य का लन्दन स्थित लेखा परीक्षा कार्यालय को हस्तान्तरण

5259. **श्री शशि भूषण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग ने हाल ही में किये गये कार्य को लन्दन स्थित लेखा परीक्षा कार्यालय को हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया है ।

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिये कितने व्यक्ति लन्दन भेजे जायेंगे और इसमें प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी;

(ग) ब्रिटेन के अतिरिक्त ऐसे कौन-कौनसे देश हैं जिनमें भारत भारी मात्रा में खरीद करता है;

(घ) क्या उन देशों में भी लेखा परीक्षा कार्य के लिये कुछ व्यक्तियों को भेजा जायेगा;

(ङ) दूसरे देशों को छोड़कर केवल लन्दन में ही लेखा परीक्षा कार्य किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) विदेश भेजे जाने वाले व्यक्तियों का चयन किस आधार पर किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दो लेखा परीक्षक तथा तीन लेखा परीक्षा लिपिक । इस प्रयोजन के लिए कोई नए पद नहीं बनाये गये हैं और न कोई अतिरिक्त बजट व्यवस्था ही आवश्यक है। ऊपर बताये गये कर्मचारियों के स्थानान्तरण में ग्रस्त विदेशी मुद्रा, जिसमें उनका मार्ग-व्यय शामिल है, लगभग 8,594 डालर है ।

(ग) अमेरिका ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) योरूप में स्थित मिशनों/व्यापारिक संस्थानों से संबंधित लेखा परीक्षा तथा लेखा कार्य को लन्दन में केन्द्रीकृत करने का उद्देश्य बेहतर समन्वय तथा कारगार लेखा परीक्षा व्यवस्था जुटाना और साथ ही लेखा परीक्षा आपत्तियों के निपटान के संबंध में अनावश्यक पत्र व्यवहार तथा विलम्ब को टालना है ।

(च) इन पदों के लिए चुनाव, महालेखाकारों के कार्यालयों में सेवारत कर्मचारियों की उपयुक्ता के आधार पर किया जाता है ।

Closure of Clearing Houses in Bihar

5260. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Clearing Houses at several centres in Bihar remained closed from the 28th August to the 22nd November, 1970, in protest against the suspension of four employees of Bihar Bank Branch of the State Bank of India;

(b) whether it is also a fact that the situation returned to normal after the suspension orders against the said four employees were withdrawn unconditionally by the authorities of the bank;

(c) if so, whether Government have paid full salaries to those employees for the period they remained suspended; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Bank of India, after consulting the recognised Union, reviewed the position and withdrew orders of suspension on the four employees. Normal working in the clearing houses resumed thereafter.

(c) and (d). It is understood full salaries and allowances to these four employees will be paid by the State Bank of India.

Pay Scales of Employees in Different Banks

5261. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the pay scales being given to the employees of the State Bank of India are different from those being given to the employees of the nationalised banks in the country;

(b) whether it is also a fact that the employees of Bihar Bank Branch of the State Bank of India located in Patna are being given pay scales, which are different from those referred to in part (a) above;

(c) if so, the reasons for such a discrimination;

(d) whether Government propose to give pay scales to all the employees of nationalised banks (including those of the Bihar Bank) which are being given to the employees of the State Bank of India; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The minima, maxima and the span of the pay scales given to the Award Staff in the State Bank of India are the same as those being given to the Award Staff of the nationalised banks. The incremental pattern of the State Bank of India pay scales, is, however, slightly different from that of the nationalised banks;

(b) and (c). The terms and conditions of service of the Award Staff of the erstwhile Bank of Behar Ltd. taken over by the State Bank of India are governed by the scheme of amalgamation of that Bank with the State Bank of India as sanctioned by the Central Government on the 5th December, 1969. However, the employees of the erstwhile Bank of Behar Ltd. have been fitted in the State Bank of India pay scales with the effect from the 1st January 1970, in conformity with the provisions of the above scheme and on the basis of an agreement arrived at with the recognised Union.

(d) No. Sir,

(e) There is no proposal to equate the pay scales of the employees of all banks with those of the State Bank of India. Every bank will have to fix the pay scales of its employees keeping in view its financial resources and other factors.

Strikes by Teaching and Non-Teaching Staff of Universities in Bihar

5262. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the teachers of affiliated colleges of Bihar and non-teaching staff working in all the five Universities of Bihar went on an indefinite strike in order to get their demands fulfilled;

(b) if so, how long the said stricke continued;

(c) whether any memoranda were submitted by them in regard to their demands, if so, the details thereof and the reaction of Government thereto; and

(d) whether it is also a fact that thirty Members of Parliament had also written a letter to him in regard to the said strike, if so, the contents thereof and the action takan by Government in the matter?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K. R. V. Rao) : (a) According to available information, the teachers of the affiliated colleges and the non-teaching employees of the affiliated and constituent colleges in Bihar had proceeded on an indefinite strike from November 19, 1970 in respect of their demands.

(b) The non-teaching employees have called off their strike with effect from December 14, 1970. The teachers are still on strike.

(c) I have received a copy of the Memorandum of demands of the Federation of University Teachers' Associations of Bihar reportedly submitted to the Education Minister of Bihar. The following demands have been listed therein:—

(i) Parity of salary scales as between the teachers and Principals of the affiliated and constituent colleges;

(ii) Grant of salary scale of Rs. 250-575 to the Demonstrators in colleges;

(iii) Security of payment of salary to the teachers;

(iv) Dearness Allowance at Central Government rates;

(v) Medical, House Rent and other allowances, in accordance with the principle of parity;

(vi) Replacement of college governing bodies by managing committees, and their reconstitution, pending take-over by the Government of all the colleges in the State; and

(vii) Proportional representation of teachers of affiliated colleges on university bodies, and of non-teaching employees and students on the Senate.

The demands are under the consideration of the Government of Bihar.

(d) Yes. Sir. While acknowledging that the demands relate to the State Government, the signatories had sought my intervention to get the dispute settled between the striking teachers and the non-teaching employees on the one hand and the Government of Bihar on the other.

On receipt of this letter, I had written to the Chief Minister of Bihar in the matter.

Rules for Holding Meetings of the Consultative Committees of Various Ministries

5263. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are some definite rules for holding the meetings of the Consultative Committees for various Ministries of the Government of India, if so, the datails thereof;

(b) the names of the Committees whose meetings have been held according to the rules;

(c) whether it is also a fact that the meetings of some of the Consultative Committees have not been convened during the interregnum between the two sessions of Parliament; and

(d) if so, the names thereof and the reasons for not convening their meetings according to the rules?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) After the fourth Lok Sabha came into being the question regarding the functioning ef Consultative Committees was discussed with the Leaders of various Opposition Parties and in order to make the working of these Committees more purposeful certain 'guidelines'to regulate their functioning were revolved. Item 5 of the guidelines reads as under:

> "Meeting of the Committees should be normally arranged during session period. It has also been agreed to bold one meeting of each Committee during inter-session period and the date of that meeting may be decided if possible, during the previous meeting. The duration of the meeting should be left to the Chairman depending on the business to be transacted."

(b) to (d). Names of 25 Consultative Committees which have been constituted and the dates when their meetings were held during the year's 1969-70 are given in the attached statement. **[Placed in Library See No. LT 4640/70]** It will be seen therefrom that mettings of all the Committees are generally held accofding to Guidelines except in some cases under unavoidable circumstances.

शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना

5264. **श्री मुहम्मद शरीफ**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है। फिर भी, अगली योजना के लिए, विकास प्रस्तावों के बनाने में, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका के इस पहलू की ओर विशेष ध्यान देने का विचार है।

चक्रवात-तूफान का पारादीप पत्तन पर प्रभाव

5265. **श्री मुहम्मद शरीफ:** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 12 नवम्बर, 1970 के पूर्वी पाकिस्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में आए चक्रवात-तूफान का प्रभाव पारादीप पत्तन पर भी पड़ा है, और

(ख) क्या उसके परिणामस्वरूप उक्त पत्तन की कोई हानि हुई और यदि हाँ, तो कितनी ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). पारादीप पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि समुद्री तूफान, जो उस क्षेत्र में 12-11-1970 को आया, से दक्षिणी पनकट दीवार के पश्चजल ढलानों के कुछ मार्गों को क्षति पहुँची है और बोलडर लुढक आये, अभिघर्षण, इत्यादि हुए। पत्तन न्यास ने आपाती मरम्मत पहिले ही शुरू करदी है और उसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

केरल के तवन्नूर रूरल इंस्टीट्यूट में वेतनमान

5266. **श्री पी० विश्वम्भरन:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को केरल के तवन्नूर रूरल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया है कि उनके वेतनमान केरल सरकार के कर्मचारियों के समान किये जायें;

(ख) यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन पर उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस विषय पर उस इंस्टीट्यूट के प्राधिकारियों की सिफारिश को स्वीकार करने में केन्द्रीय सरकार के सामने क्या अड़चन हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में ग्रामीण संस्थान तवन्नूर का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

बंगलौर में सोना पकड़ा जाना

5267. **श्री नारायणन :**
श्री दंडापाणि:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 29 अक्टबर, 1970 को बंगलौर में 4 लाख रुपये का सोना पकड़ा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) उत्तरदायी ठहराये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) बंगलौर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्त्ता-कार्यालय के अधिकारियों ने 19 अक्टूबर, 1970 को गिरवी रख कर ऋण देने वाले एक व्यक्ति के व्यापरिक तथा आवासीय स्थानों की तलाशी ली तथा दोनों भवनों में से प्रत्येक से विदेशी मार्के के दस-दस तोले के 100 टुकड़े (कुल 200 टुकड़े) पकड़े। लगभग 23.3 किलोग्राम वजन का पकड़ा गया सोना, भारतीय बाजार दर पर लगभग 4.1 लाख रुपया तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर लगभग 2.00 लाख रुपयों के मूल्य का होता है।

(ख) तथा (ग). एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया तथा उसे 20 अक्टूबर, 1970 को बंगलौर के सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। 20,000 रुपयों के जमानती बाण्ड तथा व्यक्तिगत बाण्ड देने पर, मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का मुद्रण

5268. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा आयोग के प्रथम प्रतिवेदन की कितनी प्रतियाँ छपी गई थी;

(ख) प्रतिवेदन को छापने वाले मुद्रक का नाम क्या है; और छापी गई प्रतियों की संख्या क्या है और उस पर कितनी लागत आयी और उनके वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन को पुनः छापने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या छपाई के लिये आदेश दिया गया है; और

(ङ) क्या इसके लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे और उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसका टेंडर स्वीकार किया गया था और कितनी प्रतियों के लिये तथा कितनी लागत पर छपाई के लिए आदेश दिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) 20,000

(ख) प्रारम्भ में भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की 14,000 प्रतियाँ छपी थीं तथा उनकी उत्पादन लागत 87,978 रुपये थी। बाद में उनके द्वारा 6,000 और प्रतियाँ छापी गई थीं। जो प्रतियाँ निशुल्क वितरण के लिए आरक्षित रखी गई थी, उनको छोड़कर शेष सभी प्रतियाँ 10 रुपये प्रत्येक प्रति की दर से बेचने के लिए थीं।

संसद सदस्यों, भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों, प्रमुख शिक्षाविदों तथा भारत और विदेशों के कुछ चुने हुए शैक्षिक संस्थानों में रिपोर्ट वितरित की गई थी।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा रिपोर्ट छापी जा रही है, जिसमें चार खण्डों में रिपोर्ट की प्रति खण्ड 10,000 प्रतियाँ से एक वृहद् खण्ड में 5000 प्रतियों के पुनः मुद्रण के

लिए टेंडर माँगे थे। यह कार्य सबसे कम लागत का टेंडर भेजने वाले मेसर्स श्री सरस्वती प्रेस लि० कलकत्ता को सौंपा गया था। छपाई तथा कागज पर होने वाला कुल अनुमानित व्यय 3,10,000 रुपये है।

कलकत्ता राज्य परिवहन की बसें

5269. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता राज्य परिवहन निगम की 47.3 प्रतिशत बसें उपयोग करने योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). महानगर परिवहन सेवाओं के कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार 31-3-1970 को कलकत्ता राज्य परिवहन निगम की कुल 1093 बसों के बेड़े में से 47.3 प्रतिशत बसें 10 वर्षों से अधिक पुरानी हैं।

(ग) निगम ने 1970-71 तथा 1971-72 में 150 पुरानी बसों का नवीनीकरण करने का तथा 200 नई बसें लेने का कार्यक्रम बनाया है। निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में 20 दोमंजिली बसें तथा 133 एक मंजिली बसें खरीदने के लिए पहले ही आदेश दे दिये हैं।

श्री आर० पी० गोयन्का, मैसर्स बालमोर लौरो और मैसर्स डंकन ब्रादर्श एण्ड कम्पनी लिमिटेड के नियंत्रण आधीन कम्पनियों द्वारा अन्तर्निगम निवेश

5270. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में मेसर्स श्री आर० पी० गोयन्का, मैसर्स बालमीर लौरी और मैसर्स डंकन ब्रादर्श एण्ड कम्पनी लिमिटेड के नियंत्रण अधीन कम्पनियों द्वारा किये गये अन्तर्निगम निवेश का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या प्रबन्ध अभिकरण पद्धति के उन्मूलन के पश्चात्, अन्तर्निगम निवेश, बड़े व्यापार ग्रहों के लिए कम्पनियों पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या अन्तर्निगम निवेश के सम्बन्धमें कोई नया प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) आवश्यक सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) अन्तः निगम निवेश, निगम नियंत्रण विस्तृत करने में सहायक होते हैं।

(ग) यह विषय विचाराधीन है।

चार्टर्ड एकाउटेंटों द्वारा लागत लेखा परीक्षा

5271. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय कार्य विभाग द्वारा समवाय अधिनियम की धारा 642 के अधीन एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंटों की लागत लेखा परीक्षा करने का अधिकार दिया गया है बावजूद इसके कि लगभग 150 कम्पनियों के लिये, जिनकी लागत लेखा की लेखा परीक्षा किये जाने के आदेश दिये गये हैं, लगभग 180 कास्ट एकाउंटेंट व्यवहारिक तौर पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि यदि एक ही कोटि के लोग वित्तीय तथा लागत लेखे का काम करेंगे, तो लागत लेखा परीक्षा का उद्देश्य व्यर्थ होगा ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) शास-प्राप्त लेखाकारों के लिये लागत लेखा-परीक्षा करने के लिये कुछ योग्यतायें विहित करते हुए एक अधिसूचना प्रेषित की थी । इससे प्रत्येक शास-प्राप्त लेखाकार, यह कार्य करने के योग्य नहीं हो जाता ।

(ख) यह परामर्श दिया गया था कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख की उप-धारा (1) के अन्तर्गत शास-प्राप्त लेखाकारों के लिए योग्यताओं का विनिध्तन, अधिदेशक है ।

(ग) ऐसा होने की आशा नहीं है, क्योंकि भारतीय शास-प्राप्त लेखाकार संस्थान द्वारा प्रेषित एक अधिसूचना के अनुसार, संस्थान का एक सदस्य, जबकि वह, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अन्तर्गत एक कम्पनी का लेखा-परीक्षक हो, और अधिनियम की धारा 233 ख के अन्तर्गत उसी कम्पनी में लागत-लेखा परीक्षक के पद को स्वीकार करें तो वह व्यावसायिक दुराचार का दोषी होगा ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं का विकास

5272. **श्री केदार नाथ सिंह:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में कई बार परिवर्तन होने के कारण उस राज्य में पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं का विकास बहुत धीमी गति से हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ विभिन्न पर्यटन योजनाओं की क्रियान्विति निर्धारित समय से कितनी पीछे है; और

(ग) उनके शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु योजनायें

5273. **श्री केदार नाथ सिंह:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च होगी तथा उसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा कितनी केन्द्रीय सहायता तथा अन्य सहायता दी गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	बजट व्यवस्था 1970-71	1971-72
		(लाख रुपयों में)	
	केन्द्रीय पर्यटन स्कीमें		
1.	वाराणसी में पर्यटक स्वागत केन्द्र	4.00	—
2.	कोसी में कैफेटीरिया	1.00	—
3.	आगरा में पर्यटन सुविधाओं का विकास	—	7.10
	योग	5.00	7.10
	राज्य पर्यटन स्कीमें		
1.	मुनि की रेती, देवप्रयाग, रूद्रप्रयाग, तथा श्रीनगर (एक्सटेंसन) में तीर्थयात्री शेडों का निर्माण	5.78	2.70
2.	मसूरी हरिद्वार (एक्सटें सन), पौड़ी, महोबा, ऋषिकेश, लखनऊ (एक्सटें सन), इलाहाबाद (एक्सटेंशन), चित्रकूट तथा मथुरा में पर्यटक बंगलों का निर्माण ।	6.39	6.90
3.	अलमोड़ा में हॉलिडे होम	0.50	1.00
4.	वर्तमान आवास में सुधार	0.80	0.72
	योग	13.47	11.32

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में भारतीय इक्विटी शेयर होल्डर

5274. **श्री भगवान दास:** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोज़गार के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की स्थिति परस्पर विरोधी है क्योंकि गत आठ वर्षों में इसकी विकास दर अत्यधिक रही है और इसके कर्मचारियों में 25 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) क्या इस संदर्भ में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी विदेशी गौण कम्पनी की उपयोगिता का प्रश्न विचाराधीन है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है कि एसी कम्पनियों की 51 प्रतिशत इक्विटी पूंजी भारतीय हो ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के तुलन-पत्रों में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कम्पनी की कुल परिसम्पत्तियाँ 31-12-62 से 17.9 करोड़ रुपयों से, 31-12-69 में 31.8 करोड़ रुपये बढ़ गईं। इसी अवधि के मध्य, वेतनों एवं भृत्तियों का व्यय (उपदान, भविष्य निधि तथा कर्मचारियों के कल्याण व्यय, आदि समेत) 3.8 करोड़ रुपयों से 7.7 करोड़ रुपये बढ़ गया। कर्मचारियों की संख्या की बाबत सूचना, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत भेजना, अपेक्षित नहीं है।

(ख) इस विभाग में ऐसे किसी पुनर्विलोकन का आयोजन नहीं है।

(ग) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तथा इसी प्रकार की अन्य कम्पनियों में, भारतीय हिस्सा भागिता को बढ़ाने का प्रश्न, विचाराधीन है।

Expenditure on Organising various winter Sports in Gulmarg (Kashmir)

5275. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the expenditure likely to be incurred on organising various winter sports in Gulmarg (Kashmir);

(b) whether Government propose to open a similar sports centre in Himachal Pradesh also;

(c) If so, the location thereof and the estimated expenditure involved therein; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) An outlay of Rs. 280 lakhs has been proposed in the Fourth Plan for developing Gulmarg as a winter sports resort which provides for the construction of a hotel, a ski school, an aerial ropeway and other amenities.

(b) Not at present.

(c) Does not arise.

(d) Due to limited funds it is not possible to take up such a scheme in Himachal Pradesh for the present.

अशोका होटल लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लिया गया सेवा शुल्क

52.76. **श्री एस० एन० मिश्र**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की अवधि में अशोका होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा सेवा शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूल की है;

(ख) क्या इन सेवा शुल्कों को अशोका होटल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के मध्य बाँट दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई लेखा अथवा शीर्ष है; और

(घ) यदि हाँ, तो 31 मार्च, 1970 को सेवा शुल्कों की कितनी धन राशि बकाया बची थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) 1-4-1969 से 27-3-1970 तक की अवधि के दौरान अशोक होटल ने सेवा प्रभार के रूप में 15,66,141 रु० की राशि एकत्रित की थी ।

(ख) दिल्ली के होटल और रेस्टोरेन्टों के लिए वेज बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इन कर्मचारियों को सेवा प्रभार के स्थान पर महंगाई भत्ता दिया जाता है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) सेवा प्रभार के रूप में एकत्रित की गई समस्त राशि का वेज बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार विनियोग किया जा चुका है ।

सोने तथा चाँदी का आयात

5277. **श्री एस० एन० मिश्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1969-70 में देशवार कुल कितना सोना तथा चाँदी का आयात किया गया और उसका कितना मूल्य था;

(ख) इन आयातों में कितना सोना तथा चाँदी सरकारी कार्यों के लिये खर्च किया गया; और

(ग) वर्ष 1969-70 में सोना तथा चाँदी किस दर पर आयात किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग). वित्त वर्ष 1969-70 में सरकार द्वारा सोने या चाँदी का कोई आयात नहीं किया गया था । गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए, यद्यपि चाँदी के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किये गये थे लेकिन उक्त अवधि में सोने का निम्नलिखित आयात किये जाने की अनुमति दी गयी थी:

देश	मात्रा (ग्राम)	मूल्य (रुपये)
ब्रिटेन	29507.350	274,103
डोहा	5249.668	44,622
कुवैत	80997.570	691,457
दुबई	3148.800	26,765
बहरीन	1166.100	9,912

इन आयातों की आभूषण बनाने और उन्हें पुनः निर्यात करने के लिए अनुमति दी गयी थी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे तथा बड़े उद्योगों को दिया गया अग्रिम धन

5278. **श्री एस० एन० मिश्र:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1970 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में, छोटे तथा बड़े उद्योगों को कितना अग्रिम धन दिया गया;

(ख) बड़े तथा छोटे उद्योगों को इन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आगामी वित्तीय तिमाहियों में कितना अग्रिम धन दिया जायेगा;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं के लिए लिये जाने वाले ब्याज की दर क्या है; और

(घ) बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऐसे अग्रिम धनों के लिए ब्याज की दर क्या थी तथा अब क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मार्च 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में बड़े पैमाने के उद्योगों को दिये गये धनों की राशि के आँकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों के आँकड़े नीचे दिये गये हैं:—

(राशि करोड़ रुपयों में)

	जुलाई 1969 के अंतिम शुक्रवार को		मार्च 1970 के अंतिम शुक्रवार को	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
(क) छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण	36927	135-09	57800	198-74
(ख) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए ऋण		0-13	17	0-25

(ख) बड़े पैमाने के उद्योगों को दिए गए ऋणों से सम्बन्धित जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गए ऋणों के आँकड़े नीचे दिए गए हैं:—

(राशि करोड़ रुपयों में)

	जून 1970 के अंतिम शुक्रवार को		अगस्त 1970 के अंतिम शुक्रवार को	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
(क) छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गये ऋण	57583	206-45	61447	205-68
(ख) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए ऋण	24	0-45	41	0-53

(ग) और (घ): राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों के ब्याज की वार्षिक दर 7¾ प्रतिशत से लेकर 9½ प्रतिशत होता है जो ऋण की किस्म पर निर्भर करती है। अन्य किस्मों के ऋणकर्ताओं के मामले में (उन ऋणकर्ताओं को छोड़कर, जिनको लदान-पूर्व अथवा लदान-पश्चात् ऋण दिये गये हैं और जिनके ब्याज की दर 6 प्रतिशत होगी) ब्याज का वार्षिक दर 7½ प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक होती है जो ऋण की किस्म पर निर्भर करती है। कुछ खास वस्तुओं के एवज़ में दिये जाने वाले ऋणों के मामले में, सभी अनुसूचित बैंकों के लिये यह जरूरी है कि वे कम से कम 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लें।

ब्याज की उपर्युक्त दरें मार्च-जून, 1970 से लागू हैं। इस अवधि से पहले, दरें ½ प्रतिशत से 1½ प्रतिशत कम थीं, जिनका कारण यह था कि रिजर्व बैंक ने ब्याज की दरों की उच्चतम सीमा निर्धारित कर रखी थी। यह उच्चतम सीमा जनवरी, 1970 में हटा दी गई थी। अप्रैल, 1970 से कुछ प्रकार की जमा-रकमों के ब्याज की दर भी बढ़ा दी गई है। इन दो बातों के कारण ब्याज की दर में थोड़ी सी वृद्धि करना जरूरी हो गया था; बैंकों द्वारा आमतौर पर मार्च से जून 1970 तक की अवधि में यह वृद्धि कर दी गई थी।

आपात जौखिम (कारखाना) बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वसूल की गई राशि

5279. **श्री एस० एन० मिश्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपात जौखिम (कारखाना) बीमा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत, उसके लागू होने की तिथि से उसके समाप्त होने की तिथि तक, कुल कितनी राशि सरकार द्वारा एकत्र की गई;

(ख) वित्तीय वर्ष 1969-70 के अन्त तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी कारखाने को कुल कितनी राशि दी गई; और

(ग) वसूल की गई राशि में से कितनी राशि कर्मचारियों पर और जौखिम तथा बीमा प्रीमियमों एवं जुर्माना वसूल करने पर खर्च की गई?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) आपात जौखिम (कारखाना) बीमा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत 1-1-1963 से 31-1-1968 तक कुल 35.75 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ।

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत 1969-70 के अन्त तक दावों के निपटारे में 81.43 लाख रुपये का भुगतान हुआ।

(ग) 31-1-1970 तक कुल 61.54 लाख रुपये खर्च हुए।

निषिद्ध सोने का पकड़ा जाना

5280. **श्री एस० एन० मिश्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1969-70 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्यवार कितने निषिद्ध सोने का पता लगा तथा कितना निषिद्ध सोना पकड़ा गया;

(ख) उक्त निषिद्ध सोने की बिक्री कैसे की गई; और

(ग) वसूल की गई धनराशि में से कितनी धनराशि को सरकारी खजाने में जमा किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) राज्य-वार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1969-70 में पता लगाये गये तथा पकड़े गये निषिद्ध सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर 4.90 लाख रुपये है।

(ख) और (ग): वर्तमान परिपाटी के अनुसार जब ऐसा सोना जब्ती के बाद, निपटान योग्य हो जाता है तो उसे सरकारी टकसालों में जमा किया जाता है जहाँ इस सोने का हिसाब रखा जाता है। ऐसे सोने के मूल्य के एवज में सीमाशुल्क विभाग के खाते जमा किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

रूस और अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के दौरे पर गये व्यक्ति

5281. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को दौरे पर गये व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई और उनमें से किन किन व्यक्तियों को सम्बद्ध देशों की सरकारों अथवा वहाँ के अन्य संगठनों ने बुलाया था;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो इन देशों को, सम्मेलन में भाग लेने, राजनीतिक अथवा अन्य उद्देश्य से गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (घ): सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

मंत्रियों की संपत्ति

5282. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष में वित्त मंत्रालय को केन्द्रीय अथवा किसी राज्य के मंत्रियों के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त मंत्रियों, उनके पुत्रों, उनकी पुत्रियों और उनके दामादों की सम्पत्ति में औसत से अधिक वृद्धि हुई है;

(घ) सरकारद्वारा प्रत्येक मंत्री तथा उसके आश्रितों की सम्पत्तियों के बारे में सर्वेक्षण न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत दो वर्षों में विभाग द्वारा स्वयं ही जिन मंत्रियों की संपत्ति का पता लगाया गया है उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) सामान्य कार्यविधि यह है कि जब विभाग को न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक आय वाले किसी व्यक्ति का पता चलता है तब विभाग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कर-निर्धारण की कार्यवाही शुरु कर देता है और यदि कोई परिसंपत्तियाँ होती हैं तो कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान उनके अभिग्रहण, के विषय में पूछताछ भी की जाती है । इस कार्यविधि को मंत्रियों के मामलों सहित सभी मामलों में अपनाया जाता है ।

"यह जिन्दगी कितनी हसीन है" फिल्म को विदेशों में बनाने के लिये प्राप्त किये गये "पी" फार्म का दुरुपयोग

5283. **श्री सूरजभान**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माता श्री आर० के० नैयर को अपनी फिल्म "यह जिन्दगी कितनी हसीन है" विदेशों में बनाने के लिये अनुमति उनके द्वारा यह घोषणा करने पर दी गई थी कि विदेशों में इस फिल्म के बनाने पर जो लागत आयेगी उसे विदेशी वितरकों द्वारा पूरा किया जायेगा;

(ख) क्या उनकेनिवास स्थान पर मारे गये छापे के दौरान पकड़े गये पत्रों से यह पता लगता है कि विदेशी वितरकों द्वारा इस फिल्म पर आने वाली लागत नहीं दी गई थी और कि भारत से ही धन को अवैध रूप से बाहर भेजा गया था;

(ग) क्या यह सच है कि यूनिट के सदस्यों के रूप में "पी" फार्म पर ऐसे व्यक्तियों को शूटिंग के लिये विदेश ले जाया गया था जिनका इस फिल्म से कोई सम्बन्ध नहीं था और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या पकड़े गये पत्रों से यह भी पता लगा है कि श्री नैयर द्वारा विदेशों की यात्रा हेतु "पी" फार्म प्राप्त करने के लिये नकली आमंत्रण पत्रों का प्रबन्ध किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (घ): श्री आर० के० नैयरको 'जिन्दगी कितनी हसीन है" फिल्म की स्थान-विशेष पर जाकर शूटिंग करने के लिए अपने दल को विदेश ले जाने की अनुमति दी गई थी। प्रश्न के अन्य भागों के बारे में सूचनाइकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सरकारी कर्मचारियों की साँकेतिक हड़ताल

5284. **श्री दण्डपाणि:**
श्री मयाबन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने 1 दिसम्बर, 1970 को साँकेतिक हड़ताल की थी और अपना वेतन नहीं लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उस दिन अपना वेतन नहीं लिया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). बहुत से केन्द्रों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अन्तरिम राहत की रकम के बारे में अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए वेतन-दिवस अर्थात् 30 नवम्बर/2 दिसम्बर को अपना वेतन नहीं लिया। इस प्रकार वेतन नहीं लेने वाले कर्मचारियों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। अन्तरिम राहत की मंजूरी के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है और अन्तरिम राहत उसी अनुसार मंजूर की गई है। इसलिए सरकार वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी।

Revision of Pay Scales of Teachers of Delhi Primary Schools

5285. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Calling Attention Motion on the 18th November, 1970 and state:

(a) whether any decision has since been taken in regard to the revision of the pay-scales of the Primary Schools teachers of Delhi;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of the teachers thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Setting up of a Committee Regarding Improvement in the Working of Nationalised Banks.

5286. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Indrajit Gupta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up a Committee to suggest improvements in the working of the nationalised banks; and

(b) if so, the terms of reference of the said Committee and the names of its members ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). The proposal is under consideration.

संबलपुर में जीरा नदी पर सड़क पुल

5287. **श्री श्रद्धाकर सूपकार**: क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर संबलपुर जिले में जीरा नदी पर पुराना पुल बहुत जीर्ण-शीर्ण तथा खतरनाक स्थिति में है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित नया सड़क पुल यातायात के लिये किस तिथि को खोला जायेगा?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, हाँ। परन्तु पुल हल्के वाहनों के यातायात को ले जाने के हेतु अनुरक्षित किया जा रहा है।

(ख) उक्त पुल के स्थान पर नये पुल पर कार्य शुरू कर दिया गया है और इसकी 1972 के बरसात से पहले यातायात के लिये खोले जाने की संभावना है।

श्री आर० एन० गोयनका के पुत्र द्वारा तिरुपति न्यास से लिये गये ऋण का कथित दुरुपयोग

5288. **श्री रवि राय**: क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्री आर० एन० गोयनका के एक पुत्र को तिरुपति देवस्थानम समिति के एक सदस्य के रूप में नामाँकित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि वह अपने पद का उपयोग न्यास से बड़े-बड़े ऋण प्राप्त करने के लिये करते रहे थे और इन ऋणों से उन्होंने इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी के अंश खरीदे थे; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार के सौदेबाजी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) राज्य सरकार से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या श्री आर० एन० गोयनका का पुत्र, तिरपाला तिरुपति देवस्थान के न्यास मंडल का सदस्य मनोनीत किया गया है।

(ख) तथा (ग). उस समय के कानून एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा, 13 मई, 1969 को दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस बाबत गत वर्ष मई में दिये गये वक्तव्य को अनुवर्ती, तथ्यपूर्ण स्थिति, सुनिश्चित की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को ऋण

5289. **श्री रवि राय**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विद्यार्थियों को ऋण दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो जुलाई, 1970 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में उन्हें कितनी धनराशि के ऋण दिये गये;

(ग) विद्यार्थियों को ऋण देने का क्या मापदण्ड है; और

(घ) विद्यार्थियों को अधिक ऋण देने के लिए वर्तमान पद्धति को उदार बनाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान दिये गये ऋणों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि राष्ट्रीयकरण के बाद से, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शैक्षणिक ऋणों के रूप में मंजूर किये गये अग्रिमों और जुलाई 1970 के अंतिम शुक्रवार को बकाया रकमों के सम्बन्ध में आँकड़े नीचे दिये गये हैं ।

(रकम करोड़ रुपयों में)

जुलाई 1969 के अन्तिम शुक्रवार को		**जुलाई 1970 के अंतिम शुक्रवार को**	
खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
1534	0.91	5103	2.06

(ग) भारत में अथवा विदेश में, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से तैयार की गई योजनाओं की मोटी-मोटी बातें इस प्रकार हैं:—

(1) **पात्रता** : स्नातकोत्तर अध्ययन करने के इच्छुक विद्यार्थी का शैक्षणिक रिकार्ड लगातार अच्छा होना चाहिए और वह अंतिम परीक्षा में प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए । उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर किन्तु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ये ऋण, कला, विज्ञान (शुद्ध और व्यावहारिक) वाणिज्य, अर्थ-शास्त्र तथा अन्य सामजिक विज्ञानों, व्यापार/औद्योगिक प्रबन्ध, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और कृषि संकायों (फैकल्टी) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त, डाक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विषयों में से किसी भी विषय में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर शोधकार्य के लिये, ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(2) **प्रयोजन** : ये ऋण शिक्षण-शुल्क, पुस्तकों की लागत, उपकरणों आदि के खर्च को पूरा करने के लिये दिये जाते हैं । विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के मामले में, उन विद्यार्थियों को, विदेश में उनके अध्ययन स्थल तक एक तरफ के हवाई जहाज़ के किराए के लिए भी ऋण दिये जाते हैं ।

(3) **ऋण की राशि** : (i) भारत में अध्ययन के लिये, पाठ्यक्रम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए 2000 रुपये से 6500 रुपये तक ऋण दिये जाते हैं ।

(ii) विदेश में अध्ययन के लिये , प्रत्येक मामले में विद्यार्थी की आवश्यकता और उसकी ऋणशोधन-क्षमता को ध्यान में रखते हुए, 5000 रुपये से 35000 रुपये तक ऋण मंजूर किये जाते हैं । ऋण की रकम किश्तों में दी जायगी ।

(4) **वापसी अदायगी**: ऋण की वापसी अदायगी, अध्ययन की समाप्ति के एक वर्ष बाद से अथवा नौकरी मिल जाने पर, दोनों में जो भी पहले हो, तीन वर्षों की अवधि में मासिक/छमाही किश्तोंमें करनी होती है ।

(5) **ब्याज की दर**: अधिकतर बैंक, इन ऋणों पर लगभग 9½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल करते हैं । कुछ बैंक किस्तों की ठीक समय पर अदायगी करने वालों को 1 प्रतिशत वार्षिक की दर से छूट देते हैं ।

(i) पाठ्यक्रम की अवधि दो से तीन वर्ष तक होनी चाहिए और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ii) विद्यार्थी को, माता-पिता/अभिभावक अथवा किसी तीसरे पक्ष की गारंटी देनी होगी ।

(iii) विद्यार्थी के लिए यह भी जरूरी है कि वह ऋण के बराबर रकम को अपने जीवन की बन्दोबस्ती जीवन बीमा पालिसी ले और उसे बैंक के नाम करे । यदि विद्यार्थी अपने साधनों में से , अपने प्रीमियम की अदायगी करने में असमर्थ हो जाये तो उस स्थिति में उसके प्रीमियम की अदायगी ऋण की रकम में से की जायगी ।

कुछ बैंकों ने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिये भी इस प्रकार की योजनायें तैयार की हैं ।

(घ) शैक्षणिक ऋणों की शर्तें बिलकुल उदार हैं ।

एक अपंजीकृत कम्पनी द्वारा चीन के हमले के विरुद्ध प्रचार कार्य के लिए धन की वसूली

5290. **श्री रवि राय**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नेशनल पब्लिसिटी फोर्म नामक एक अपंजीकृत कम्पनी ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध प्रचार करने के लिए कलकत्ता में 20 लाख रुपये एकत्र किये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया गया है कि उक्त धनराशि को कलकत्ते के एक बंगला दैनिक पत्र बसुमति में लगाया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जाँच की है और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री विद्या चरण शुक्ल): (क)तथा (ख). नेशनल पब्लिसिटी फोर्म ने जो कथित धनराशि एकत्रित की है, उसमें से उसके (प्रयवेट) लिमिटेड में कथित पूँजी-निवेश के सम्बन्ध में रिपोर्ट सरकार के नोटिस में आई है ।

(ग) जाँच-पड़ताल जारी है ।

मोटर वाहन यातायात के लिए राष्ट्रीय राजपथों का रखरखाव

5291. **श्री रा० बरुआ:**
श्री चेंगलराया नायडू:

क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकतर राष्ट्रीय राजपथ मोटरवाहन यातायात के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनका उचित रखरखाव नहीं हो रहा है;

(ख) क्या समुचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के विचार से इन सड़कों के पुनरुद्धार की सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य से कितना व्यय किया जाना है ?

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत यथासम्भव अच्छी हालात में रखे जा रहे हैं। 1969-70 के दौरान 12.85 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

दिल्ली में टेक्सी और स्कूटरों के चालकों के विरुद्ध शिकायतें

5292. **श्री श्रीचन्द गोयल:** क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में टेक्सी तथा स्कूटर ड्रायवर थोड़ी दूरी पर जाने से इन्कार कर देते हैं; और

(ख) क्या स्कूटर चलाने वालों द्वारा अधिक किराया लिए जाने तथा यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थान तक न पहुंचाने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ?

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन को टेक्सी ड्रायवरों द्वारा थोड़ी दूरी के यात्रियों को ले जाने से मना करने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि समय समय पर उसे स्कूटर चालकों के विरुद्ध गन्तव्य स्थान तक यात्रियों के ले जाने से मना करने, अधिक किराया लेने, इत्यादि, की शिकायतें अधिक संख्या में मिलती हैं।

चन्डीगढ़ के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

5293. **श्री श्रीचन्द गोयल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्डीगढ़में किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी गई;

(ख) किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता नहीं दी गई; और

(ग) उनको भी अन्तरिम राहत देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को छोड़कर, चन्डीगढ़ प्रशासन के जो कर्मचारी अपने मूल संवर्गों के वेतन मानों में वेतन पाते हैं वे सभी अन्तरिम राहत पाने के हकदार हैं तथा उन्हें अन्तरिम राहत दी गयी है। अन्तरिम राहत की मंजूरी के लिए कर्मचारियों के जिस वर्ग के मामले पर विचार किया जा रहा है वह मात्र वर्ग राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आगे उन कर्मचारियों का है जो बाद में चन्डीगढ़ प्रशासन द्वारा उच्चतर पदों पर पदोन्नत किये जाते हैं। उनके मामले पर शीघ्र ही निर्णय किये जाने की संभावना है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चन्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता

5294. **श्री श्रीचन्द गोयल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के चन्डीगढ़ में काम कर रहे कर्मचारियों को 1960 तक चन्डीगढ़ प्रतिकार भत्ता मिलता रहा था;

(ख) उसे बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के कर्मचारियों को उक्त भत्ता मिल रहा है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) चन्डीगढ़ में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 दिसम्बर, 1954 से मंजूर किया गया विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता, 1 जनवरी 1962 से 1 जनवरी, 1964 तक की अवधि के बीच शनै: शनै: बन्द कर दिया गया था।

(ख) भत्ता इसलिए बन्द किया गया था कि जिन परिस्थितियों में यह भत्ता मंजूर करने की आवश्यकता पड़ी थी, वे परिस्थितियाँ समाप्त हो चुकी थी। चन्डीगढ़ के विकास तथा सुविधाओं में वृद्धि के कारण सरकार ने महसूस किया कि भत्ता समाप्त किया जा सकता है। अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मंजूर करने की सरकारी नीति के अनुसार चन्डीगढ़ "सी" श्रेणी के नगरों में आता है तथा मंहगाई वेतन को मिला कर, 620 रु. प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के हिसाब से मकान किराया भत्ता दिया जाता है और 665 रु. प्रति मास के वेतन तक उसका सीमांत समायोजन किया जाता है।

(ग) तथा (घ). ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को कुछ राहत देने के उद्देश्य से, यह भत्ता मंजूर किया है। किन्तु भत्ते मंजूर करने के मामले में, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का अनुसरण नहीं करती तथा उसके अपने प्रतिमान हैं।

Setting up of Opium Refinery at Jhalawar

5295. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the increase in the number of opium growers;

(b) whether Jhalawar District is considered to be the most fertile area among the opium-growing regions of the country;

(c) whether the Central Government propose to set up an opium refinery at Jhalawar so that the local growers could be benefited from it and foreign exchange could be earned therefrom; and

(d) if so, the details of the proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government are aware of the increase in the number of opium growers as the cultivation of poppy is controlled by the Central Government.

(b) No, Sir.

(c) There is no proposal to set up any opium Factory at Jhalawar.

(d) Does not arise.

बृहत कलकत्ता में परिवहन की समस्या

5296. **श्री समर गुह** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बृहत कलकत्तापरिवहन की गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ये कठिनाइयाँ किस किस प्रकार की हैं और किन कारणों से हैं;

(ग) क्या कलकत्ता ट्राम कम्पनी और राज्य परिवहन संगठन अभी तक नगर की यातायात समस्या का हल करने में सफल नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). मार्च 1970 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त महानगरीय परिवहन सेवाओं के कार्यदल के अनुसार कलकत्ता राज्य परिवहन निगम तथा कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता महानगरीय ज़िले की परिवहन आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा नहीं कर सके । इसका मुख्य कारण निगम के मौजूदा बेड़े की अपर्याप्तता है जिसमें अनेक बहुत पुरानी बसें, अधिकाधिक बसों का खराब हो जाना जिससे बेड़े का उपयोग कम हो जाता है और निगम की आयातित गाड़ियों के फालतू पुर्जों का उपलब्ध न होना है जिससे निगम की बसों में बहुत भीड़ होना बताया जाता है । इसी प्रकार कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी के मामले में भी बार बार ट्राम खराब हो जाती है और ट्राम का रास्ता बहुत लम्बी अवधि से अनुरक्षण के अभाव में बिना मरम्मत के है ।

(ग) और (घ). कलकत्ता राज्य परिवहन निगम और कलकत्ता ट्रामवे कंपनी ने अपनी सेवाओं के सुधार के लिए "क्रेश" विकास कार्यक्रम बनाये हैं । इन कार्यक्रमों को दो चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, पहले चरण में वर्ष 1970-72 और दूसरे में वर्ष 1972-1974 आते हैं। कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के कार्यक्रम के अंतर्गत 200 अतिरिक्त बसों को प्राप्त करने और 150 मौजूदा

बसों का नवीकरण का विचार है। 1970-72 की दो वर्ष की अवधि के लिए घन की निक्ल आवश्यकता का मूल्यांकन 221.5 लाख रुपये किया गया है।

उपरोक्त कार्य दल ने 1970-71 के लिए कलकत्ता राज्य ट्रामवे कंपनी के लिए की गई व्यवस्था में, 100 लाख रुपये के अलावा जो उसे पहले ही उपलब्ध है, 60 लाख रुपये की अतिरिक्त वृद्धि करने की सिफारिश की है। इस निगम की संपूर्ण आवश्यकता आई० डी० बी० आई० से पाया ऋणों और कलकत्ता महानगरीय ज़िला प्रभिकरण के योजना और गैर योजना साधनों से पूरी की जाएगी।

निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में 20 दुमंज़िली और 133 एक मंजिली बसें खरीदने के लिए आदेश दे दिये हैं। जुलाई 1970 में 150 पुरानी गाड़ियों के नवीकरण के लिए फालतू पुर्जे आयात करने के लिए 17.80 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दे दी गई है। निगम ने अपने बेड़े की आयातित गाड़ियों के मरम्मत के लिए फालतू पुर्जे आयात करने के लिए हाल ही में 20.21 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा देने के लिए अनुरोध किया है। वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा विमोचित कर दी है इस शर्त के अधीन कि डी० बी० टी० डी० द्वारा स्वदेशी निर्माण की दृष्टि से निर्बाधिता प्राप्त हो जाय, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

कलकत्ता ट्रामवे कंपनी ने ट्रकों, रोलिंग स्टाक, ऊपरी उपस्कर, इत्यादि, के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन का कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम की दो वर्ष 1970-72 की लागत 225.9 लाख रुपये हो। 2500 रोल्ड इस्पात टायरों के आयात के लिए कंपनी को हाल ही में 8 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा विमोचित की गई है। कंपनी ने भारत सरकार से 3 लाख रुपये की विदेशी मुद्रायें स्विच बिन्दओ के आयात के लिए माँगी है। यह अनुरोध विचाराधीन है।

कम्पनियों में आर्थिक संकेन्द्रण को कम करना

5297. **श्री लोबो प्रभु**: क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे पैमाने के उद्योगों को, जिनमें छोटे होने के कारण लाभ को गुंजाइश कम होती है, वरीयता देने की बजाये कम्पनियों में व्यक्तिगत अंशधारण करने की सीमा कम करके और कराधान द्वारा आर्थिक संकेन्द्रण घटाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कैसे किया जायेगा ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) तथा (ख). सरकार को आशा है कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के संचालन, नवीनतम औद्योगिक लायसेंस नीति तथा गत बजट में पहले से ही पुरःस्थापित करारोपण मापदों, से आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के नियंत्रित होने की संभावना है।

गोआ में नाविकों की स्वास्थ्य परीक्षा

5298. **श्री जार्ज फरनेन्डीज**: क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाविकों की स्वास्थ्य परीक्षा करने से संबंधित केन्द्र कहाँ कहाँ हैं,

(ख) क्या गोआ सीमेन एसोशिएशन ने निवेदन किया है कि नाविकों को गोआ में स्वास्थ्य परीक्षा कराने की अनुमति दी जाए;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि गोआ मेडिकल कालेज में डीन ने गोआ मेडिकल कालेज के नाविकों की स्वास्थ्य परीक्षा किये जाने के बारे में सहमति व्यक्त की है ?

संसद कार्य तथा पोतपरिवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) आजकल नाविकों की डाक्टरी परीक्षा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन और राजकोट पत्तनों पर की जाती है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ). गोआ मेडिकल कालेज के डीन को नाविकों की डाक्टरी परीक्षा करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी नियुक्त करने के प्रश्न की अन्य संबंधित मंत्रालयों की सलाह से पुनः जाँच की जा रही है।

बम्बई पत्तन पर 1966-67 के बाद जहाजों पर माल लादने और उनसे उतारने के कार्य में कमी

5299. **श्री जार्ज फरनेन्डीज**: क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 के बाद बम्बई पत्तन पर जहाजों पर लादे गए और उनसे उतारे गये माल की कुछ मात्रा में निरन्तर रूप से कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो बम्बई पत्तन पर प्रति वर्ष कुल कितना आयातित माल जहाजों से उतारा गया और निर्यात हतु कितना माल जहाजों पर लादा गया;

(ग) इस न्यूनभार में कमी के क्या कारण है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक बम्बई पत्तन न्यास द्वारा धरा-उठाई किये गये कुछ आयात और निर्यात माल निम्न प्रकार है:--

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल (हजार टनों में)
1966-67	13227	5039	18266
1967-68	12444	4521	16965
1968-69	12096	4309	16405
1969-70	11434	3601	15035

(ग) और (घ). आयात में कमी होने का मुख्य कारण आयात प्रतिस्थापन और देश के उत्पादन में वृद्धि का होना है विशेषकर के खाद्यान्न, उर्वरक और उर्वरक में पड़ने वाले स्टाक जिनका अधिकतर आयात किया जाता है के आयात के पर्याप्त रूप से घट जाने के कारण। जहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध है पत्तन के यातायात से मोटे तौर पर देश के व्यापार की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। तथापि बम्बई पत्तन न्यास विभिन्न आयात और निर्यात हितों से यह जानने के लिए संपर्क स्थापित कर रहे हैं कि बम्बई पत्तन होकर आने जाने वाले यातायात को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है।

औद्योगिक विकास बैंक द्वारा छोटे स्तर के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

5300. **श्री बे० कृ० दास चौधरी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास बैंक द्वारा छोटे स्तर के उद्यमियों को कुछ विशेष रूप से प्रोत्साहन देने के मामले में कूच बिहार और पाल्दा जिले के दावों पर विचार नहीं किया गया है यद्यपि उक्त जिलों की प्रति व्यक्ति आय (कूच बिहार-242 रुपया, पाल्दा-210 रुपया) पश्चिमी बंगाल के ऐसे अन्य जिलों को प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है जहाँ इस प्रकार के प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है, उदाहरणार्थ दार्जिलिंग जिसकी प्रति व्यक्ति आय 299 रुपया है;

(ख) क्या कूच बिहार और पाल्दा की जनता की ओर से उनके मंत्रालय से इन जिलों के हित में निर्णय पर विचार करने का अनुरोध किया गया था और यदि हाँ, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग जिले में बिजली, संचार की उपलब्धि, कुल उत्पादन आदि के सम्बन्ध में विद्यमान परिस्थिति लगभग उसी प्रकार की है, और यदि हाँ तो प्रश्न के उत्तर भाग (ख) में उल्लिखित निवेदन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क), (ख) और (ग). राज्यों के मुख्य मंत्रियों को राष्ट्रीय एकता परिषद की समिति ने, पिछड़े इलाकों का निर्धारण करने और इन इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्व-संबंधी और वित्तीय प्रोत्साहन देने के संबंध में विचार करने के लिए नियुक्त दो कार्यकारी दलों की रिपोर्टों के बारे में जो निश्चय किये थे उनके अनुसरण में, योजना आयोग ने राज्य सरकारों से विभिन्न राज्यों/संघीय राज्यक्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/इलाकों का चयन करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया था। ऐसा करते समय, योजना आयोग, ने राज्य सरकारों/संघीय राज्यक्षेत्रों की सुविधा के लिए, उन जिलों का निर्धारण करने के लिए जो कि प्रस्तावित रियायतों का सार्थक रूप से लाभ उठा सकते हों, कुछ मार्ग-दर्शक सिद्धांत तय किये थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने, योजना आयोग से अपनी सिफारिशें देते समय पाल्दा और कूच बिहार को चुनने का सुझाव नहीं दिया था क्योंकि हालाँकि दोनों ही जिले आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं लेकिन वहाँ औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि पुरूलिया बाकुड़ा, मेदिनीपुर और दार्जिलिंग जिले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य दीर्घावधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से रियायती आधार पर वित्त प्राप्त करने के लिए सुपात्र हैं। इस बात के बावजूद कि दार्जिलिंग की प्रति-व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक

है, दार्जिलिंग जिले का सुझाव इन दो बातों के आधार पर दिया गया था कि यह मुख्य रूप से एक पहाड़ी जिला में और दूसरे, यदि सिलीगुड़ी सब-डिवीजन को छोड़ दिया जाय तो इसे आर्थिक दृष्टि से विकसित नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल से चुने गए दो लोक-सभा सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि कूच-बिहार और पाल्दा को भी पिछड़े हुए जिले मानकर वित्तीय संस्थाओं से रियायती आधार पर वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र समझा जाय। ये अभ्यावेदन विचारणीय है।

सरकार का मत यह है कि औद्योगिक विकास के लिए रियायती वित्त की योजना का सर्वोत्तम आर्थिक उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि अधिक ध्यान उन जिलों की ओर दिया जाय जहाँ न्यूनतम आवश्यक बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हों। योजना आयोग पहले से ही सभी राज्य-सरकारों को यह सलाह दे चुका है कि पाल्दा और कूच-बिहार जैसे उन जिलों में, जहाँ इस समय न्यूनतम आवश्यक बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी सुविधाओं का विकास करने के कार्यक्रमों पर अधिक जोर लगाएँ।

कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) के स्कूल के अध्यापकों के वेतनमान का पुनर्निर्धारण

5301. **श्री बे० कु० दास चौधरी:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कूच बिहार राज्य के भारत के साथ तथा उसके पश्चात् पश्चिम बंगाल राज्य के साथ विलय के समय विलय के करार के अनुसार राज्य के सभी 76 एम० ई० स्कूलों के अध्यापकों को माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक के रूप में माना गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य ने उन अध्यापकों को सेवाओं को विलय की तिथि से अर्थात् 1 जनवरी, 1950 से समाहित नहीं किया तथा साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने उन अध्यापकों के वेतन-मानों को पुनः निर्धारित करने के मामले में उनकी योग्यताओं का विचार नहीं तथा इन अध्यापकों को पूर्व-विलय के वेतन-मान ही दिये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके मामलों पर विचार करने तथा उनके वेतन-मानों को पुनः निर्धारित करने का है जैसा कि इन्होंने योग्यताओं वाले अन्य अध्यापकों के मामले में किया गया है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० कु० बिस्कु): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना, पश्चिम बंगाल की सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स में जूनियर ट्रैफिक असिस्टेंट के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती

5302. **श्री बे० कु० दासचौधरी:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स में जूनियर ट्रैफिक असिस्टेंट के पदों के लिए अनुसूचित जातियों के कुछ उम्मीदवारों का दो-तीन बार साक्षात्कार किया गया था और अन्ततः उन्हें पद के योग्य ठहराया गया;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1969 में उक्त भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा में पास होने के पश्चात् अनुसूचित जातियों के जो उम्मीदवार पहले साक्षात्कार में आये थे, क्या उन सभी को दूसरे और तीसरे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे और उन उम्मीदवारों के नाम क्या हैं जिन्हें दूसरे और तीसरे साक्षात्कारों के बाद नियुक्त किया गया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हाँ। आसाम क्षेत्र से अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों का साक्षात्कार दो बार किया गया था और उन्हें नियुक्ति के लिए दूसरी बार योग्य पाया गया।

(ख) जी, हाँ। अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी उम्मीदवारों को, जो लिखित परीक्षा में अर्हता की दृष्टि से उत्तीर्ण हो गए थे, तथा जिन्हें पहले साक्षात्कार में योग्य नहीं पाया गया था, पुनः साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।

(ग) 1. श्री एस० सी० धर
2. एन० एल० लास्कर

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में भर्ती के लिए आयु सम्बन्धी छूट

5303. **श्री बे० कृ० दासचौधरी**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को इंडियन एयरलाइन्स और एयरइंडिया में भर्ती तथा नियुक्ति के मामले में 45 वर्ष की आयु तक की छूट के भारत सरकार द्वारा घोषित सिद्धान्त का पालन करता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संबद्ध आदेश एयर कारपोरेशनों जैसे संविधिक संगठनों पर लागू नहीं होते हैं।

कूच बिहार में मंशाह नदी पर पुल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल को ऋण

5304. **श्री बे० कृ० दासचौधरी**: क्या **पोतपरिवहन तथापरिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त मंत्रालय से कूच बिहार जिले में मंशाह नदी पर पुल बनाने के लिए एक करोड़ रुपयों के विशेष ऋण की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे संबंधित पत्र-व्यवहार का ब्यौरा क्या है तथा क्या उनके मंत्रालय ने उक्त ऋण की मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

प्राइमरी से पूर्व तथा प्राइमरी शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय की सेवाओं का उपयोग

5305. **श्री वेणी शंकर शर्मा:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राइमरी से पूर्व प्राइमरी शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है;

(ख) क्या उनकी सेवाओं का उपयोग करने के औचित्य पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० कु० किस्कु): (क), (ख) और (ग). इस सम्बन्ध में, विश्वविद्यालय मुख्य रूप से अपने अपने शिक्षा तथा मनोविज्ञान विभागों द्वारा किए जा रहे अनुसन्धान तथा विस्तार परियोजनाओं के जरिए योगदान कर रहे हैं।

हवाई जहाजों के अपहरण की घटनाओं के परिणामस्वरूप अरब देशों के साथ हवाई संबंध का विच्छेद किया जाना

5306. **श्री वेणी शंकर शर्मा:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलिस्तीनी छापामारों द्वारा अपहरण किये गये विमानों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह सभी अरब देशों से अपना विमान सेवा-सम्बन्ध तोड़ लें; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) कुछ पक्षों से ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सरकार को यह सुझाव मान्य नहीं है ।

पश्चिम बंगाल हिन्दी शिक्षक संस्था की माँगें

5307. **श्री वेणी शंकर शर्मा**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल हिन्दी शिक्षक संस्था ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार के समक्ष कुछ माँगें रखी थीं तथा क्या उन्होंने इनको स्वीकार कर लिया था;

(ख) उक्त संस्था द्वारा की गई माँगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). जून, 1970 में पश्चिम बंगाल हिन्दी शिक्षक संस्था ने, हिन्दी अध्यापकों की कार्य-परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार को एक माँग-पत्र प्रस्तुत किया। उनकी मुख्य माँगें निम्न-लिखित थीं:—

1. बंगाली-माध्यम के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कम से कम एक हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए।
2. हिन्दी अध्यापक को सामान्यतः सहायक अध्यापक के रूप में समझा जाना चाहिए ताकि जो वेतन-मान सहायक अध्यापकों को प्राप्य हैं वही एम० ए० अथवा ओनर्स-हिन्दी के अध्यापक भी प्राप्त कर सके।
3. सरकारी-हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, कलकत्ता को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कालेज के अनुरूप ही पुनर्गठित किया जाना चाहिए।
4. एक-वर्षीय हिन्दी टीचर्स-ट्रेनिंग डिप्लोमा को बी० एड० के समकक्ष मान्यता दी जानी चाहिए।
5. हिन्दी अध्यापकों के वेतन-अनुदान का भुगतान अधिक दक्षता तथा शिघ्रतापूर्वक किया जाना चाहिए।
6. हिन्दी टीचर्स-ट्रेनिंग कालेज से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए एक जाँच-समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(ग) यह माँग पश्चिमी बंगाल की सरकार के विचाराधीन थी। इन माँगों पर अंतिम निर्णय संबंधी रिपोर्ट वहाँ की सरकार से मंगाई जा रही हैऔर समय पर लोक-सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दिल्ली परिवहन की बेकार पड़ी बसें

5308. **श्री अदिचन**: क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली परिवहन की कितनी बस विदेशी पुर्जों के अभाव में बेकार पड़ी हैं;

(ख) उन्हें ठीक करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक है; और

(ग) आवश्यक पुर्जों का आयात करने अथवा उनके स्थान पर देशी पुर्जों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) शून्य।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली परिवहन की बसों की जीर्ण-शीर्ण दशा

5309. **श्री दे० अमात**: क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन की अधिकाँशत: बसें जीर्ण-शीर्ण दशा में है विशेषत: दिल्ली परिवहन द्वारा संचालित निजी बसों के रख-रखाव की दशा इतनी बिगड़ी हुई है कि द्वारों के हैंडल भी गायब हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे अत्यावश्यक भागों के गायब होने के कारण प्राय: गम्भीर दुर्घटनाएँ हो जाती है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि दिल्ली परिवहन की बसों में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपकरण सदैव उपलब्ध रहे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग): दिल्ली परिवहन उपक्रम के महाप्रबंधक के अनुसार उपक्रम की सब बसें जो सड़क पर चलाई जाती हैं के पास राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी किये गये उपयुक्तता का वैध प्रमाणपत्र होते हैं। उपक्रम की सभी बसों में द्वारों के हैंडल और अन्य आवश्यक उपस्कर लगाये गये हैं। दिल्ली परिवहन उपक्रम के परिचालन के अन्तर्गत 300 निजी बसों में से लगभग 50 पुराने माडल के थे और उनमें द्वारों के हैंडल नहीं थे। दिल्ली परिवहन उपक्रम ने आदेश जारी कर दिये हैं कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा उपयुक्तता के अगले सर्वेक्षण से पहले इन बसों में ऐसे हैंडल लग जाने चाहिए।

पश्चिम बंगाल में परीक्षा केन्द्रों पर नक्सलवादियों द्वारा हमले की धमकी

5310. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बंगाल में नक्सलवादियों ने परीक्षा केन्द्रों पर हमले की धमकी दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो शाँतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय कराने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उपमंत्री (श्री अ० कु० बिस्कु): (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है:—

(1) परीक्षाओं के दौरान संस्थाओं को पर्याप्त रक्षा प्रदान के लिए पुलिस प्राधिकारियों के साथ व्यवस्था कर ली गई है ।

(2) परीक्षाओं के सुसंचालन को सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों/स्वैच्छिक संगठनों आदि की सहायता प्राप्त कर ली गई है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल

5311. **श्री चेंगलराया नायडू:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़तालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि इस बात के मूल कारणों की जाँच की जाये तथा इन बैंकों में हड़तालों को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाये थे जिनसे देश में व्यापार में बाधा उपस्थित हो रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन बैंकों में बार बार हड़ताल होने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) 1970 में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ हड़तालें हुईं तथा काम बन्द हुआ । परन्तु, इस समय यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़तालों की संख्या में वृद्धि हो रही है या नहीं ।

(ख) और (ग): सरकार ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति देखी है जिसमें सरकार से इस प्रकार के आन्दोलनों के मूल कारणों की जाँच करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धक कर्मचारियों से विचार-विमर्श करके और बातचीत द्वारा विवादों को निपटाने का प्रयत्न करते हैं। सरकार भी पूरी कोशिश करती रही है कि औद्योगिक शाँति बनी रहे और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच बेहत्तर सम्बन्ध स्थापित किये जायें तथा उन्हें और मजबूत बनाया जाये ।

भारत के भू-भौतिकीय तथा भौगोलिक आधारों को दिखाने वाला मानचित्र

5312. **श्री चेंगलरायानायडू:** क्या **शिक्षा तथा युवकसेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पास देश के भू-भौतिकीय तथा भौगोलिक आधारों का पूरा मानचित्र नहीं है और क्या अमरीका से हाल में मानचित्र मंगाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या समस्त देश का भौगोलिक मानचित्र बनाने के लिए जोरदार कार्यक्रम बनाया जा रहा है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) देश के भू-वैज्ञानिक तथा भौगोलिक लक्षण दिखाने वाले विभिन्न मापों के मानचित्र भारत के पास बड़ी संख्या में हैं। शिक्षा मंत्रालय अथवा खान तथा धातु विभाग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई मानचित्र नहीं मंगाया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ। एक मील को एक इंच मानकर देश का मानचित्र बनाने का कार्य 14.22 लाख वर्ग किलोमीटर तक पूर्ण हो चुका है। डेकन ट्रैप और गंगा-ब्रह्मपुत्र जलोढ भूमि को छोड़कर शेष 18.46 लाख वर्ग किलोमीटलों में से 8.90 लाख वर्ग किलोमीटरों का ऐसे बड़े मापक्रम से मानचित्र अभी बनाना है। इस कार्य को पूर्ण करने का त्वरित कार्यक्रम भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा बना लिया गया है।

मैसूर को विश्व बैंक का ऋण

5313. **श्री जी० वाई० कृष्णन**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर सरकार ने विश्व बैंक से ऋण के लिए निवेदन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो जिन विभिन्न ऋणों के लिए निवेदन किया गया है उनका ब्यौरा क्या है तथा क्या ऋण मंजूर हो गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). भूमि को कृषि योग्य बनाने और उसका विकास करने, सिंचाई के लिए कुओं और पम्प सेटों की व्यवस्था करने, पानी उठाकर सिंचाई करने तथा मशीनों के जरिए खेती करने की, 83.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक कृषि ऋण प्रायोजना के सम्बन्ध में मैसूर सरकार का संशोधित प्रस्ताव नवम्बर 1970 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ था और भारत सरकार इस पर इस उद्देश्य से विचार कर रही है कि वित्त व्यवस्था के लिए इसे विश्व बैंक के सामने प्रस्तुत किया जाय।

सरकारी क्षेत्र का परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

5314. **श्री शंकरराव माने**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 1969-70 के दौरान भारत को विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) उक्त सहायता की शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) 1969-70 के दौरान भारत ने विश्व बैंक के साथ 405.0 लाख डालर (30.375 करोड़ रुपये) के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये थे। इस रकम में से 130 लाख डालर (9.75 करोड़ रुपये) का सम्बन्ध तराई बीज प्रायोजना (उत्तर प्रदेश) से है और बाकी 275 लाख डालर (20.625 करोड़ रुपये) दूरसंचार विकास के लिये उपकरणों और सामग्री का आयात किये जाने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा के एक भाग को पूरा करने के लिए है।

(ख) विश्व बैंक के ऋणों पर 6¼ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगता है और इन्हें 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्षों में वापस करना होता है ।

आयकर वसूली के बकाया मामले

5315. **श्री शंकरराव माने**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयकर अधिकारियों के पास वर्ष 1969-70 के अंत आयकर की वसूली के कितने मामले बकाया पड़े थे;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में ऐसे कितने मामले बकाया पड़े थे; और

(ग) इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) 31 मार्च, 1970 को सारे भारत के आयकर कार्यालयों में आयकर के 1321807 मामले थे जो अंतिम रूप दिये जाने के लिए और वसूली के लिए अनिर्णीत पड़े थे ।

(ख) आयकर विभाग के आँकड़े आयकर-आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रवार रखे जाते हैं तथा राज्यवार नहीं । बम्बई नगर–i, ii, iii तथा बम्बई सेंट्रल एवं पूना के आयकर आयुक्तों के पास अनिर्णीत पड़े कर-निर्धारणों की संख्या के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:—

आयकर आयुक्त का अधिकार-क्षेत्र	31 मार्च 1970 को अनिर्णीत पड़े कर-निर्धारण की संख्या
बम्बई नगर–i, ii, iii तथा सेंट्रल	171082
पूना	33960

(ग) इन कर-निर्धारणों को शीघ्र निपटाने के लिये हर संभव उपाय किये जा रहे हैं।

आन्तरिक लेखा परीक्षा को सुचारू करने के लिए प्रक्रिया

5316. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आँतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में अध्ययन करने तथा उसके फेरबदल के लिए सुझाव देने के लिए समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति का कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो समिति ने क्या सुझाव दिये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) आन्तरिक लेखा परीक्षा की कार्यविधि को सुव्यवस्थित बनाने के निमित्त अध्ययन करने तथा उपाय सुझाने के लिए सरकार ने कोई समिति नियुक्त नहीं की है । परन्तु प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा "वित्त" लेखा तथा "लेखापरीक्षा" के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट में और "भारत सरकार का तंत्र तथा उसकी कार्यविधि" के संबंध में दी गई रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से उठने वाले लेखा और बजट शीर्ष संबंधी कुछ मामलों पर विचार करने

के लिए अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया गया है। यह दल, अन्य बातों के साथ साथ उन ब्यौरेवार हिसाबों के बारे में, जो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखे जाने चाहिए, और महालेखाकारों के कार्यालयों में रखे जाने वाले हिसाबों में से किस सीमा तक ब्यौरे हटाये जा सकते हैं, इस बारे में सुस्पष्ट सिफारिशें करेगा। इस दल द्वारा सिफारिश की जाने वाली संशोधित लेखा व्यवस्था से आन्तरिक लेखा परीक्षा जो रूप ग्रहण करेगी, उस पर यथा समय विचार किया जायगा।

(ख) उपर्युक्त दल अभी भी अपने काम में लगा हुआ है और उसने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिघा के आसपास समुद्र तट और किनारों के कटाव को रोकने के लिए उपाय

5317. **श्री स० चं० सामन्त**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछली जनवरी, से खड गपु में हुई 57वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन के लगभग 50 प्रतिनिधि दिघा, जो कि पश्चिमी बंगाल का एकमात्र स्वास्थ्य वर्धक केन्द्र हैऔर उन्होंने दिघा के आसपास तट और किनारों के कटाव पर बातचीत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने कटाव रोकने तथा इस स्थल को जो कि विश्व का मोटर योग्य श्रेष्ठतम समुद्रतट है रक्षा के लिये क्या सुझाव तथा मंत्रणा दी थी; और

(ग) क्या उनके अनुसार कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवामंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जनवरी, 1970 में हुए विज्ञान काँग्रेस के 57वें अधिवेशन के प्रतिनिधियों के भ्रमण के कार्यक्रमों में दिघा को भी सम्मिलित किया गया था इसके बारे में कोई भी एक दम ठोस सूचना उपलब्ध नहीं है कि दिघा की यात्रा करने वाले प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी तथा उन्होंने उस स्थान के तटीय कटाव को समस्या पर कोई चर्चा की या नहीं। प्रतिनिधि मंडल ने अपने भ्रमण पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 41 के निर्माण कार्य का पूरा होना

5318. **श्री स० चं० सामन्त**: क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 41 के निर्माण कार्य में निर्धारित समय के अनुसार प्रगति हो रही है;

(ख) यदि नहीं तो इसमें क्या कठिनाइयाँ हैं;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया पूरी हो गई है और यदि नहीं, तो प्रस्तावित सड़क के किन भागों में क्या काम पूरा नहीं किया गया है; और

(घ) सड़क के पूरा हो जाने की कब तक सम्भावना है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) परियोजना के पूर्ण होने में देरी का मुख्य कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि तथा ईंटों को बनाने के लिए भट्ठों के लिए भूमि के उपलब्ध न होना था । यहाँ कहीं भूमि के भी ली गई थी वहां पर ठेकेदारों के मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण मिट्टी कार्य को प्राइः निलम्बित करना पड़ा ।

(ग) गांवों की गृह भूमि को छोड़कर 22 मील की लंबाई में भूमि का मुवावजा दे दिया गया है । शेष 10 मीलों तथागांवों की गृह भूमि की भूमि ग्रहण करने का कार्य प्रगति पर है ।

(घ) यदि भूमि उपलब्ध कर दी गई तो सम्पूर्ण परियोजना के मार्च, 1973 तक पूर्ण होने की आशा है ।

जिला मिदनापुर (पश्चिमी बंगाल) के कंटाई सब डिवीजन के एगरा राम नगर रोड का सुधार

5319. **श्री सि० चं० सामन्त**: क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के मिनापुर जिले के कंटाई सब डिवीजन में एगरा-रामनगर रोड के सुधार के कुल प्राक्कलन कितने हैं;

(ख) क्या निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था, और समय अनुसूची के अनुसारहो रहा है;

(ग) क्या उड़ीसा कोस्ट कैंगल के पानी पारूल स्थान पर पुल का निर्माण पूरा हो जाने की आशा है;

(घ) सवितापुर तथा उत्तर वसुलीपेट में दो पुलों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा;

(ङ) क्या सरकार जानती है कि जहाँ एगरा-रामनगर रोड़ कंटाई डीघन रोड से मिलती है वहाँ रामनगर बाजार में उक्त रोड के सुधार के लिए अर्जित भूमि के प्लाट पर प्राइवेट लोग पक्के मकान बना रहे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो अवैध निर्माण कार्य को हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (च). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्रा०) लिमिटेड का दिवाला निकलना

5320. **श्री स० चं० सामन्त:** क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री डा० कर्ण सिंह तथा व्यक्तियों के स्वामित्व वाली इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्रा०) लिमिटेड कंपनी का दिवाला निकाल दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त कंपनी के पत्रकारों, लेखादाताओं और अन्य कर्मचारियों को देय राशिदिवाला निकालने से पहले दे दी थी; और

(ग) क्या श्री प्राण चौपड़ा तथा मि० सैंलिग हरिसन, उक्त कम्पनी के विदेशी अंशधारी के बीच सहयोग की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) डा० कर्णसिंह, इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्रायवेट) लिमिटेड के केवल एक हिस्सेदारी हैं । इस कम्पनी ने अपने परिसमापन की बाबत, कम्पनी रजिस्ट्रार को कोई कागज-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Revision of Pay Scales of Nursery School Teachers of N. D. M. C.

5321. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether the scales of pay of Primary and Nursery teachers in Delhi (run by N. D. M. C.) were same till the revision of pay scales of Primary teachers in December, 1967;

(b) whether the pay scales of Primary teachers were upgraded with effect from the 22nd December, 1967 whereas those of Nursery teachers remain the same till date;

(c) if so, the reasons for this discrimination;

(d) whether Government propose to revise the pay scales of Nursery teachers also so as to bring them at par with those of the Primary teachers; and

(e) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. (With effect from 21-12-1967 and not 22-12-1967)

(c), (d) and (e). After the pay scales of Primary school teachers were revised, the New Delhi Municipal Committee took up the matter with the Delhi Administration regarding the revised pay scales to be adopted for Nursery School teachers. The matter is under the consideration of the Delhi Administration.

Details of Profit and Loss of D. T. U. during 1969-70

5322. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the details of profit and loss of the Delhi Transport Undertaking during the financial year 1969-70; and

(b) the number of private buses under D. T. U. operation at present for the convenience of the public ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a): The details required are given b e l o w : —

Total Income	Rs. 800.16 lakhs
Total Expenditure	Rs. 1033.41 ,,
Net Loss	Rs. 233.25 ,,

(b) At present, about 300 private buses are running DTU operation.

Scheme for manufacturing small ships in Hindustan Shipyard Ltd.

5323. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme for building small ships in the Hindustan Shipyard Ltd. is under the consideration of Government;

(b) if so, the time by which the said sheme would be implemented; and

(c) the number of ships that would be built annually in the said undertaking after the implementation of the said scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

पोलीटेकनिकों और दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

5324. **श्री रामस्वरुप विद्यार्थी:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलीटेकनिकों तथा दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है; और क्या यह संख्या कर्मचारियों के लिए पर्याप्त है, यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कुछ और क्वार्टर बनाने का है ।

(ख) कर्मचारियों को इन क्वार्टरों के आवंटन के लिये क्या मापदण्ड रखा गया है; और

(ग) क्या आवेदकों को वरिष्टता क्वार्टरों के आवंटन के लिये एक कारक है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन कार्य कर रहे विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए 152 क्वार्टर हैं । केवल अध्यापकों के लिए स्टाफ क्वार्टर का कोई पृथक कोटा नहीं है । स्टाफ क्वार्टरों की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । कुछ और क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ।

(ख) और (ग). प्रत्येक वर्ग में सेवा की अवधि आवंटन का प्रमुख मापदण्ड है तथापि, कुछ पदधारियों उदाहरणतया छात्रावास-अधीक्षकों शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षकों इत्यादि के लिए जिनका अहाते में रहना आवश्यक होता है, सेवाकाल की अवधि का विचार नहीं किया जाता है।

दिल्ली की महिला पोलिटेकनिकों में अंशकालिक शिक्षक

5325. **श्री रामस्वरुप विद्यार्थी**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1968-69 और 1969-70 के वर्षों में दिल्ली महिला पोलीटेकनिक में नियुक्त सभी अंशकालिक शिक्षकों का विशिष्ट विवरण क्या है;

(ख) दिल्ली प्रशासन के दूसरे संस्थानों तथा कालेज आफ आर्ट फार्मेसी विभाग, पूसा आदि के शिक्षकों का उपयोग करने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसी अवधि में दिल्ली पोलिटेकनिक में नियुक्ति अंशकालिक शिक्षकों का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध-1 में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गय ा।देखि ये सं० एल० टी० 4641/70]**

(ख) जी, हाँ।

(ग) अंशकालिक अध्यापक गैर-इन्जीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए नियुक्त किए गए थे। जो कि केवल पूसा पोलिटेक्निक द्वारा प्रदान किये जाते हैं। इन अंशकालिक अध्यापकों के बारे में अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 2 में दी गई है।

पारादीप पत्तन पर तलकर्षण

5326. **श्रीस० कुन्टू**: क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री पारादीप पतन के तलघर्षण के बारे में 10अप्रैल, 1970के अतारांकित प्रश्न संख्या 6028 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्रतल तथा पारादीप पत्तन का जलमार्ग रेतऔर रेग से बना है और उसकी निचली सतह वाले मिट्टी की है, इस बात को ध यान में रखते हुए क्या इस बात की जाँच की गई है कि 60,000 से 1.5 लाख डी. डब्ल्यू०टी० की भारवहन क्षमता वाले बड़े जहाजों के आने जाने के लिये इसे अपेक्षाकृत कम लागत पर गहरा किया जा सकता है; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ख). 60,000डी० डब्ल्यू० टी० जहाजों की धरा उठाई के लिए पारादीप पत्तन पर का मौजूदा डुबाव पर्याप्त है। उक्तस ीमासेबड़ेअ ौरएक लाखडी० डब्ल्यू० टी० अथवा 1.5 लाख डी० डब्ल्यू०टी० के जहाजों धरा की उठाईकेि नए डुबाव को और गहरा करने में मौजूदा संरचनाओं, नौचालन खाड़ी, पनकट

दीवारों, खनिज धातु घाटों इत्यादि में व्यापक रूपाँतरण करना होगा। इसके अलावा अनुरक्षण समस्याओं में वृद्धि होगी।

पारादीप पत्तन पर अयस्कों के लादने-उतारने के संबंध की क्षमता बढ़ाने की योजना

5327. **श्री स० कुन्दू:** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पारादीप पत्तन पर अयस्क के लादने उतारने के संयंत्र की क्षमता और गति बढ़ाने की कोई योजना मंजूरी के लिए सरकार के विचाराधीन है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): पत्तन रेलवे परियोजना, जिसमें पारादीप पत्तन के अयस्क धरा-उठाई संयंत्र की क्षमता में वृद्धि के लिए अभिकल्पित डिब्बा उलटने वाली पद्धति की व्यवस्था भी है, हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जाँच की जा रही है।

कम्पनी के डायरेक्टरों की उपलब्धियाँ

5328. **श्री स० कुन्दू:** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विभिन्न कम्पनियों के विभिन्न डायरेक्टरों की उपलब्धियाँ भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हो, तो विभिन्न कम्पनियों के विभिन्न डायरेक्टरों की आय की अधिकतम और न्यूनतम सीमा में अन्तर क्या है; और

(ग) डायरेक्टरों की आय को एक स्तर पर लाने के लिए आय की अधिकतम सीमा को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) निदेशकों का पारिश्रमिक कम्पनियाँ स्वयं निश्चित करती है, एवं विभिन्न कम्पनियाँ इसकी विविध दरें निश्चित करती हैं। अतः विविध निदेशकों के पारिश्रमिक, एक निदेशक से दूसरे निदेशक व एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में, भिन्न होते हैं।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 309 (3) के उपबन्धों के अन्तर्गत, एक कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक अथवा पूर्ण कालिक निदेशक के पारिश्रमिक, कम्पनी के शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा के अधीन होते हैं। यदि कम्पनी में इस प्रकार के, एक से अधिक प्रबन्ध निदेशक हैं, तो उन सबके पूर्ण पारिश्रमिक, कम्पनी के शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा के अधीन होते हैं। अधिनियम की धारा 309(4) के उपबन्धों के अनुसार मात्र निदेशकों, का पारिश्रमिक, यदि कम्पनी में प्रबन्ध निदेशक, पूर्ण कालित निदेशक अथवा प्रबन्धक हो तो, शुद्ध लाभ के 1 प्रतिशत, व इनमें से कोई न हो तो शुद्ध लाभ के 3 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा के अधीन होता है। इस अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत, जहाँ आवश्यक हो, सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, यह पारिश्रमिक कम्पनी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) यद्यपि, जैसा कि ऊपर वर्णित है, कानून में शुद्ध लाभ के प्रतिशत के अधीन होने की व्यवस्था है, फिर भी सरकार ने कुछ प्रशासनिक अधिकतम सीमायें निर्धारित की हैं, यथा: कोई भी

प्रबन्धापूर्व-कालिक निदेशक, नियमानुसार, 90,000 रु० प्रति वर्ष से अधिक का वेतन, शुद्ध लाभ पर 1 प्रतिशत का कमीशन, जो 45,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक न हो, तथा 30,000 रु० से अधिक न होने के रोपिक मूल्य की गणना योग्य कुछ परिलब्धियाँ, का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। इन सीमाओं की शर्त पर, यह पारिश्रमिक, कम्पनी के आकार, व्यापारावर्त व लभ्यता तथा व्यक्ति की योग्यता व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए अनुमोदित किये जाते हैं ।

बी० ई० एस० टी० बम्बई, द्वारा लीलैंड बसों की खरीद के लिये सरकार से स्वीकृति

5329. **श्री स० कुन्दू**: क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की बी० ई० एस० टी० अन्डरटेकिंग के महाप्रबन्धक ने, लन्दन के निर्माताओं से लीलैंड बसें खरीदने के लिए सरकार से अनुमति माँगी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी अनुमति कब दी गई थी ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का पंजीकरण

5330. **श्री शिव कुमार शास्त्री**: क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का एकाधिकार और निर्बन्धित व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस संबंध में पंजीकरण किया गया है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख). हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत, अधिनियम की धारा 20 के खंड (क) के उपखंड (1) तथा खंड (ख) के उपखंड (1) के अन्तर्गत क्रमशः (क) 20 करोड़ रुपयों से कम नहीं की कुल मूल्य की परिसम्पत्तियाँ रखने वाले उपक्रम के रूप में तथा (ख) साथ ही एक करोड़ रुपयों से कम नहीं की मूल्य की परिसम्पतियाँ सहित प्रमुख उपक्रम के रूप में, पंजीकृत किया गया है ।

'गैर बैंक' तथा 'कम बैंक' क्षेत्रों में राष्ट्रीय बैंकों की शाखायें

5331. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'गैर-बैंक तथा 'कम बैंक' क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोली गई हैं;

(ख) इन बैंकों में कितना बैंकिंग कार्य हो सका है; और

(ग) क्या उनमें से कुछ को बन्द किया जा रहा है और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं तथा वे कहाँ कहाँ स्थित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) 18 जुलाई 1969 से अक्टूबर 1970 के अन्त तक, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सारे देश भर में बैंक सहित स्थानों पर 989 नये कार्यालय खोले गये। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपेक्षाकृत कम बैंकों वाले राज्यों जैसे असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 437 नये कार्यालय खोले थे।

(ख) बैंक रहित और कम बैंकों वाले क्षेत्रों में खोली गई शाखाओं में जमा करायी गयी रकमों और उन शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में विस्तृत और अधतन आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं पर, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 31 अगस्त 1970 तक की अवधि में बैंकों वाले स्थानों पर खोले गए 418 नये कार्यालयों में जमा और अग्रिमों की रकमें क्रमशः 42.4 करोड़ रुपये और 20.9 करोड़ रुपये थी। बैंक रहित स्थानों पर खोले गए 940 नये कार्यालयों के सम्बन्ध में ये आँकड़े क्रमशः 22.4 करोड़ रुपये और 14.3 करोड़ रुपये थे।

(ग) नये खोले गये कार्यालयों में से किसी को बन्द करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में कर-अपवंचन और कर परिहार के कारण हानि

5332. **श्री एन० शिवप्पा**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में देश में कर-दाताओं द्वारा कर अपवंचन और कर परिहार के कारण सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई: और

(ख) इस बारे में वसूली करने के लिए सरकार का और आगे क्या कार्यवाही करने का विकार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) कर अपवंचन के कारण सरकार को होने वाली हानि का अथवा इस बात का अनुमान लगाना संभव नहीं है कि जिन कानूनी युक्तियों के कानून का उल्लंघन नहीं होता उनको अपना कर किस सीमा तक संभावित कर दायित्व को टाला जाता है।

(ख) करअपवंचनकी समस्या परसरकार निरन्तर ध्यान देती रही है। स्थिति का मुकाबला करने के लिये जो विधायी, प्रशासनिक अथवा अन्य उपाय आवश्यक समझे जाते हैं वे समय-समय पर किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

कालिजों में यौन शिक्षा

5333. **श्री एन० शिवप्पा**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालिजों में यौन शिक्षा लागू करने का है;

(ख) क्या सरकार ने परीक्षण के तौर पर कुछ कालिजों में यौन शिक्षा लागू करने का प्रयत्न किया है और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जीनहीं। यह विश्वविद्यालयों पर है कि यौन-शिक्षा पाठ्यक्रमों को शुरू करें।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न मंत्रालयों में सम्बद्ध अनौपचारिक सलाहकार समितियों का दर्जा बढ़ाया जाना

5334. **श्री अमजद अली**: क्या **संसद् कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध संसद् सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समितियों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संसद् कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ग). वर्ष 1967 में विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनौपचारिक सलाहकार समितियों का पुनर्गठन करने पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इन समितियों के कार्यकरण को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। विभिन्न स्तरों पर चर्चा के फलस्वरूप सरकार और विरोधी दलों के बीच अप्रैल, 1969 में एक सामान्य समझौता हुआ। इनके नाम से "अनौपचारिक" शब्द हटाने से अब ये समितियाँ सलाहकार समितियाँ कहलाती हैं और वे, समितियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए बनायी गयी पारस्परिक स्वीकृत "निर्देशिका" के अनुसार कार्य करती हैं। "निर्देशिका" की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

1—अनौपचारिक सलाहकार समितियाँ जब इससे आगे "सलाहकार समितियों" के नाम से जानी जायेंगी। फिर भी इन समितियों की संसद् की स्थायी समितियों से समानता नहीं की जा सकती है। इन समितियों वाद-विवाद अनौपचारिक ही रहेगा और इनकी बैठकों में हुई चर्चाओं का प्रसंग सदन में नहीं दिया जायेगा।

2—संसद् में विभिन्न दलों की संख्या-बल को ध्यान में रखते हुए सरकार विरोधी दलों की सलाह से इन समितियों की संख्या-बल निश्चित करेगी। प्रत्येक दल इन समितियों के लिए उसके द्वारा मनोनीत किये जाने वाले व्यक्तियों को स्वयं चुन सकता है।

3--प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से संबंध रखने वाले मंत्री उसके मंत्रालय से संलग्न सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे । जब कभी भी असाधारण कारणों की वजह से ऐसा संभव न हो तो बैठक की अध्यक्षता या तो मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा की जायगी या बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा ।

4--समिति के नियमित सदस्यों को सलाहकार समितियों की बैठकों के लिए सूचनायें इत्यादि जारी की जायेगी । यदि एक विशेष समिति की बैठक में समिति के सदस्य के अतिरिक्त कोई दूसरा सदस्य कोई विषय चर्चा के लिए प्रस्तावित करता है तो इस शर्त पर कि वह बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा-भत्ता, और दैनिक भत्ता, किसी का भी हकदार न होगा, उसको बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है । तथापि जब संसद् का अधिवेशन न चल रहा हो तो नियमित सदस्य उस अवधि में हुई बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रकाशित प्रशासनिक आदेशों के मुताबिक यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

5--सामान्यतः समितियों की बैठकें अधिवेशन की अवधि के दौरान में बिठाई जानी चाहिए । अधिवेशन न होने वाली अवधि के दौरान में भी प्रत्येक समिति की एक-एक बैठक करने के लिए भी निश्चय किया गया है और अगर सम्भव हो सके तो बैठक की तारीख का फैसला इस बैठक से पहले हुई बैठक में किया जा सकता है चर्चा हेतु लिये जाने वाले कार्य पर निर्भर करते हुए बैठक की कालावधि चैयरमैन पर छोड़ी जाती है ।

6--इन बैठकों में मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होंगे जो कि मंत्री महोदय को कार्य-सूची में होने वाले विशेष मदों के संबंध में जानकारी देने में सहायक करेंगे और उनका तथ्य और आँकड़े उपलब्ध करेंगे । समिति को किसी गवाह को बुला भेजने किसी फाइल को मंगाने व उसको प्रस्तुत करने के लिए बुलाया भेजने व किसी सरकारी रिकार्ड का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होता । फिर भी, समिति के चैयरमैन, सदस्यों द्वारा माँगी गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी उनको उपलब्ध कर सकते हैं ।

7--उन विशेष विषयों पर, जिनके लिए पर्याप्त सूचना दी गई थी, बैठक में हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड सदस्यों को भेजा जायेगा ।

निम्न अपवादों को छोड़कर जहाँ कहीं पर भी समिति के दृष्टिकोण में एकमतता होगी सामान्यतः सरकार उस दृष्टिकोण को मान लेगी अर्थात्;

(1) वित्तीय उलझनें रखने वाला कोई भी दृष्टिकोण ।

(2) सुरक्षा, रक्षा, वैदेशिक कार्य और परमाणु शक्ति से संबंध रखने वाला कोई भी दृष्टिकोण; तथा

(3) एक स्वायत्त निगम के क्षेत्र में आने वाला कोई भी विषय ।

8--इन समितियों का गठन सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए किया जायेगा ।

9--सामान्यतः समितियों का पुनर्गठन बजट अधिवेशन में किया जायेगा ।

10--सचिव, संसद् कार्य विभाग इन समितियों के गठन को अधिसूचित करेंगे ।

11--संसद् सदस्य कोई भी विषय जिसका कि संसद् में विशिष्टता से वाद-विवाद किया जा सकता है इन समितियों में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर भी जो कुछ भी सलाहकार समितियों में घटित हुआ हो उसका प्रसंग सदन में देना उचित नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए अनिवार्य होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के कृत्यों का पुनः निर्धारण

5335. **श्री म० ला० सोंधी:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कृत्यों का पुनः निर्धारण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा०वी० के० आर०वी० राव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में तम्बुओं में चल रहे स्कूल

5336. **श्रीम० ला० सोंधी:** क्या **शिक्षा तथायुवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौरोजी नगर, किदवई नगर, नेताजी नगर, अन्सारी नगर, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, सेवा नगर, त्यागराज नगर, मन्दिर मार्ग, लोधी स्टेट, प्रेसिडेंट्स इस्टेट, भोगल, जंगपुरा, डिफेंस कालोनी और साउथ एक्सटेंशन में सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे सहायता प्राप्त स्कूलों की कुल संख्या क्या है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या उनमें से किसी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है;

(ग) इनमें से कितने तम्बुओंमें चल रहे हैं और उनके लिए उचित इमारतें नहीं हैं;

(घ) क्या समय की कोई सीमा नियत की गई जिसके भीतर इन स्कूलों के तम्बुओं को इमारतों में बदला जायेगा; और

(ङ) इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना, संबंधित शिक्षा प्राधिकारियों से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका के प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की शिकायतें

5337. **श्री म० ला०सोंधी:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें नई दिल्ली नगर पालिका अध्यापक संघ का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें 20,000 प्राइमरी अध्यापकों की शिकायतों को दूर करने और न्याय की माँग की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि उन पदों के ग्रेडों जहाँ योग्यतायें इंटरमीडिएट अथवा उच्चतर माध्यमिक और 2 वर्ष का प्रशिक्षण से भी कम है की तुलना में 135-320 रुपये ग्रेड अत्यधिक प्रतिकूल हैं; और

(ग) सरकार का इन 20,000 प्राइमरी अध्यापकों की इन शिकायतों की कि, उनके साथ भेदभाव बरता गया है पूरे करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतनमान कुछ अन्य वर्गों के अध्यापकों के वेतनमानों से कम हैं। प्राथमिक स्कूल-अध्यापकों के वेतनमानों के परिशोधन के सामान्य पहलू पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दक्षिण में दूसरी शाखा

5338. **श्री दिनकर देसाई**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्हीलेस (विशेषज्ञ) समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में दूसरी उत्खनन शाखा की स्वीकृति मिल गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस शाखा का मुख्यालय दक्षिण में होगा और वाणावासी अथवा हुम्पी जैसी जगहों में उत्खनन कार्य करेगी जबकि अन्य शाखाएं उत्तर भारत में नागपुर में अपना कार्य करेंगी;

(ग) क्या यह सच है कि मध्यकालीन भारत में नगर-आयोजन की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पुरातत्व केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने हुम्पी के खण्डरों के खोदने की सिफारिश की थी, यदि हाँ, तो क्या हाल ही में होसपेट में हुई विजयनगर इतिहास गोष्ठी में की गई सिफारिश के अनुसार यह कार्य दूसरी उत्खनन शाखा करेगी; और

(घ) क्या पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का विचार वाणावासी एहोलरों तथा लावुन्डी में संग्रहालय अथवा कलावस्तु संग्रह स्थान बनाने का है यदि हाँ, तो यह संग्रहालय कब स्थापित किए जायेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). जी हाँ। देश में भारी मात्रा में उत्खनन कार्य के कारण, एक दूसरी उत्खनन शाखा की स्वीकृति दी गई है, किन्तु, यह दिल्ली में स्थित होगी और पुराना किला, दिल्ली और मथुरा में खुदाई का कार्य, इसके सुपुर्द किया जाएगा। नागपुर स्थित वर्तमान उत्खनन शाखा का चालू वित्तीय वर्ष में कच्छ में खुदाई का एक अनुमोदित कार्यक्रम है, किन्तु भविष्य में दक्षिण भारत में खुदाई कार्य को भी इसके सुपुर्द करने का विचार है।

(ग) जी नहीं।

(घ) फिलहाल, बाणवासी, अहहोल तथा लावुन्डी में संग्रहालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु चौथी योजना अवधि में अहहोल में एक "मूर्ति शेड" का निर्माण करने का विचार है।

लोहे की चद्दरों के आयात के लिए तमिलनाडुद्वारा विदेशी मुद्रा की माँग

5339. **श्री मुरासोली मारन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे की चादरोंके आयात के लिए तामिलनाडु ने विदेशी मुद्रा की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). जी नहीं। परन्तुतमिलनाडु की सरकार ने विपणन जल पूर्ति प्रायोजना के सम्बन्ध में कंकरीट के पाइप तैयार करने के लिए उच्च वोल्टता के इस्पात के तार तथा गाँवों में बिजली लगाने की योजनाओं के अन्तर्गत तमिलनाडु बिजली बोर्ड के लिए नरम इस्पात के चद्दरों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा माँगी थी। इन वस्तुओं का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा दे दी गई है।

बड़े एकाधिकार गृहों द्वारा लेखा परीक्षण कार्यों पर प्रभुत्व

5340. **श्री न० रा० देवधरे:** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारको इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ बड़े एकाधिकार गृहों का लेखा परीक्षण कार्यों पर प्रभुत्व है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस लेखा परीक्षण कार्य में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को कुचलने का है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) सरकार के नोटिस में यह आया हुआ है कि शास-प्राप्त लेखाकारों की फर्मों की एक लघु संख्या का, निगम क्षेत्र में लेखा-परीक्षा कार्य के एक वृहद भाग पर अधिकार है।

(ख) शास-प्राप्त लेखाकारों की थोड़ी सी फर्मों में लेखा-परीक्षा कार्य के संकेन्द्रण के ब्यौरे, उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही का निश्चय करने कीदृष्टि से, एकत्रित किए जा रहे हैं।

राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता

5341. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों ने अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो बोर्डों ने कितनी सहायता माँगी है; और

(ग) इस संबंध में बोर्डों को अब तक कुल कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). कृषि वित्त निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राज्यों के बिजली बोर्डों को कुल मिलाकर 45,11,86,000 रुपये के ऋण मंजूर किए हैं। अबतक दी गईरकम 19,79,97,081

रुपये है। इस समय कृषि वित्त निगम और राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्यों के बिजली बोर्डों के द्वारा किये गये कई अनुरोधों पर विचार कर रहे हैं। ये अनुरोध कुल मिलाकर 37,29,50,000 रुपये के लिए किए गए हैं।

मदुरै में 'सो-ए-लूमियेर' की व्यवस्था का प्रस्ताव

5342. **श्री मुरासोली मारन:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदुरे में 'सो-ए-लूमियेरे' की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्यक्रम कब प्रारंभ किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) प्रदर्शन के इसी योजनावधि में ही चालू किए जाने की संभावना है।

तमिलनाडु के सलेम जिले में कोल्ली तथा इरकाडु पहाड़ियों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव

5343. **श्री मुरासोली मारन:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के सलेम जिले में कोल्ली तथा इरकाडु पहाड़ियों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख): पर्यटन विभाग धन के सीमित होने के कारण, जिससे प्राथमिकताओं का कठोर तथा क्रमनिर्धारण अनिवार्य हो गया है, इस क्षेत्र का विकास करने की स्थिति में नहीं है।

Construction Work of Bridge over Naraini River at Dumaria Ghat in Champaran District

5344. **Shri K. M. Madhukar :** will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether construction work of the bridge over Naraini river at Dumaria Ghat in Champaran District has not been progressing according to schedule and the cost of construction thereof has been going up continuously; and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to ascertain causes of the delay and expedite the construction of the bridge ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). Presumably, the Hon'ble Member refers to the bridge over the river Gandak at Dumaria Ghat in Champaran district. The progress of the work has not been according

to the schedule, but the cost of construction, it is reported by the State Government, is not expected to increase substantially as the contract is on a lump sum basis. The main reasons for the delay are the slow progress in rectification of excessive tilt of one well in difficult clayey strata and inadequate resources of the contractor. The firm is being constantly pressed to complete the bridge early and constant watch is being exercised to expedite completion of the bridge.

Material used in the construction of National Highway between Muzaffarpur and Motihari

5345. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that tarcoal, concrete and other material in adequate quantity has not been used in the construction of national highway recently constructed from Muzaffarpur to Motihari;

(b) whether Government are aware that the contractors and officers have misappropriated funds meant for construction work on this portion of the national Highway;

(c) if so, whether Government propose to setup an enquire committee consisting of Members of Parliament and Members of Legislative Assembly to enquire into this matter; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The requisite information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Foreign Tourists Visiting India in the current year

5346. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the number of foreign tourists who have visited this country during the current year has fallen short of the estimate of Government in this regard;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) if not, the number of foreign tourists from each country who visited India; and

(d) whether Government are aware that majority of the British and American tourists while going from Bihar to Nepal via Raxaul or coming back via this route, are found involved in various smuggling cases ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

NATIONALITY-WISE TOURIST ARRIVALS (January—October)

Country of nationality	Tourist arrivals (January—October)		Percentage change
	1970	1969	
Canada	5,855	3,727	+57.1
U. S. A.	49,175	44,245	+11.1
Mexico	847	674	+25.7
Austria	1,359	1,103	+23.2
Belgium	2,122	1,294	+64.0
Denmark	1,747	1,498	+16.6
Finland	281	487	—42.3
France	14,835	10,447	+42.0
Germany	12,360	10,558	+17.1
Italy	4,898	3,796	+29.0
Netherlands	2,461	2,113	+16.5
Norway	454	447	+ 1.6
Portugal	534	563	— 5.2
Spain	1,475	884	+66.9
Sweden	1,918	1,925	— 0.4
Switzerland	4,024	3,347	+20.2
U. K.	33,383	29,164	+14.5
Bulgaria	114	134	—14.9
Czechoslovakia	1,144	1,098	+ 4.2
Greece	814	823	— 1.1
Hungary	364	317	+14.8
Poland	398	488	—18.4
Rumania	154	254	—39.4
Yugoslavia	655	658	— 0.5
Russia	2,143	2,501	—14.3
Kenya	2,971	2,513	+18.2
South Africa	2,034	1,864	+ 9.1
Tanzania	2,095	1,703	+23.0
Uganda	1,854	1,242	+49.3
Bahrein	1,626	1,437	+13.1
Dubai	1,466	831	+76.4
Iran	2,093	1,397	+49.8
Oman	1,017	686	+48.2
Saudi Arabia	711	702	—
Yemen	690	663	—

1	2	3	4
Afghanistan	3,764	2,862	+31.5
Ceylon	15,893	16,756	— 5.2
Japan	7,455	6,515	+14.4
Malaysia	8,443	6,351	+32.9
Nepal	2,245	1,877	+19.6
Singapore	3,609	2,740	+31.7
Australia	9,343	8.449	+10.6
Newsealand	1,678	1,405	+19.4
Others	15,554	13,515	+15.1
TOTAL	2,28,056	1,96,062	+16.3

(d) No Sir.

मैसूर में हुम्पी के निकट खण्डहरों को खोदा जाना

5347. **श्री स० अ० अगड़ी:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य की सरकार को जानकारी है कि नवम्बर, 1970 के प्रथम सप्ताह में मैसूर राज्य के वेल्लारी जिले हुम्पी में "विजयनगर कालीन संस्कृति तथा वास्तुकला" पर हुई एक गोष्ठी में सुझाव दिया गया था कि हुम्पी क्षेत्र के खण्डहरों को व्यवस्थित रूप से खोदा जाए क्योंकि वहाँ से विजयनगर काल की वास्तुकला और संस्कृति के अवशेष उपलब्ध हो सकेंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोष्ठी में एक वास्तुकला सर्वेक्षण अधिकारी ने उस सुझाव का समर्थन किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग). जी हाँ। यह पता लगा है कि हुम्पी में हुई एक संगोष्ठी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी द्वारा निजी तौर पर प्रस्तुत किये गये शोधपत्र में इस विषय पर सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी पता लगा है कि संगोष्ठी में स्वीकृत संकल्प में हुम्पी क्षेत्र के खण्डहरों को व्यवस्थित रूप से खोदने के विषय पर चर्चा हुई थी जिससे विजयनगर कालीन साँस्कृतिक तथा वस्तुकला संबंधी अवशेष प्राप्त हों, हालाँकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुख्यालय में अभी तक उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इसके प्राप्त होने पर इस पर यथोचित विचार किया जाएगा।

सिन्धी भाषा की लिपि

5348. **श्री वि० नरसिम्हा राव:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 1950 में केन्द्रीय सरकार के कार्यकारी आदेशों द्वारा सिंधी भाषा की लिपि सिंधी से देवनागरी में परिवर्तित की गई थी;

(ख) क्या कई वर्षों से सिंधी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं जिसमें सरकार को उक्त आदेश समाप्त करने को कहा गया है, और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या विधि मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में परामर्श दिया है और यदि हाँ, तो संक्षिप्त रूप में वह क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (ग). बम्बई में 1949 में हुए अखिल भारतीय सिन्धी (विस्थापित व्यक्ति) सम्मेलन की सिफारिशों पर जिसमें आग्रह किया गया था कि सिन्धी स्कूलों से देवनागरी लिपि ही में सिन्धी पढ़ाने के लिए कहा जाये, भारत सरकार ने 1950 में राज्य सरकारों को सूचित किया कि उन्होंने सिफारिश स्वीकार कर ली है और जहाँ तक स्कूलों में शिक्षा का सम्बन्ध है, सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिए। उसके बाद कुछ सिन्धी विद्वानों और मान्यता प्राप्त सिन्धी माध्यमिक स्कूलों के अध्यक्षों के संघों सहित, शिक्षा शास्त्रियों ने यह निवेदन करते हुए इस मंत्रालय को अभ्यादन भेजे कि शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए स्कूलों में अरबी लिपि का उपयोग किया जाए न कि देवनागरी लिपि का।

2. अतः मामले की पुनः जाँच की गई और संविधान के अनुच्छेद 29(1) की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, 1951 में सभी राज्य सरकारों को यह सूचित करते हुए एक संशोधित परिपत्र जारी किया गया कि छात्रों की इच्छा पर छोड़ते हुए वे किसी एक का चयन करें—सिन्धी भाषा के लिए उर्दू (अरबी) और देवनागरी लिपि दोनों के उपयोग की अनुमति देना ही बेहतर होगा। अध्ययन के लिए प्रबन्ध इस शर्त पर किये जायेंगे कि उस लिपि में अपेक्षित छात्रों की संख्या 1949 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसार हो, अर्थात् स्कूलों में कम से कम 40 अथवा प्रत्येक कक्षा में 10 छात्र उस लिपि में अध्ययन करने के इच्छुक हों। अभी हाल ही में सिन्धी भाषा में विश्व-विद्यालय स्तरीय पुस्तकों के लिखने के सम्बन्ध में इस मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से परामर्श किया। विधि मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 29(1) की व्यवस्थाओं की ओर इस मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया और यह मत प्रकट किया कि कुछ चुनी हुई पुस्तकों का सिन्धी भाषा में देवनागरी लिपि में प्रकाशन करने में कोई वैध आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक लेखक को, अपनी पुस्तक अपनी रुचि ही किसी भी लिपि में प्रकाशित करने का अधिकार है।

नोटों के मूल्य को सिन्धी भाषा में मुद्रित करना

5349. **श्री वि० नरसिन्हा राव**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय सिन्धी संगठनों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें सरकार को नोटों के मूल्यों को सिन्धी भाषा में मुद्रित करने को कहा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हाँ।

(ख) करेंसी और बैंक नोटों पर अब तक सिन्धी में मूल्यों के न दिए जाने का कारण यह है कि सिन्धी बोलने वाले लोगों में इसकी लिपि के विषय में पर्याप्त मतैक्य का अभाव है। फिर भी, सरकार मामले पर विचार कर रही है।

पाकिस्तान में संचित भविष्य निधि की बकाया राशि

5350. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान में कार्य करने वाले उन भारतीय राष्ट्रिकों तथा पाकिस्तान के अल्प संख्यकों की विपत्ति का पता है जिनकी, 1 जुलाई, 1955 के पश्चात् नौकरी समाप्त होने के बाद उस देश में संचित भविष्य निधि जब्त हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी देय राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि उनमें से अधिकाँश तो 1959 के पश्चात् या तो भारत वापस आ गए थे और या विस्थापित व्यक्तियों के रूप में आए थे; और

(ग) इस मामले में कुछ करने के लिए पाकिस्तान की सरकार द्वारा इन्कार करने की स्थिति में क्या सरकार का विचार कोई प्रभावी जवाबी कार्यवाही करने का है जिससे संचित भविष्य निधि की बकाया राशि शीघ्र प्राप्त हो सके ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). भविष्य निधि के दावों का निपटारा करने के प्रश्न पर पाकिस्तान की सरकार के साथ बहुत लम्बे समय से बातचीत की जाती रही है लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। फिर भी, सरकार इस बात का लगातार प्रयत्न कर रही है कि इसका कोई व्यावहारिक हल निकल आये।

बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाना

5351. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्तुओं की बिक्री के वर्तमान आधार पर उनकी साँख्यिकीय गणना उत्पादन शुल्क के अध्यधीन न किये जाने से राज्यों को उत्पाद शुल्क के अपने वर्तमान भाग में होने वाली हानि को सरकार कैसे न्यायोचित समझती है;

(ख) क्योंकि उनकी अपनी एजेंसियों को होने वाली सप्लाई को छोड़ समस्त, बिक्री सीधे कारखाने से ही होती है, तो क्या बिक्री कर केवल निर्माता राज्यों को ही मिलेगा तथा उन राज्यों को हानि होगी जो इस समय अपना भाग आँशिक रूप से जनसंख्या के आधार पर प्राप्त करते हैं;

(ग) इस आधार पर की गई सामान्य गणना का ब्यौरा क्या है तथा क्या इसकी जानकारी उन राज्यों को दे दी गई है जिन्हें हानि होगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त राज्य बिक्री कर में अतिरिक्त वृद्धि करते हैं; और यदि हाँ, तो क्या इसके फलस्वरूप विशेषकर कपड़े के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). कपड़ों (रेशमी कपड़ों को छोड़कर), चीनी (शर्करा) तथा तम्बाकू पर, बिक्री कर के स्थान पर लागू किये गये, अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्राप्तियाँ समय समय पर वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्योंमें बाँट दी जाती हैं। पाँचवें वित्त आयोग ने नीचे लिखे अनुसार सिफारिश की थी:—

> "सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गारंटी शुदा रकमों से अधिक, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की प्राप्तियों का विवरण अंशतः वर्ष 1965-66 से 1967-68 के दौरान बिक्री कर के संग्रह (अन्तर्राज्यीय बिक्री कर को छोड़कर) के आधार पर किया जाना चाहिए और अंशतः जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। तदनुसार हमने इस आधार पर (जम्मू और काश्मीर तथा नागालैंड से भिन्न) राज्यों के प्रतिशत हिस्से का हिसाब लगाया है जिसमें बिक्री कर के संग्रह और जनसंख्या, दोनों को, बराबर महत्व दिया है।"

पाँचवें वित्त आयोग की ये सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं, और उनको संसद द्वारा अधिनियमित, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएँ) संशोधन अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 3) द्वारा कार्यरूप दिया गया। राज्य सरकारों को इस स्थिति का पता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त वस्तुओं पर कोई बिक्री-कर नहीं लगाया जाता।

विदेशी बैंकों के "पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट"

5352. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय वाणिज्यिक बैंक विशेषकर विदेशी बैंक "पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट" जारी करके जनता से तथा जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जैसी सरकारी संस्थाओं से लघु अवधि के लिए धन ले रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि यह तकनीकी दृष्टि से जमा से भिन्न है परन्तु "पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट" जारी करके लिया गया धन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों हेतु लघु अवधि के लिए जमा धन है;

(ग) क्या "पार्टिसिपेशन सार्टिफिकेट" की व्यवस्था द्वारा नकदी धन की आवश्यकताओं और ब्याज की अधिकतम दर सम्बन्धी उपबन्धों से बचा जा सकता है; और

(घ) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को "पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट" द्वारा धन लेने की और उधार देने की अनुमति देकर अपनी ऋण संबंधी नीति के प्रभावों को निष्क्रिय बना दिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत बैंक (भारतीय और विदेशी दोनों) और वित्तीय संथाएँ जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारत में नियमित अन्य वित्तीय संस्थाएँ अन्तर-संस्थागत लेनदेनों को प्रकट करने के लिए सहभागिता-प्रमाणपत्र (पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट) जारी कर सकती हैं।

(ख) चूंकि सहभागिता प्रमाणपत्र केवल वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी किये जाते हैं, इसलिए इन प्रमाणपत्रों के जारी किये जाने से बैंकों को जो धन-राशि उपलब्ध होती है वह अन्तर-संस्थागत लेनदेनों की द्योतक होती है और उस धनराशि के सदृश होती है जो मुद्रा-बाजार से उपलब्ध होती है।

(ग) बैंकों की नगदी और नगदी जैसी अन्य परिसम्पत्ति की साँविधिक और शुद्ध (नेट) दोनों प्रकार की आवश्यकताओं का सम्बन्ध, कुल माँग-देनदारियों और मियादी देनदारियों से होता है। सहभागिता प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना, देनदारियों में नहीं दिखाया जाता इसलिए, नकदी और नकदी जैसी अन्य परिसम्पत्ति की आवश्यकताएँ इन राशियों पर लागू नहीं होतीं। इसी प्रकार, चूँकि इन प्रमाणपत्रों के जरिए जुटाई गई रकमें, जमा के रूप में नहीं होतीं, इसलिए जमा रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज की दरों के सम्बन्ध में, रिजर्व बैंक का निदेश इन राशियों पर लागू नहीं होता।

(घ) रिजर्व बैंक ने बैंकों को सहभागिता प्रमाणपत्रों के जरिए रकमें जुटाने की अनुमति देकर, बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से पुनर्वित प्राप्त करने के अवसर कम कर दिये हैं क्योंकि बैंक अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, कुछ सीमा तक, वित्तीय संस्थाओं से पूरी कर सकते हैं और उन्हें रिजर्व बैंक का सहारा लेने की तभी जरूरत होती है जब वित्तीय संस्थाओं के पास धन की आम कमी हो।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही

5353. **श्री पीलू मोदी:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री कैरेविले विमान के लिए बैटरियों के सम्बन्ध में 18 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5908 और 5909 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिक द्वारा मरम्मत की गई सेलों में से किसी का उपयोग कभी किसी विमान में किया गया और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मैकेनिक को स्थायी तौरपर उसके मूल वेतन में से वे दो वेतन वृद्धियाँ कम करके परेशान किया गया जो कि उसको रद्द बैटरियों को पुनः चलाने की प्रक्रिया का विकास करने के परिणामस्वरूप दी गई थीं और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कई मामलों में सेवा से बर्खास्तगी और निलम्बन जैसी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को पूरी तरह से या आँशिक तौर पर वापिस ले लिया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त मैकेनिक के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को वापिस क्यों नहीं लिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं। भूमि पर खड़े हुए विमान के इंजन को प्रयोगात्मक तौर पर चालू करने के लिए पुनः चाल की गई (रिक्लेम्ड) बैटरियों के तीन सेटों का प्रयोग किया गया था। ये परीक्षण सफल नहीं रहे और आगे के प्रयोग जोखिमपूर्ण होने के कारण त्याग दिये गये।

(ख) अपने कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप श्री डी० जे० नायडू को दो वेतन-वृद्धियों की कटौती का दण्ड दिया गया।

(ग) अनुशासनिक कार्यवाही के प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

(घ) श्री नायडू को दो वेतन-वृद्धियों की कटौती का दण्ड उसके अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण दिया गया था। श्री नायडू की अपील पर अपील प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया परन्तु उनके विचार में दण्ड के संशोधन के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था।

इंडियन एयरलाइंस के परिवहन भंडार से बियरिंग तथा इन्जेक्टर गायब हो जाना

5354. **श्री पीलू मोदी:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई-अगस्त 1969 के आसपास इंडियन एयरलाइन्स के परिवहन भंडार से 85,000 रुपये के मूल्य के कुछ बियरिंग और इंजेक्टर गायब पाये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग के किसी अन्य व्यक्ति को आरोप पत्र दिया गया था तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी;

(ग) 1967 से कितने डकोटा आयल कूलर गायब हैं; और

(घ) इस संबंध में निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) इंडियन एयरलाइन्स के बम्बई क्षेत्र के परिवहन भंडार से 22,892.15 रुपये के मूल्य के बियरिंग तथा इंजेक्टर गायब पाये गये थे।

(ख) तीन मामलोंमें किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में कोई मामला कायम नहीं हो सका। एक मामले में दो भंडरियों (स्टोर होल्डर्स) के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रारम्भ कर दी गयी है और यह मामला चल रहा है।

(ग) बम्बई में छः डकोटा आयल कूलर गायब पाये गये।

(घ) इस सम्बन्ध में की गई जाँच से ज्ञात हुआ कि एक चौकीदार का आचरण एवं कार्य-व्यवहार संदेहजनक था। उसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा वेल्डिंग मशीन का आयात

5355. **श्रीपीलूमोदी:** क्या **पर्यटन तथा सैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के आदेश संख्या एच०क्यू०सी०एस०ईई-66 (1) 87 दिनाँक 12 मार्च, 1966 के अनुसार किसी वैल्डिंग मशीन का आयात किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि यह मशीन निगम के लिए किसी भी काम की नहीं है और इस अप्रयुक्त पड़ी मशीन में जंग लग रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इंडियन एयरलाइन्स को इस मशीन का क्या मूल्य देना पड़ा था; और

(घ) अन्य कौन-कौन सी मशीनें तथा पुर्जे अप्रयुक्त पड़े हैं तथा उनमें जंग लग रहा है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) मशीन के प्रतिष्ठापन-कार्य को वर्कशाप के नये हैंगर में, जहाँ कि पर्याप्त पावर सप्लाई उपलब्ध होगी ले जाये जाने तक स्थगित कर दिया गया है। इस मशीन के लगाने एवं परिचालन के संबंध में पूर्ण तकनीकी सामग्री (डेटा) की प्राप्ति में भी देरी हुई है।

(ग) 5,020.00 पौंड

(घ) दिल्ली क्षेत्र में कुछ मशीनरी तथा उपस्कर अप्रयुक्त दशा में पड़े हैं। यह इस कारण है कि मशीनरी की कुछ मदें खराब हालत में प्राप्त हुई थीं तथा कुछ मदें कुछ विशेष प्रकार के कार्य के बन्द हो जाने के परिणाम स्वरुप फालतू हो गयी है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना

5356. **श्री बेघर बेहेरा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को काम करने के सामान्य कार्य घंटों के पश्चात् एक घंटे के लिये समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हाँ।

(ख) द्वितीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कार्यालयी कर्मचारियों के मामले में समयोपरि भत्ते का दावा किसी कार्य दिवस के निर्धारित घंटों तथा तदनन्तर अतिरिक्त 45 मिनट तक कार्य करने के बाद किये गये काम के लिए ही होना चाहिए अर्थात् समयोपरि कार्य के प्रथम 45 मिनट के लिए किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति-अदायगी नहीं की जानी चाहिए। आयोग का विचार था कि कार्यालयी कर्मचारियों के काम के घंटे कम होने के कारण यह अन्तर आवश्यक है। सरकारी व्यय में कमी करने की दृष्टि से बिना भत्ते के कार्य करने के प्रथम 45 मिनट की अवधि को 1962 की अपात स्थिति में बढ़ा कर एक घंटा कर दिया गया था।

वेतन आयोग के क्षेत्राधिकार में लाये गये स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के विभाग

5357. **श्री मंगलाथुमाडम:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्थल सेना, नौसेना तथा वायुयान सेना के उन मुख्य विभागों के नाम क्या हैं जिनको

कि उनके वेतन ढांचे का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करने हेतु जांच के लिये वेतन आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया गया है; और

(ख) क्या सीमा सुरक्षा दलों को भी उसके जांच के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) वित्त मंत्रालय के यथा संशोधित संकल्प सं० एफ० 7 (25)-ईiii (ए)/69 दिनाँक 23 अप्रैल, 1970 के अनुसार वेतन आयोग को सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के वेतन-ढांचे की, उनकी सेवा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जांच करनी है और सिफारिशें देनी हैं। इस जांच में सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को नकदी तथा माल के रूप में मिलने वाले लाभ और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ भी शामिल हैं। रक्षासेवाओं के असैनिक कर्मचारी भी वेतन आयोग की जांच की परिधि में आ जाते हैं।

(ख) जी हाँ।

बिहार, आसाम तथा जम्मू और काश्मीर के उपेक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

5358. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **वित्त** मंत्री 20 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1800 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, आसाम तथा जम्मू और कश्मीर के उपेक्षित क्षेत्रों को अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या कृषि तथा ग्राम उद्योग क्षेत्र के लिए बैंक का 50 प्रतिशत ऋण निर्धारित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) बिहार, असम और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में कृषि और लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों को बैंक ऋण कम मिलने का मुख्य कारण यह है कि इन राज्यों में बैंक व्यवस्था का विस्तार काफी अधिक नहीं हुआ है। बैंक नेतृत्व योजना के अधीन, ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जिनमें बैंक संबंधी सुविधाओं की शीघ्र आवश्यकता है और उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यवाही करने के लिए, इन राज्यों के सभी जिलों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बाँट दिया गया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि वे बैंक नेतृत्व योजना के अधीन जिलों के विस्तृत सर्वेक्षण के काम को पूरा होने की प्रतीक्षा किये बिना असम, बिहार, उड़ीसा और नागालैण्ड के राज्यों में कम बैंकों वाले जिलों में प्राथमिकता के आधार पर शाखाएं खोलने की संभावनाओं का पता लगाएँ।

(ख) और (ग). जैसा कि लोक सभा के 20 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1800 के उत्तर में बताया गया है बैंकों द्वारा कृषि, लघु उद्योग और अन्य श्रेणियों के छोटे ऋणकर्ताओं को अधिक मात्रा में ऋण देने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु इसका अभिप्राय उत्पादक-प्रयोजनों के लिए, व्यापार या उद्योग को आवश्यक ऋण सुविधाएँ न देना नहीं है। इसलिए किसी क्षेत्र विशेष के लिए बैंक ऋण का कुछ भाग निर्धारित कर देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

शैक्षणिक सेवा

5359. **श्री मंगलाथुमाडम:** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा की पद्धति पर एक शैक्षणिक सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा मंत्रालय के अन्तर्गत किसी उच्चाधिकारी प्राप्त निकाय ने इस प्रस्ताव परविचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क), (ख) और (ग): जी नहीं। तथापि एक केन्द्रीय शिक्षा सेवा गठित करने का प्रस्ताव है। उसके ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मुंधेर के समीप गंगा पर एक पुल का निर्माण

5360. **श्री मधु लिमये:** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के एक महत्वपूर्ण उपनगर मुँथेर के समीप गंगा नदी पर एक पुल के निर्माण के बारे में एक संसद सदस्य की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन तथा इससे संलग्न पत्रों में उस पुल के निर्माण के पक्ष में क्या प्रमुख तर्क दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव पर गहराई से विचार करने के क्या कारण हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (घ). संभवतया माननीय सदस्य बिहार सरकार को मुँधेर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन, जिसकी एक प्रतिलिपि प्रस्तावित पुल निर्माण की जाँच करने के लिए भारत सरकार को दी गई है, का उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि प्रस्तावित पुल राज्य की सड़क पर पड़ता है इसलिए बिहार सरकार उसके निर्माण कार्य से मुख्यत: सम्बन्धित है। अत: राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह मुँधेर विकास समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन पर की गयी/की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सूचित करे।

सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि

5361. **श्री लोबो प्रभु:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 28 नवम्बर, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार के संदर्भ में कि केरल के मुख्य मंत्री सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि की बजाय छुट्टी देने के पक्ष में हैं क्योंकि गत चार वर्षों में उनकी सरकार वेतन वृद्धि पर 30 से 40 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है जिसको यदि औद्योगी-

करण में लगाया जाता तो रोजगार के अवसर बढ़ते; कर्मचारियों की उन और माँगों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिन पर वेतन आयोग विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार वेतन आयोग को इस प्रश्न पर भी विचार करने को कहने का है कि मुद्रास्फीति से की जाने वाली वृद्धि की राशि को कर्मचारियों की भविष्य निधि में जोड़ दिया जाय क्योंकि उससे वेतन वृद्धियों के समक्ष मूल्यों में होने वाली वृद्धियों का असर नहीं पड़ेगा; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा वित्त आयोग द्वारा दी गई राशि से माँगी जाने वाली राशि उनके अनुदानों से काटकर देने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों के अनुसार आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य संगत तत्त्वों के अलावा, देश की आर्थिक स्थिति, केन्द्रीय सरकार के साधनों और उन पर होने वाली, विकासशील आयोजन, रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसी माँगों, राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपद्रवों, स्थानीय निकायों, आदि की वित्त व्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें करेगा। इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश उपलब्ध होने के बाद ही, माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मामलों पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

वास्तुविज्ञों तथा इंजीनियरों द्वारा कदाचार

5362. **श्री मधु लिमये**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक संसद सदस्य ने दिल्ली में सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे पदों पर आसीन वास्तुविज्ञों/इंजीनियरों द्वारा किये जा रहे कदाचारों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है,

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के क्या नाम हैं, उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाए गये हैं;

(ग) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध जाँच के आदेश दे दिये गये हैं अथवा दिये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में जाँच न कराने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव): (क) जी, हाँ। सदस्य ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय सरकार और कुछ स्वायत्त संगठनों में सेवा करने वाले चोटी के वास्तुक/अभियंता अपने आपको प्राइवेट व्यवसाय में लगा रहे हैं और प्राइवेट भवनों की अभिकल्पना तथा संरचनाओं के नक्शे तैयार करके उनके निर्माण की देख रेख कर रहे हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि इस निजी कार्य के लिये "सरकारी मशीनरी, लेखन सामग्री तथा समय" का उपयोग किया जा रहा है। सदस्य द्वारा दिये गये अधिकारियों के नाम तथा इनके द्वारा किये गये निजी कार्य की किस्म निम्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(1) श्री जे० आर० सहगल, वरिष्ठ वास्तुक, सिविल विभाजन, नई दिल्ली

इस अधिकारी ने निम्नलिखित भू-खण्डों के भवनों के डिजाइन तैयार किये तथा निर्माण कार्य की देखरेख की:—

भूखण्ड संख्या बी-1, बी-3, बी-18, बी-26, बी-50, सी-1, सी-32 और सी-33

(2) श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य वास्तुक

इस अधिकारी ने श्री सी० पी० मलिक, सफुदरजंग विकास क्षेत्र और डेरा इसमाईल खां सहकारी समिति जो रोहतक मार्ग पर स्थित है, के भवन का डिज़ाइन तैयार किया तथा भवन निर्माण की देखरेख की और अन्य कालोनियों में भवनों के निर्माण से भी सम्बद्ध है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के श्री पुँज तथा श्री जोवरी इस अधिकारी के साथ कार्य कर रहे हैं।

(3) श्री धमीजा, नई दिल्ली नगर पालिका के मुख्य वास्तुक

(4) श्री एम० एम० राना, सी० पी० डब्ल्यू० डी० के वरिष्ठ वास्तुक

इन सज्जन ने प्रधान मंत्री के फार्म गृह/फार्म का डिजाइन तैयार किया है।

(5) श्री एल० आर० लारोईया, वरिष्ठ वास्तु, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।

(ख) से (घ). चूँकि अधिकारी अन्य मंत्रालयों तथा संगठनोंमें कार्य कर रहे हैं और शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के अधीन नहीं हैं, उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप संबधित मंत्रालयों तथा संगठनों के अध्यक्षों को विस्तृत जाँच तथा उचित कार्यवाही के लिए ओ्रेसित कर दिये गये हैं। जहाँ तक इस आरोप का सम्बन्ध है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ वास्तुक ने प्रधान मंत्री के एक गृह का डिजाइन बनाया है, सही स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री के लिए किसी ने भी घर का डिजाइन नहीं बनाया है और न ही प्रधान मंत्री के पास इस प्रकार का कोई घर है।

बैंक बोर्ड की योजना

5363. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक बोर्ड की योजना के सम्बन्ध में, नई दिल्ली से निदेशालयों के खर्चे में कितनी वृद्धि होगी तथा दो पूर्ण कालिक निदेशकों को रखने के क्या कारण हैं;

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों का वेतन क्या होगा तथा क्या उनको अधिकतम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतनों से जोड़ा जायेगा।

(ग) बैंक में कर्मचारियों में से दो निदेशकों को रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रबन्ध समिति बोर्ड तथा प्रबन्ध निदेशकों के अधिकार को कम नहीं करेंगी और यदि नहीं, तो बोर्ड की अपेक्षा जो कि केवल थोड़ी बनी है, इसको क्या लाभ होगा;

(ङ) क्या यह प्रस्ताव किया गया है कि जमाकर्ताओं, कृषकों, कारीगरों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व में संतुलन बनाए रखने के लिए ऋण ग्राहियों की मुख्य श्रेणी के प्रतिनिधियों को बोर्ड के निदेशकों में शामिल करना चाहिए; और

(च) इस समय उद्योग, व्यापार, कृषि, श्रमिकों और कारीगरों द्वारा लिये जाने वाले ऋण का सापेक्ष अनुपात क्या है ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) संभवतः यह सूचना, योजना में परिकल्पित उन निदेशक-मण्डलों में खर्च होने वाली संभावित वृद्धि के बारे में माँगी गई है, जो अब प्रथम निदेशक मण्डलों की अपेक्षा बड़े होंगे । इस समय यह बताना संभव नहीं है क्योंकि उक्त योजना की धारा 17 के अन्तर्गत, जो इस समय संसद के सामने प्रस्तुत है, इस बात का अभी निर्णय किया जाना है कि निदेशकों को कितना शुल्क दिया जाय तथा उन्हें किन दरों के अनुसार यात्रा खर्च और ठहरने का खर्च अदा किया जाय । योजना में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक बैंक में एक प्रबन्ध निदेशक होगा किन्तु यदि बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझा जायगा तो उसमें एक और पूर्णकालिक निदेशक भी नियुक्त किया जा सकेगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक के परामर्श से पूर्णकालिक निदेशकों के वेतन निर्धारित करते समय सभी सम्बन्धित बातों पर विचार करेगी जिनमें उपयुक्त स्तर के सरकारी कर्मचारियों को देय वेतन तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को देय वेतन भी शामिल हैं ।

(ग) बैंक के कर्मचारी दो श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं अर्थात् जो श्रमिक हैं वे पंचाट यानी 'एवार्ड' कर्मचारी कहलाते हैं और जो अधिकारी हैं वे पंचाट-भिन्न यानी 'नान एवार्ड' कर्मचारी कहलाते हैं । इस सम्बन्ध में यह उचित नहीं होगा कि इन दो श्रेणियों में से केवल एक को ही प्रतिनिधित्व दिया जाये । इसलिए योजना में यह व्यवस्था की गई हैं कि इन दोनों श्रेणियों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि हो ।

(घ) सम्बद्ध अधिनियम की धारा 7 (2) के अन्तर्गत बैंक के कारबार के सम्बन्ध में आवश्यक सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध, निदेशक मण्डल के हाथ में होगा । योजनाकी धारा 13(3) और (6) में की गई व्यवस्था के अनुसार, प्रबन्ध समिति और प्रबन्ध निदेशक अपनी शक्तियाँ बोर्ड से प्राप्त करेंगे । प्रबन्ध समिति और प्रबन्ध निदेशक की शक्तियों तथा उनके कार्यों की सीमाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी जायगी और इसलिए प्रबन्ध निदेशक के कार्यक्षेत्र में दोहरेपन के होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होगा ।

(ङ) उक्त योजना में यह भी उल्लेख किया गया है कि सम्बद्ध अधिनियम की धारा 9(3) में परिकल्पित निदेशकों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक ऐसे 5 निदेशक नियुक्त करेगी जिन्हें एक या एक से अधिक ऐसे विषयों की विशिष्ट जानकारी प्राप्त हो या जिन्हें उन विषयों का व्यावहारिक अनुभव हो जो सम्भवतः राष्ट्रीयकृत बैंकों के काम में उपयोगी सिद्ध हो सकें ।

(च) बैंक, कामारों और शिल्पियों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में विस्तृत आँकड़े नहीं रखते । अस्थायी अनुमानों को देखने से यह पता चलता है कि 1970 के मध्य की स्थिति के अनुसार अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की कुल रकम के अनुपात में उनके द्वारा उद्योग, वाणिज्य और कृषि को दिए गये ऋणों का प्रतिशत क्रमशः 64 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 8 प्रतिशत था।

दिल्ली प्रशासन द्वारा गैर सरकारी परिवहन कम्पनियों को कुछ नगरीय बस मार्गों का आवंटन

5364. **श्री लोबो प्रभू :** क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार के संदर्भ में कि दिल्ली प्रशासन संभवतः गैर सरकारी परिवहन कंपनियों को कुछ नगरीय बस मार्ग आवंटित करे, क्या परिवहन के क्षेत्र में इस सरकारी तथा गैर सरकारी सहयोग का अन्य राज्य परिवहन व्यवस्थाओं में भी चालू करने का विचार है; और

(ख) उन राज्य परिवहन एककों को ऋण न देने के क्या कारण हैं जो अपनी टूटीफूटी गाड़ियों के बदले आवश्यक नई गाड़ियाँ न ला सकने के कारण घाटे में चल रही है तथा क्या उन्हें इस बात की जाँच करने को कहा जायेगा कि उनके कौन-कौन से मार्ग गैर सरकारी परिवहन कंपनियों को दिये जा सकते हैं ?

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 44 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य-प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा यात्री वाहनों के परिचालन के लिये परमिट प्रदान किये जाते हैं। चूँकि सड़क परिवहन के संबंध में कार्यकारी प्राधिकार राज्य सरकारों का है, अतः इस बात पर सही विचार कर सकती है कि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों की संयुक्त रूप से सड़क परिवहन सेवाएँ चलाने की अनुमति दे दी जाये।

(ख) इस मामले पर राज्य सरकारें ही विचार कर सकती हैं।

राष्ट्रीय रेयन निगम द्वारा उत्पादित कोयला राख

5365. **श्री बसुमन्तारी:** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेयन निगम द्वारा उत्पादित कोयला राख का गत 8 वर्षों से बिना मूल्य निपटान किया जा रहा है; और

(ख) क्या बोर्ड के नये निदेशकों के अनुरोध पर निविदायें आमंत्रित की गई थीं। क्या अब उक्त निगम को इसी कोयला-राख की बिक्री से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की आय होगी ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण रिपोर्ट में, कुछ वर्षों में, कोयला राख का मुफ्त निपटान, निर्देशित किया गया है।

(ख) निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने इस विषय पर मार्च, 1970 में विचार किया था, तथा इसके निविदा के आमंत्रण हेतु कुछ पग उठाए थे। इस प्रसंग में, निरीक्षक ने अवलोकन किया है कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि कम्पनी ने मैसर्स नेशनल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को कोयला राख के स्वच्छकरण का ठेका 5.31 रु० प्रति टन की दर पर दिया है।

हशीस की खेती पर प्रतिबन्ध

5366. **श्री चंगल राय नायडू:**
श्री रा० बरुआ:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हशीस की खेती पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) क्या इस विषय पर राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया है; और यदि हाँ, तो उनके विचार क्या हैं; और

(ग) क्या देश के कुछ भागों में हशीस की खेती करने के लिये परमिट देने की व्यवस्था की जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). हशिस (चरस) के उत्पादन के लिये गाँजे की काश्त पर देश में बहुत पहले से प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)
RE: CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (*Query*)

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़): मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में आन्दोलन तथा वहाँ जनता में व्याप्त असंतोष के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने उत्तर में जो कुछ कहा है, वह सन्तोषजनक नहीं है। चंडीगढ़ में स्थिति यह है कि वहाँ किराया बढ़ता जा रहा है। इस समस्या ने वहाँ विकट रूप धारण कर लिया है। इसके विरोध में वहाँ आन्दोलन किया जा रहा है। वहाँ भूख हड़ताल और उपवास किये जा रहे हैं। मंत्री महोदय हमें बतायें कि वह कब तक इस सम्बन्ध में आवश्यक विधेयक लायेंगे या किराये को नियमित करेंगे।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर): मिदनापुर केन्द्रीय जेल में किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये मंत्री महोदय से कहा जाय।

Mr. Speaker : He will give statement about Midnapur.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, I would like to raise a matter under rule 377. There was a news item in the newspapers saying that the Cabinet had turned down the proposal of giving loan for purchasing television sets to Members of Parliament. I would like to know the names of the Members of Parliament who had asked for such loans. All Members of Parliament should not be blamed like this.

प्रधान मंत्री, ऋणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : जहाँ तक मुझे पता है किसी संसद सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से ऋण नहीं माँगा था। यह एक सामान्य प्रस्ताव था। इस आशय की बात कभी सदस्यों ने कही होगी।

This proposal was placed before the Cabinet for consideration by the Minister concerned. I think you will be happy over the decision we have taken in this regard.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : May I know whether Government have examined all the legal aspects of the Supreme Court judgement.

Shrimati Indira Gandhi : The judgement is very lengthy and complicated. We are examining it thoroughly.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कानपुर कपड़ा श्रमिक शोर मचा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कानपुर की जे० एण्ड के० इंडस्ट्रीज नामक फर्म ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। चूँकि आज सत्र समाप्त हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में वैदेशिक व्यापार मंत्री या श्रम तथा रोजगार मंत्री वक्तव्य दें। दूसरे, हम यह नहीं चाहते कि भूतपूर्व शासकों को सरकार द्वारा कुछ दिया जाये। अतः सरकार को एक विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पास किया जावे। मुआवजे की व्यवस्था भी उसमें नहीं होनी चाहिए।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : नई दिल्ली की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएँ हैं, जैसे अपराधों और भ्रष्टाचार में वृद्धि, पुलिस की अपर्याप्त व्यवस्था, पुलिस में उच्च स्तरीय जाँच विभाग की स्थापना और बहुमंजिला भवनों का बड़े पैमाने पर निर्माण। प्रधान मंत्री या अन्य मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

बाहरी व्यक्तियों पर लगाये गये आरोपों की जांच करने की प्रक्रिया के बारे में
RE: PROCEDURE FOR DEALING WITH ALLEGATIONS AGAINST OUTSIDERS

श्री स० कुन्दू (बालासौर): श्रीमान्, आपने कल यह निर्णय दिया कि किसी पर आरोप लगाने के लिए सदस्यों को पहले अनुमति लेनी होगी। इससे सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे कुछ हद तक सीमित होते हैं। मेरा यह विनम्र निवेदन है। यह विनिर्णय के प्रति टिप्पणी नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे और आगे स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बताकर आपने बहुत ही अच्छा किया है । इस विनिर्णय के बारे में जो गलत धारणा बन गई है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। मेरा आशय यह बिल्कुल नहीं था कि मेरे द्वारा दिये गये विनिर्णय से सदस्यों के अधिकार सीमित हों । सभा के कुछ नियम और प्रक्रियाएँ हैं । मुझे उनके आधार पर ही निर्णय देना होता है । मुझे बताया गया है कि "अध्यक्ष की अनुमति" शब्दों पर आपत्ति है । मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ । मैंने नियम समिति की कार्यवाही, नियम 353 तथा नियम समिति के दो निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह निर्णय दिया था । नियम 353 में 'पूर्व सूचना' की व्यवस्था है । इसमें तो अध्यक्ष सामने आता ही नहीं है । यदि किसी ने 'पूर्व सूचना' दी है तो वह सभा की कार्यवाही में तदनुसार भाग ले सकते हैं । किन्तु नियम 353 का कभी-कभी पालन नहीं किया जाता और सदस्य बिना 'पूर्व सूचना' दिये ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं । भले ही बाद में उन्हें क्षमा माँगनी पड़े । यह स्थिति मुझे अच्छी नहीं लगती । यदि 'पूर्व सूचना' नहीं है, तो मैं उसे कैसे अनुमति दूं ? 'पूर्व सूचना' न दिये जाने की स्थिति में ही मेरी अनुमति का प्रश्न उठता है । मैंने अनुमति नहीं दी, क्योंकि पूर्व सूचना नहीं दी गई थी । यदि आप चाहते हैं कि पूर्व सूचना न होने की स्थिति में भी अध्यक्ष की अनुमति न माँगनी पड़े तो अच्छा यह होगा कि नियम 353 को ही समाप्त कर दिया जाये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): आपने स्थिति तो स्पष्ट कर दी है। क्या आपका निर्णय स्पष्ट शब्दों में यह है कि यदि किसी सदस्य ने पूर्व सूचना दी है, तो वह आरोप लगा सकता है और यदि उसने पूर्व सूचना नहीं दी है तो उसे ऐसा करने के लिये आपकी अनुमति लेनी होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि उसने पहले ही सूचना दे दी है , तो मेरी अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नाथ पाई (राजापुर): अच्छा तो यह होगा कि इस पूरे मामले को नियम समिति को सौंप दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : कल कुछ मेरे मित्र इस पर सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। यहाँ हठ करने का कोई प्रश्न नहीं है । अध्यक्ष तो सभा का सेवक है । वह जो विनिर्णय देता है वह नियमों तथा नियम समिति के कार्यवाही-वृत्तान्त पर आधारित होता है । मेरा निर्णय भी इन्हीं पर आधारित था । अब अगले विषय को लिया जायेगा । मैं आप सबको अवसर देने का प्रयास करूँगा । आपभी थोड़ा धैर्य रखें ।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर): इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया की उड़ाने पूर्णतः बन्द हो गई हैं। उनके प्रशासन में सुधार किया जाये, ताकि उड़ानें पुनः शुरू की जा सकें । मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Speakar about 25 members of Orissa Legislature Assembly and 6 members of Parliament wrote to the President to inquire into the charges of corruptions against the former Chief Ministers. Accordingly a retired Judge of the Supreme Court, Shri Madholkar, was appointed to inquire into this case. As Madholkar Inquiry Commission has submitted its report, the Home Ministry should be asked to lay this report on the Table. Moreover, I also want the Government to make a statement on tractor scandal in Orissa, as Orissa Government did not get even a single tractor while 90 percent advance was paid to the firm. Now C. B. I. inquiry has also been completed.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह एक प्रकाशित दस्तावेज है, जिसे सभा-पटल पर रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय: यह आयोग राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं । फिर भी मैं इस पर विचार करूँगा ।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): श्रीमान्, उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने श्री मधोलकर से कहा था कि वह आरोपों से सम्बन्धित कागजों की जाँच करें । श्री मधोलकर ने मुख्य मंत्री को अपने निष्कर्ष भेज दिये हैं । कोई आयोग इसके लिए नियुक्त नहीं किया गया था । प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में मुख्य मंत्री या राज्य सरकार ही निर्णय लेगी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): इस प्रतिवेदन के आधार पर उड़ीसा सरकार द्वारा आयोग नियुक्त किया जायेगा । प्रतिवेदन में कहा गया है कि और आगे जाँच करना आवश्यक है और आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्षत: मामला सिद्ध हो गया है । उन्होंने कहा है कि इसको प्रकाशित नहीं किया गया है । इसको उड़ीसा सरकार ने प्रकाशित किया है और विधान सभा के पटल पर रखा है । हम चाहते हैं कि इसको इस सभा के पटल पर भी रखा जाये क्योंकि इसमें भारत सरकार भी अन्तर्ग्रस्त है ।

अध्यक्ष महोदय: इससे पता चलता है कि यह राज्य से ही संबंधित है; क्योंकि इसको विधान सभा के पटल पर रखा गया है ।

Shri Rabi Ray : You can give your decision afterwards.

अध्यक्ष महोदय: जब तक मैं इसका अध्ययन नहीं कर लेता तब तक मैं अपना निर्णय नहीं दूँगा ।

श्री जि० मो० बिस्वास (बाँकुरा): उस दिन जब श्री शशि भूषण ने श्री काँतिलाल देसाई के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे तो अनेक सदस्यों ने आपके द्वारा सरकार से जाँच समिति नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया था । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार का क्या निर्णय है। क्या सरकार जाँच समिति नियुक्त करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शशि भूषण ने सभा में कहा था कि वह सभी कागजात तथा साक्ष्य जाँच के लिए सरकार को भेजेंगे । परन्तु आज वह यहाँ नहीं हैं ।

श्री जि० मो० बिस्वास: राज्य सभा में भी, अनेक सदस्यों द्वारा ऐसे ही आरोप लगाये गये थे । मैं चाहता हूँ कि सरकार को जाँच कराने के लिये कहा जाये ।

अध्यक्ष महोदय: यदि सभी सदस्य इसी प्रकार बोलते रहे तो सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती ।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका): मैंने पंजाब में आनन्दपुर साहिब के उपचुनाव के बारे में जहाँ विदेशों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी । आप माननीय मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देने के लिए कहें ।

श्री छ० म० केदरिया (माँडवी) : मैं श्री शशि भूषण से कहूँगा कि वह सभा के बाहर ये आरोप लगायें ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना): सभा में दिये गये अपमानजनक वक्तव्यों के बारे में आपने जो विनिर्णय दिया था मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ । आपने कहा था कि इस मामले पर नियम समिति में पुन: विचार किया जायेगा और आप अपना निर्णय देंगे । इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ । श्री शशि भूषण ने किसी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे और उसके पिता का नाम भी लिया था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पुत्र के कृत्यों के लिए पिता जिम्मेदार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: नियम समिति को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री मी० क० मसानी (राजकोट): हमें कार्य-सूची के अनुसार कार्य करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय: कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा था । मैं इसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Munghyr) : Last time I raised a question with your premission that Textile Mills are not manufa cturing controlled items of cloth. They are manufacturing only superfine cloth and are earning huge profits; say about 40 to 60 paise per meter. I request you to direct the hon. Minister of foreign Trade to make a statement in this regard.

I also request you to find out time for holding discussion on the Fourth Plan. I have contacted the leaders of the various opposion parties and all of them are of the view that it should be discussed.

Dr. Ram Subhag Singh : I support Shri Madhu Limaye. Time should be found out to discuss it.

Shri Madhu Limaye : I want your ruling on my suggestion, Sir.

Mr. Speaker: Where is the time.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): पिछले दस दिनों से पटसन मिलों के मजदूर हड़ताल पर हैं । क्या सरकार इस मामले की जाँच कर विवाद को हल करेगी ?

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपसे इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप केवल उन्हीं व्यक्तियों को बोलने के लिए बुलायें जिसकी सूचना आपके पास है । पटसन मिलों के मजदूरों की हड़ताल का मामला एक महत्त्वपूर्ण मामला है और आप इसको उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको अचानक यह कहने का अधिकार है कि आप प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही सदस्यों को बोलने के लिए बुलायेंगे, सभी इस बात को मानते हैं कि यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है और यदि आप इस बारे में अपनी आँखें मूँद लेते हैं तो तो गुस्सा आना स्वाभाविक ही है ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य के लिए ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: यदि सरकार ने इस हड़ताल के बारे में कोई समझौता नहीं कराया तो मजदूरों तथा राष्ट्र को बहुत हानि होगी ।

निवारक निरोध अधिनियम के लागू होने के पश्चात् सिलिगुड़ी में सरकार नामक एक लड़के को उस समय गिरफ्तार किया गया जबकि वह अस्पताल में अपने पिता को देखने के लिए जा रहा था। सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में लाइट रेलवे के बन्द होने के कारण लगभग 40,000 यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उनको इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Mohommad Ismail (Banackpore) : The Government should make a statement in regard to jute workers strike.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

Shri Mohommad Ismail : It is not a state subject. There is President's rule in West Bengal. Let the Prime Minister make a statement in this regard.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं। उनकी किसी बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

Shri Mohommad Ismail : **

श्री मुहम्मद इस्माइल सभा भवन से बाहर चले गये
Shri Mohommad Ismail left the House.

डा० मैत्रेयी बसु (दारजीलिंग): मैंने अभी पिछले दिन पटसन मिलों के मजदूरों की हड़ताल का मामला उठाया था। वैदेशिक व्यापार मंत्री ने कहा था कि वह मजदूरों से अपील करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहें।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : You have just now stated that you will not call those Members from where you have not received prior intimation. I would like to know whether Shri Banerjee had sent you any prior intimation. I would request you to follow one procedure consistently, so far as the question of calling the members is concerned.

I would like to know whether the preface will also be discussed alongwith the plan ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यह एक सुझाव है।

Shri Shiv Chandra Jha : I want that Government should make some definite policy announcement regarding abolition of privy purse.

अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रकार संसद के कार्य को चलाया जा सकता है ?

**कार्यवाही वृतत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वैमानिकी (एयरोनाटिक्स) समिति की सिफारिशों पर निर्णय

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं वैमानिकी (एयरोनाटिक्स) समिति की सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों का एक विवरण सभापटल पर रखता हूँ ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4608/70]

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम आदि के कार्य की समीक्षा

संसद कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4609/70]

(2) चौथी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के आठ विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4610/70]

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० घिस्कू): मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4611/70]

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नोलोजी, राँची, के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4612/70]

वायु निगम अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) एयर इंडिया का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) इंडियन एयर लाइन्स का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4613/70]

(2) वायु निगम अधिनियम 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) एयर इंडिया के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4614/70]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 का हिन्दी संस्करण, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 16 मई, 1970, में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1752 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 15 जून, 1970, में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2193 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) एस० ओ० 2193क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 15 जून, 1970, में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनाँक 16 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1752 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4615/70]

(2) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) एस. ओ. 1873, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 18 मई, 1970 में प्रकाशित

हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश की अनुसूचि-1 में सम्मिलित थोक औषधियों के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किये गये हैं ।

(दो) एस० ओ० 1883, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 25 मई, 1970 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) एस० ओ० 2192, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 15 जून, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनाँक 18 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1883 में कतिपय संशोधन किया गया था ।

(चार) एस० ओ० 2195, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 17 जून, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1873 में कतिपय अग्रेतर संशोधन किया गया था ।

(पाँच) एस० ओ० 2526, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 22 जुलाई, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनाँक 18 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1873 में कतिपय अग्रेतर संशोधन किया गया था ।

(छः) पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग) आदेश संख्या 17(39)/70-सी० एक० III, दिनाँक 28 जुलाई, 1970, जिसके द्वारा दिनाँक 18 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1873 में कतिपय संशोधन किया गया था ।

(सात) पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग) आदेश संख्या 17(18)/70-सी० एच० III, दिनाँक 28 जुलाई, 1970 ।

(आठ) एस० ओ० 2857, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 14 अगस्त, 1970 में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) एस० ओ० 3647, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 3 नवम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनाँक 18 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1873 में कतिपय अग्रेतर संशोधन किया गया था ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 4616/70]

(3) पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग) संकल्प (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 11 सितम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3004 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, 25 थोक औषधियों के लागत ढांचे तथा अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3005 में प्रकाशित आदेश के अध्ययन के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4617/70]

(4) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4618/70]

खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम आदि

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री दा० रा० चव्हाण): श्री नीतिराज सिंह चौधरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 5 दिसम्बर, 1970, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1974 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4619/70]

(2) कम्पनी नियम अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) (क) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर, के वर्ष 1968-59 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4620/70]

(दो) (क) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर, के वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4621/70]

(3) उपर्युक्त मद (2) (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4622/70]

श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु से सम्बन्धित तथ्य

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु से सम्बन्धित तथ्यों का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4623/70]

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर): यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। अतः इस पर चर्चा करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : On a point of order, sir, this is an important matter. The hon'ble Minister should have placed this statement before the House much earlier. We are being deprived of an occasion to hold a discussion on this issue. I suggest that either the hon'ble Minister should be asked not to lay this statement or we should be provided opportunity to discuss the same.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I had pointed out earlier that Government will lay the statement on last day of the session so that we are not provided with the opportunity to discuss the same. This has been proved today. May I know whether a telegram issued by Shri G. C. Dutt, D. I. G. Intelligence, who had gone to Tashkant to see the arrangements made for the late Prime Minister and in which he had expressed his dissatisfaction over the arrangements in question, has been included in these papers ? Is it also a fact that Shri G. C. Dutt was removed from Tashkant one day before the death of Shri Lal Bahadur Shastri ? I would also like to know the reasons for variations in the two medical reports, one published in India and the other one published by Russian Embassy ? Another point is that why no death certificate was issued in this case either by Russian or the Indian Government ? It was observed that there were some stitches on the stomach of Shastriji and it was stated that it was done to place ice to keep the body intact whereas it was not necessary to do so in the opinion of doctors. I want to know as to why the cook of Shri T. N. Kaul was sent from Moscow when Ramnath, the cook of Shastriji had accompened him ?

अध्यक्ष महोदय: वाद-विवाद के लिए समय नियत किये जाने के बाद ही इस सब बातों पर चर्चा की जा सकती है। इस अवस्था में देर का कारण पूछा जा सकता है।

Shri Prakash Vir Shastri : It is not an ordinary thing. This relates to the death of our Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय: मैंने सोचा था कि आप प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठायेंगे।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): मैं श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1987 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 3 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा आँध्र प्रदेश मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1965, जो दिनाँक 5 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 88 में प्रकाशित हुआ था, विखंडित किया गया है, सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4624/70]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) राज भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप-धारा (3) (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवाएँ, 1970 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4625/70]

(2) प्रतिरक्षा सेवाओं के वर्ष 1968-69 के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा उनका वाणिज्यिक परिशिष्ट (हिन्दी संस्करण)।

[ग्रंथालयमें रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4626/70]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 18 नवम्बर, 1970, में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3769 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4627/70]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति:—

(एक) जी० एस० आर० 1966, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 28 नवम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1986, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 5 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4628/70]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 81वां संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 28 नवम्बर, 1970, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1964 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4629/70]

(6) भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारणों का स्पष्टीकरण करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4630/70]

(7) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मूल (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 17 अक्तूबर, 1970, में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3346 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4631/70]

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दसवाँ संशोधन)

नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र दिनाँक 21 नवम्बर, 1970, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1902 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4632/70]

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमुहम्मद शफ़ीकुरेशी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राँची के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राँची का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4633/70]

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं श्री विश्वनाथराय की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1968-69 के लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ:—

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4634/70]

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत पारादीप पत्तन-न्यास के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4635/70]

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had said that either the paper relating to item No. 8 should not be allowed to be laid on the Table or a discussion should be allowed.

अध्यक्ष महोदय : He had already laid it on the Table.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We protest against it.

अध्यक्ष महोदय: जब कोई पत्र सभा-पटल पर रखा जाना हो तो क्या अध्यक्ष के पास कोई ऐसी शक्ति है कि वह उसे रोक दे। सभा-पटल पर रखने के बाद माननीय सदस्य चर्चा की माँग कर सकते हैं। यदि नियमित रूप से इस पर चर्चा करने का नोटिस दिया जाये तो चर्चा के लिये समय नियत किया जा सकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : But how can we discuss it. We walk out as a protest.

(श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

(Shri Atal Bihari Vajpayee and some other hon'ble Members left the House)

महाराष्ट्र-मैसूर-केरल-सीमा विवाद सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

RE: REPORT OF THE COMMISSION ON MAHARASHTRA, MYSORE-KERALA BOUNDARY DISPUTE

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): श्रीमन्, मैं, महाराष्ट्र-मैसूर-केरल सीमा विवाद सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ. . . (**व्यवधान**)

श्री मो० रू० मसानी (राजकोट): यह सभा-पटल पर नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि कार्य-सूची में इसका उल्लेख नहीं है। यह ठीक है कि अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थितियों में इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे सकते हैं। परन्तु वे विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं जिनके कारण आपको अनुमति देनी पड़ रही है। (सत्र के अन्तिम दिन इसे सभा-पटल पर रखना अनुचित है) कल इसे कार्य-सूची में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया ?

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा): यदि मंत्री महोदय की ऐसी इच्छा है कि वे वक्तव्य दें और प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखें तो मैं अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या 116 और 118 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ।

निदेश संख्या 116 में कहा गया है कि मंत्री से प्राप्त होने वाले प्रत्येक दस्तावेज आदि का उल्लेख कार्य-सूची में किया जायगा।

निदेश में यह भी कहा गया है कि सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र, जिस दिन ये सभा-पटल पर रखे जाने हैं, उससे दो दिन पहले मंत्रालयों द्वारा भेज दिये जाने चाहिए। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मंत्री अल्पावधि-सूचना के आधार पर कोई पत्र सभा-पटल पर रखना चाहता है तो अध्यक्ष महोदय द्वारा इस अनुरोध पर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

इस समय क्या विशेष परिस्थिति है। मैसूर बहुत कुछ सहन करता रहा है परन्तु धैर्य की भी एक सीमा होती है। जब हमने कहा था कि महाजन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कुछ किया जाय तब दलगत राजनीति के कारण कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। महाजन आयोग ने अपना प्रतिवेदन $3\frac{1}{2}$ वर्ष पूर्व प्रस्तुत कर दिया था इसकी पहले प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी गई ? यह देश का कानून बनाने वाला सर्वोच्च निकाय है और आप इसके अभिरक्षक हैं। यदि आप पर भी दबाव डाला जा सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैसूर का क्या होगा ? मैं सदैव ही अनुशासनप्रिय रहा हूँ। यदि आज ऐसा कुछ किया जाता है तो मैं आपके सम्मुख धरना दूँगा।

(इसके पश्चात् श्री जे० एच० पटेल तथा कुछ अन्य सदस्य उठकर आये और सचिव की मेज के निकट फर्श पर बैठ गये)

(Then Shri J. H. Patel and some other Members came and sat on the floor of the House near the Secretary's Table)

श्री क० लकप्पा (तुमकुर): हमने यह निर्णय कर लिया है कि जब तक सरकार महाजन आयोग के प्रतिवेदन को कार्यरूप नहीं देती है तब तक हम सरकार को इस प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल

पर नहीं रखने देंगे। हमारे साथ बहुत धोखा किया गया है। इससे और अधिक हम सहन नहीं करेंगे। हम मंत्री महोदय को वक्तव्य भी नहीं देने देंगे हम आपके सामने धरना देंगे।

(इसके पश्चात् श्री क० लकप्पा उठकर आये और सचिव की मेज के निकट फर्श पर बैठ गए)
(Shri K. Lakkappa then came and sat on the floor of the House near the Secretary's Table)

अध्यक्ष महोदय: कोई भी निर्णय विचारों के आदान-प्रदान तथा वाद-विवाद द्वारा किया जाना चाहिए, धरनों के द्वारा नहीं। मैंने इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी है. . . (**व्यवधान**) मंत्री महोदय ने केवल प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा है. . . (**व्यव धान**)

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी): यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। हमारी इच्छा थी कि सरकार इस प्रतिवेदन को कार्यरूप देने के सम्बन्ध में निर्णय करे। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। अतः हम इसका विरोध करते हैं और सदन से बाहर जाते हैं।

(इसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये)
(Some hon. Members then left the House)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : आप सदन को स्थगित क्यों नहीं करते हैं ?

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 30 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty minutes past fourteen of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : I request the hon. Members sitting here to go to their seats in order to maintain the dignity and decorum of the House.

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : प्रतिवेदन तथा विवरण उचित रूप से सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि संसद सदस्यों को जो पुनरीक्षित कार्य-सूची बाँटी गई उसमें इस विषय का कोई उल्लेख नहीं है। इसके पश्चात् लोकसभा के मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होने से पूर्व आपने कहा था कि कल रात सरकार की ओर से एक सुझाव दिया गया कि आज, वर्तमान सत्र का अंतिम दिन होने के कारण, वे महाजन आयोग के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। इस प्रकार प्रतिवेदन सभा-पटल पर नहीं रखा गया है और सदन को महाजन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया है। और मैं इसके सभा-पटल पर रखे जाने की घोषणा कर चुका हूँ।

मैं इन सभी सदस्यों से जो यहाँ बैठे हैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने स्थानों पर चले जायँ।

श्री कंवरलाल गुप्त : हम सभी इनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने स्थानों पर चले जायँ।

(इसके पश्चात् जो माननीय सदस्य सचिव की मेज के निकट फर्श पर बैठे हुए थे, अपने स्थानों पर वापस चले गए)

(The Members who were sitting on the floor of the House near Secretary's Table then went back to their seats)

श्री नाथपाई (राजपुर) : प्रक्रिया यह है कि यदि कोई दस्तावेज़ सभा-पटल पर रखा जाता है तो उसके लिए अपेक्षित सूचना दी जानी चाहिए।

6 दिसम्बर 1967 को मैंने महाजन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा की बात उठाई थी। गृहमंत्री ने सदन में यह कहा था कि महाजन आयोग के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने की जो बात उठाई गई है उसके सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि इस मामले पर विस्तार से विचार करना है। ऐसे मामले राष्ट्रीय महत्व के हैं और इन पर सावधानी से विचार किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात् ही सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकेगी।

तीन वर्ष पहले उपरोक्त आश्वासन दिया गया था। तीन वर्ष पश्चात् सरकार केवल यह निर्णय ले सकी है कि प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाय। अतः इस शिकायत में बहुत कुछ तथ्य है कि सरकार ने अपने दायित्व को भली प्रकार नहीं निभाया है। यदि इस बीच सरकार कोई निर्णय कर लेती है तो दोनों राज्यों के बीच ऐसी स्थिति न होती जैसी आज है।

ऐसे झगड़ों को शीघ्र अतिशीघ्र तय किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति आएगी जैसे दूसरे दिन बंगलौर में एक नवयुवक ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके विचारानुसार मैसूर के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस विषय के सम्बन्ध में पुलिस की गोली से बम्बई में 163 व्यक्ति मारे गए। सरकार को यह सब कुछ देखकर कार्यवाही करनी चाहिए थी।

हरियाणा तथा पंजाब के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। अन्त में सरकार को निर्णय करना ही पड़ा। यदि सरकार महाराष्ट्र तथा मैसूर के मामले में भी निर्णय कर लेती तो अच्छा होता अब वह प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख कर अपने दायित्व से हट रही है। हम जानते हैं कि यह एक जटिल प्रश्न है परन्तु न्याय तथा समानता की भावना से इस प्रश्न को सुलझाया जा सकता था। **(व्यवधान)**

मेरा विचार सदैव से ही ऐसा रहा है कि जब किसी चर्चा में कटुता आ जाय तो यह नहीं कहा जाना चाहिए कि मामला संसद द्वारा तय किया जायगा। जहाँ सरकार असफल रही है यह आवश्यक नहीं है कि संसद भी असफल रहे। संसद को इस विषय में निर्णय करना चाहिए। मैं केवल इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि निर्णय ऐसे ढंग से किया जाय जिससे न्याय तथा देश की अखंडता पर आँच न आए। आज समस्त देश की आँखें हमारी ओर लगी है। हमें इस प्रकार से निर्णय करना चाहिए कि तीनों सम्बद्ध राज्य ऐसा अनुभव करें कि न्याय किया गया है और उनके आपसी सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाये रखने के लिए प्रयत्न किया गया है। इस विषय पर विचार करते समय संसद सदस्यों को उपरोक्त बातें अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहियें।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग): मैसूर के सदस्यों ने जो धरना दिया है उससे उनकी तथा उनके राज्य निवासियों की भावना का स्पष्टीकरण होता है।

मुझे इससे कोई भय नहीं है कि प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा गया है क्योंकि मुझे संसद के न्याय में पूरा पूरा विश्वास है। प्रतिवेदन के सभा-पटलपर रखे जाने के बाद की चर्चा के दौरान हमने यह स्पष्ट करना चाहा था कि किस प्रकार सरकार द्वारा मैसूर की स्थिति का अनुचित रूप से अवलोकन किया गया है। इस प्रतिवेदन के रखने के साथ ही सरकार को ऐसा विधेयक लाना चाहिए था जिसमें महाजन आयोग की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी लोगों की प्रतिज्ञायें और प्रतिवेदन की सिफारिशें शामिल होतीं।

ऐसे मामलों में बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार और पंजाब और हरियाणा के सीमा विवाद के मामलों में सरकार ने निर्णय लिया और इस सदन को नेतृत्व प्रदान किया।

हमने यह भी स्पष्ट करना चाहा था कि यह संसद उस समय तक प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं कर सकती है और निर्णय नहीं ले सकती है जब तक सम्बन्धित विधान सभाओं को प्रतिवेदन भेजकर उनके दृष्टिकोण सुनिश्चित नहीं किये जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत सरकार द्वारा कोई भी निर्णय राज्य सरकारों के दृष्टिकोण सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् लिया जाना चाहिए। यह शर्त पूरी नहीं की गई है। शायद इसमें लम्बा समय लगेगा और कटुता उत्पन्न होगी। जब कुछ राज्यों में विशेषकर मैसूर राज्य में परिणाम तीव्र हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि सत्र के अंतिम दिन प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाये।

धरने का कारण यह था कि सरकार द्वारा बिना किसी निर्णय लिये ही प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जा रहा था। इस बात पर कल से मैसूर के सब सदस्यों के मस्तिष्क में अन्तर्द्वन्द्व चल रहा था। इस सम्बन्ध में हमने अपने-अपने दृष्टिकोण रखने के लिए पत्र लिखे थे परन्तु सरकार इतनी जल्दबाजी में थी कि हमारे दृष्टिकोण लिये बिना ही प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया। हम सब न्याय के पक्ष में हैं अतः मेरा अनुरोध है कि जब प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये तो सरकार निष्पक्ष रूप से विचार करके मैसूर राज्य के प्रति न्याय करे।

श्री क० लकप्पा: मैं मैसूर के लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ जिन पर महाराष्ट्र द्वारा महाजन आयोग का प्रतिवेदन थोपा गया था। इस प्रतिवेदन पर तीन वर्ष तक कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा हमने समय समय पर सरकार से विलम्ब न करके निर्णय लेने का अनुरोध किया था। मैसूर के लोग सीमित दायरे में रहे उन्होंने हिंसक कार्यवाही नहीं की फिर भी महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गृह-मंत्री श्री चव्हाण ने मैसूर की जनता के साथ न्याय करने में चाल चली।

मैसूर द्वारा विरोध किये जाने पर भी महाराष्ट्र सरकार के लिए महाजन आयोग की नियुक्ति की गई थी और आयोग द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् हमने सोचा कि इस सम्बन्ध में सरकार निर्णय लेकर आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करेगी परन्तु सरकार ने अंतिम दिन प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा है। ऐसा करके सरकार ने संसद् सदस्यों को बिना कुछ जानकारी दिये उनके अधिकारों का दमन किया। सरकार को महाजन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए विधेयक लाना चाहिए और प्रतिवेदन में बिना किसी परिवर्तन के पूर्णरूपेण क्रियान्वित करने का हमें आश्वासन देना चाहिए। मेरा

सबसे अनुरोध है कि सदस्यों की भावना पर विचार करते हुए सरकार को मैसूर राज्य के साथ न्याय करना चाहिए ।

श्री मोहसिन (धारवार-दक्षिण): यहाँ पर इस तरफ तथा उस तरफ के सदस्यों ने अपनी अपनी भावनायें व्यक्त की हैं । महाजन आयोग महाराष्ट्र के नेताओं के अनुरोध पर नियुक्त किया गया था और इस पर मैसूर के नेताओं ने अपनी सहमति देदी थी तथा बाद में महाराष्ट्र तथा मैसूर के नेताओं द्वारा साथ साथ सहमति दी गई तथा कहा गया कि इसे एक समझौता समझा जाना चाहिये और हम सभी को इसे मानना चाहिये । दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री भी इस आयोग की नियुक्ति पर सहमत हो गये थे । अब इस प्रकार की कोई भावना नहीं रहनी चाहिये कि महाजन आयोग का प्रतिवेदन मैसूर राज्य के लिए कुछ पक्षपातपूर्ण है । हमें तो इस बात का खेद है कि सरकार इस प्रतिवेदन को तीन वर्ष तक छीके पर रखे रहने के बाद सभा-पटल पर रख रही है ।

यह मामला संसद् पर छोड़ दिया गया है । मेरा संसद् सदस्यों से अनुरोध है कि वे निष्पक्ष भाव से देखें कि न्याय कहाँ पर है । मुझे आशा है कि वे यही करेंगे ।

श्री राजशेखरन (कन कपुरा): बहुत आश्चर्य की बात है कि जब समस्त सदन स्व० लाल-बहादुर शास्त्री के निधन पर चर्चा कर रहा था और व्याकुल था उस समय सरकार ने जिस तरीके से महाजन आयोग के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा, सरकार के उस तरीके के विरोध में कुछ माननीय सदस्यों ने धरना दिया ।

अतः हमारा संसद् तथा आपसे निवेदन है कि मैसूर राज्य के साथ न्याय किया जाये क्योंकि गत साढ़े तीन वर्षों से सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए बैठी रही और सत्र के अंतिम दिन राजनैतिक लाभ उठाना चाहा ।

मुझे आशा है कि संसद् सदस्य मैसूर और मैसूर की जनता के साथ न्याय करेंगे । यद्यपि मैसूर की जनता कमजोर है परन्तु वह उतनी ही सुदृढ़ हो जायेगी जैसे पहिले थी और सरकार ने इस विषय में जैसा तरीका अपनाया है उसका विरोध करेगी ।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट): तीन वर्ष पूर्व इस सदन में महाजन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में आधे घंटे की चर्चा के दौरान श्री विद्या चरण शुक्ल ने उत्तर दिया था कि उचित विचार करने के बाद सरकार उसे संसद् के समक्ष लाकर क्रियान्वित करने का प्रयास करेगी । तीन वर्ष हो गये परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया । महाजन आयोग ने गलती से केरल का कुछ भाग मैसूर में दिखा दिया । हमने उस प्रतिवेदन को रद्द कर दिया । मैसूर तथा महाराष्ट्र झगड़ा करने जा रहे हैं परन्तु हमारा अनुरोध है कि इसे जिला और तालुक के आधार पर न सुलझाया जाकर गाँव के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए । तभी न्याय होगा अन्यथा केरल में व्याकुलता व्याप्त हो जायेगी ।

श्री जे० एच० पटेल: सरकार ने बहुत ही अशोभनीय ढंग से प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा है । हमने उसका विरोध किया । जब प्रतिवेदन पर विचार होगा तब हम इसके पहलुओं की जाँच कर सकते हैं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी): मेरा सदन से अनुरोध है कि वह आयोग के प्रतिवेदनों का सम्मान करे । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो कोई सरकार और कोई दल कायम नहीं रह सकता है ।

श्री नी० श्रीकाँतन नायर (क्विलोन): जहाँ तक केरल का प्रश्न है, यह जो निर्णय लिया गया है यह दोषपूर्ण है। मैसूर और महाराष्ट्र चाहे कितना ही झगड़ें परन्तु उन दोनों में से कोई भी केरल की भूमि का कोई भाग लेना चाहेगा तो हम अपनी पूरी शक्ति से विरोध करेंगे। यदि वह हमारे पर थोपा गया और यदि सरकार ने वहाँ सेना भेज दी तो रक्त की नदियाँ बह जायेंगी क्योंकि केरल की जनता किसी के प्रति समर्पण नहीं करेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I want to show my sympathy towards the Members of Mysore but the practice of staging this Dharna in the House must be first and last. The step of staging Dharna should not have been taken. The Government are responsible for this situation. This Report had not been placed on the Table of the House for three years. Even to-day if they had not placed it on the Table of the House, the heavens would not have fallen.

Dr. Ram Subhag Singh : I support Shri Vajpayee, because all this situation has come out due to lack of reasoning on the part of this Government. . . (*Interruption*) . . . The Report about the death of Shri Lal Bahadur Shastri has been brought after a long time only because the Government wanted to betray the whole country.

The Government are making three States of Maharashtra, Mysore and Kerala fight only for remaining in power. . . (*Interruptions*). . .

Shri S. M. Joshi (Poona) : The border dispute between the Governments of Maharashtra and Mysore must come to an end. We have given word for doing justice to the people of that place and when they demand justice all of us have to consider this issue.

May be so many mistakes have been committed by our side, by the Government or by the Government of Maharashtra but it must not be assumed that only one party is at fault. . . . (*Interruptions*). . . . and others must not suffer for such mistakes.

I thank all of them who withdrew the Dharna on your request. I hope for the settlement of this dispute without discussing the issue in the House. Those who have to do justice should consider the matter but we should behave peacefully.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): मैं आशा करता हूँ कि इस मामले को आपसी चर्चा से तय किया जायेगा। आपने कुछ सदस्यों को जो कुछ घटित हुआ है, उसके बारे में बोलने का अवसर दिया है परन्तु सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। महाराष्ट्र तथा मैसूर के नेताओं को साथ बैठ कर निर्णय करना चाहिये। किसी भी मामले में निर्णय करने से पूर्व सैद्धांतिक चर्चा करनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैंने सुबह इस बारे में एक विवरण देना चाहा जिसमें सरकार की स्थिति का खुलासा बयान था। आपकी अनुमति से मैंने इसे सभा-पटल पर रखा।

श्री नाथपाई: क्या आपका यही निर्णय है कि महाजन आयोग का प्रतिवेदन विधिवत् रूप से सभा-पटल पर रखा गया था ?

अध्यक्ष महोदय: जी, हाँ।

श्री नाथपाई: इस पर मैं पहले ही दो सूचनाएँ दे चुका हूँ और मुझे आशा है कि आप उन पर भी ध्यान दे रहे होंगे।

श्री एस० एम० कृष्ण : जब इस पर विचार ही नहीं किया जा रहा है तो फिर भला अब इसे किस प्रकार लिया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर अपना निर्णय नहीं दिया है. . . . (**व्यवधान**) मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि अब कृपया इस विषय को छोड़ दें। श्री नाथ पाई के प्रस्ताव के बारे में मैंने अभी कोई निर्णय नहीं किया।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री नाथ पाई ने कहा है कि वह पहले ही दो सूचनायें दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब प्रस्ताव पेश ही नहीं किया गया तो फिर वह उसके बारे में सूचनायें कैसे दे सकते हैं. . . . (**व्यवधान**)

श्री नाथपाई : अध्यक्ष महोदय, दस्तावेज़ कब सभा-पटल पर रखे गये थे ?

श्री जे० मुहम्मद इमाम : इससे हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है। इनका आपस में कोई गठबंधन मालूम पड़ता है. . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले विषय पर आ रहा हूँ। श्री सेन।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
(कार्यवाही-साराँश)

श्री फ० गो० सेन (पूर्णियाँ) : श्रीमान जी, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 68 वीं से 71 वीं बैठकों के कार्यवाही-साराँश सभा-पटल पर रखता हूँ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE
(कार्यवाही-साराँश)

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी चालू सत्र के दौरान हुई 16 वीं बैठक का कार्यवाही साराँश सभा-पटल पर रखता हूँ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
(कार्यवाही-सारांश)

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया): मैं वित्त मंत्रालय-व्यय की कतिपय मदों के लिए बजट व्यवस्था के अन्तरण-सम्बन्धी 131 वें प्रतिवेदन से संबंधित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूँ ।

राज्य-सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA-SABHA

सचिव: श्रीमानजी, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है:—

'मुझे लोकसभा को यह सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा ने सोमवार, 14 दिसम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति से सम्बद्ध निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया है:—

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोकसभा द्वारा अपनी 9 दिसम्बर 1970 की बैठक में स्वीकृत और इस सभा को भेजे गए प्रस्ताव में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए दोनों सभाओं की एक समिति गठित की जाये जिसका नाम "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति" हो तथा संकल्प करती है कि यह सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो तथा एकल संक्रमणीय तथा गुप्त मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली से उक्त समिति की सेवार्थ सभा के सदस्यों में से दस सदस्य चुनें ।"

2. मुझे लोक-सभा को यह और सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्न सदस्यों को भी उक्त समिति के लिए विधिवत् रूप से निर्वाचित किया गया है:—

1. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
2. श्री सुखदेव प्रसाद
3. श्री बी० टी० केम्पराज
4. श्री गणेशीलाल चौधरी
5. श्री बलराम दास
6. श्री रोशनलाल
7. श्री के० पी० सुब्रह्मण्या मेनन
8. श्री मेल्हपरा वीरो
9. श्री गोलाप बारबोरा
10. श्री जी० के० अप्पन

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव: मैं 11 दिसम्बर, 1970 को सभा को दी गई गत रिपोर्ट के पश्चात् चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा अनुमति-प्राप्त कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक 1970, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने सोलहवें प्रतिवेदन में निम्न छः सदस्यों को प्रतिवेदन में निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान किये जाने की सिफारिश की है:—

1. श्री रामेश्वर राव
2. श्री स० मो० जोशी
3. श्री इरास्मा डी० सेक्बीरा
4. श्री जे० के० चौधरी
5. श्री राजाराम
6. श्री बीरेन शाह

मैं समझता हूँ कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है।

माननीय सदस्य: जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय: तदानुसार सदस्यों को इसकी सूचना दे दी जायेगी।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
(124 वाँ तथा 125 वाँ प्रतिवेदन)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I big to present the following reports of the Public Accounts Committee:—

(1) Hundred and twenty-fourth Report (Hindi and English versions) regarding Audit Report (Civil), 1970 and Appropriation Accounts (Civil) 1968-69 relating to the Department of Civil Aviation.

(2) Hundred and twenty-fifth Report (Hindi and English versions) regarding Audit Report (Civil), 1970 and Appropriation Accounts (Civil), 1968-69 relating to the Department of Health.

दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-मानों के बारे में याचिका
PETITION RE. PAY-SCALES OF TEACHERS OF DELHI

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): मैं दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में श्री डी० डी० सक्सेना, महासचिव, दिल्ली अध्यापक परिषद्, तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

अप्रैल 1970 के आन्दोलन में भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. DELHI POLICE PERSONNEL WHO PARTICIPATED IN APRIL, 1970 AGITATION

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): क्या मैं इसे सभा पटल पर रख दूं?

अध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा-पटल पर रख दीजिए।

Shri Rabi Ray (Puri) : The decision of the Government is an important one and it should he read. **(व्यवधान)**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): श्रीमानजी, आज सत्र का अंतिम दिवस है। वह इसे पढ़ ही दें ताकि उनसे कुछ स्पष्टीकरण माँगे जा सकें।. . . **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैं अप्रैल 1970 के आन्दोलन में भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों से सम्बद्ध नीति के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4637/70]

एम० वी० "महाजगमित्र" के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. M. V. MAHAJAGMITRA

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया): मैं श्री इकबाल सिंह की ओर से पूर्वी पाकिस्तान में आये हाल ही के तूफान में बंगाल की खाड़ी में 12 नवम्बर 1970 से भारतीय मालवाहक जहाज एम० वी० महाजगमित्र के लापता होने से सम्बद्ध एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4638/70]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) विधेयक
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES, (VALIDATION OF PROCEEDINGS) BILL

वित्त मंत्रालयमें राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित कतिपय कार्यवाहियों के विधिमान्यकरण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speakar, Sir, I oppose the introductions of this Bill. The title of the Bill is Central Board of Direct Taxes (Validation of Proceedings) Bill 1970. They want to regulate the Bord of Direct Taxation. It has been stated in Article 110 of the Constitution that:—"For purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely:—

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax.

Question of Taxes is covered under Article 110 and they are bringing an Amendment for the Regulation of Tax. Under Article 110 it becomes a Money Bill and for a Money Bill, the recommendation of the President is essential. As this Bill is without the recommendation of the President, so I oppose it.

Mr. Speaker : The recommendation of the President is there. Have a look at the Bulletin dated 16th instant.

श्रीवेणीशंकर शर्मा (बाकाँ): श्रीमान जी मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मैं श्री शिव चन्द्र झा से सहमत हूँ कि यह एक वित्त विधेयक है. . . इसके साथ वित्तीय ज्ञापन भी नहीं लगाया गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि सत्र के इस अन्तिम दिन विधेयक को पुरः स्थापित करने का क्या कारण है। मंत्रीमहोदय ने अध्यक्ष के निर्देश 19 (ख) के अन्तर्गत आपकी स्वीकृति माँगी है। यह विधेयक उस निर्देश के भी अनुकूल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: यह तो केवल पुरःस्थापना मात्र है ।

श्री वेणीशंकर शर्मा: मेरा निवेदन यह है कि जिन परिस्थितियों में यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है क्या आप उनसे पूर्णतया संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय: अभी केवल विधेयक पुरः स्थापित ही किया जा रहाहै और ऐसा करने में कोई हानि नहीं है ।

श्री वेणीशंकर शर्मा: मेरा निवेदन यह है कि कराधान विधियों में बार-बार संशोधन नहीं किया जाना चाहिए । आखिर वह इस संशोधन द्वारा अधिनियम को नया रूप क्यों देना चाहते हैं ? क्या यह केवल मंत्रालय की लापरवाही नहीं कि उसने सम्बद्ध अधिकारी को धारा 148 के अन्तर्गत अधिसूचनायें जारी करने की अनुमति नहीं दें ? मेरा विचार है कि जब तक करों में होने वाली हानि बहुत अधिक न हो, तब तक कराधान विधियों में कोई और परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री विद्या चरण शुक्ल: श्रीमान जी, इसमें कोई व्यय अन्तर्गस्त नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: क्षमा कीजिए, मैं आपकी आपत्ति से सहमत नहीं हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित कतिपय कार्यवाहियों के विधिमान्यकरण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री विद्या चरण शुक्ल : श्रीमान जी, मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1970 की अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 15 दिसम्बर, 1970 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हो कि यह सभा दण्ड प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि का समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करे कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जायें, अर्थात्:—

(1) श्री सरदार अमजद अली
(2) श्री एस० सी० बेसरा
(3) श्री तुलसीदास दासप्पा
(4) श्री चं० चु० देसाई
(5) श्री श्रीचन्द गोयल
(6) श्री रामकिशन गुप्त
(7) श्री बे० न० जाधव
(8) श्री भोगेन्द्र झा
(9) श्री अजमल खां
(10) श्री लीलाधर कटकी
(11) श्री कृ० मा० कोशिक
(12) श्री दत्तात्रय कुन्टे
(13) श्रीमती लक्ष्मीकाँतम्मा
(14) श्री बृज भूषण लाल
(15) श्री मधु लिमये
(16) श्री विश्वनाथ मेनन
(17) श्री गा० शं० मिश्र
(18) श्री श्रीनिवास मिश्र
(19) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
(20) श्री द० रा० परमार
(21) श्री शिवचंडिका प्रसाद
(22) श्री प० अ० प्रसाद
(23) श्री गजराज सिंह राव
(24) श्री एम० नारायण रेड्डी
(25) श्री द्वैपायन सेन
(26) श्री शम्भू नाथ
(27) श्री नवल किशोर शर्मा
(28) श्री शिव नारायण
(29) श्री केदार नाथ सिंह
(30) श्री जी० विश्वनाथन्

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है: कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1970 की अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 15 दिसम्बर, 1970 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हो कि यह सभा दण्ड प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि का समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करें कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक-सभा के 30 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जायें, अर्थात्:—

(1) श्री सरदार अमजद अली
(2) श्री एस० सी० बेसरा
(3) श्री तुलसीदास दासप्पा
(4) श्री चं० चु० देसाई
(5) श्री श्रीचन्द गोयल
(6) श्री रामकिशन गुप्त
(7) श्री बे० न० जाधव
(8) श्री भोगेन्द्र झा
(9) श्री अजमल खां
(10) श्री लीलाधर कटकी
(11) श्री कृ० भा० कौशिक
(12) श्री दत्तात्रय कुन्टे
(13) श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा
(14) श्री बृज भूषण लाल
(15) श्री मधु लिमये
(16) श्री विश्वनाथ मेनन
(17) श्री गा० शं० मिश्र
(18) श्री श्रीनिवास मिश्र
(19) श्री कृष्ण चन्द्र पंत
(20) श्री द० रा० परमार
(21) श्री शिवचंडिका प्रसाद
(22) श्री य० अ० प्रसाद
(23) श्री गजराज सिंह राव
(24) श्री एम० नारायण रेड्डी
(25) श्री द्वैपायन सेन
(26) श्री शम्भू नाथ
(27) श्री नवल किशोर शर्मा
(28) श्री शिव नारायण
(29) श्री केदार नाथ सिंह
(30) श्री जी० विश्वनाथन्

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
70वां प्रतिवेदन

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 70 वें प्रतिवेदन से, जो 16 दिसम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 70 वें प्रतिवेदन से, जो 16 दिसम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was Adopted

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मिदनापुर में गोली चलाये जाने के बारे में वे कब उत्तर देंगे।

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : उस बारे में कुछ सूचना हमें मिली है कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या आप हमें बता सकते हैं कि कितने व्यक्तियों की हत्या हुई, कितनों के चोटें लगीं और कितने बन्दी बनाए गये।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इस संबंध में जाँच करवाने के लिये हम पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : मंगलवार को गोली चलाई गई थी। मृत व्यक्ति अब तक जलाये जा चुके होंगे। इसमें इतनी देरी क्यों की गई है। मैं बता सकता हूँ कि 12 व्यक्ति मारे गये हैं।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों सम्बन्धी संकल्प
RESOLUTION RE. PRICE OF ESSENTIAL ARTICLES

सभापति महोदय : सभा अब 20 नवम्बर, 1970 को श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेगी :

"यह सभा आम उपभोग की समस्त अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अति तेज गति से हो रही वृद्धि पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है और माँग करती है कि मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिये प्रभावी उपाय किये जायें।"

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : आज प्रातः इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में हड़ताल का उल्लेख किया गया था.

सभापति महोदय : श्री रामसेवक यादव के भाषण को छोड़कर और किसी का भाषण कार्यवाई वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री धीरेश्वर कलिता : **

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The rising prices is a matter of greatest concern now a days. There are two categories of articles: essential articles and luxury articles. If the prices of essential Commodities rise it is a matter of great concern. There is a lot of disparity in prices of factory made goods and the produce of the firms. The rise in prices of essential supplies effect the common man to a great extent. There is a constant rise in prices and the present worth of a rupee has been reduced to 2 or 2½ annas. The prices of luxury items are not rising in the same proportion. The Government have failed to check the rising prices.

The rise in prices affect the poor man. The rich people, high ranking officers are not affected by it.

The rising prices cannot be checked unless concrete steps are taken to this effect. We should begin with foodgrains.

So far as mill made goods like cloth, cement etc., are concerned their prices should not be more than one and a half times of their cost of production incending profits and taxes.

The prices of raw material like sugarcane, oil seeds and cotton have no relation to the prices of sugar, oil and cloth. The prices of manufactured goods are comparatively on the high side.

The prices of sugarcane have come down considerably. How can the farmers welcome the green revolution ?

With the increase in prices, the dearness allowance of staff and officers is enhanced. But what would the labourers and peasants do ? We should determine our policy keeping in view their difficulties.

The rise in prices would not come to an end till there is a ban on expenditure of the high-income grants. If their income and expenditure are fixed within 1½ to 2 thousand rupees that would also have some effect on rising prices. The expenditure on decoration should be checked. The N. D. M. C. building was in good condition but has been demolished for building sky-scrapper there. Extravagent expenditure in every sphere should be stopped.

The time allotted for this item is very short. Due attention should be given towards the starving home-less poor people before raising big buildings and fountains. The object of these plans is to check the rise in prices and unemployment.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I express regret on my statement the other day in respect of A. I. R. personnel.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I agree that effective steps should be taken to check the prices. The present price of a rupee as compared to its price of 1947 is only .14 Paise. In 1960 it was .42 Paise. Who is responsible for all this.

There should be control on production and also on the quantum of money. If less production is a fact efforts should be made to increase it. It is said that there was a green revolution in agricultural sphere. But in spite of that there has been rise in prices. That was due to basic defects in our monetary policy. Wherever the Government has to meet certain expenditure it has to resent to deficit financing. There should no bar on

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not Recorded.

effective demand for the labourers. It is necessary to check the profits. it is essential to keep balance between production and the quantum of money.

The speculation spoils the supply and demand position. The Government should take over internal trade. The agricultural products are being hoarded and that can be stopped by taking over internal control. There should be basic change in the ownership of land.

Uneconomic holdings of land should be granted together as cooperative farming.

Similarly, it is necessary to bring about basic change in the industrial sphere. The Government has nationalised 14 major Banks, but there is need for an integrated policy for them.

Today 75 monopoly houses are controlling everything. These people are controlling the economic structure of the country. It is essential for increasing production that these monopoly houses be nationalised.

There is a need for planned economy to bring about change in industrial field.

There is a clash between the planning commission and various Ministries. Both are shirking their responsibilities.

It is necessary to completely change the Planning Commission. It has become necessary to have appraisal of all our policies afresh.

With these words, I support the Bill.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Berh) : The Prime Minister while presenting the Budget had assured that the prices would not be allowed to rise. But when she failed to check that she transferred the responsibility to Shri Chavan, who has stated that rise in prices is necessary in a progressive economy. The rise in price can be there provided there is also comparative rise in the wages. Our rate of production is declining and prices are rising. But the farmers are not getting fair prices for there produce. The peasants have to purchase their necessities at higher rates while they are required to sell their produce at lower rates.

The President has stated that there are about 5 crores unemployed persons in the country and the number of semi-employed is about 15 crores. In spite of that we are exporting iron at the rate of Rs. 450/- per tonne, where as in the country it is being sold at Rs. 1600/- per tonne, though its control price is Rs. 900/-. Cement has become costlier. The employment situation in the country is very grave. Mere slogans would not solve the problems of the day. Meals, clothing, shelter and means of livelihood are basic needs of man and these must be met. But to meet the rising cost of living when Central Government employees can be granted allowance why step motherly treatment with State Government employees? There should not be different yard-sticks in case of Central as well as State Government employees. Due to rise in prices such a demand is being raised from different corners. If the trend of rising prises is not checked the whole arrangements in the country would go astray. Problems like Naxalite would cop up. The situation would take such a turn where it may be difficult to control it. Therfore positive steps have to be taken in this direction. Merely slogans would not help in solving any problem. Unemployment is one such problem which needs special attention. In order to solve this problem priority should be accorded to such schemes as have maximum employment potentialities. As such step in this regard is proper control over the prices of foodgrains, etc. In this period of souring prices there is one thing very peculiar. The prices of almost all other items are rising but prices of foodgrains are declining and it affects the pro-

duction, because they do not get proper return for their produce. This tendency must be checked and side by side proper warehousing facilities should be provided. Zonal system should be abolished. Special incentives should be provided to farmers who produce cash crops. Reserve Bank or the nationalised banks could also provide incentives to farmers producing cash crops.

Country's economy is at the crossroads. The Government is unable to find resources but on the other hand it announces schemes to please certain people. It is therefore necessary that economic condition of the country is improved. If it does not improve the country would not progress.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा): इसमें कोई संदेह नहीं है कि कीमतें बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं। परन्तु इस सब के लिए दोष सरकार पर नहीं दिया जा सकता। उसके कई कारण हैं और सीमित आय वाले वर्ग पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि उत्पादन भी बढ़ा है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में ही 1957 से 1970 की अवधि में उत्पादन में 500 लाख मैट्रीक टन की वृद्धि हुई है। परन्तु उनके मूल्यों में भी वृद्धि है। प्रश्न उठता है कि मूल्यों में हर ओर यह वृद्धि क्यों? कुछ घाटे की बजट व्यवस्था को इसका कारण बताया है। परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए घाटे की बजट व्यवस्था आवश्यक है। अन्यथा बढ़ रहे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा आधार मूल्य नियत किये जाने को भी कीमतों में वृद्धि का कारण बताया गया। परन्तु ऐसा कहने वाले लोग किसान के हित को नजरअन्दाज करते हैं वह यह भूल जाते हैं कि किसान को भी अपने उत्पादन के लिए उचित मूल्य मिलना चाहिए अन्यथा किसान के उत्पादन पर इसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः उत्पादन बढ़ाने हेतु किसान को प्रोत्साहन देने के विचार से यह आवश्यक है। देश के 80 प्रतिशत लोग भूमि पर आधारित हैं अतः उन लोगों के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो।

इस बात से सभी अर्थ शास्त्री एकमत हैं कि कृषि उत्पादों के वर्तमान मूल्य लाभप्रद नहीं, वे अधिक होने चाहिये। अन्य देशों द्वारा इस स्थिति के हल के लिए यह किया जाता है कि सरकार किसान का सारा उत्पादन उचित मूल्य पर क्रय करके उसे कम मूल्य पर बेचती है। यही बात भारत में भी होनी चाहिये। जहाँ तक कारखानों आदि में काम करने वाले "उपभोक्ता" का संबंध है सरकार द्वारा उन्हें जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कम मूल्यों पर की जानी चाहिये। उद्योगों के मालिक औद्योगिक क्षेत्रों में उचित-मूल्य की दुकानें खोलें।

परन्तु आज की सरकार द्वारा यह सब कुछ किये जाने के उपरांत भी मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं? इसका एक कारण तो यह है कि जहाँ एक ओर खाद्यान्नों का उत्पादन देश में 1952 से 1970 में 520 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 1000 लाख मैट्रिक टन हो गया है वहाँ इसके मुकाबले में देश की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है। जनसंख्या में इस वृद्धि का सारी आयोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः आज की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या पर नियन्त्रण है।

दूसरे, समाज के कुछ वर्गों में काले धन की पर्याप्त मात्रा का इकट्ठा हो जाना भी इसका कारण है। उत्पादन बढ़ाने में तो इस काले धन का उपयोग नहीं होता अपितु उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय में इसका

उपयोग होता है। वर्तमान मुद्रा की विमूल्यीकरण इस समस्या का हल है। इससे सारा काला धन बाहर आ जायेगा और बढ़ रही कीमतों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।

तीसरे, जैसा कि उन्नत देशों में किया जाता है निश्चित आय वाले वर्गों की आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति राज-सहाय्यित मूल्यों पर की जानी चाहिये। अंत में, सरकारी व्यय भी कम होना चाहिये।

श्री प्रेम चन्द वर्मा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि श्री विभूति मिश्र द्वारा संकल्प में प्रस्तुत संशोधन, जो कि संशोधन की सूची में क्रमांक संख्या 3 पर प्रकाशित हुआ है, में,—

(1) भाग (i) में, "recent" (हाल ही की) और "trend" (प्रवृत्ति) के बीच "rising" (बढ़ रही) शब्द अन्तःस्थापित किया जाए।

(2) भाग (ii) में, "and the measures already taken by the Government to check the trend" (और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गये उपाय) शब्द निकाल दिया जाए।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir, I agree with the views of my hon. friends that the prices of industrial products should not be too high. But I would like to say that people often forget those who live in the villages while discussing the issue of the rise in prices. In our country 82 per cent of the people live in villages and about 70 per cent of them are engaged in agriculture. Prices of all things other than agricultural commodities are going up. The figures given by the Finance Minister show that the price index has gone up by 6.8 per cent from October 1869 to October 1970, while the prices of agricultural products have gone down by 0.5 per cent. This is injustice with the farmers.

The real victims of price-rise are villagers. The farmers are the most affected persons. On the one hand, they have to purchase the commodities of their requirement at increased prices while they do not get reasonable prices for their agricultural produce. So I make an appeal to the authors of economic policy of the country that they should pay attention to the people of rural areas and formulate such economic policy as will help maintaining the purchasing power of the villagers. The purchasing power of these people can be maintained if reasonable prices are ensured for their products. If we want to build a sound economic structure in the country, we will have to look to it that the purchasing power of the villagers does not go down.

With the increase in dearness a demand for increase in the pay and allowances of Government servants is made. I have no objection if their pay and allowances are increased. But I want to ask as to whom a villager should go in order to get relief from the burden of dearness. The planners should keep this thing in mind that the work of Government employees, no doubt important, is of unproductive nature, while the work of farmers is productive. The purchasing power of the farmers should also increase simultaneously with those of Government employees and others. About 80 per cent people living in villages are being ignored. What kind of socialism is it ?

While advocating for socialism, a Member suggested that the system of ownership of land should be obolished. The agricultural land should be taken away from all the farmers and owned by Government. I want to say that it is an impracticable suggestion.

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए
Shri Prakash Vir Shastri *in the Chair*]

It is right to adopt such measures as will check the rise in prices. But it is necessary to ensure reasonable prices of agricultural products to farmers. If Government want to build a sound economic structure, they should take responsibility on their shoulders to ensure reasonable prices of agricultural produce to agriculturists.

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम्): श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यह संकल्प बड़े ही उचित समय पर लाया गया है। मंहगाई बढ़ती जा रही है। जीवन-निर्वाह मंहगा होता जा रहा है। मंहगाई का प्रभाव गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है। प्रत्येक गरीब प्रतिदिन यह महसूस करता है कि उसका पेट भूखा रह गया है और उसे उतना नहीं मिला है जितना की उसे आवश्यकता है। यही कारण है कि आज हड़तालें अधिक होती हैं। मजदूर अधिक मजदूरी की माँग करते हैं।

हमने कल ही पढ़ा है कि पंजाब में चावल सड़ रहा है, क्योंकि उसे ढोने के लिए रेलवे माल डिब्बे नहीं दे पा रही है। दूसरी ओर केरल में चावल के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। यह गलत योजना का परिणाम है। शासन को ऐसी स्थिति में अधिक कुशलता का परिचय देना चाहिए। केरल राज्य के सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। केरल में दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं जबकि रबड़ और इलायची जैसी वाणिज्यक फसलों के मूल्य कम होते जा रहे हैं। व्यापारी लोग जान बूझ कर सामने नहीं आ रहे हैं ताकि इन वस्तुओं के मूल्य और अधिक गिर जायें। सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो।

जनसाधारण तथा मजदूरों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं कम मूल्य पर मिलनी चाहिए। अब सरकार के इस सुझाव पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि श्रमिकों के वेतन का कुछ भाग उसकी आवश्यकता की वस्तुओं के रूप में दिया जाय। वेतन-भोगी वर्ग के लोगों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं कम कीमत पर दी जायें और उनका मूल्य उनके वेतन में से काट लिया जाय। इससे इस वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और उन पर मंहगाई का बोझ कम होगा। नौकरी पेशे वाले लोगों के सामने मकान की समस्या भी बड़ी जटिल है। उन्हें अपने वेतन का 80 से 90 प्रतिशत तक मकान-किराये के रूप में देना पड़ता है, जबकि मकान-किराये के रूप में उन्हें केवल 10 प्रतिशत मिलता है। केरल राज्य में यह समस्या और भी विकट हो गयी है। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीयकृत बैंकों से धन लेकर इन लोगों के निवास के लिए मकानों का निर्माण करना चाहिए। इससे उन लोगों को सुविधा होगी और सरकार को किराये के रूप में पर्याप्त राशि मिलेगी। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि देश में एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी इमारतों पर रोक लगा दी जाये। किसी भी व्यक्ति को अपने रिहायशी मकान पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च करने की अनुमति न दी जाये। इससे जो राशि बचे वह साधारण किस्म के मकानों के निर्माण पर खर्च की जानी चाहिए। रिहायशी मकान की समस्या दिल्ली में भी बहुत अधिक है। तीसरी या चौथी श्रेणी के एक कर्मचारी को अपने वेतन का लगभग 40 प्रतिशत किराये के रुप में देना पड़ता है, शेष उसके पास बचता क्या है जिस पर उसे पूरे मास निर्वाह करना पड़ता है। सरकार को रिहायशी मकानों की समस्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

केरल के किसान सट्टे का व्यापार करने वाले और अन्य व्यापारियों के हाथ में है। यह उचित समय है कि सरकार माल तैयार करने वाले उद्योगों, चावल निकालने वाली मिलों और आटा मिलों को

अपने हाथ में ले ले, ताकि उस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बन जाये। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर गम्भीरता के साथ विचार करेगी।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Mr. Chairman, in the name of socialism our Government is exerising control in all spheres of economy and as such the condition of the common man is deteriorating day by day. The cost of production has gone up in all those spheres where the Government have interfered. The state monopoly which is being developed in the name of socialism is harmful for the consumer, because the extra burden which comes into being due to rise in the cost of production falls on the consumer. Consumer can be benefited only if competition is allowed amongst the industries. Air India is running into profit only because it has to face tough international competition and Indian Airlines is running into loss because it has not to face any competition. State monopoly backed by economic power is always dangerous. It can do no good. I want to know whether common man has been benefited by slogans and policies of socialism?

We have spent about 30 thousand crores of rupees on development. I want to know how much of this money has been spent on housing? We have been demanding about four to five crores of rupees as loan for constructing houses in Delhi and also for creating a revolving fund for this purpose. One demand has not been acceded to. It has been stated that power has been centralized in the hands of a few persons. I may mention that Shri Jawahar Lal Nehru remained in power for 23 years. After that Shri Lal Bahadur Sharti remained in power for 18 months and after that he was murdered.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : I rise on a point of order. It should not be said that Shri Lal Bahadur Shastri had been murdered unless it is proved. These words may be expunged.

Mr. Chairman : Your objection has been noted down.

Shri Bal Raj Madhok : Truth is always bitter. A demand is being made for holding inquiry in this matter. Unless it is proved otherwise we have the right to say that he was murdered. What I want to say is that after independence power remained in the hands of Shri Jawhar Lal Nehra and his daughter and therefore both of them are responsible for prevailing proverty in the country. From the dawn of independence, we have been following wrong economic policy. Had our policy makers been farmers, our economy would have been very strong to-day. It was unfortunate that power went into the hands of those who were pro-Russian and who had never been in touch with Indian conditions. If we want to improve our economy we should increase our production and to achieve that end we should change our economic policy.

About four crores of people are unemployed in the country to-day. I would, therefore, request that we should plan employment orinted ecpnomy. We should pay more attention to our villagers as eighty percent people of our country still live there seventy three percent people depend upon agriculture. This aspect should not be ignored.

A few persons have been benefited by foreign aid but on the other hand it has created inflation. This policy of creating inflation shou'd be stopped otherwise prices will continue to rise. We have to change our economic policies to make our economy strong.

Shri S. K. Tapuriah (Pali) : May I know how much time will be spent on this motion and whether the second motion will be taken or not for discussion?

Mr. Chairman : The second one will be taken only when the discusssion on this is finished.

Shri Ganga Reddy (Adilabad) : I thank you for affording me an opportunity to speak on this motion. The price rise has now became a matter of concern to the common man. India is an agricultural country. We ignore this fact and we had not spent much on the development of agriculture during the First and Second Five Year Plans. This is the only reason why we have failed to increase our production Percapita income in our country is too low as compared to other countries. I do not understand why India with its vast resources has failed to make much headway when a war ruined country like Japan has made so much progress during the last few years.

So for as green revolution is concerned, I would say that Government have failed to understand the farmer properly. The food corporation of India has purchased only five percent of the total grains that arrived in Nizamabad maket. The prices fell down by ten percent when the corporation stopped making purchases. The middle man made a lot of profit whereas the farmers were put to loss thereby.

It is true that Government have created lakhs of jobs but even then the unemployment problem has gone from bad to worse. We must develope our resources to solve this problem. Necessary changes should be made in the policy to the effect that people in all sphere of life may get equal opportunities.

We should also develope our villages as eighty percent of the people live in them.

So far as public sector is concerned, it is a controversial issue. In this connection, I would like to say that if any public sector undertaking is continuously running into loss then it would be better to close it down.

Law and order situation is deteriorating throughout the country. This situation should be remedied, otherwise our country will not make much headway.

Shri S. N. Banerjee (Kanpur) : I support the motion made by Shri Lobojit Gupta. Government employees in Thousands are holding demonstrations against continnous rise in prices. Due to the imposition of Section 144, they are unable to come before Parliament House for demonstration.

Mr. Chairman : The hon. member can continue his speech afterwords.

रोजगार आयोग के बारे में वक्तव्य
STATEMENT REGARDING EMPLOYMENT COMMISSION

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): इस सभा में रोजगार आयोग की नियुक्ति के बारे में एक संकल्प पास किया गया था। इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

सभापति: श्री बी० भगवती, सदस्य विधान सभा, आसाम।

संसद सदस्य: श्री ज्योतिर्मय बसु, सदस्य, लोक सभा, श्री एम० आनन्दम, सदस्य, राज्य सभा

अर्थ-शास्त्री: डा० गौतम माथुर, ओसमानिय विश्वविद्यालय।

रोजगार आयुक्त: श्री वी० एल० पिंडवानी।

केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य :

(1) डा० अशोक मिश्रा, चीफ इकनामिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट आफ इकनामिक अफेयर्स

(2) श्री के० बालचन्द्रन्, अतिरिक्त सचिव औद्योगिक विकास

(3) श्री जे० सी० माथुर, अतिरिक्त सचिव, कृषि विभाग

राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य :

(1) श्री डी० एन० बनर्जी, स्पेशल आफिसर, और एक्स-आफिशो सेक्रेटरी, क्षेत्र डिपार्टमेंट

(2) श्री एन० सुन्द्रम्, विकास आयुक्त मध्य प्रदेश सरकार

सदस्य-सचिव: श्री एन० एस० पाण्डेय

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रस्तावित निर्देश पद इस प्रकार हैं :

(1) योजना आयोग द्वारा प्रो० एम० एल० दंतवाला की अध्यक्षता में बेरोजगारी के अनुमानों संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी तथा कम रोजगार के सभी पहलुओं के बारे में अनुमान लगाना ।

(2) चौथी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों की समय पर क्रियान्वित मितव्ययता, उत्पादिकता तथा तेजी से आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको रोजगार प्रदान बनाने के लिए नई दिशाओं का सुझाव देना ।

(3) योजना कार्यक्रमों की क्रियान्विति के फलस्वरुप तीसरे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों तथा मजदूरों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता तथा अर्थव्यवस्था को सक्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी तथा वित्तीय रोजगारों सहित अल्पावधि तथा दीर्घावधि के रोजगार उत्पन्न करने के उपयुक्त नीतियाँ अपनाने के बारे में सुझाव देना ।

(4) शिक्षित बेरोजगारों तथा तकनीकी व्यक्तियों अर्थात् इन्जीनियरों तथा तकनीशनों आदि के लिए विशेषकर लाभप्रद रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का सुझाव देना तथा रोजगार के अवसरों तथा शिक्षित बेरोजगारों के असंतुलन को दूर करने के बारे में भी सुझाव देना ।

(5) निरन्तर रूप से परिवर्तन हो रही रोजगार तथा जनशक्ति के पुनर्विलोकन तथा माँग और पूर्ति की लम्बी अवधि के अनुमान लगाने के बारे में केन्द्रीय तथा राज्यस्तर पर व्यवस्था स्थापित करने के बारे में सुझाव देना ।

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : There is something wrong in the matter. It has not been told as to when we are going to get the report of the Commission.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I would like to know whether Shri Jyotirmoy Basu will continue to be the member of the Commission even after the dissolution of Lok Sabha ?

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Nothing has been said about giving of unemployment allowance. It has also not been included in the term of reference.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is not possible to give unemployment allowance keeping in view the present state of an economy.

So far as the question regarding getting of the report is concerned we want that it should come at an early date.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : The Government of Punjab has announced that it would give unemployment allowance to unemployed Graduates. I would like to know as to why the Central Government cannot give this allowance to the unemployed when it has much more resources as compared to Punjab Government ?

** रेलगाड़ियों का देर से चलना
LATE RUNNING OF TRAINS

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : This discussion relates to the answer given to a question asked by me on the 17th November, 1970. I would like to point out that the late running of trains has become a very common feature. Almost every train is running late, irrespective of the fact that it is Express/Mail or Passenger train and they never reach in time. I have enquired from any other colleagues here and they also hold the same opinion. This is a general complaint in respect of all the trains e. g. Upper Indian Express, Delhi-Hawrah Express, Assam Mail, Kalka Mail etc. I have received a detailed letter from the hon'ble Minister only yesterday, in which it has been stated that authorities are not responsible for it. The public itself is responsible for it because they pull chains. The drivers and railway employees can also be held responsible for it but not the top officials. Any how, we are not sure to reach a particular destination in time and do our jobs.

It has been observed that class I compartment are not properly cleaned and in view of this we can well imagine the condition of class III compartments. Many a time even water is not available in the compartments. Same is the case regarding arrangements of light. Once I asked the Railway Guard as to why he started the train in the absence of light, he replied that, that was the question of his service.

The foodstuff served at Railway canteen is hopeless. I want to ask as to why these facilities are not provided when Government earn a lot from Railways and it increases fares and freight every year. Besides workers are punished for the fault of higher officials. After all it is the officers who should see that the facilities like water, light, fans are provided and in case they fail to ensure these facilities then why no action is taken against them ? It is very difficult to travel without fans in summar season. If Government fails to provide these facilities, then there will be Gheraos.

In view of above, I want to know whether Government have formulated any plan to provide all the aforesaid facilities and if so, what are its details ?

Secondly, I want to know whether the number of local trains will be increased so that late running of passenger trains could be avoided ?

Thirdly, may I know whether the engines of all these trains would be dispensed with because they are old and outlived their lives ? I would also like to know whether Government propose to convene a meeting of the representatives of all the railway unions, users, students, and M-Ps and M. L-As. to discuss the relevant issues and seek their cooperation?

**आधे घण्टे की चर्चा

Half-an-hour discussion.

Lastly, will Government take over the management of all the canteens keeping in view the mismanagement of these private canteens ?

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : I may point out that a Danapur fast passenger train runs on Bhagalpur line. Its distance is not much but it always runs late. The Upper India Express also never runs in time. It is a long distance trains but it does not reachin time. In case people pull chain or students disrupt the train service, it is for the Government to deal with such elements. The passengers should not suffer for it. Moreover, Railways should increase the number of class III bogies to accommodate the rush in these compartments. I want to know the steps that have been taken to remove the grievances stated above.

The Deputy Minister in the Ministry of the Railways (Shri M. Yunus Saleem) : No doubt complaints have been received about the late running of trains but we should discuss this matter in cool and quiet atmosphere. I would like to state that there are certain reasons for the late running of trains which are beyond the control of Railway employees or their officers untill the people themselves realise their responsib lity. In this connection, there are three points which we should keep in view. One of them is that pulling of chain has become a common feature. Some people want to get down before the railway station, they just pull the chain and get down. In such cases, when a T. T. E. goes to that particular compartment, no body tells him the name of the chain puller. Now what can he do ? How a railway officer can help in such a situation ?

Similarly, some gangs take away copper wire and the villagers know those people but they would not disclose their names to the police. In the same manner, over head wires of electrified trains are stolen. How can we deal with these elements in the absence of necessary co-operation from the public. Unless people realise that Railways belong to them and if certain things are stolen, it is they who would suffer, nothing could be done. We do not feel happy to receive complaints about late running of trains or other matter. We take all possible steps to deal with a particular situation. In case our employees or officers are found guilty of lack of vigilance, we are always prepared to take action against them. Even in such cases, we are confronted with many difficulties. If we suspend any one, the representatives of union put pressure on us not to do so. We cannot take action under Article 311 unless we give show cause notice. In case we transfer any one, he approaches M.L. As and M. Ps and they put pressure on the Railway officers to stop the transfer. With great huminity, I would like to say in this House that we are seeking the cooperation of public, conducting surprise visits and making every effort to run the trains in time. In fact, as I have pointed out earlier, there is greate necessity of inculcating the feeling among the people that railway Property is their own property. They should behave with some responsibility. It has been observed that people go to latrine but they do not take the trouble to close the top on return with the result that water is finished and other passengers complain that there is no water. However, we take action against our employees whenever they are found guilty.

Now I come to the questions. The first question is about the timely running of trains. We are thinking of blocking alarm chains on important trains. But safety aspect will have to be kept in mind. Chains are going to be blocked in such a way that pulling of chains won't be in the reach of every person. If it succeeds it will be extended to other trains.

We are trying to enlist the co-operation of P and T department in the fild of communications copper wire is to be replaced with aluminium or steel wire. It will lessen the incidence of 'stealing'. Efforts are being made to detect the late running of trains due to carelessness of the staff. For this purpose a cell has been created and officers have been appointed to surprise checks and Honourable Members are being provided with complaint books.

We are trying to increase the number of local trains but it will be within the limits of the budget. The main aim is to give more and more amenities to passengers.

We always get the engines tasted and they are withdrawn when they become old and do not remain serviciable.

We shall try to enlist the atmost co-operation of the public. This is a good suggestion. Efforts are being made to get rid of technical flows. A committee has been appointed to go into the question of amenities for passengers.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, I congratulate you on the fall of congress Government in Bihar.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Others should be given an apportunity to form the Government.

Dr. Ram Subhbag Singh (Buxar) : Democratic Government should be formed under the leadership of one under whom the no-confidence motion has been passed.

Shri Kanwar Lal Gupta : It is being conspired to impose the President's Rule and it should be stopped.

Shri Surrendranath Dwivedy (Kendrapara) : Leave the question of Bihar and tell us whether the Parliament and Government here is going to be dissolved on 21st or 22nd ?

Mr. Chairman : If Government likes it can give information about the alternative after the fall of Government in Bihar.

Shri Surrendranath Dwivedy : I want to ask about Parliament.

Mr. Chairman : I have no authoritative information in this regard. To-day is the last day of the session. The Government can give information in this regard if it likes.

Now we takeup the next item.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Vajpayee shall speak on our behalf on this disappointing report.

श्री चेंगलराया नायडु (चित्तूर): बिहार मंत्रालय के सम्बन्ध में गृहकार्य मंत्री हमें सूचना क्यों नहीं देते। टेलीप्रिंटर में यह सूचना आचुकी है। आपकी सरकार वहाँ टूट चुकी है। आप सूचना क्यों नहीं देते ?

श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा

DISCUSSION ON REPORT OF COMMISSION OF INQUIRY RE. DEATH OF SHRI DEEN DAYAL UPADHYAYA

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Chairman, I'm going to speak on the Chandrachud Commission's report on the death of Shri Din Dayal Upadhyaya whose dead body was found beside a traction pole at Mughal Sarai Railway Station. It happened on 10th and 11th February, 1968. The body was lying with face upward and it was wrapped in a sheet of cloth with a five rupee note in hand. There was no drop of blood anywhere and nothing was upset

by the fall of body. We demanded a C. B. I. probe into this matter as we suspected Railway Staff's hand in it. It could have helped the state Government, but later on C. B. I. took the probe in its hands and State Government went out of the picture. The C. B. I. concluded that it was a case of murder but this plea was turned down by the court. Both the culprits were acquitted by the special Sessions Judge. Even the C. B. I.'s charge of theft was not accepted by the Court.

I will deal with many important points, raised by the learned judge. Later on I want to quote his clear words in one respect :

> "The offence of murder not having been proved against the accused, the problem of truth about the murder still remains."

The identity of the person who was seen by shri M. P. Singh and Shri Kamal has not been established. The Judge has not accepted the C. B. I. contention that the five-rupee note in Shri Upadhyaya's hand was ment for a telegram. The Court does not agree with the view that death was caused because of a hit with the traction pole. The Judge has rejected even the theft motive as is clear from the words of Shri M. P. Singh i.e. the bedding was removed in quite a simple manner. The Judge says that C. B. I. has not given a satisfactory answer to the stains of blood on the pillow. After the Court's verdict a demand was made to go into the truth which still remains.

We demanded a commission of inqury with its own machinery. The commission was appointed but without any machinery for investigations.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Mr. Vasudvan Nair *in the Chair*]

Now Chandrachud commission's report is there but it has offered no solution to the point and doubts raised by the special Sessions Judge.

Chandrachud Commission has deepened the doubts which were not cleared by the C.B. I. This commission has rejected the evidence of Shri M. P. Singh and Shri Kamal and no emphasis has been given on the identity of the said person. The report is full of numerous errors and self contradictions. The mystry of the five rupee note still remains unexposed. None can belive that Mr. Upadhyaya was standing with a five rupee note in his hand in a wintry night at 2.10 A. M. and, moreover, when Commission has accepted that Shri Updhyaya felt too cold. The fact about 'telegram' can't be accepted because Lucknow was a more convenient place in this respect and not Mughal Sarai. The theft charge also can not be belived because nothing was taken away except bedding. How could the body fall straight and then remain covered in the Shawl. All this remains a mystery.

There are many ridiculous points in the report. Shri M. P. Singh has said during evidence that the bath room was found closed at Varanasi by him and Shri Upadhyaya Besides them, none was travelling in that compartment who had closed the toilet from within and Shri Upadhyaya was seen anywhere at that time. It is ridiculous on the part of the Commission to say.

> 'I am unable to see any connection between the closed toilet near the cabin and the presence of the stranger in the corridor assuming that he was not Shri Upadhyayaji. Toilets do have the disconcerting habit of getting Jammed when needed most."

No Judge can use such a language. The cause of the 'closed door' has not been given either by the Chanderchud Commission or by the C. B. I. The same is the case with blood stains on the pillow. All this gives birth to doubts about the death of Shri Upadhyaya. Chandrachud Commission writes about the head injury:

> "It may sound light heartened and a judge must avoid that charge, but I would draw attention to a passage in Sir Sydney Smith's Forensic Medicine, Tenth Edition, Page 207, that stains on garments due to bugs are caused by blood sucked from humanbeings and, therefore, such stains will give all the reactions for human blood"

All this appears to be ridiculous and efforts have not been made to reach the depth of the matter.

Shri J. B. Kriplani (Guna) : It is not understood.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Chairman ! you will agree that it is not possible for us to unravel the conspiracy to kill Shri Upadhyaya because we have no machinery to do so. There was enough time for the conspiracy. Change in the position of the bogie cannot thwart the conspiracy. There is no point in saying that the murder could not have been committed at Mughal Sarai because it is the stronghold of Jan Sangh. We should remember that it is also the stronghold of thieves and murderers.

It has been stated that a greater risk was involved in laying straight the dead body. If a thief can take such a risk, why can't a conspirator.

Mr. chairman, I would not take much time because I want that other hon. Members of the House should also express their views in this regard. Our point of view is that we are not satisfied with the findings of Chandrachud Commission. Dr. Patankar who conducted the post mortum stated in our presence that the wound on the back side of the head could be the result of a heavy strike on the head, and that cannot be that of a traction pole. Besides, the diagram of the wound prepared by Dr. Patankar was not taken into consideration by the said commission. There is a mystery as to how the blood reached the shoulder cough and why there was no blood where the body fell. All these questions need answer and this matter cannot be disposed of in this way.

When there can be a new commission to find out facts pertaining to the death of Gandhiji even after 20 years and also after the murderer having been hanged; when we can have a fresh commission proble into the circumstances of Nataji's disappearance, why cannot we have another commission to unfold the mystry behind the murder of shri Upadhyaya ? I demand a new commission comprising of three members and with definite terms of reference. We know that the C. B. I. is principal investigation authority in our country, but their deliberations have put us in doubt. They have not done justice to us and to the country, and that is why we are compelled to demand a fresh commission and I hope this demand will receive full support.

Dr. Ram Subhag Singh (Buxer) : This mysterous murder should be proved quite minutely. The area where this incident occurred is very prone to such political incidents and the arguments advanced in this connection bear enough grounds. The Session Judge, Varanasi, has also expressed the view that he too could not be well versed with facts pertaining to this murder. It is, therefore, quite obvious that this matter need thorough investigation and the report of the Chandrachud Commission does not fully satisfy the doubts.

Then the Government have been appointing commissions to find out minute details and facts in many cases, therefore appointment of a fresh commission in this case also will

prove useful. The mystery surrounding the murder of Shri Upadhyaya should be brought to light since even a common man suspects a foul play or a conspiracy behind this murder.

The Government should, therefore, rise above party considerations and in the interest of the whole country, they should institute a three men commission to find out the true facts of the murder. It will be in no way difficult for the Government because they are not bound to accept the report of such commissions. Therefore, they should gladly accept this demand. I once again support this demand.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): श्री दीन दयाल उपाध्याय एक महान देश भक्त और बड़े ही सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि उनकी किसी से शत्रुता हो सकती है। आज़ादी के बाद मैंने देखा कि राजनैतिक विरोधियों का दमन करने के लिये कई प्रयास हुए हैं। वर्ष 1949 में, इस भावना का पहला निशाना बौद्ध के महाराजा बने, यह सौभाग्य की बात थी कि जेब में उनकी डायरी पर ही गोली लगने के कारण वह बच गये। यह बड़ी ही दुखद घटना थी। इसके बाद बस्तर के महाराजा स्वर्गीय श्री प्रवीन चन्द्र भांजदेव की जघन्य हत्या की गई। जिनका अपने क्षेत्र में भारी प्रभाव था। फिर श्यामा प्रसाद मुकर्जी की हत्या भी एक रहस्य ही रही, आज हमने अपने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के रहस्य के बारे में भी समाचार पढ़ा। इस बारे में हमें सरकार की ओर से यथेष्ट स्पष्टीकरण नहीं मिल सका है। इन सब बातों को देखते हुए हम तथा सारा देश चन्द्रचूड़ आयोग की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है। मैं सरकार पर सचाई को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाता हूं। सरकार अपराधियों को दंड देने में सर्वथा असफल रही है। चन्द्रचूड़ आयोग का प्रतिवेदन राजनैतिक उपलब्धियों पर आधारित है तथ्यों पर नहीं। श्री मुरलीधरन ने भी इस बारे में कहा था कि इस हत्या संबंधी तथ्यों की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि जिन रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या की गई वे अभी तक प्रकाश में नहीं आई हैं। पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असफल रही और जो झूठे अपराधी पेश किये गये उन्हें छोड़ देना पड़ा।

रेल-डिब्बे में किसी अजनबी की उपस्थिति, पाँच रुपये का नोट तथा तकिये का लिहाफ और सिर के पिछले हिस्से में चोट—ये सब बातें रहस्यमयी ही रह गईं हैं। इनके रहस्य का पता लगाया जाना चाहिये।

इसलिये मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस माँग का समर्थन करता हूँ कि तीन व्यक्तियों को लेकर एक नया आयोग गठित किया जाये जिसमें उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश भी हो। तभी हमें सच्चाई का पता लग सकता है। जब नेताजी के गायब होने, महात्मा गाँधी की हत्या आदि के बारे में नये आयोग नियुक्त किये जा सकते हैं तो इस संबंध में क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता? सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस माँग को स्वीकार कर ले तथा उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय आयोग गठित करे।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : The murder of Pt. Din Dayal Upadhyaya is a very shocking episode and the murderer deserves wholesome condemnation. But from Shri Vajpayee's statement it struck me as if the demand for fresh commission will go on till some commission concludes what has been precalculated by Shri Vajpayee and other supporters of his demand. First of all the C. B. I., our greatest investigating authority, invistigated the matter thoroughly, but they again insisted on a commission. Now the Chandrachud Commission has given its findings, but they are still not satisfied,

I think that untill some commission holds some Muslim or Communist responsible for this murder, these people will not be satisfied.

Therefore, for their satisfaction only, I do not oppose their demand so that there becomes no precedent of political murders in this democracy. But besides that, I would also appeal that such episodes should not be used for unhealthy propoganda during elections. There should not be any political motive behind this demand. I beg pardon from my friends in Jana Sangh, for saying that although Shri Upadhyaya belonged to Jan Sangh, yet he was a very generous and simple man with a great moral and character. We cannot even imagine that any man would like to kill such characterful man.

I was busy with my by-election when I heard the news of his murder. I was stunned. I thought that he was murdered by some greedy thief or decoit who by mistake took Shri Upadhyaya as the representative of some leading industrialist of Kanpur. We all know that the leaders normally do not carry much money with them during their journey, but it is also correct that all the thieves and decoites are not familiar with faces of all leaders. Then, it is also possible that Shri Upadhyaya might have come out of the compartment to purchase something and got struck by the traction pole and died. All such things come to my mind. I was told by a newsman in the Central Hall that one agent of Ram Ratan Gupta was to traval by that train and he had enough money with him. But at the nick of time, that agent cancelled his tour and his compartment was taken by Shri Upadhyaya just before the departure of the train. And it is also possible that Shri Upadhyaya was killed for having been mistaken as the agent of Ram Ratan Gupta.

Dr. Ram Subhag Singh has stated about Mughal Sarai and Banaras being the center of murderers. But it is a quite wrong. The murderers and decoits can go anywhere at any time and do mischief.

It would be very sad state of affairs if political murders became some sort of precedents or Conventions in this country. The muder of Shri Upadhyaya is a very shocking incident for all of us.

The Jana Sangh had also constituted a commission. I do not know about its findings. But just to avoid any misgivings and malafied opinion. I support Shri Vajpayee's demand and I want that an impartial Commission may invistigate into this case. But we should not use such incidents for political motives or any other unhealthy propoganda.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): स्वर्गीय उपाध्यायजी की मृत्यु से हम सभी को अत्यन्त दु:ख हुआ है। परन्तु इस संबंध में किसी मुसलमान अथवा किसी साम्यवादी पर आरोप लगाये जाने की बात सुनकर भी हमें बेहद दु:ख हुआ। लोग इस घटना को राजनैतिक रंग देकर लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बड़ी ही खेद जनक बात है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री उपाध्याय की हत्या जनसघ में भीतरी फूट के कारण हुई।

आज प्रात: हमने श्री लाल बाहदुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में भी प्रश्न देखा। उनके मृत्यु को पाँच वर्ष हो चुके थे। इस बारे में जि स न्यायाधीश ने जाँच की वह न तो मुसलमान समुदाय के हैं और न ही साम्यवादी हैं, अत: मुझे विश्वास है कि उन्होंने विवेकपूर्ण ढंग से तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया। इस प्रकार के आक्षेप तो लगाये जाते रहे हैं परन्तु लोग सच्चाई को ही मानते हैं।

हमने तो इस बारे में यह देखा है कि किसी अभ्यस्त अपराधी का ही इस हत्या में हाथ है। अब यदि एक न्यायाधीश की उपलब्धियों को आप अस्वीकार कर देते हैं तो न जाने दूसरे नये न्यायाधीश पर

इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं तो केवल यह जानना चाहूंगा कि जनसंघ ने आयोग के गठन के बारे में उस समय आपत्ति क्यों नहीं की जबकि वह आयोग गठित किया गया था। अब यदि मेरे जनसंघी मित्र स्वर्गीय नेता श्री उपाध्याय के प्रति कोई आदरभाव रखते हैं तो मेरा सुझाव है कि वे इस मामले को यहीं समाप्त कर दें।

सभापति महोदय: अब 7 बजने वाले हैं तथा अगला विषय चीनी संबंधी नीति का है जिस पर चर्चा होनी है। परन्तु वर्तमान चर्चा पर भी सर कार का उत्तर आना है। यदि समय रहा तो हम अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा पर दो और सदस्य बोलेंगे। इसके बाद मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे। अत: सदस्यगण संक्षेप में बोलें।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur): I would like to quote a special Sessions Judge of Varanasi Shri Murlidhar for the information of Shri Pant who passed strictures that under certain limits the Court was not in a position to express its views about the truth.

Shri Chandrachud might have held the post of Judge somewhere and Shri Murlidhar is also a Judge. The opinions of two Judges are contended here. That is why much doubt is there. All the deaths are not murders. The murder of Gandhiji was first political murder. Since then so many political murders have taken place. If it is suspected that the murder of Shri Upadhyaya was a political one. **(Interruptions)** Some of us are laughing at suspicion about the deaths of these political leaders. It is not that there is no fear among the persons who laugh at the suspicion about political murders.

I remember the days when the death of Shri Upadhyaya occurred, the leaders of each and every political party was frightened. This question must not be evaded like this. Previously the Government used to kill people with the help of Police. After getting wearied for the twenty years, the people have started to rise their hands against the children and wives of the Ministers of the Government.

I would like to say to Shri Pant and the Prime Minister that if the Government do not appoint any Commission to clarify before the public the facts about the political murders that took place in the last twenty year's history of India, anybody from amongst the affected persons would come forward and raise his hand. That would be the most unfortunate day. If the democracy is to function that should function on the basis of reasoning, discussion and argument. But if it has to function on the strength of majority in that case the argument and reasoning have no scope.

If the Government do not name the guilty persons responsible for the political murders of Shri Deen Dayal Upadhyaya, Shri Lal Bahadur Shastri and others and if the Government are guilty and yet do note apologise then they would be helping in creating a very undesirable and malicious atmosphere in the country.

To-day the life of man is not safe in Railway journey. If the Prime Minister goes from here to Ghaziabad, one policeman would watch the railway line at the distance of every hundred yards while millions of people travel by railway trains daily but none is there to guard them. Where human life is evaluated differently, the responsibility of such murders would oe that of the Government.

The Government should apologise for this murder and appoint a Commission to probe it. If they do not consider themselves as guilty, they should clarify it before that Commission otherwise the structure passed by the Judge Shri Murli Dhar would ever be agitating the public mind that the Government got a great leader of a Party murdered.

Shri Randhir Singh (Rohtak): Pandit Deen Dayal Upadhyaya was one of the best leaders of India and every Indian has regretted his brutal murder. But it is not good to be suspicious about any leader or any party that they want to conceal something or do not want to see proper investigation only for any particular purpose.

The History is not free from such murders. It is more than hundred years since the murder of Abraham Lincoln, but it is known that the inquiry is still going on. As a matter of fact, the law is faulty. As you know, 'conviction cannot be based on suspicion alone'. Unless there is any conclusive proof, unless there is direct and primary evidence, unless there is eye-witness the law does not convict any one only on the grounds of the report of forensic expert or on the evidence of witness of track. In this case no eye-witness came forward.

In this case the help of the C. B. I. and all the best officers of the highest level was sought. Had the real culprit been punished, not only his party and his relatives but the whole country would have been satisfied. But now nothing can be done except showing sympathy. Inspite of all this, I would like the Government to get it inquired into third or fourth time.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The Hon. Member Shri Jharkhande Rai pointed out that a certain person related to Shri Ram Ratan Gupta was scheduled to travel in Compartment in which Shri Deen Dayal Upadhyaya was travelling. Since that particular person did not turn up, Shri Deen Dayal Upadhyaya occupied his compartment and the thieves killed him under wrong identity. But the thieves were expert enough to distinguish between a saint and a richman. In this context, I would like to say for the information of Shri Randhir Singh who said that the best agency like C. B. I. inquiry into the matter as soon as the C. B. I. took charge of inquiry the C. I. D. of U. P. was stopped from conducting inquiry. Had both the C. B. I. and the C. I. D. of U. P. inquired, they would have reached some Conclusion but we doubt the C. B. I. for stopping the C. I. D. of U. P. to continue their inquiry.

There were big iron screws where the dead body was found lying and his back was touching those iron screws. Had he fallen, he should have received injuries in his back. But nothing of this kind was there. Secondly, the cause of his death, as has been pointed out, was due to striking with a pole. But it was not so because that pole is four or four and a half foot away from the railway-line Then what was the cause ? There may be three causes of his murder; one can be theft; second cause can be individual enmity and thirdly political opposition. To far as theft is concerned, nobody could have thought of his having any money with him because he was a man of very simple dress habits, therefore, stealing cannot be the motive, so long as his individual enmity is concerned, he was known, not only in the Jan Sangh but in the whole country, as enemyless person that is why no question of individual enmity arises.

now the third cause of political motive remains. For this purpose we shall have to find out the circumstances under which the murder was committed. This murder was committed at the time when the Jan Sangh partially came into power in Uttar Pradesh for the first time. And this is the main ground for the third cause. I do not want to go into details but if certain doubts arise about a great leader of big political party, the Government must try to remove those doubts even if it has to incur expenditure for doing so. A high power Commission consisting of three men must be costituted to go into all the facts *abinitio* so that the doubts in this regard may be removed.

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): हम श्री दीन दयाल उपाध्याय की कायरतापूर्ण नृशंस हत्या पर दिये गये आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं।

वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ, उस समय वह जनसंघ के अध्यक्ष थे।

एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि उनका शव मुगलसराय रेलवे यार्ड में पड़ा पाया गया। शास्त्री जी ने अभी बताया कि पहले मामले की जाँच उत्तर प्रदेश गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही थी, बाद में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने जाँच की। राज्य सरकार के अनुरोध पर वहाँ केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को भेजा गया था।

जब भी कहीं सर्वोत्तम प्रकार की जाँच करने वाली एजेंसी की आवश्यकता होती है तो केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को वहाँ भेजा जाता है। आसाम सरकार के इस अनुरोध पर कि आसाम में तथा वहाँ की विधान सभा में अधिक अच्छा वातावरण उत्पन्न होगा, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को वहाँ भेजा गया।

बाद में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने, जैसा कि वाजपेयी ने कहा, दो व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जिनमेंसे एक को रिहा कर दिया और दूसरे को चोरी के अपराध में पाँच वर्ष का दण्ड मिला।

कुछ जनसंघ के सदस्यों ने अदालत के समक्ष गवाही दी और बताया कि श्री उपाध्याय की हत्या राजनैतिक उद्देश्य के कारण की गई और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने दो अभियुक्तों को बलि का बकरा बनाया है। यह सब अदालत और जाँच आयोग के समक्ष रख दिये गये थे। आरोप लगाये गये अथवा तर्क दिये गये और न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि साहस की कमी और ठोस आधार न मिलने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि हत्या राजनैतिक उद्देश्य से की गई। यह सेशन्स अदालत का फैसला था।

इसके बाद माँग की गई कि मामले की जाँच शुरू से करने के लिए जाँच आयोग बिठाया जाना चाहिए। कई माननीय सदस्यों से एक ज्ञापन मिला और लगभग 72 संसद् सदस्य मिले। तब उच्च न्यायालय में अपील किये जाने की बात उठी। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में 4 अगस्त, 1969 को घोषणा की कि कोई अपील नहीं की जा सकती है। अगले ही दिन गृह-मंत्री ने यहाँ जाँच आयोग की नियुक्ति के निर्णय की घोषणा की। 23 अक्तूबर, 1969 को श्री दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु से सम्बन्धित घटनाओं और सब तथ्यों की जाँच करने के लिये आयोग नियुक्त किया गया।

आयोग की नियुक्ति से पूर्व ही जनसंघ ने श्री उपाध्याय की हत्या को राजनैतिक कारणों से की गई बताये जाने के कदम को भी वापस ले लिया था। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अपराध में साम्यवादियों और जातिवादियों का हाथ था। आयोग के गठन से पहले भी वह कह रहे थे कि दो अभियुक्त व्यक्तियों को बलि का बकरा बनाया गया है। श्री वाजपेयी ने यहाँ जो कुछ कहा उसका साराँश यही है। वे कहने गए कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने बुरे इरादों से प्रेरित होकर जाँच की है और हत्या के राजनैतिक कारणों को छिपाने की कोशिश की है। जो भी वहाँ कहा गया, वह आयोग के सामने भी कहा गया था और आयोग ने इन सारी बातों पर विचार भी किया था। इसके बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री दीन दयाल उपाध्याय की हत्या राजनैतिक लक्ष्यों से प्रेरित होकर नहीं की गई थी। दूसरा निष्कर्ष यह था कि इस हत्या से साम्यवादियों या साम्प्रदायिकता वादियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष

सम्बन्ध नहीं है। तीसरा निष्कर्ष यह था कि उन्हें चलती गाड़ी से बाहर धकेल दिया गया था और वे घर्षण खंभे से टकरा गए और मर गए। चौथा निष्कर्ष यह था कि हत्या कर चोरी भी की गई है।

ये हैं आयोग के निष्कर्ष। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने सावधानी एवं तत्परता से इस मामले की जाँच की है। कुछ माननीय सदस्यों के मन में यह विचार है कि जो कार्य सैशन्स न्यायालय ने किया, आयोग ने भी वही कार्य किया। यह ठीक नहीं है। आयोग ने इसकी जाँच की कि क्या इस हत्या के पीछे राजनैतिक उद्देश्य थे। आयोग का काम न्यायालय की तरह दोषी व्यक्ति का पता लगाना नहीं था। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पूर्ण रूप से यह साबित नहीं किया जा सका कि असल में दोषी व्यक्तियों ने ही हत्या की थी। . . . (**व्यवधान**) बहरहाल न्यायालय ने उनमें से एक व्यक्ति को जिसका नाम हैभरतलाल चोरी के लिए दोषी ठहराया है। चूँकि इस व्यक्ति ने अपील की है जिसको चोरी के लिए 4 साल की सजा दी गई है, और चूँकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः सरकार इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकती। आयोग की रिपोर्ट को हमें अंतिम रूप से मान लेना चाहिए।

श्री वाजपेयी ने कहा कि आयोग की एक स्वतंत्र जाँच एजसी होनी चाहिए। मगर वर्तमान कानून के अन्तर्गत यह नहीं हो सकता। अतः हम ने जाँच आयोग अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया है जो कि संसद के सम्मुख है। श्री वाजपेयी ने कहा कि आयोग के कुछ निष्कर्ष गलत हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आयोग कुछ तथ्यों और परामर्शदाताओं की दलीलों के आधार पर कुछ निष्कर्षों पर पहुंच गया है। सरकार का यह विचार था कि आयोग प्राप्त तथ्यों और गवाहियों पर उचित ढंग से विचार करे। आयोग ने अपना काम अच्छी तरह किया है।

हम भी उपाध्याय की निर्मम हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं।

चीनी की स्थिति और गन्ने के मूल्य के बारे में चर्चा
DISCUSSION RE. SUGAR POSITION AND CANE PRICE

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : According to the figures that the Government have, sugar cane is being produced far in excess of the actual requirement. The Government thinks that due to the reduction in the price of sugarcane last year, the production may come down this year. The fundamental problem is that the Government should not leave the problem whether sugarcane is produced excessively or not entirely to the peasants. The Government should primarily prepare an estimate as to how much is the requirement of the country and how much is required for export and on that basis the peasents should be asked to produce crops only in accordance with the rquirements otherwise what we see to-day is that if the price of sugarcane is a bit high, then the peasants will attempt to grow only sugarcane in most of the areas. Another thing is that at the time of fixing the rate of a particular product, its cost of production, labour and other related factors should be taken into consideration. The Government should give serious consideration to these things. The malady of price rise can be attributed to the lack of production. We import food materials worthe crores of rupees from America and other countries, but the Government do not seem to have taken any

initiative in cultivating fallow land in order to boost the production. Peasants comprise 85 percent of our population. The Government should provide them necessary funds, water, seeds, fertilizers and other requirements in time, and rates of their products should be fixed.

Sugar cane is cultivated in a large area. In Uttar Pradesh sugarcane is cultivated in 1233 hectares of land, in Maharashtra in 172 thousand hectares, in Punjab in 150 thousand hectares, in Bihar 137 thousand hectares and in Haryana in 133 thousand hectares. In all sugarcaneis cultivated in 2302 thousand hectares. This is the figure of 1968-69. I appeal to the Government that the peasants should not be neglected and should not resort to any such measure as may result in their efforts going in vain. The peasant had to incur an expenditure of Rs. 1,100 in the production of sugarcane in one acre, in 1964. At present it goes up to 2 thousands or three thousands. If it is allowed to go waste, it will be disastrous. Therefore, the Government should fix the rate of sugarcane in a more scientific way. The peasants should be encouraged so that they may produce more.

Shri Ram sewak Yadav (Bara Banki) : Price of sugarcane fluctates heavily. In 1968-69 in Uttar Pradesh the price of sugarcane was Rs. 75 per quintal. But the next year it came down to Rs. ten. The third year it came down to Rs. 7·35. At present the price is Rs. 7.37. There should be a fixed price with regard to sugarcane. May I know what steps the Government is taking in this regard ?

There should be some arrangement with regard to the consumption of sugarcane. Consumption should be brought on par with the production. At present what happens is that either the sugarcane is allowed to dry out in the fields itself or burnt down. I would suggest that the period of sugarcane-crushing should be extended. The mills should start functioning as swiftly as possible. In the beginning sugarcaneshould be purchased from small peasants. There should be definite arrangements in this regard.

It is said that since the price of sugar has a marked down-ward trend, the price of sugarcan cannot be increased. Are the Government contemplating a scheme to use sugarcane as an alternative to molasses etc, so that the cost of production of sugar may be reduced and the peasants may be able to get maximum price ?

Now I want to draw your attention to the outstanding dues of farmers. Crores of rupees are due to them. Their plight is pitiable. These dues ought to be paid to them.

Sugar industry should be nationalised through out the country. To nationalise the sugar industry in a particular state as for instance in U. P. where the sugar mills are no better than a junk would tantamount to helping the capitalist in a particular area. There should therefore be a uniform policy in this regard.

* **श्री साम्बिनाथन्** (गोबी चेट्टिपलयम): सभापति महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कडगम की ओर से इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है।

एक समय था जब हम चीनी का भारी मात्रा में आयात करते थे। किन्तु पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाए गए उपायों से देश में चीनी का उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ा है और हम चीनी की आवश्यकता को स्वयं पूरा करने में समर्थ हुए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाके दौरान चीनी का उत्पादन 18.9 लाख टन प्रतिवर्ष था तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह 30.21 लाख टन प्रति वर्ष था और

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

Summarised translated version based on English translation of speach delivered in Tamil.

तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह उत्पादन बढ़कर 35 लाख टन प्रति वर्ष हो गया और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा उद्देश्य चीनी का उत्पादन 42 लाख टन प्रति वर्ष करने का है।

वर्ष 1968-69 में 660 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी का उत्पादन हुआ और 40 करोड़ रुपये से अधिक रुपया इस उद्योग के कर्मचारियों को उनके वेतन के रूप में दिया गया। मैंने ये आँकड़े इसलिए आपके समक्ष रखे हैं कि यह पता लगे कि चीनी उद्योग देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। किन्तु आज इस उद्योग को सरकारी नीतियों में त्रुटियों के कारण भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्योग से 2.25 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है अतः सरकार को इस उद्योग की ओर विशेष तथा तत्काल ध्यान देना चाहिए।

आज सरकार निर्यात की जाने वाली चीनी पर अपनी ओर से कुछ अधिक मूल्य देती है अर्थात् प्रतिकिलो पर 53 पैसे अधिक मूल्य दिया जाता है और चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए यह सहायता बहुत आवश्यक है। किन्तु चीनी पर उत्पादन शुल्क इतना अधिक है कि देश में चीनी की खपत पर रोक लगा दी जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जितना संभव हो सके चीनी पर उत्पादन-शुल्क कम कर दिया जाए जिससे कि साधारण व्यक्ति भी उपभोग हेतु चीनी आसानी से खरीद सके तथा देश में इसकी खपत उत्तरोत्तर बढ़ती जाए।

इस समय देश में 15 लागत ज़ोन हैं किन्तु यदि यह ज़ोन घटाकर 5 कर दिया जाएं तो इससे इस उद्योग को लाभ होगा। कोयम्बतूर स्थित चीनी अनुसंधान संस्थान की भी यही सिफारिश है। जहाँ तक तमिलनाडु का संबंध है उत्तरी भारत के राज्यों की अपेक्षा वहाँ प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक है। हम सभी जानते हैं कि सभी गन्ने की खेती के लिए उष्ण जलवायु सर्वोत्तम होती है और यही कारण है कि उत्तरी भारत में गन्ने का उत्पादन दक्षिण की अपेक्षा कम है। तमिलनाडु में गन्ने का उत्पादन बढ़ाए जाने की बहुत सम्भावनाहैअ ौर सरकार को इस दशा में प्रोत्साहन देने चाहिए। गन्ने की कीमत बढ़ाकर वह किसानों को अधिक भूमि में गन्ना बोने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

सरकार को पुरानी पड़ी चीनी, मिलों को फिरसे चलाने और उनका आधुनिकीकरण करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु की चीनी मिलें भारी संकट में हैं। उनके पास पिछले वर्ष के उत्पादन का 60 प्रतिशत स्टाक अभी भी पड़ा है। इसके मुख्यतया दो कारण हैं: एक तो भारी उत्पादन शुल्क के कारण चीनी की खपत उत्तरोत्तर कम होती जा रही है और दूसरे नियंत्रित चीनी को भंडार से उठाया नहीं जाता। अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वहाँ से भारी मात्रा में चीनी खरीद कर समीकरण भंडार बनाए और जिन राज्यों के पास अतिरिक्त चीनी है उन्हें निर्यात की अनुमति दे। केवल इन्हीं रचनात्मक उपायों से इस संकट को दूर किया जा सकता है। इससे इस उद्योग में काम कर रहे लाखों मजदूरों को भी सहायता मिलेगी। सरकार गन्ना उत्पादकों को अधिक कीमतें देने के साथ साथ इस बात के लिए भी उपाय करे कि चीनी कारखानों के मालिक गन्ना उत्पादकों को उनसे खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान तत्काल करें।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परमणी): गन्ने की उचित कीमत नहीं दी जाती। सदन को इस तथ्य की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि यदि हम चीनी के बारे में मूर्खतापूर्ण नीतियों पर चलते रहे तो चीनी की कमी होती जाएगी और तब हमारे मंत्री जितना चाहे प्रयत्न करते रहें वे चीनी के उत्पादन

को फिर नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि ऐसी स्थिति को रोकना है तो हमारे मंत्रियों तथा अधिकारियों को चीनी उद्योग को वैज्ञानिक पद्धति से चलाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए।

इस देश में लकड़ी का भाव चीनी से अधिक है। किसानों के साथ न्याय नहीं किया जाता। यदि यही स्थिति रही तो विश्व में कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि यह एक कृषि प्रधान देश है। एक समय आएगा जब इस देश में किसानों को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा और वे गन्ना, कपास, अनाज अथवा कोई भी वस्तु पैदा करना बन्द कर देंगे।

कुछ वर्ष पूर्व सेन आयोगने सिफारिश की थी कि गन्ने की कीमत किसी वैज्ञानिक सूत्र के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए अर्थात् गन्ने की कीमत में वृद्धि सुक्रोज की मात्रा के परस्पर अनुपात में होनी चाहिए। किन्तु सरकार इस साधारण से सुझाव को भी क्रियान्वित नहीं कर सकी। इसके बाद यह मामला तलवार समिति के समक्ष रखा गया और उस समिति ने भी यही सिफारिश की। गन्ने की कीमतों के संबंध में सरकार को आनुपतिकता का सिद्धांत अपनाना चाहिए किन्तु सरकार आज भी इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। किसान जो अपने खून पसीने से गन्ना उगाता है उसे केवल इसलिए सस्ते भावों पर गन्ना बेच डालने को कहा जाता है क्योंकि वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले लोग यह नहीं जानते कि अच्छे किस्म का गन्ना पैदा करने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है।

जब तक आप कृषि संबंधी उत्पादों के लिए लागत के वैज्ञानिक सिद्धांत लागू नहीं करते तब तक यह देश उस गति से कृषि उत्पादन नहीं कर पाएगा जिस गति से हम चाहते हैं।

जहाँ तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है गैर-सरकारी मिलें किसानों को उनका बकाया रुपया नहीं देती। दो-तीन सालों से करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की इस बकाया रकम की अदायगी के लिए कुछ कार्यवाही करे। यदि मिल वाले समय पर उनकी रकम न दें तो उन्हें उस रकम पर ब्याज देने के लिए कहा जाए।

गन्ने और कपास नकदी फसलें हैं किन्तु हमने उन्हें ऋणी फसलें बना दिया है। किसान को कपास की कीमत बेचने के 6 मास बाद तक नहीं दी जाती और यदि वह गन्ना पैदा करता है तो उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यही स्थिति बनी रही तो इसमें संदेह नहीं कि यह देश कृषि के क्षेत्र में कभी आत्म निर्भर नहीं हो सकेगा।

जहाँ तक औद्योगिक नीति का प्रश्न है यह कहा जाता है कि कुछ विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं। किन्तु सरकार इस सिद्धांत को गन्ने पर लागू करने को तैयार नहीं है। जिस उद्योग में 5 करोड़ रुपये तक की लागत पूंजी लगती है उसके लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती किन्तु इस सीधे से प्रस्ताव को गन्ना उद्योग पर, जो कि आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र में आता है, लागू नहीं किया जाता।

आप नये कारखानों को लाइसेन्स जारी करते रहिए, बिना इस बात की चिन्ता किए कि उन्हें इस्पात मिलता है या नहीं। वे उद्योगपति जो चीनी की मशीनों का निर्माण करते हैं अग्रिम धन लेकर भी मशीनों की सप्लाई नहीं करते और सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करती। वह यह नहीं देखती कि जिन कारखानों को लाइसेन्स दिया गया है क्या वे चालू हुए भी हैं या नहीं। यदि यही नीति

अपनाई जाती रही तो न केवल चीनी के उत्पादन में कमी होगी बल्कि उसका उत्पादन बढ़ाना भी असंभव हो जाएगा। देश में चीनी के भावों में एक रूपता नहीं है। बिहार में भाव कुछ और हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ और। देश भर में चीनी को एक ही भाव पर बेचना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में वह स्पष्ट बताएं कि गन्ने का भाव क्या होगा तथा किस आधार पर यह कीमत निर्धारित की जाएगी।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर): महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार किस प्रकार किसानों, विशेषकर गन्ना उत्पादकों के जीवन से खेल रही है। जब देश में चीनी की कमी पड़ गई तो सरकार ने गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए गन्ने का भाव 73 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन कर दिया। परिणाम स्वरुप गन्ने का उत्पादन बढ़ गया और सरकार के पास अतिरिक्त स्टाक हो गया। इसलिए सरकार ने कीमत फिर कम करके 73 रुपये प्रति टन कर दिया। जबकि पहले कीमत बढ़ाए जाने के समय श्रमिकोंने भी इस आधार पर कि कीमत बढ़ गई है मज़दूरी बढ़ाने की माँग की थी और गन्ना उत्पादकों ने मजदूरी बढ़ा दी और कीमत कम हो गई है लेकिन उनको मजदूरी पहले की भांति ही देनी पड़ रही है। अतः उन्हें भारी नुकसान हो रहा है।

यदि हम गन्ने तथा जलाई जाने वाली लकड़ी के मूल्यों की तुलना करें तो पता लगेगा कि दोनों की किमत लगभग एक समान है, जबकि गन्ने के उत्पादन में अत्यधिक खाद तथा श्रम की आवश्यकता पड़ती है।

लोग अभी भी राष्ट्रवादी विचारों के हैं। उन्हें देश के हितों का ध्यान है। यदि वह अपने हित का ध्यान रखते तो वह कब से गन्ने को छोड़कर जलाने वाली लकड़ी पैदा करना आरम्भ कर देते। शहरों में लकड़ी की कीमत 120 रुपये प्रति टन है किन्तु गन्ने की कीमत 73 रुपये प्रतिटन और उसमें से भी गन्ना उत्पादकों को 10 रुपये लारी का खर्चा तथा 5 रुपये कटाई और 5 रुपये कारखाने से हिसाब साफ करने के लिए देने पड़ते हैं। सरकार इन सब बातों को जानते हुए भी क्यों आँखें मूँदकर बैठी है ?

भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री जगजीवनराम ने इस सदन में कहा था कि वह गन्ने की कीमत को 100 रुपये प्रति टन कराने का प्रयत्न करेंगे। किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक ठोस रूप से कुछ नहीं किया गया। मज़दूरी परिवहन भाड़ा, सिंचाई तथा बिजली दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार को गन्ने की कीमत कम से कम 100 रुपये प्रति टन अवश्य करदेनी चाहिए। आपने देखा है कि तेल, चावल, कपड़ा आदि सभी वस्तुओंके भाव बढ़ गए हैं। तब आप केवल गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए क्यों तैयार नहीं ? साथ ही यदि आप चीनी की परचून कीमतों में वृद्धि नहीं करते तो आपको उस पर लगाया जाने वाला उत्पादन शुल्क भी कम कर देना चाहिए।

जहाँतक सीरे का संबंध है हम सरकार को कहते रहे हैं कि इस पर से नियंत्रण हटा दिया जाए और कारखानों को इसे अधिक ऊंचे दाम पर बेचने दिया जाए। एक टन सीरे को 5 रुपये मिलते हैं जो कि उसे जमा रखने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हम जब भी इस प्रश्न को उठाते हैं तो यह सरकार कहती है पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय इसके लिए उत्तरदायी है। किन्तु मूल्य निर्धारण के लिए तो आप उत्तरदायी हैं। यह तो आपके अन्तर्गत आता है।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir, it is a well known fact that the sugarcane industry has been facing a difficult situation. The hon. Minister is also aware of the fact that the sugarcane producers have to distroy the sugarcane by burning it because of the non-acceptance of it by the mill-owners, especially in Uttar Pradesh. The hon. Minister has admitted that a sum of Rs. 21 crore is still outstanding which has not been paid to the producers by the mill-owners. In this context, I want to know from the hon. Minister whether any specific law is proposed to be made to send the defaulters to jail ?

In view of the fact that not a single mill-owner has spent any amount on the modernisation of mills and producing paper from sugarcane and other by-products in the sugar industry, what prevents the Government from nationalising this industry ?

My third point is that an All India Sugarcane Producers Conference was held in Meerut recently. It was demanded in that conference that the prices of sugarcane should be increased. A memorandum to this effect was also submitted to the Prime Minister. Here I would also like to know clearly as to what steps are being taken by the Government to increase the prices of sugarcane. Has he received the memorandum submitted by us to the Prime Minister and if so, what action is being taken on it by the Government ?

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद): मुझे प्रसन्नता है कि दोनों माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि सरकार का कहना है कि देश में कृषि क्रांति आई है। किन्तु जहाँ तक किसानों का सम्बन्ध है उनके लिए यह क्रांति अहितकर ही रही है।

देश में लगभग 12 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन होता है जिसमें से केवल 4 करोड़ टन गन्ने का उपयोग चीनी उद्योग द्वारा किया जाता है, जिसमें देश भर में कुल 210 कारखाने हैं। शेष 8 करोड़ टन गन्ने का उपयोग गुड़ या खाण्डसारी के लिए किया जाता है। क्या सरकार ने कोई ऐसी स्थायी और व्यावहारिक नीति बनाई है जिससे 8 करोड़ टन अर्थात् कुल उत्पादन के दो तिहाई गन्ने का उत्पादन करने वाले किसानों को कोई सहायता मिल सके ?

गत दो-तीन वर्ष से मैं सरकार से अनुरोध करता आ रहा हूँ कि जिस प्रकार अन्य प्रमुख वस्तुओं के लिये बोर्डों की स्थापना की गई है उसी प्रकार चीनी बोर्ड की भी स्थापना की जाये जो गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग की देखभाल कर सके।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो मिलें अधिक गन्ने का उपयोग करती हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये तथा इसके लिये वसूली दर समान होनी चाहिए।

तीसरे, गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 में इस आशय के स्पष्ट उपबन्ध हैं कि गन्ने का निम्नतम मूल्य निर्धारित करने से पहले गन्ना उत्पादकों से परामर्श किया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि गत तीन या चार वर्षों में गन्ने के निम्नतम मूल्य निर्धारित करते समय क्या किसी गन्ना उत्पादक संगठन से परामर्श किया गया था? ऐसा कभी भी नहीं किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद् में निर्णय करने के पश्चात्, उसके मूल्यों की घोषणा कर दी जाती है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री या तो उक्त आदेश से उस खण्ड को हटा दें अथवा उसका उचित रूप से पालन करें। जनता को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए।

सीरे के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है। मैंने सीरे से नियंत्रण हटाने के बारे में एक याचिका दी थी। जिसे याचिका समिति को सौंपा गया था। याचिका समिति ने अप्रैल, 1970

में यह सिफारिश की थी कि सरकार सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के सम्पूर्ण कार्य की व्यापक जाँच करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त करे जिसमें सम्बद्ध उद्योगों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। किन्तु खाद्य मंत्रालय अथवा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने अध्ययन दल की स्थापना नहीं की। सीरे का मूल्य लगभग 6 रुपया प्रतिटन है किन्तु बाजार में इसे 400 से 500 रुपया प्रतिटन बेचा जा रहा है। आन्ध्र उच्च न्यायालय ने इसे अवैध, असंवैधानिक तथा अन्यायपूर्ण बताया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि अध्ययन दल की स्थापना की जाये। टैरिफ आयोग ने भी कई बातों की सिफारिश की है किन्तु मंत्री महोदय ने केवल जोनो के समाप्त करने की ही सिफारिश को स्वीकार किया है। और अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में बताया है कि उन पर विचार किया जा रहा है।

गुन्डूराव समिति ने सिफारिश की है कि कारखानों का नवीनीकरण किया जाये तथा उनकी पुरानी मशीनों को बदला जाये जिससे अधिक चीनी का उत्पादन हो सके। किन्तु इस सिफारिश को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया जिससे उत्पादक और उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ रही है। उत्पादित गन्ने का मूल्य लगभग 1000 करोड़ रुपये है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि चीनी बोर्ड की स्थापना की जाये जिसमें गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि तथा चीनी उद्योग के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): आज एकाधिकारियों को सबसे अधिक लाभ हो रहा है और किसानों की मुंडाई की जा रही है। उद्योगपतियों की ओर किसानों की इतनी बड़ी धनराशि बकाया है किन्तु सरकार उनसे कुछ कहना नहीं चाहती। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि चीनी उद्योग को सरकार ने, सरकार के अधीन संस्थानों ने तथा अन्य वित्तीय सहायता देने वाले निकायों ने कितना ऋण दिया है?

चीनी सम्बन्धी मंजूरी बोर्ड के पंचाट को अभी तक लागू नहीं किया गया। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार चीनी का भी राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जैसा कि इस्पात के बारे में किया गया है? चीनी के अधिक मूल्यों के कारण लोग कभी कभी सैक्रीन जैसी अस्वास्थ्यकर वस्तु का भी प्रयोग करते हैं। सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण जनता की क्रय-शक्ति समाप्त हो गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में चीनी की उत्पादन लागत क्या है।

महोदय, उपभोक्ताओं, किसानों तथा मिल कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए चीनी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर की नीति अपनानी चाहिए तथा चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। सरकार ने चीनी पर आधारित उद्योग तथा सीरे पर आधारित उद्योग के बारे में कुछ नहीं किया। सरकार ने गन्ना तथा सीरे को पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोग करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाओं पर भी कोई विचार नहीं किया तथा गन्ने की घूंघ से लुग्दी बनाने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया। गन्ने की घटिया किस्म को सुधारने के लिये भी कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने जो भी कुछ किया है वह वैयक्तिक अथवा दल के स्वार्थों की पूर्ति के लिये किया है। गन्ने की खेती भूमि को अधिक समय तक घेरे रखती है किन्तु चुकन्दर की खेती भूमि को कम समय तक घेरती है और उससे चीनी भी अच्छी प्राप्त होती है। किन्तु सरकार ने चुकन्दर की काश्त के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी अच्छी

काश्त हो सकती है तथा इससे भूमि कटाव को भी रोका जा सकता है और सस्ती चीनी भी प्राप्त हो सकती है।

चीनी से आंशिक रूप से नियंत्रण हटाने से हानि ही हुई है क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने इससे 40 लाख रुपये इकट्ठे किये हैं। हमें ऐसी 9 सहकारी मिलों के बारे में भी पता है जिन्होंने कुछ ही महीनों में 10 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त लाभ कमाया है। यह बड़ी लज्जा की बात है कि गरीब जनता की खून पसीने की कमाई से कुछ लोग इतने धनवान बनते जा रहे हैं।

महोदय ! मूल्यों का निर्धारण बनावटी है और हम चाहते हैं कि इसकी पुनः जाँच की जानी चाहिए। मंत्री महोदय इसी समय बताने का कष्ट करें कि विभिन्न क्षेत्रों में चीनी की उत्पादन लागत क्या है।

मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि किसानों को गन्ना जलाना पड़ता है। उनका शोषण किया जा रहा है। स्वयं सरकार इन शोषकों से मिली हुई है तथा मूक दृष्टा होकर बैठी है।

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मन्दसौर): महोदय ! मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूँगा। चीनी से सम्बन्धित नीति की घोषणा में टालमटोल की गई है। वर्ष 1969-70 के लिए अस्थायी मूल्य दिसम्बर, 1969 में निर्धारित किये गये थे किन्तु अभी तक उसके अंतिम मूल्यों की घोषणा नहीं की गई। मेरे विचार से यह अनुचित ही है। सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए। वर्ष 1969-70 में रक्षित भण्डार 20.88 लाख टन था जो 1970-71 में 23.38 लाख टन हो जावेगा। अतः 8 लाख टन का रक्षित भण्डार होना आवश्यक है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह चीनी का रक्षित भण्डार भी बनाए तथा उसके निर्यात में भी वृद्धि करने का प्रयत्न करे।

जहाँ तक ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, चीनी उद्योग को इस योग्य होना चाहिए कि वह गन्ना सप्लाई करने वालों तथा किसानों और भण्डार रखने वालों की सहायता कर सके। अतः मेरा निवेदन है कि चीनी के भण्डारों के नाम से ऋण की सीमा को बढ़ा देना चाहिए। लगभग 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इस संकट में चीनी उद्योग सुचारू रूप से चल सके।

उत्तर प्रदेश मंजूरी बोर्ड के पंचाट से मुझे प्रसन्नता है। श्रमिकों को अधिक वेतन मिलना ही चाहिए किन्तु साथ ही साथ यहभी ध्यान रखना चाहिए कि उद्योग अलाभप्रद न रहे। अधिकतर चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति खराब है। उनकी स्थिति में सुधार के लिये उन्हें धन की आवश्यकता है। अतः सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्थिति सुदृढ़ बनी रहे क्योंकि लाखों व्यक्ति उन मिलों पर ही आश्रित हैं।

महोदय ! तमिलनाडु के कारखानों को भारी हानि हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ कारखानों को हानि हो रही है। अतः यह आवश्यक है कि मूल्य ढांचे का पुनरीक्षण किया जाये तथा नियंत्रित चीनी के मूल्यों में कुछ वृद्धि की जाये।

खुली चीनी तथा नियंत्रित चीनी पर उत्पादन शुल्क समान दर से लिया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह इस बात पर विचार करें।

मेरा यहभी निवेदन है कि सभी राज्यों में चीनी के भण्डारों को उचित समय पर खोला जाये।

महाराष्ट्र के भण्डार बहुत पहले खोल दिये जाते हैं जबकि अन्य राज्यों के कारखानों के भण्डार देर से खोले जाते हैं। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विचार करें।

मुझे यही सामान्य बातें कहनी थीं तथा आशा है सरकार इन मामलों के सम्बन्ध में शीघ्र अपनी नीति घोषित करेगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. chairman, I want to put straight questions. Will the Government set up a sugarcane Price Commission on the anology of Agriculture Prices Commission ? My information is that this price does not even cover the cost of the seeds. Are they prepared to set up sugarcane prices commission to enable the farmer to get proper price of their produce ?

Secondly, will Government black-list the mills which do not pay to the farmers the price of their sugarcane despite the clear directive of the Government ? Are they prepared to take action against them ?

Thirdly, they sell molasses at the rate of Rs. 400 per mound to wine industries like Mohan Meakins. I say that this is the bonus of farmers. They should sell it properly. Public is ready to purchase the same from the market at the rate of Rs. four or five per maund. Are they prepared to find out an agency for the sale of the same ?

Fourthly, we are greateful to the Government for fixing up the support price of food-grains. The Government should enter the market by nationalising the sugar industry so that the sale prices of the farmer do not remain the minimum. I have learnt that in some cases the mills paid up to Rs. three to the farmers. Under such circumstances, farmers sell the sugarcane in his field in the form of fire wood instead of sending it to the mill.

Finally, the villagers are also human beings. Cities are not the places where prices reside. Why is there difference between rural and urban areas in the matter of sugar ? They are not prepared to give even one fourth share to the villagers. The distribution of sugar quota to the villages and the cities should be on an equal basis. No sugar is made available even for marriages in the villages. Will they stop this discrimination ?

I hope Government will consider the above five points.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): उद्योग, गन्ना-उत्पादकों तथा अन्य लोगों से सम्बन्धित विषय पर चर्चा शुरू करने के लिये मैं श्री काशीनाथ पाण्डेय का आभारी हूँ। मैं उन माननीय सदस्यों का भी उतना ही आभारी हूँ जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है। दो दिन की चर्चा के दौरान ऐसे कई प्रश्न सामने आये हैं जिन्हें हल करने के लिए हम ऐसे ही उत्सुक हैं जैसे कि माननीय सदस्य हमसे अपेक्षा करते हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। इनमें से एक प्रश्न गन्ने की कीमतों से सम्बन्धित हैं। जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं गन्ने की कीमतें निश्चित की गई हैं। वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के लिये गन्ने की कम से कम कीमतें निश्चित की गई थीं जो हमने वर्ष 1970-71 के लिय भी निश्चित की हैं। कीमतें निश्चित करने के फलस्वरूप पहले वर्ष किसानों को 7.37 रुपये के स्थान पर 20 रुपये मिले। लेकिन गत वर्ष किसानों को लगभग उतनी ही कीमत मिली जितनी कि सरकार ने निश्चित की थी। इसके फलस्वरूप अब काफी क्षेत्र में गन्ना पैदा किया जा रहा है और पैदावार भी काफी बढ़ गई है।

हमारे सामने यह प्रश्न था कि चालू वर्ष के लिए कीमतें क्या हों। हमने सब पहलुओं पर विचार किया, राज्य सरकारों से भी परामर्श किया और निर्णय किया कि. . .

Shri Sarjoo Pandey : Name all the representatives of the cane-growers associations.

श्री ज्योतिर्मय बसु: उनके दाह-संस्कार का निर्णय किया गया।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: उनकी सब सिफारिशों पर विचार करने के बाद हमने यह निर्णय किया कि कीमतें वही रहें जो गत वर्ष थीं क्योंकि इसमें वृद्धि करने के लिए कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई है। इसके बावजूद भी मामला कृषि मूल्य आयोग को सौंपा गया। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूँ कि कृषि मूल्य आयोग ने 7.37 रुपये मूल्य की सिफारिश की थी। हमने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। हमने गन्नेकी कीमत 7.37 रुपये निश्चित की तथा इसे 9.4 की वसूली से जोड़ा जैसे कि गत वर्ष किया गया था। हमने गत वर्ष की तुलना में प्रीमियम को भी बढ़ाया। जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं एक पॉईंट की बढ़ौतरी के पीछे 5.37 की बढ़ौतरी हुई। अब इसे 6.6 तक बढ़ा दिया गया है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख: क्या यह अनुपातिक है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: मैं इसका जिक्र करूँगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: चीनी के कारखाने के उत्पादन का क्या मूल्य है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जहाँ मात्रा 9.4 प्रतिशत से अधिक है तो गत वर्ष की अपेक्षा अधिक मूल्य मिलेगा। वर्तमान स्थिति में जहाँ तक मूल्य निर्धारण का सम्बन्ध है, यह अधिक से अधिक था।

महाराष्ट्र से एक दूसरा प्रश्न यह आया कि अनुपातिक सिद्धान्त के अनुसार ही चीनी की मात्रा में बढ़ौतरी की जावे। लेकिन हमने इसे उचित नहीं समझा और सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इसके स्थान पर हमने चीनी मात्रा के हर 0.1 प्रतिशत के मूल्य में वृद्धि की।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख: इसके बारे में अनुचित क्या था ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: हमने सोचा था कि इससे उन क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा जहाँ चीनी की मात्रा कम है। हम किसी विशेष क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे। हमने सोचा कि यह सबके हित में होगा यदि हम सारे क्षेत्र की दरों को 5.37 से 6.6 कर दें।

Shri Tulshidas Jadhav : As it sin to work more, grow more and produce more ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: इस बात को समझा जाना चाहिए कि केवल प्रयत्नों से ही नहीं बल्कि जलवायु तथा अन्य कारणोंसे किसी एक क्षेत्र में अन्य क्षेत्र की अपेक्षा चीनी की अधिक मात्रा होती है। अतः हमने सोचा कि यदि हम अधिक दाम दें तो चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी और उपभोक्ता भी इसे पसंद नहीं करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही मूल्य निर्धारित कर लिये हैं।

जहाँ तक चीनी के मूल्य का सम्बन्ध है यह मामला विचाराधीन है। आज हमारे सामने इस बारे में तीन विकल्प हैं। एक तो चीनी परपूर्ण रूप से नियंत्रण, जिसमें मूल्य निर्धारण करना होगा। दूसरे गत दो-तीन वर्षों की तरह आंशिक रूप से नियंत्रण हटाने की नीति चालू रखना, और तीसरे चीनी पर से

पूर्ण रूप से नियंत्रण हटाना। यदि तीसरा विकल्प अपनाया जाय तो चीनी का मूल्य निर्धारण करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। परन्तु पिछले मौसम के अन्त तक हमारे पास 20 लाख मीटरी टन के भण्डार को देखते हुए यह मामला हमारे विचाराधीन है। यह प्रश्न किया गया है कि चालू वर्ष में सितम्बर के अन्त तक यह भण्डार बढ़ जायेगा। चालू वर्ष में लगभग 40 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना है और गत एक या दो महीने की आन्तरिक खपत 32 लाख मीटरी टन से बढ़कर 36 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है। फिर भी हम यथेष्ट मात्रा में निर्यात कर सकते हैं और आन्तरिक खपत भी पूरी कर सकते हैं। आगामी वर्ष के लिए बहुत कम चीनी बच पायगी। परन्तु, हमें तो इस बात पर विचार करना है कि हम कितने क्षत्र में गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं और गन्ना उत्पादकों को पर्याप्त मूल्य कैसे दिया जाए।

यदि मूल्य गिर गये तो गन्ने का उत्पादन कम होगा और हम चीनी की आन्तरिक खपत भी पूरी नहीं कर सकेंगे। पिछले वर्ष की 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में चालू वर्ष में गन्ने का 1.35 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ है। क्योंकि गन्ना उत्पादकों की अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक गन्ने का उत्पादन करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें कोई ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे कि गन्ना उत्पादकों को उपयुक्त मूल्य मिलें और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा। चीनी के रक्षित भण्डार के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गत वर्ष के अन्त तक हमारे पास 20 लाख मीटरी टन से कुछ अधिक शेष भण्डार था। अवशेष भण्डार में से रक्षित भण्डार बनाने के बारे में मामला विचाराधीन है। मुझे इस बात का खेद है कि हम चीनी के मूल्य सम्बन्धी और सम्भावित रक्षित भण्डार के बारे में नीति की घोषणा नहीं कर सकते।

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी : आपने इस बात की कोई घोषणा नहीं की है कि क्या चीनी पर से नियंत्रण हटा लिया जायेगा अथवा आँशिक नियंत्रण रहेगा। चीनी का क्या मूल्य होगा और कितना रक्षित भण्डार होगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ये सब बातें विचाराधीन हैं और सरकार बहुत शीघ्र ही निर्णय करेगी। लगभग एक महीने के अन्दर निर्णय कर लिया जायेगा।

जहाँ तक नई फसल का सम्बन्ध है, चीनी का कुछ क्षेत्रों में कुछ थोड़ा बहुत उत्पादन हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस महीने के अन्त तक गन्ने का काफी उत्पादन हो जायेगा और तब हम गन्ने के मूल्य और आगामी वर्षों में चीनी के बारे में अपनाई जाने वाली नीति की घोषणा कर सकेंगे।

जहाँ तक चीनी के बनाने में बचे हुए बेकार पदार्थ का बायलरों में उपयोग न करने के बजाए कागज बनाने में उपयोग करने के सुझावों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ ये सुझाव तो विचार करने योग्य हैं परन्तु हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि इस कार्य के लिए इतने अधिक चीनी-मिलों में तरमीम करनी पड़ेगी जिससे वर्तमान व्यवस्था को बदला जा सके। सरकार को यह भी देखना होगा कि इनमें कौनसी व्यवस्था लाभदायक और कम खर्च वाली है।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है कि नियंत्रित चीनी और खुली चीनी पर भिन्न उन्पादन शुल्क नहीं लगाना चाहिए। इस पर विचार करके यह मामला वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। हम इस पर शीघ्र ही निर्णय कर लेंगे।

जहाँ तक उद्योगों को रिजर्व बैंक तथा अन्य सम्बद्ध बैंकों द्वारा पर्याप्त धन का नियतन न करने का मामला है मेरी जानकारी के अनुसार उद्योगों को उचित धन दिया गया है। गत वर्ष इस उद्योग को 225 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधायें बैंकों द्वारा दी गई और इसका औचित्य नहीं है कि गन्ना मिलने पर ये उद्योग गन्ना उत्पादकों को उनका मूल्य नहीं देंगे। इस मामले की जाँच करने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है। हमने राज्य सरकारों पर जोर देकर कहा है कि इस बात को वैधानिक दृष्टि से देखें कि गन्ना उत्पादकों को उनका मूल्य समय पर मिले। यह बात ठीक है कि उन पर 15 करोड़ रुपये बकाया हैं।

श्री एम० नारायण रेड्डी: आप यह भुगतान कैसे करायेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: हमारे पास यह आँकड़े 15 नवम्बर तक के हैं। 337 करोड़ रुपये में से गन्ना उत्पादकों का अभी 15 करोड़ रुपया बकाया है। राज्य सरकारों को इस बारे में उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि यह रुपया उन्हें समय पर दिया जा सके। इस सम्बन्ध में केवल राज्य सरकारें ही कार्यवाही कर सकती हैं।

सीरे का मामला पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से सम्बद्ध है। अतः इस मामले को उक्त मंत्रालय को सौंपना चाहिए। माननीय सदस्यों के विचार मैं उक्त मंत्रालय तक पहुँचा दूँगा।

मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के मामले पर विचार करना उसी स्थिति में संगत है जबकि चीनी के मूल्य निर्धारित किये जायें और यह तभी हो सकता है यदि चीनी पर से आँशिक अथवा पूर्ण रूप से नियंत्रण हटाया जाए।

ये मुख्य-मुख्य मामले हैं जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं और आशा है कि जब हम अपनी नीतियों को प्रतिपादित करने के उपरान्त देश के सम्मुख रखेंगे तो माननीय सदस्यों को देश के चीनी उद्योग के विकास को देखकर संतोष हो जायेगा।

सभापति महोदय: अब सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित-काल के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned time die.

Printed at Modern Printery Ltd., INDORE-2